मंगलवार, 10 मार्च 1981

19 फाल्गुन 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 17, मंगलवार, 10 मार्च, 1981/19 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 289, 290, 292, 295, 296, 298, 299, 302 और 303	1—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 291, 293, 294, 297, 300, 301, 304 से 308 और 107	23—30
अतारांकित प्रश्न संख्या 2801 से 2818, 2820 से 2873, 2875 से 2927, 2929 से 2967 और 2969 से 3000	30—189
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	189—190
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	190—195
बिहार में विभिन्न कोयला परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने के फलस्वरूप हरिजनों और आदिवासियों का विस्थापित होना	
श्री राम स्वरूप राम	190
श्री विक्रम महाजन	
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	191
श्री शिव प्रसाद साहू	193
समिति के लिए निर्वाचन नारियल विकास बोर्ड	195
कार्य-मंत्रणा समिति 13वां प्रतिवेदन	195—196

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	196—201
(एक) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गांधी सागर बांध से कोटा बांध (राजस्थान) के लिए पानी छोड़ा जाना	
श्री कृष्ण कुमार गोयल	196
(दो) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार और उसके सुचारु रूप से चलाने के प्रयत्न	
श्री रेणुपद दास	197
(तीन) भिण्ड जिला में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से तहसीलों को अनाज के भंडारों को ढुलाई के लिए प्रयत्न	
श्री माधव राव सिन्धिया	197
(चार) मध्य प्रदेश के एक गांव में एक आदिवासी महिला के साथ अनेक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार का समाचार	
श्रीमती गीता मुखर्जी	198
(पांच) अशोक लीलैंड ट्रक इंजन निर्माण उद्योग की अलवर में स्थापना	
श्री राम सिंह यादव	198
(छः) कानपुर में क्षय रोग के रोगियों की संख्या में वृद्धि	
श्री आरिफ मोहम्मद खाँ	199
(सात) मद्रास शहर में पोलियो का महामारी के रूप में फैलना	
डा० ए० कलानिधि	199
(आठ) 1947 में भारत आये पाक-अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों को स्वामित्व-अधिकार देने और नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री पी० नामग्याल	200
सामान्य बजट, 1981-82—सामान्य चर्चा	201—281
श्री बीजू पटनायक	201
श्री कमल नाथ	208
श्री वी० एस० विजयराघवन	217
श्री बलीराम भगत	223

विषय	पृष्ठ
प्रो० एन० जी० रंगा	229
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	237
श्री एन० सेलवाराजू	243
श्री वीरभद्र सिंह	247
श्री रामनाथ दुबे	251
डा० ए० कलानिधि	253
श्री वाई० एस० महाजन	258
श्री दिलीप सिंह भूरिया	263
श्री मुलतान सिंह	267
श्री भेरावदन के० गधावी	270
श्री चक्रधारी सिंह	272
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	274
श्री सुन्दर सिंह	277
श्री बाबू लाल सोलंकी	279

लोक सभा

मंगलवार, 10 मार्च, 1981/19 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आकाशवाणी के रोहतक केन्द्र की स्थिति में सुधार करने का प्रस्ताव

*289. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी के रोहतक केन्द्र की स्थिति में सुधार करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) स्थायी मस्तूल के लग जाने पर आकाशवाणी, रोहतक में इस समय उपलब्ध प्रेषण सुविधाओं में कवरेज के क्षेत्र के रूप में और सुधार होगा । इसको अब कार्यान्वित किया जा रहा है ।

मानकों, प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अधीन रहते हुए आकाशवाणी के केन्द्रों की स्थितियों और सुविधाओं में चहुमुखी सुधार करने का सरकार का प्रयत्न रहता है ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : बहुत ही अस्पष्ट और अधूरा उत्तर दिया गया है । मैं सीधा उत्तर चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य महिला मंत्री को भी नहीं बख्शते ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मेरा प्रश्न यह था कि क्या आकाशवाणी के रोहतक केन्द्र की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ? एक उत्तर (क), (ख) और (ग) दिया गया है। इस स्थायी मस्तूल के लगाने में सरकार कितना समय लेगी और इस काम में विलम्ब क्यों हो रहा है। दूसरे, मैं उसका ब्यौरा जानना चाहता हूं। जहां तक ब्यौरा देने का संबंध है, यह बताया गया है कि आकाशवाणी के केन्द्रों पर मानकों और प्राथमिकताओं आदि के अधीन हैं। मैं आकाशवाणी के रोहतक केन्द्र के बारे में ठोस उत्तर चाहता हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : जहां तक रोहतक केन्द्र का सम्बन्ध है, निर्माण कार्य की कुछ खराबी के कारण, हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि सही मस्तूल ही लगाया जाए क्यों कि यह स्थायी चीज़ होती है। अब स्थिति यह है कि मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही हैं और उन्हें यह जानकर हर्ष होगा कि जिस तरह श्री दण्डवते कहा करते थे, यह मस्तूल अगले महीने तक लग जाएगा और रोहतक में स्टूडियो पूरी तरह विकसित हो जाएगा।

एक माननीय सदस्य : वह मस्तूल क्या है ?

श्री वसंत साठे : अगले महीने यह मस्तूल पूरी तरह लग जाने पर रोहतक क्षेत्र में बहुत बढ़िया सेवा शुरू हो जाएगी बशर्ते कि बिजली बराबर मिलती रहे जो कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। दुर्भाग्यवश, हमें बिजली नियमित रूप से नहीं मिल रही। मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या माननीय मंत्री महोदय सदन को यह बताएंगे कि सरकार कम से कम उस राज्य विशेष के आकाशवाणी केन्द्र से हरियाणवी भाषा में समाचार प्रसारित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी जैसा कि पंजाब और देश के अन्य राज्यों में किया जा रहा है ? दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि हरियाणवी भाषा और हरियाणवी संस्कृति के प्रसार और विकास के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

श्री वसंत साठे : समूचा रोहतक स्टूडियो हरियाणवी भाषा और हरियाणवी संस्कृति के विकास के लिए ही है। जहां तक हरियाणवी भाषा का संबंध है, वह इस क्षेत्र की कई भाषाओं में से एक भाषा है, और वहां हिन्दी सभी समझते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में उन्हें यह भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हरियाणवी संस्कृति केवल हरियाणवी भाषा तक ही सीमित है क्योंकि हरियाणा में चार अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं; इससे व्यर्थ ही भाषा संबंधी विवाद उठ खड़ा होगा। हम सभी भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं।

नेपाल में करनाली हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए नेपाल से समझौता

*290. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेपाल में बिजली के उत्पादन के लिए करनाली हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना के बारे में नेपाल से कोई समझौता करने पर विचार कर रही है ;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और उसमें भारत का हिस्सा क्या होगा ;

(ग) उससे भारत को क्या लाभ होने की संभावना है ;

(घ) क्या भारत के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों द्वारा भी परियोजना के वित्त पोषित किए जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) नेपाल की महामहिम सरकार के साथ यह समझौता हुआ है कि करनाली जल विद्युत परियोजना के लिए विस्तृत अध्ययन हाथ में लिए जायेंगे और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कदम उठाये जायेंगे ।

(ख) वर्तमान लागत का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब विस्तृत परियोजना रिपोट तैयार हो जाएगी ।

(ग) परियोजना से प्राप्त होने वाले संभावित लाभों की मात्रा मुख्यतः (1) विद्युत सप्लाई ; (2) सिंचाई संबंधी लाभों और (3) बाढ़ नियंत्रण संबंधी लाभों से संबंधित है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद ही लाभों का ब्यौरा उपलब्ध होगा ।

(घ) और (ङ) भारत अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा परियोजना में वित्तीय योगदान से संबंधित प्रश्नों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अनुपूरक प्रश्न पूछने वाले हैं ? नहीं । तो फिर श्री माधवराव सिंधिया आप पूछिये ।

श्री माधवराव सिंधिया : करनाली हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना से 4½ हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है जो भारत को इस समय कुल बिजली उत्पादन के लगभग छठे भाग के बराबर है । इसलिए यह भारत की बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है । इसमें सबसे बड़ी अड़चन परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की है जिसके बारे में

मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में जिक्र किया है। क्या यह सही नहीं है कि कुछ वर्ष पहले क, ख, और ग तीन तकनीकी दल गठित किए गए थे और हर दल इन तीन तकनीकी दलों की गतिविधियों में समन्वय करने के लिए गठित किया गया था। क्या यह सही नहीं है कि आज तक दल 'घ' ने इन दलों के साथ कोई बैठक नहीं की ? जाहिर है कि इस में विलम्ब होगा ही क्योंकि इन चार दलों द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही हम वित्तीय संस्थानों से बात कर सकते हैं। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इन तीन तकनीकी दलों और चौथे समन्वयकारी दल की बैठक बुलाने के लिए कोई समय अनुसूची निर्धारित की गई है ; यदि हां तो यह समय अनुसूची क्या है ; यदि नहीं तो क्यों नहीं ? श्री राम साठे, भारतीय विदेश सचिव ने पिछले वर्ष नेपाल में यह सुझाव दिया था कि भारत और नेपाल को एक जल पुनरीक्षा समिति गठित करनी चाहिए जो अब से 50 वर्ष बाद के बारे में सोच सके। क्या नेपाल सरकार ने इस प्रस्ताव का कोई उत्तर दिया है या नेपाल सरकार का अब भी वैसा ही क्षेत्रीय रवैया चल रहा है जैसा बंगलादेश, श्रीलंका और चीन का है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, फिलहाल हमने नेपाल के साथ मामले की जांच करना स्वीकार कर लिया है। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। यह द्विपक्षीय समझौता है। आप जानते हैं कि तेपाल से हमारे संबंध उतने सौहार्दपूर्ण नहीं थे जितने होने चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयां थीं। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि अब वह स्थिति नहीं रही और नेपाल द्विपक्षीय समझौते के लिए तैयार हैं। हम करनाली परियोजना और पंचशाली परियोजना के लिए नेपाल के साथ द्विपक्षीय समझौता कर रहे हैं। यह एक बहूद्देश्यीय परियोजना है और जैसा कि आपने कहा हमें करनाली परियोजना से 3,500 से 4,000 मेगावाट तक और पंचशाली परियोजना से 72,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन होने की आशा है।

श्री माधवराव सिंधिया : इन दलों की बैठक कब होगी ? मैं जानना चाहता हूं कि इसकी बैठक कब हो रही है।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : पिछली बैठक 3-3-1981 को हुई थी। (व्यवधान) हम सरकार के स्तर पर बातचीत कर रहे हैं और अधिकारियों की बैठक इस महीने होगी।

श्री मूल चन्द डागा : देश के अन्दर बिजली की कमी है। आपने नेपाल से पहले पहल कब समझौता किया था और समझौता करने के बाद आपको कितना समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में लग गया ? गवर्नमेंट की मशीनरी धीमी चलती है। कब समझौता हुआ था, तारीख बताइये।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इस समय तारीख बताना संभव नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : करनाली के लिए बात कब कर ली है ?

श्री विक्रम महाजन : 3 मार्च 1981 को, मैंने कह तो दिया है।

तेल की खोज के लिए विदेशी कम्पनियां

*292. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल की खोज के लिए कम विदेशी कम्पनियों को सूची में रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और तेल की खोज के लिए उन कम्पनियों तथा भारत सरकार ने क्या शर्तें स्वीकार की हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन शर्तों के हानिकारक परिणाम निकलेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कम्पनियां जो सूची में शामिल नहीं की गई थीं, के नामों का एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत है । इन कम्पनियों में से किसी के साथ कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई हैं ।

विवरण

फर्में जिनका नाम सूची में शामिल नहीं था और जिनसे तेल के अन्वेषण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे हैं ।

1. मोबिल आयल कार्पोरेशन, यू० एस० ए०
2. सुपीरियर आयल कंपनी, यू० एस० ए०
3. पेट्रोब्रास इंटरनेशनल एस० ए०, ब्राजील
4. टेक्सको इंटरनेशनल पेट्रोलियम कंपनी यू० एस० ए०
5. अमोको इंटरनेशनल आयल कंपनी, यू० एस० ए०
6. मेराथन इंटरनेशनल आयल कंपनी, यू० एस० ए०
7. शेवरॉन ओवरसीज पेट्रोलियम इंक०, यू० एस० ए०
8. सन्मार्क एक्सप्लोरेशन कंपनी, यू० एस० ए०
9. अमेरेडा हेसी कार्पोरेशन, यू० एस० ए०
10. शैल आयल कंपनी इंटरनेशनल, यू० एस० ए०
11. गल्फ आयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी, यू० एस० ए०
12. एस्सो एक्सप्लोरेशन इंक०, यू० एस० ए०
13. शैल एक्सप्लोरेशन बी० वी०, नीदरलेंड

14. कोमोको इंक० इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन, यू० एस० ए०
15. कम्पेजिन फ्राकेइस ड्यू० पेट्रोल्स, फ्रांस
16. ए० जी० आई० पी० स्पा०, इटली
17. आर्को इंटरनेशनल आयल एंड गैस कंपनी, यू० एस० ए०
18. गेट्टी आयल कंपनी, यू० एस० ए०
19. यूनियन आयल कंपनी आफ केलीफोर्निया, यू० एस० ए०
20. ऑक्सीडेंटल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी, यू० एस० ए०
21. सोसाइटे नेशनल एल्फ एक्विटेन, फ्रांस
22. ब्रिटिश पेट्रोलियम, यू० के०
23. सिटीज सर्विस ईस्ट एशिया इंक०, यू० एस० ए०
24. फिलिप्स पेट्रोलियम कं०, फार ईस्ट, सिंगापुर
25. पीमेक्स, मेक्सिको
26. सेडको इनर्जी कार्पोरेशन, यू० एस० ए०
27. हडवे आयल इंटरनेशनल लि०, यू० एस० ए०
28. यूनियन टैक्सास पेट्रोलियम कार्पोरेशन, यू० एस० ए०
29. डेमिनेक्स, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी
30. हंट आयल कंपनी, यू० एस० ए०
31. रोम पेट्रोल, रोमानिया
32. हिसपेनिका डि पेट्रोल्स एस० ए०, स्पेन
33. केनेडियन सुपीरियर आयल लिमिटेड, कनाडा
34. बर्मा आयल कंपनी, यू० के०
35. बो-वैली एक्सप्लोरेशन, सिंगापुर

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने बहुत गोपनीयता बरती है। (**व्यवधान**) मैं आगे और जानकारी चाहती हूँ। प्रस्तुत विवरण—उन कम्पनियों का है जिन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस विवरण में 35 में से 25 अमरीका स्थित बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं और उनमें से कुछ कम्पनियां बहुत विख्यात हैं। अन्य भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं। यह देखते हुए, मैं माननीय मंत्री का ध्यान प्रश्न के भाग (ग) की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ और उस सिलसिले में मैं यह पूछना चाहूंगी कि जिन कम्पनियों से हम बातचीत कर रहे हैं उनके सामने क्या शर्तें रखी गई हैं ? क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की कोशिश यह है कि उन्हें तेल का अधिक हिस्सा मिले और कम से कम बोनस देना पड़े तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इस मामले से अलग रखा जाए और उसकी भूमिका केवल संविदा प्रबंधक मात्र तक ही सीमित रहे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : बहुत ही विशिष्ट प्रश्न है। **(व्यवधान)**

पेट्रोलियम, उर्वरक और रसायन मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जहां तक इन कम्पनियों का सम्बन्ध है, ये सभी विदेशी कम्पनियां हैं। हमने यह पता नहीं लगाया कि इनमें से कितनी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आपने पता नहीं लगाया है ? **(व्यवधान)**

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इन 35 कम्पनियों में से 20 से 24 कम्पनियों ने राकेट खरीदे हैं और केवल 21 कम्पनियों के साथ हमने यहां देहरादून में विचार-विमर्श किया है। इसलिए सूची में शामिल न किए जाने के बाद 14 कम्पनियों ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हमने उन्हें 21-2-1981 को एक पत्र भेजा है और उन्हें अपनी दर भेजने के लिए कहा है। जब वे अपनी दरें भेज देंगी तभी हम उनसे शर्तों के बारे में बातचीत करेंगे। दरें भेजने की अन्तिम तारीख 30 अप्रैल 1981 निर्धारित की गई है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हमने समाचार पत्रों में शर्तों के बारे में पढ़ा है। मैं नहीं जानती उन्हें यह सूचना कहां से मिलती है। मंत्री महोदय को उनमें से कुछ की जानकारी होगी। क्या यह भी सच है कि तेल की हिस्सेदारी में इतनी अधिक साझा है कि बम्बई हाई के तेल के एक प्रतिशत भाग से भी 20 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आय होगी ? **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इससे भी अधिक होगी। **(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं वर्तमान दर की बात कर रही हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह प्रश्न बम्बई हाई के संबंध में नहीं है। तथापि वास्तविकता यह है कि बम्बई हाई के लिए भी फ्रांस से एक दल (सी० एफ० ब्राउन) 16 तारीख को भारत आ रहा है। उन्हें यहां पहले 12 तारीख को आना था। हमें उनके साथ बम्बई हाई के उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न पर चर्चा करनी है। हमने अभी तक करार की शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया है। शायद वे तेल में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। लेकिन यह इस दृष्टि से काल्पनिक होगा कि भारत से बाहर तेल नहीं जायेगा। यह केवल रुपये की शर्तों पर ही होगा और रुपया ही बाहर जायेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, हम तेल के आयात पर 5600 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। यह बहुत ही जरूरी है कि हमें इन सब बातों में पड़ने की अपेक्षा उत्पादन को बढ़ाना होगा।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि भारतीय तेल कंपनियों के पास अपेक्षित तकनीकी जानकारी है और यदि उनके पास ये जानकारी है तो हम इस संबंध में विदेशी कम्पनियों के पास क्यों जा रहे हैं जिसके लिए हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि इसका पहले ही जवाब दे दिया गया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया के पास तकनीकी जानकारी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है उनके पास पूरा काम है और

हमने उन्हें अगले पाँच या छः वर्षों के लिए पर्याप्त मात्रा में काम दिया हुआ है। अतः सभी क्षेत्र में प्रवेश करना आवश्यक हो गया है। इसलिए यह निमंत्रण है।

अध्यक्ष महोदय : श्री घोष, अन्तिम अनुपूरक प्रश्न। (व्यवधान)

श्री निरेन घोष : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सभी करारों में कार्यशील हिस्सेदार बनाया जाएगा, क्या विदेशी तेल कम्पनियों के लिए उनके द्वारा एकत्रित आंकड़ों को करार के अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा क्या मैं यह मान लूं कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को उसके द्वारा एकत्रित आंकड़ों को देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा और तेल के बंटवारे का कोई आधार नहीं होगा, भारत को बेचे जाने वाले तेल अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर बेचा जाएगा तथा इन सब शर्तों तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को अलग रखने से जनता के दिमाग में यह भारी संदेह पैदा हो रहा है कि तेल को विदेशी कंपनियों के पास गिरवी रखा जा रहा है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा को गिरवी रखने की बजाय, समझौता करना तथा इन कंपनियों को बनाए रखना बेहतर है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का 50 प्रतिशत तक हिस्सा होगा। लेकिन यह शर्त केवल तेल निकालने के बाद ही लागू होगी। उस समय तक विदेशी कम्पनियों को अपना निजी रुपया खर्च करना पड़ेगा। हमें 50 प्रतिशत तक शेयर प्राप्त करने का अधिकार होगा। उस स्थिति में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को संचालन और प्रबंध समितियों में भाग लेना होगा। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का इनमें पूर्णतः सहयोजित किया जाएगा तथा इन कम्पनियों द्वारा एकत्रित तकनीकी आंकड़े इस आयोग को भेजे जायेंगे।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गये—

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री राम अवध नहीं हैं। यह भी रोजाना की समस्या बन गई है।

एक माननीय सदस्य : इसलिए आपको अधिक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति देनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं अपने काम को जानता हूँ। श्री आर० प्रभु। नहीं, नहीं, श्री चतुर्भुज।

पेट्रोल के साथ अल्कोहल का मिलाया जाना

***295. श्री चतुर्भुज :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकी रूप से यह सिद्ध हो गया है कि पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने से मोटर गाड़ियाँ चल सकती हैं परन्तु अल्कोहल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण इसका प्रयोग किया जाना संभव नहीं हो पाया है ; और

(ख) पेट्रोल की कमी के इन संकट के दिनों में भारत के विशाल कृषि क्षेत्र से अल्कोहल की और ज्यादा उपलब्धता की सम्भावनाओं का पता करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) कृषि फसलों से बड़े पैमाने पर अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि करने में कुशलता-पूर्वक भूमि प्रयोग से सम्बद्ध समस्यायें, खाद्य फसलों तथा ऊर्जा फसलों प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। ऐसे कोई कदम उठाने से पूर्व इन पहलुओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना होगा। फिर भी, अपेक्षित प्रौद्योगिकी का पता किया जा रहा है ताकि ऐसे किसी विकल्प का भविष्य में उपयोग किया जा सके।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष जी, पेट्रोल में एल्कोहल मिलाने से गाड़ियाँ तो चल सकती हैं, लेकिन देश के अन्दर वर्तमान विकट स्थिति को देखते हुए आपने इसका एक्सपेरीमेंट कब और कहां पर किया है ? और आपने पेट्रोल के अन्दर एल्कोहल मिलाने के लिए जितनी मात्रा चाहिये उस मात्रा का उत्पादन करने के लिए कितनी इकाइयाँ स्थापित की हैं और उसके क्या परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं क्या इसकी खोज की है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमारी प्रयोगशालाओं में इस बात की जांच करने के लिए परीक्षण किया गया है कि क्या पेट्रोल में एल्कोहल मिलाया जा सकता है। लेकिन भारी मात्रा अथवा वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए पेट्रोल में एल्कोहल मिलाना संभव नहीं है क्योंकि एल्कोहल का कुल उत्पादन केवल 5 लाख किलोलिटर है जबकि एल्कोहल पर आधारित उद्योगों तथा एल्कोहल विनिर्माण के लिए हमारा आवश्यकता लगभग 9 लाख किलोलिटर है अतः यह जब तक संभव नहीं है तब तक हम एल्कोहल के उत्पादन करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं ढूँढ लेते। उदाहरण के लिए एल्कोहल टेपिओका से निकाला जा सकता है लेकिन केरल में टेपिओका का प्रयोग खाने की वस्तु के रूप में किया जाता है। केरल में इसका उत्पादन लगभग 6.4 मीटरी टन है।

श्री चतुर्भुज : सरकार की ओर से कहा गया है कि वर्तमान ऊर्जा संकट को देखते हुए किसी विकल्प की तलाश की जा रही है। आज सारे देश में बिजली और डीज़ल के संकट के कारण फसलें सूख रही हैं। नहरी इलाकों को छोड़ कर सब जगह यह स्थिति है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जल्दी-से-जल्दी कोई विकल्प तलाश करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और उस विकल्प की भूमिका क्या है।

श्री बीजू पटनायक : कुछ नहीं है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सब कुछ है, नज़र चाहिए देखने के लिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री पटनायक को दिया गया जवाब काफ़ी है या श्री चतुर्भुज अलग से जवाब चाहेंगे।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक एक्सपेरिमेंट का ताल्लुक है, यह एक्सपेरिमेंट किया गया है। वैसे भी फ़िलहाल डीज़ल या पेट्रोल की कमी नहीं है। पेट्रोल का कनज़म्प्शन कुल पेट्रोलियम प्राडक्ट्स का 5 परसेंट है। असल में मुख्य कनज़म्प्शन तो डीज़ल का है—34 परसेंट आफ़ दि पेट्रोलियम प्राडक्ट्स। जब तक मेथानोल का प्राडक्शन कोयले से संभव न हो, जिसको डीज़ल में मिलाया जा सकता है—अब नया अन्वेषण हुआ है कि डीज़ल को फिर से रिफ़ाइन करके यूज़ किया जा सकता है—, जब तक उसकी खोज करके उसका उपयोग न हो, तब तक बड़े पैमाने पर सेविंग होना संभव नहीं है। एल्कोहल का मिक्स्चर हो जाने के बावजूद एल्कोहल की कमी की वजह से उसका उपयोग सम्भव नहीं है।

डा० एम० एस० संजीवी राव : मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि ब्राजील में आटोमोबाइल उद्योग पूर्ण रूप से एल्कोहल से चलाया जाता है। वास्तव में उनके पास एक लाख कारें हैं और यह शत प्रतिशत एल्कोहल ही चलायी जा रही हैं। मुझे यह विश्वास है कि मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि एल्कोहल एक बदली जाने योग्य ऊर्जा है विश्व के सभी देश जिनमें अमरीका भी एक है गैसों कोल का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। अतः सरकार को भारी मात्रा में एल्कोहल का उत्पादन करने के संबंध में ब्राजील की तरह कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है जबकि गन्ने से सीधे एल्कोहल पैदा करने की प्रक्रिया सरकार के पास है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जैसा कि मैंने कहा है ये देश कास्वा से एल्कोहल बना रही है जिसे हमारे देश में टोपिओका कहते हैं। वे इस मिश्रण का उपयोग कर रहे हैं। जब तक हम कास्वा की भरपूर खेती नहीं करते, शीरा अथवा गन्ने के रस से एल्कोहल बनाना बहुत कठिन होगा। शीरे से एकदम एल्कोहल बनाना बहुत ही सीमित होता है। यह एल्कोहल पर आधारित उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी बहुत कम है।

श्री बीजू पटनायक : माननीय मंत्री महोदय एक ऐसे राज्य से चुन कर आते हैं जिसमें पास के उड़ीसा तथा बिहार जैसे राज्यों की तरह महवा काफी मात्रा में पैदा होता है। मुझे विश्वास है कि यदि महवा के बागानों का एल्कोहल बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है तो इससे हमारी पेट्रोलियम की आवश्यकता का लगभग 50 प्रतिशत पूरा होगा।

अध्यक्ष महोदय : पीने से कुछ बचता है ?

श्री बीजू पटनायक : यदि मंत्री महोदय शराब पीने के लिये एल्कोहल बनाने की नीति अपनाने के बहुत ही इच्छुक हैं तो यह स्पष्ट है कि हम किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिये बिल्कुल ही एल्कोहल नहीं छोड़ेंगे। क्या आप किसी व्यक्ति को एल्कोहल देना चाहते हैं और इसलिए आप इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है कि मंत्री महोदय ने कहा था कि पेट्रोलियम तथा डीजल आयल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। हां, वे उपलब्ध है लेकिन उनका मूल्य क्या है। एक ओर आप कीमत की बात करते हैं और दूसरी ओर आप उपलब्धता की बात करते हैं। यदि सरकार इस पर सख्ती लाना चाहती है तो सरकार को यह निश्चय करना चाहिए अथवा इसके लिए कमर कश कर तैयार हो जाना चाहिए।

श्री प्रकाश चंद्र सेठी : जहां तक महवा का संबंध है यह मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पैदा किया जाता है लेकिन माननीय सदस्य को यह जानकारी नहीं है कि विशेष तौर से

झबाना तथा बहुत से अन्य भागों में आदिवासी लोग महवा को खाते हैं। यह उनका मुख्य भोजन है तथा इसलिए महवा से एल्कोहल बनाना बहुत मुश्किल है तथापि हम आपको सुझाव की जांच करेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मंत्री महोदय ने कहा है टेपिओका ज्यादातर केरल में उगाया जाता है तथा इसका इस्तेमाल पेट्रोल में मिलाये जाने के लिए एल्कोहल बनाने के लिए किया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि टेपिओका की ज्यादा पैदावार लेने के लिए वे कौन से सक्रिय कदम उठा रहे हैं ताकि इस तकनीक को पेट्रोलियम में प्रयोग किया जा सके। यदि मेरा यह कहना ठीक है कि टेपिओका एल्कोहल की पेट्रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है इस तकनीकी जानकारी को निकले 2 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। पिछले 2 वर्षों से आपने अनुसंधान करने के लिए विदेशी कम्पनियां ढूँढने में करोड़ों रुपये की खर्च किये हैं लेकिन आपने इस बात के लिये कभी भी छानबीन नहीं की है कि हमारे देश में भी कुछ चीजें हैं जिनका इसके लिए उपयोग किया जा सकता है। इस मामले में आपने कौन से विशिष्ट कदम उठाये हैं ? अब तक इस संबंध में क्या किया गया है ? विशेष तौर से इस संबंध में मैं जानना चाहता हूँ।

दूसरी बात यह है कि केरल के एक तिहाई भाग को टेपिओका की खेती के लिए अच्छी तरह उपयोग किया जा सकता है। क्या आप इस मामले को कृषि मंत्रालय के साथ उठायेंगे और टेपिओका उत्पादकों को अच्छा मूल्य देने की घोषणा करवायेंगे ताकि ज्यादा मात्रा में टेपिओका पैदा किया जा सके और समस्त टेपिओका का एल्कोहल के लिए उपयोग किया जा सके ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : श्रीमन्, त्रिवेंद्रिम स्थित सेंट्रल टूवर क्राप रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे सी० टी० सी० आर० आई० भी कहते हैं, ने बहुत से लेख प्रकाशित किये हैं तथा इस संबंध में परीक्षण भी किए हैं कि टेपिओका से एल्कोहल बनाया जा सकता है और यह अनुमान लगाया गया है कि 8 लाख टन टेपिओका से एक लाख टन एल्कोहल निकाला जा सकता है। एल्कोहल निकालने की लागत 3.50 रुपए प्रति लिटर के आस-पास है।

जहां तक टेपिओका उत्पादन का संबंध है, इसकी खपत तथा आवश्यकता में काफी कमी हुई है। यदि यह संस्थान विद्यमान क्षेत्र से टेपिओका का दुगना उत्पादन लेने के संबंध में परीक्षण करता है तो यह आशा की जा सकती है कि टेपिओका उत्पादक अगले दो या तीन वर्षों में इसका दुगुना उत्पादन करने में सफल हो सकेंगे।

उच्च न्यायालयों में फीस की दरें

***296. श्री जेवियर अरावकल :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय की फीस की अलग-अलग दरें हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में न्यायालय फीस को एक समान बनाने का है ;

(ग) क्या सरकार ने न्याय देने के मामले में न्यायालय फीस में कमी करने लिए राज्य सरकारों से परामर्श किया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने राज्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां ।

(ख) संविधान के अधीन, न्यायालय फीस सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की मद 3 में आती है ।

(ग) विधि आयोग के इस सुझाव पर कि न्यायालय फीस समाप्त कर दी जाए या उसे घटा दिया जाए, राज्य सरकारों के साथ वर्ष 1975 में बातचीत की गयी थी ।

(घ) कोई भी राज्य न्यायालय फीस को घटाने के लिए सहमत नहीं था ।

श्री जेवियर अराकल : महोदय, मुझे विश्वास है कि सभा को न्यायालय फीस के बारे में राज्य सरकारों के विचारों को सुन कर धक्का लगेगा । आप न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 का उल्लेख कर सकते हैं, जो कि अब भी हमारी कानूनी पुस्तक में है, और 1975 में विधि आयोग ने ठीक ही कहा था कि न्यायालय फीस को समाप्त कर दिया जाए । हाल ही में माननीय संसद सदस्यों की एक समिति ने भी इसकी सिफारिश की है । मैं माननीय मंत्री से जो जानना चाहता हूं वह यह है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्रीय सरकार जो ठोस उपाय कर रही है, वे क्या हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक विधि मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति की उप-समिति का संबंध है, इस समिति को विचारार्थ जो विषय सौंपे गए थे, वे ये हैं कि किन मदों पर न्यायालय फीस कम की जानी चाहिये और किन मदों पर न्यायालय फीस पूरी तरह समाप्त की जानी चाहिए, इत्यादि, इत्यादि । इन मामलों पर विचार किया गया है और उप-समिति ने 23 मार्च को ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । उस पर कार्यवाही की जा रही है । इसके बाद मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मैं उप समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करूंगा ।

श्री जेवियर अराकल : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसके बारे में सरकार उपाय कर रही है । किसी ने ठीक ही कहा है कि भारत में न्याय खरीदा जाता है, किया नहीं जाता । संघ सूची की प्राविधि 96 में कहा गया है :

> "इस सूची में सम्मिलित मामलों पर फीस दी जाएगी, जिसमें वह फीस शामिल नहीं है, जो किसी अन्य न्यायालय में ली गई है ।"

राज्य सूची की प्रविष्टि 3 और 66 तथा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 47 में भी ऐसा ही उल्लेख है । मैं जो सुझाव दे रहा हूँ वह यह है कि यदि वह शक्ति केंद्रीय सरकार को ही दी गयी है, तो संघ शासित क्षेत्रों में न्यायालय फीस इतनी अधिक क्यों है ? दूसरी बात यह है कि जहां तक संघ शासित क्षेत्रों में न्यायालय फीस का संबंध है क्या केन्द्रीय सरकार उप-समिति की

सिफारिशों पर विचार करने से पहले कम-से-कम संघ शासित क्षेत्रों की फीस की दर में समरूपता नहीं ला सकती ?

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक संघ शासित क्षेत्रों में न्यायालय फीस से संबंधित नीति का प्रश्न है, वह निकटवर्ती राज्यों में वसूल की जाने वाली न्यायालय फीस के अनुसार होती है। इस पर हमने कुछ संघ शासित क्षेत्रों से विचार-विमर्श किया है, मैं माननीय सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि स्वयं दिल्ली का प्रशासन ही न्यायालय फीस को समाप्त किये जाने का घोर विरोधी था। स्थिति इस प्रकार है। जब इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और पूरे प्रतिवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही पूरी हो जाएगी, तो मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि इस पर भी चर्चा की जाएगी।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने बताया है कि कुछ राज्यों को न्यायालय फीस की दरों में समरूपता लाने में आपत्ति है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वे कौन से राज्य हैं जिन्हें इस पर आपत्ति है। अधिकांश राज्यों पर कांग्रेस (आई) का शासन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने उन राज्यों को अन्य राज्यों के अनुरूप चलने की सलाह देंगे।

श्री पी० शिव शंकर : यहां प्रश्न यह नहीं है कि किस राज्य पर कांग्रेस (आई) का शासन है और किस पर नहीं है। प्रश्न तो यह है कि इस मामले में राज्यों का अपने राजस्व को ध्यान में रखते हुए क्या दृष्टिकोण है। सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यही है। इस पर वे अपने अनुसार विचार करते हैं जैसा कि मैंने कहा कि जहां तक उप-समिति के प्रतिवेदन का संबंध है वह 3 मार्च 1981 को प्रस्तुत किया गया और उस पर कार्यवाही की जा रही है। आखिरकार प्रतिवेदन प्रस्तुत हुए। अभी मुश्किल से एक स्ताह ही तो बीता है। मैं उसका अध्ययन करूंगा और संबंधित राज्यों को सलाह देने के बारे में कार्यवाही करूंगा चाहे वे कांग्रेस (आई) शासित सरकारें हों, अथवा गैर कांग्रेस (आई) शासित सरकारें हों।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस समय राज्य सरकारों के पास राजस्व के सीमित स्रोत हैं। यह कहना उचित नहीं है न्यायालय फीस को समाप्त किया जाए। किन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या केंद्रीय सरकार राजस्व में कमी आ जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में सभी राज्यों को धनराशी देगी, चाहे वे कांग्रेस (आई) शासित सरकारें हों, या किसी अन्य राजनैतिक दल द्वारा शासित सरकारें हों। एक शर्त यह भी होनी चाहिए।

श्री पी० शिव शंकर : यह प्रश्न परिकल्पित है। जैसा कि मैंने कहा कि मामला अभी विचाराधीन है। मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो भविष्य की बातें जान सकूं।

लागू न किए गए कानून

*298. **श्री मूल चन्द डागा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् द्वारा पारित ऐसे कानून कौन-कौन से हैं जिनको अभी तक लागू नहीं किया गया है ;

(ख) उनके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनको निरसित करने अथवा उनको लागू करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो आ गया पूरा-का-पूरा। लॉ डिपार्टमेंट के अन्दर यह मालूम नहीं कि कितने कानून आज तक बन चुके हैं और वह आज तक फोर्स में नहीं आए हैं। ला डिपार्टमेंट के पास अगर यही इंडैक्स नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अब तो मेरे से अच्छा स्पीकर साहब ही इस पर कमेंट कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ही कर दीजिए।

श्री मूल चन्द डागा : ला मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इनफार्मेशन इज़ बीइंग कलेक्ट्ड। मैं जानना चाहता हूं यह क्वेश्चन ला मिनिस्ट्री में कब पहुँचा और क्वेश्चन आने के बाद आप ने क्या अटेम्पट्स किये, कितनी लिस्ट बना दी, पांच-सात के नाम तो बता दीजिए।

श्री पी० शिव शंकर : मैं यह अवश्य ही कहूँगा कि जो शिकायतें प्रस्तुत की गयी हैं वे उचित नहीं हैं। यह सही नहीं है कि विधि मंत्रालय इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है।

मुद्दा तो यह है कि इन अधिनियमों को प्रशासनिक मंत्रालय ही लागू कर सकते हैं। इसे लागू करना विधि मंत्रालय का काम नहीं है। मैं जानता हूँ कि बहुत से कानूनों को लागू नहीं किया गया है। मैंने सोचा कि सभा को यह जानकारी देने से पहले मैं इस तथ्य के बारे में स्वयं पता लगा लूं कहीं ऐसा न हो कि कोई आपत्ति करें और विशेषाधिकार का प्रश्न उठा दें। असलियत तो यह है कि 1947 से अब तक बनाए गए कानूनों में से कुछ अभी भी ऐसे हैं, जो लागू नहीं किए गए हैं, मैं इस स्थिति से अवगत हूँ।

श्री मूल चन्द डागा : मेरा यह सवाल था कि जब आपके पास मेरा क्वेश्चन पहुंच गया तो आपने किस-किस तारीख को किस-किस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को क्या-क्या लिखा ? क्या आपने कोई लेटर उन्हें लिखे हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : आपका क्वेश्चन 5-10 दिन पहले आया है, इसका आन्सर इतनी जल्दी कहां से मिलेगा।

श्री मूल चन्द डागा : क्या आपने इसके बारे में कोई लेटर लिखा है या नहीं। क्या आपने विभिन्न मंत्रालयों को पत्र लिख दिये हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त को आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से कोई मतलब नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा : आम खाने से भी है और पेड़ गिनने से भी मतलब है।

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक मेरा सवाल है, इंफार्मेशन कलेक्ट करके मैं टेबल आफ दि हाउस पर रख दूंगा।

श्री राम जेठमलानी : यह बात तो मानी जा सकती है कि अन्य कानूनों के बारे में मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है। किन्तु कम-से-कम वह यह तो जानते ही हैं कि 44 वें संवैधानिक संशोधन की धारा 3 को प्रभावी करने से संबंधित एक पुनरीक्षा याचिका उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। कार्यपालिका ने इस संशोधन को लागू नहीं होने दिया। वर्तमान सरकार ने संविधान संबंधी शक्ति की भावना की उपेक्षा की है। क्या मंत्री महोदय हमें बताएंगे कि वह इस उपबंध को लागू करना चाहते हैं ? उस पुनरीक्षा याचिका के आधारभूत कारण क्या हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : माननीय सदस्य संविधान के 44वें संशोधन की उप धारा (3) लागू न किये जाने पर मुझे दोषी करार न दें। क्या मैं उन्हें यह जानकारी दे सकता हूं कि पिछले शासन, जिसके कि वह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सदस्य थे, में संविधान की धारा 18, 19, 21, 22, 31, 32, 34 और 35 को तब तक लागू नहीं किया गया था जब तक कि उसे 44वें संशोधन से निरस्त नहीं कर दिया गया था। यह नीति सम्बन्धी मामला है। मेरे मित्र यह बात भली-भांति जानते हैं कि विदेशी मुद्रा-संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम में एक ऐसा उपबंध है जो 44वें संशोधन की धारा 3 के बनने से पहले ही विद्यमान था। अतः ये विभिन्न कानूनों की नीति और समरूपता के प्रश्न हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। ये नीति के मामले हैं। मान लो कल हम धारा 3 को रद्द करने का निर्णय लेते हैं तो यह एक नीतिगत मामला होगा। आप हम में दोष नहीं निकाल सकते हैं। आप भी तो स्वयं ऐसा ही कर चुके हैं।

श्री राम जेठमलानी : आप तो सलाहकार बोर्डों और राजनीतिक मामलों में ऐसा कर चुके हैं।

श्री पी० शिव शंकर : श्री जेठमलानी जी आप तो इस पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष जिरह कर रहे हैं। मुझे इसके बारे में सब पता है। आप इस पर बड़ी ओजस्वितापूर्ण बहस कर रहे हैं। अच्छा होगा यदि आप वहां पर ही जिरह करते रहें। हम देखेंगे कि इस मामले में क्या करना है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सोचते हैं कि यह पूर्वाभ्यास है ?

श्री पी० शिव शंकर : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस प्रकार यहां हम अपने तर्क को सबल बना रहे हैं।

डा० वसन्त कुमार पंडित : उत्तर पूर्ण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

डा० वसन्त कुमार पंडित : हम अपने पूरक प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ? इस प्रश्न का विस्तार में उत्तर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर उन्हें कई विभागों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ेगा।

डा० वसन्त कुमार पंडित : हम पूरक प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप कोई अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं ।

डा० वसन्त कुमार पंडित : उसका समय नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप नया प्रश्न पूछ सकते हैं ; मैं अनुमति दे दूंगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है । किन्तु उन्होंने कहा कि उनको व्यक्तिगत रूप से यह मालूम है कि कुछ ऐसे अधिनियम हैं जो 1947 से अब तक भी लागू नहीं किए गए हैं । मैं उन्हीं से जानना चाहता हूँ कि वह उन्हें जो व्यक्तिगत रूप से जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर यह बताएं कि वे कौन-कौन से अधिनियम हैं ? वह कुछ उदाहरण तो दे ही सकते हैं ।

श्री पी० शिव शंकर : उनमें से कुछ का उदाहरण तो मैं दे ही सकता हूं, वे हैं : भारतीय मजदूर संघ संशोधन अधिनियम, 1947 को लागू नहीं किया गया है; किराया खरीद अधिनियम, 1972 को लागू नहीं किया गया; पेट्रोलियम संशोधन अधिनियम, 1970 को लागू नहीं किया गया; वक्फ अधिनियम 1954 को लागू नहीं किया गया, क्योंकि कुछ राज्यों को उस पर आपत्ति थी, इत्यादि ।

श्री हीरा लाल आर० परमार : मैं कानून मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि सदन में मंत्री की तरफ से सही उत्तर दिलवाने का क्या उपाय है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप नोट कर लीजिए इनकी बात । अगला प्रश्न । श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति । यहां नहीं है । यह गम्भीर समस्या बन गई है । यदि माननीय सदस्य उत्तर नहीं प्राप्त करना चाहते तो मैं समझता हूं कि हमें जनता के धन को इस प्रकार खर्च करने का अधिकार नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : उत्तर भी तो उचित मिलने चाहिए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने पिछली बार यह सुझाव दिया था । यदि कोई सदस्य दो बार अनुपस्थित हो तो मैं समझता हूं कि मैं उसे अनुमति नहीं दूं । **(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक : इसी प्रकार यदि कोई मंत्री दो बार किसी प्रश्न का उत्तर न दे तो उसे भी ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम में से जो नियमित रूप में से उपस्थित रहते हैं उन्हें बैलट में प्रथम वरीयता मिलनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : निश्चित ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमें इनाम मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो यह पक्षपात होगा । श्री गामित ।

महाराष्ट्र और गुजरात में गैस पर आधारित पेट्रोलियम और रसायन यूनिट

*299. **श्री छीतू भाई गामित :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में गैस पर आधारित प्रथम पेट्रोलियम और रसायन यूनिट क्रियान्वित करने के लिए अंतिम रूप से सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात में एक परियोजना स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इन दोनों परियोजनाओं पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां; गुजरात में एक गैस आधारित पेट्रो-रसायन परियोजना की स्थापना की जायेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन परियोजनाओं पर कार्य वित्तीय वर्ष 1981-82 में आरंभ होगा ।

श्री छीतू भाई गामित : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ कि गुजरात में पेट्रो केमिकल यूनिट शुरू करने की इजाजत देने का निर्णय किया गया है लेकिन गुजरात सरकार ने पेट्रो केमिकल यूनिट स्टेट सेक्टर में शुरू करने की इजाजत मांगी है तो क्या इस यूनिट को स्टेट सेक्टर में शुरू करने की इजाजत दी जायेगी या भारत सरकार की ओर से इसको शुरू किया जाएगा—इस बात को मैं जानना चाहता हूं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार से इस सम्बन्ध में बात-चीत हो रही है कि इसको स्टेट सेक्टर में रखा जाए या सेन्टर के साथ ज्वाइन्ट सेक्टर में रखा जाए ।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार ने तो मांग की है कि इसको स्टेट सेक्टर में रखा जाए और उन्होंने खत भी लिखा है फिर और क्या बातचीत करना बाकी रह गया है --यह मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह दोनों कांप्लेक्सेज़ जो हैं महाराष्ट्र और गुजरात के--महाराष्ट्र का कांप्लेक्स करीब 890 करोड़ का है और इसी तरह से गुजरात का कांप्लेक्स करीब-करीब 900 करोड़ का है--इसमें टेक्निकल नो-हाऊं का प्रश्न है और चूंकि केन्द्रीय सरकार के पास यह जानकारी है और कुछ रुपया लगाने की स्थिति में भी है इसलिए उनसे बातचीत जारी है कि इसको केवल स्टेट सेक्टर में रखा जाए या ज्वाइन्ट सेक्टर में रखा जाए ।

मैसर्स पार्ले कम्पनी समूह में कुप्रबंध

*302. **श्री धर्मदास शास्त्री :**

श्री के० लकप्पा : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स पार्ले कम्पनी समूह, बम्बई में कुप्रबन्ध तथा अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें हैं;

(ख) क्या कुछ लोगों के विरुद्ध जांच द्वारा आरोप सिद्ध हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इनमें अन्तर्ग्रस्त लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पार्ले समूह की कम्पनियों में कुप्रबन्ध तथा अनियमितताओं की बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) पार्ले समूह की कम्पनियों में से किसी की भी बाबत, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत न तो कोई जांच की जा रही है और ना ही कोई निरीक्षण किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) उत्पन्न नहीं होते।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से बड़े सम्मानपूर्वक पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही नहीं है कि इसी पारले ग्रुप ने एक्साइज़ ड्यूटी में चोरी की है--30 करोड़ रु० की। इसके साथ साथ फारेन-एक्सचेंज में 3 लाख 15 हजार 424 रु० का घोटाला किया। जब 6 मार्च को सवाल किया गया था तो बताया गया कि इन्होंने मशीन्स को एक्चुअल यूज़र के रूप में इम्पोर्ट किया और बेच दिया--इस तरह के घोटाले सदन के सामने पेश हुए और साबित हो गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी नहीं है कि कम्पनी-एक्ट के सैक्शन-235 और 237 में आबलीगेटरी फंक्शन बन जाता है कि जब इस तरह के घोटाले सदन के सामने आ गए, तो कम्पनी लॉ-मिनिस्टरी पूरी तरह से इसकी जांच करे और जांच करके उनके खिलाफ कोई-न-कोई एक्शन ले, खाली क्वेश्चन डज़ नॉट अराइज़ कह देने से छूट नहीं मिल सकती है ?

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष महोदय, फर्ज कर लीजिए कि गड़बड़ हुई है—फारेन एक्सचेंज या मशीन आदि से हुई है, लेकिन यह मुझसे संबंधित बात नहीं है। जहां तक कम्पनी एक्ट का सवाल है, उसका इन्सपैक्शन या इन्वैस्टीगेशन 209 के तहत और 237 के तहत किया जाता है। 6 तारीख की जो बात है, उस क्वेश्चन का जवाब कॉमर्स-मिनिस्टरी ने ठीक से दिया है। अभी अगर ये साफ तरीके से हमारे सामने मामाले को लाते हैं कि काफी घोटाले हैं, तो

फिर देखा जा सकता है। इस तरह से घोटाला बोलने से घोटाला समझा नहीं जा सकता है।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इस तरीके से इस बात को टालने की कोशिश की है। जब घोटाले साबित हो चुके हैं, तो इस तरह से आबलीगेटरी फंक्शन से कैसे बचा जा सकता है, जबकि सैक्शन 237 में ये सारे मामले लिखे हुए हैं और गएर्नमेंट के सामने सारे मामले आए हुए हैं, गवर्नमेंट उसकी जांच करवाए। आपने अभी तक जांच कहां करवाई है। जब घोटाले सामने हैं, तो उसकी जांच करवाइए, लेकिन इस तरह से कह कर आप छूट नहीं सकते हैं।

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष महोदय, घोटाले की बात तो ये पहली मर्तबा कर रहे हैं। यह मेरे इल्म में नहीं हैं। अगर घोटाले की बात सामने आती है, तो मैं जरूर देखूंगा। मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि पहली मर्तबा आपके कहने से मालूम हो रहा है।

श्री के० लकप्पा : श्रीमन्, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के कारण मैं आपका क्या माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर तर्कसंगत है ? मैं इसे आपके विवेक तथा निर्णय पर छोड़ता हूं। इस मंत्रालय को अनियमितताओं तथा कुप्रबन्ध के बारे में सब पता है, कम्पनी कार्य मंत्रालय को इसका पता है। कम्पनी विधि के अन्तर्गत बाध्यता है, धारा 237 और 235 के अधीन एक बाध्यकर उपबंध है; यदि विधि का उल्लंघन किया जाता है तो कम्पनी कार्य मंत्रालय को इसका निरीक्षण और जांच करनी पड़ती है। इस मामले में, सारी दुनिया जानती है, संसद जानती है, बाहर के लोग भी जानते हैं। तो क्या इस मंत्रालय को इसका पता नहीं है। क्या अखबारों में इस मामले का इतना प्रचार किये जाने के बावजूद उन्होंने कागजात को नहीं देखा है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं देखा, कम्पनी अधिनियम की धारा 237 और 235 के अधीन बाध्यकर उपबन्धों के अधीन उन्होंने जांच नहीं की है। क्या माननीय मंत्री हमें आश्वासन देंगे कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी ?

श्री पी० शिव शंकर : श्रीमन्, मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य मोटे-मोटे शब्दों में अपनी बात कहने में समर्थ हैं। लेकिन बात यह है कि जब वे कहते हैं कि कम्पनी विधि प्रशासन को अनियमितताओं तथा कुप्रबंध का पता है आदि तो वे यह बात कल्पना के आधार पर कह रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : नहीं, कल्पना नहीं है। यह बात वास्तविकता है। मैं कल्पना के आधार पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री पी० शिव शंकर : मैं खड़ा हुआ हूं। मैं अभी बैठा नही हूं, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री के० लकप्पा : श्रीमन्, मैं भी आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

श्री पी० शिव शंकर : बात यह है, जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैंने प्रश्न के भाग (क) में उत्तर दिया है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है । इसलिए यह धारणा ही निराधार है ।

अब , मैं प्रश्न के दूसरे पहलू पर आता हूँ कि इस मामले की स्वतः जांच की जानी चाहिए । श्रीमन्, मेरे लिए इसकी जांच करवाना बहुत कठिन होगा क्योंकि यह आरोप तो यहां लगाया गया है । प्रशासन के लिए यह बहुत कठिन होगा कि वह स्वतः कम्पनियों की जांच करे जब तक कोई बात सामने नहीं हो जाती । न्याय की दृष्टि से यह उचित नहीं होगा (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए । मेरी अनुमति के बिना कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी ।

श्री हरिकेश बहादुर : श्रीमन्, किसी भी प्रकार की शिकायत और घोटाले की जांच की जानी चाहिए तथा दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जाना चाहिए । श्रीमन्, मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री को बताना चाहता हूं कि व्यापारिक दुश्मनी निकालने के लिए कम से कस सभा का उपयोग तो नहीं किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं । यह नहीं होगा ।

श्री रतन सिंह राजदा : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि बम्बई के इस्प्लेनेड न्यायालय में पहले से ही इसी कम्पनी, पारले प्रोडक्ट्स, के विरुद्ध कुछ नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में एक मामला अनिर्णीत पड़ा हुआ है ? अब श्रीमन्, मैं तो केवल इस बात पर चकित हूं कि इसी विषय पर अनगिनत बार प्रश्न पूछे गए हैं; मैं समझता हूं कि प्रश्न दूसरां की ओर से(प्रोक्सी द्वारा) किये जा रहे हैं । अब, श्रीमन्, हमें इस बात का निर्णय कर लेना चाहिए सभा पटल का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए । यदि उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए लेकिन कानून के अनुसार । मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि कितने मुकदमे, कितने मामले इस कम्पनी के विरुद्ध दाखिल किए गए हैं, और क्या ऐसी अन्य कम्पनियां भी हैं जो ऐसे मामलों में अन्तर्ग्रस्त हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : श्रीमन्, मैं कह रहा हूं कि कोई शिकायत नहीं मिली है । पता नहीं वो मुझ से क्या उत्तर चाहते हैं । मैंने उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया है और यदि आप कहना चाहें कि कुछ मामले अनिर्णीत पड़े हैं तो मैं इस सम्बंध में आपका स्वागत करता हूँ कि आप कोई सूचना दें ताकि मैं उस सम्बन्ध में कुछ कर सकूं ।

श्री रतनसिंह राजदा : यह पहले ही बम्बई के इस्प्लेनेड न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा है ।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

रेडियो के लिए रिपोर्टिंग पर विचार गोष्ठी

*303. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो के लिए रिपोर्टिंग के बारे में विचार गोष्ठी हाल ही में दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस विचार गोष्ठी में दिए गए सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिए गए थे और न ही कोई प्रस्ताव पास किए गए थे । तथापि, भाषणों और उनके बाद हुई चर्चाओं के दौरान कुछ विचार उभर कर आए हैं । सेमिनार की कार्यवाहियों पर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(ग) सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न, रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने और उसका अध्ययन कर लिए जाने के बाद ही उठेगा ।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष महोदय, कुख्यात पार्ले कम्पनी के सम्बन्ध में स्वर्गीय युव नेता संजय गांधी ने प्रथम बार यहां सवाल उठाया था । इस के सम्बन्ध में 4 दिन पूर्व-6 मार्च को--वाणिज्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है – प्रश्न के उत्तर के (क) भाग में स्वीकार किया है कि कम्पनी ने तीन मशीनें इम्पोर्ट की थी...

अध्यक्ष महोदय : यह तो पुराना सवाल है ।

आचार्य भगवान देव : मंत्री जी कहते हैं कि अनियमिततायें नहीं हैं, नियम-विरुद्ध कार्य नहीं किया गया है—उन्होंने तीन मशीनें ला कर...

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब पहले आ चुका है ।

आचार्य भगवान देव : लेकिन मंत्री जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं । सी० बी० आइ० ने एन्कवायरी की है, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि उस के खिलाफ़ शिकायत नहीं है । या तो वाणिज्य मंत्री जी ** बोलते हैं या न्याय मंत्री जी ग़लत बयानी कर रहे हैं या उनके मंत्रालय के व्यक्ति गलत-बयानी कर रहे हैं...

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने उन का जवाब सुना होता तो ऐसा नहीं कहते। यह उस परव्यू में नहीं आता है। तीन बार मशीन खरीद कर के नियम विरुद्ध उन्होंने बेचा है, चंडीगढ़ से हैदराबाद, हैदराबाद से अमृतसर—कई स्थानों पर—अमृतसर से नागपुर।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिए।

श्री भगवान देव आचार्य : मैं यह पूछ रहा हूं कि ये जो अनियमितता हुई है वह सही है या नहीं ? अगर सही है, तो मंत्री जी इस सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं और कम्पनी ला में वह बात आती है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द नहीं रहेगा।

श्री पी० शिव शंकर : हमारे डिपर्टमेंट के इल्म में कोई कम्पलेंट अभी तक नहीं आई है और वह मैं ने आप से निवेदन कर दिया है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, ** शब्द अनपार्लियामेन्टरी है लेकिन यह बिल्कुल असत्य है, जो मंत्री महोदय ने अपने जवाब में दिया है।

श्री मनीराम बागड़ी : 'असत्य' और ** में कोई फर्क है क्या ?

श्री राम विलास पासवान : अपने जवाब में उन्होंने कहा है : "कोई विशेष सुझाव नहीं दिया गया ..." और फिर उन्होंने कहा है : "भाषणों और चर्चाओं के दौरान ..." मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आप को बतलाता उस दिन की पूरी प्रोसीडिंग्स पढ़ कर। मंत्री जी, साठे साहब स्वयं वहां मौजूद थे और उन्होंने भी सजेश्चन दिया था। दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए, साठे साहब ने भी सजेश्चन दिया था। कुमारी कुमुदबेन जोशी ने शायद कोई सजेश्चन न दिया हो, लेकिन उन्होंने स्वयं सजेश्चन दिया है। उस दिन बहुत से सुझाव आए थे और रेडियो और टेलिवीजन को ओटोनामी देने के पक्ष में भी सुझाव थे। आप यदि कहें, तो मैं नाम दे सकता हूं कि किन किन लोगों ने सुझाव दिये थे। विभिन्न समाचार पत्रों के सम्पादक वहां थे और उन के नाम मैं दे सकता हूं लेकिन उस की आवश्यकता नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन सुझावों को ध्यान में रख कर क्या सरकार टी० वी० और रेडियो को स्वायत्ता प्रदान करेगी ?

श्री वसंत साठे : जहां तक सुझावों का सवाल है, जितने भी सुझाव वहां दिये गये थे, वे सारे एकत्रित कर के कम्पाइल किये जा रहे हैं और उस की एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उन सब पर विचार किया जाएगा।

जहां तक स्वायत्ता का सवाल है, सरकार ने अपनी भूमिका इसके पहले स्पष्ट कर दी है कि स्वायत्ता देने और सम्पूर्ण स्वायत्त संगठन बनाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। व्यवस्थागत-फंक्शनल ओटोनामी जिसे कहते हैं—, जितनी स्वायत्ता देनी चाहिए, उतनी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री राम विलास पासवान : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उस में ये सुझाव भी आए थे और शिकायत भी की गई थी कि इस में कांस्ट्रक्टिव नाम से प्रोपेगेण्डा होता है और व्यक्ति पूजा ज्यादा होती है, मंत्रियों और प्रधान मंत्री जी का ज्यादा उल्लेख किया जाता है। ..... (**व्यवधान**)... ..रिपोर्टिंग में यह आया है, मैं रिपोर्टिंग की बात कह रहा हूं, आप उस को पढ़िये। रिपोर्टिंग में यह है और मंत्री जी, आप ने भी यह सुझाव दिया है कि सम्पूर्ण संकलन जो था, उस के प्रसारण में भी सुधार किया जाना चाहिए और आप ने अपने भाषण में भी कहा था। तो मैं आप से जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पूजा और प्रोपेगेंडा है और मंत्रियों और अफ़सरशाही का जो दबदबा है, क्या उस के सम्बन्ध में आप कोई नीति निर्धारित करने जा रहे हैं। आप ने कहा था कि जो समाचार संकलन है, उस के प्रसारण में सुधार किया जाना चाहिए। क्या उसमें सुधार करने का आप का कोई विचार है ?

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष जी, सुधार के लिए तो हमेशा गुंजाइश होती है और इस की हमेशा इच्छा रहनी चाहिए और हमारी यह इच्छा है कि सुधार होना चाहिए और लगातार हमारा यह प्रयत्न है।

जहां तक आप ने व्यक्ति पूजा और अन्य चीजों का आरोप लगाया है, वह निराधार है, झूठा है और मनगढ़ंत है।...(**व्यवधान**) ...

अध्यक्ष महोदय : झूठे को निकाला जाए।

श्री वसंत साठे : जो असत्य है और इसलिए मेरा कहना यह है कि बार बार जो ये आरोप लगाए जाते हैं, वे अशोभनीय हैं, मेरा जहां तक ख्याल है। जिस किसी ने भी लगाए हों, उस से मतलब नहीं होता है, वे असत्य हैं और अशोभनीय हैं। आपने देखा होगा कि सब विचार के लोगों को, विपक्ष के विचार के लोगों को भी बराबर मौका देने का प्रयास हम कर रहे हैं और दूरदर्शन और रेडियो पर भी समान गति से उनकी बात कही जाती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दक्षिणी राज्यों में उर्जा मंत्रियों का सम्मेलन

*291. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में हैदराबाद में दक्षिणी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें उन्होंने भाषण दिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर विचार किया गया था; और

(ग) सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) दक्षिणी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन हैदराबाद में 10 फरवरी, 1981 को हुआ था।

उपर्युक्त सम्मेलन में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था :—

1. प्रत्येक राज्य तथा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति और विद्युत उत्पादन को अधिकतम करने के लिए उपाय ।

2. क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजनाओं को चालू करने की दिशा में हुई प्रगति ।

3. विद्युत कटौतियां तथा इनके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए किए गए प्रयास ।

4. ग्राम विद्युतीकरण ।

सम्मेलन में विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था और की जाने वाली कार्यवाही संबंधी आयोजना के बारे में निर्णय लिया गया । जिन पद्धतियों से परियोजनाएं समय पर पूरी की जा सकें उन पद्धतियों के बारे में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया था । फुटकर पुर्जों की सप्लाई में समन्वय की तथा कोयले और रेलवे वैगनों की उपलब्धता की समस्याओं पर भी विचार-विमर्श किया गया था और परस्पर सहमति से उपायों के बारे में निर्णय लिए गए थे । राज्यों में विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों में सुधार-सह-नवीकरण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई थी और इस संबंध में प्रगति सामान्यतः संतोषजनक थी ।

दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों तथा इंजीनियरों को समयोपरि भत्ता दिया जाना

*293. **श्री राम अवध :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों तथा इंजीनियरों के काम की एक समान परिस्थितियां होते हुए भी सरकार उनको समयोपरि भत्ता देने में अलग अलग मानदंडों तथा नियमों का पालन कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों को अतिरिक्त कार्य के लिए समयोपरि भत्ता अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में उनके मूल शुल्क के 25 % तक दिया जाता है । दूरदर्शन के इंजीनियरी कार्मिकों, जो सिविल सरकारी कर्मचारी हैं, को समयोपरि भत्ता उनकी मासिक परिलब्धियों के एक तिहाई तक दिया जाता है । इस असमानता का कारण यह है कि स्टाफ आर्टिस्टों को विषम समय पर ड्यूटी के लिए मुफ्त सरकारी वाहन दिया जाता है और उनको कार्य लेने तथा उनके लिए शुल्क स्वीकार करने की अनुमति है, जब कि सिविल सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ।

स्टाफ आर्टिस्टों और इंजीनियरी कार्मिकों की सेवा शर्तें एक जैसी नहीं हैं । स्टाफ आर्टिस्ट संविदा, जो उनके साथ की जाती है, की शर्तों से विनियमित होते हैं जबकि इंजीनियरी कर्मचारी, जो सिविल सरकारी कर्मचारी हैं, सिविल सेवाओं के नियमों के उपबन्धों से विनियमित होते हैं ।

रुग्ण कम्पनियों का सक्षम एककों में विलय

*294. **श्री आर० प्रभु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी रुग्ण कम्पनियों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से एक करोड़ रुपये से भी अधिक ऋण लिया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों को उदार बनाने पर विचार कर रही है ताकि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के हित में इन कम्पनियों का सक्षम कम्पनियों के साथ विलय किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) हां, श्रीमन् जी ।

(ख) इस समय सरकार के विचाराधीन एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, यह अनुभव किया गया है कि वर्तमान कानूनी उपबन्धों की परिधि, जीवित क्षमता वाली कम्पनी के साथ रुग्ण एकक को, जहां कहीं भी लोक हित में विचार करते न्याय संगत समझे समामेलन के लिए काफी प्रयोज्य है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

मिर्जापुर जिले में अनपाड़ा 'ए' तापीय परियोजना के लिए कुवैत द्वारा ऋण सहायता

*297. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्जापुर जिले में बन रही अनपाड़ा 'ए' तापीय परियोजना के लिए कुवैत ने ऋण सहायता की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो कितने ऋण की पेशकश की गई है तथा उसकी क्या शर्तें हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां । उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निर्मित की जा रही अनपारा 'ए' ताप विद्युत परियोजना के लिए ऋण देने के लिए कुवैत फण्ड फार अरब इकोनोमिक डवलपमेन्ट ने अपनी इच्छा व्यक्त की है ।

(ख) फण्ड का एक मिशन हाल ही में भारत आया था और परियोजना स्थल का दौरा किया था परन्तु राशि का ब्यौरा और ऋण की शर्तों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

माइक्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा जेनरेटर का विकास

*300. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माइक्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा जेनरेटर के विकास का पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसी माइक्रो ऊर्जा जनरेटरों की लागत क्या है ; और

(ग) देश में माइक्रो इलेक्ट्रिक पावर जेनरेटरों की प्रयोग की क्या योजनाएं हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क)से (ग) 80 लघु जल विद्युत केन्द्र प्रचालन में है। पूंजीगत लागत, प्रतिष्ठापित क्षमता के प्रति किलोवाट के लिए 8,000 रुपये से 15,000 रुपये तक है। इस प्रकार की यूनिटों के विकास को बढ़ाने की दृष्टि से ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को विशेषज्ञों की सेवाएं तथा ऐसी अन्य कोई तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव किया है जो इन राज्यों को चाहिए हो।

हजीरा, गुजरात में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

***301. श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **गुजरात राज्य** में हजीरा में गैस पर आधारित प्रस्तावित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) क्या विश्व बैंक से प्रस्तावित संयंत्रों के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु कोई बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : (क) फरवरी, 1980 की निर्धारित तिथि के आधार पर दिसम्बर, 1979 में सरकार ने 622.9 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी लागत से हजीरा उर्वरक परियोजना की स्वीकृति दी।

(ख) जी, हां।

(ग) बातचीत के परिणाम की प्रतीक्षा है।

थाल-वैशाट और हजीरा के लिए परामर्शदाताओं का चयन

***304. श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थाल-वैशाट और हजीरा उर्वरक संयंत्रों के लिए परामर्शदाताओं के चयन के बारे में सरकारी फाईल पर कथित पहुंच की जांच की है,और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : (क) और (ख) जांच की जा रही है।

कोयले का उत्पादन

*305. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयले की उत्पादकता प्रति-जन-पारी के अनुसार केवल .067 टन है, जो कि विश्व में न्यूनतम है; और

(ख) यदि हां, तो भूमिगत खनन में अद्यतन उपकरणों का उपयोग आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड की खानों में प्रति व्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन 1979-80 के 0.66 टन से बढ़कर चालू वर्ष में 0.70 टन हो गया है। खानों में उत्पादकता बढ़ाने के लिये उठाए गये कदमों के फलस्वरूप वृद्धि की उपर्युक्त प्रवृत्ति जारी रहेगी और आशा है कि 1984-85 में प्रति व्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन 1.20 टन हो जाएगा। परन्तु जिन देशों में कोयले के खनन की उन्नत तकनीकें अपनाई जा रही हैं उनकी तुलना में भारत में प्रतिव्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन कम है।

(ख) उत्पादकता बढ़ाने के लिये उठाए गये कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्न-लिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) नई खानें पूरी तरह यंत्रीकृत बड़ी ओपेनकास्ट खानें।

(2) भूमिगत खानों में अधिक यंत्रीकरण की व्यवस्था, जिसकी शुरूआत पहले ही की जा चुकी है।

(3) वर्तमान खानों का चुनींदा आधार पर यंत्रीकरण।

(4) इन खानों के प्रबंध में सुधार।

(5) कामगारों, पर्यवेक्षकों और तकनीकी स्टाफ को अधिक कुशलता के लिए प्रशिक्षण देना।

छठी योजना के दौरान नए दूरदर्शन केन्द्र

*306. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित तीन नए दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ख) इन केन्द्रों से कितने गांवों को लाभ पहुँचने की आशा है और उसके बाद भी कितने गांव इस सुविधा से वंचित रह जायेंगे; और

(ग) शेष गांवों में इस सुविधा को पहुंचाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क से ग) छठी "योजना" (1980-85) के स्वीकृत प्रस्तावों में अहमदाबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम और गोहाटी में पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र तथा पणजी, आसनसोल, मदुरै (कोडै कनाल), मुर्शिदाबाद, वाराणसी, विजयवाड़ा, कटक और कसौली में रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने के प्रस्ताव शामिल हैं। छठी "योजना" के प्रस्तावों में हैदराबाद और जयपुर में स्थायी स्टूडियो भवन तथा रायपुर, गुलबर्ग और मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने के भी प्रस्ताव शामिल हैं।

वर्तमान दूरदर्शन केन्द्र लगभग 48,000 गांवों को कवर करते हैं। छठी "योजना" स्कीमों के पूरा हो जाने पर कवर होने वाले अतिरिक्त गाँवों की संख्या लगभग 62,000 होगी। 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में बसे हुए गांवों की कुल संख्या 5,75,930 है। वर्तमान और प्रस्तावित दूरदर्शन ट्रांसमीटरों, जब चालू हो जायेंगे, के सेवा क्षेत्र से बाहर रहने वाले गांवों की संख्या लगभग 4,65,000 होगी। "इनसेट—1" के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार की एक स्कीम तैयार की जा रही है। इस स्कीम का क्षेत्र, स्कीम की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

कोयले के लदान में विलम्ब के कारण भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को घाटा

* **307. श्री बी० वी० देसाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कम्पनी भारत कोकिंग कोल कम्पनी लिमिटेड को कोयले के लदान में विलम्ब के कारण, इस समय प्रतिवर्ष कम से कम 1·20 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है;

(ख) क्या इसी तरह सरकारी क्षेत्र में अन्य कम्पनियां भी हैं जिन्हें कोयले के लदान में उक्त विलम्ब के कारण काफी घाटा हो रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लिमिटेड बार-बार यह कहता रहा है कि मुहानों पर कोयले के भारी भंडार जमा हो गए हैं; परन्तु जब कोयले के लदान की आवश्यकता पड़ती है तब वहां कोयला उपलब्ध नहीं होता है;

(घ) कोल इंडिया लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उनसे सरकारी कम्पनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को होने वाली हानि में किस हद तक कमी हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने 1979-80 में रेल वैगनों में कोयले के लदान में विलम्ब के कारण केवल 37.12 लाख रुपए का विलम्ब शुल्क दिया।

(ख) सरकारी क्षेत्र की अन्य कोयला कम्पनियां भी रेल वैगनों के लदान में विलम्ब के लिए बहुत थोड़ा विलम्ब शुल्क दे रही है।

(ग) खान मुहानों पर कोयले का स्टाक पिछले चार महीनों में 3.85 मिलियन टन बढ़ गया है और 1-3-1981 को यह 16.66 मि० टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया था। इसमें

कोल इंडिया लि० की खानों में 15.85 मि० टन है। यह कहना सही नहीं है कि जब लदान के लिए आवश्यकता पड़ी तो कोयला उपलब्ध नहीं था।

(घ) कोयला कम्पनियों के काम में सुधार के लिये जो कदम उठाए गये हैं उनमें यह बातें शामिल हैं—उत्पादन में और उत्पादकता में वृद्धि, उपकरणों की उपलब्धि और बेहतर उपयोग तथा खर्च पर अधिक नियंत्रण। इन उपायों से और साथ में कोयले की कीमतों में वृद्धि से कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला कंपनियों के काम में बहुत सुधार हो जाएगा।

(ङ) दिसम्बर में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने, अप्रैल-नवम्बर, 1980 की तुलना में, अपने घाटे में रु० 9/- प्रति टन की कमी कर ली और आशा है कि वर्ष के आगामी महीनों में घाटे में और भी कमी हो जाएगी।

फिल्म उद्योग को मान्यता

*** 308. श्री भीकू राम जैन :**

आचार्य भगवान देव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव किया था कि फिल्मों को मान्यता दी जाये और उद्योग के रूप में सम्मिलित किया जाये और इसे अनुसूचित बैंकों से ऋण दिलाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) मामला अभी बित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

जीवन रक्षक औषधियों के नाम जातिगत नामों के आधार पर रखना

***107. श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन रक्षक औषधियों के नाम उनके जातिगत नामों पर रखने से इन औषधियों के मूल्यों में काफी कमी हो सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जीवन रक्षक औषधियों के नाम उनके जातिगत नामों पर रखवाने के उपायों पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अन्तर्गत नियंत्रित किए जाते हैं। किसी औषध के लिए उत्पादशुल्क के बिना अधिकतम बिक्री मूल्य नहीं होता है, यदि इसे सामान्य नाम या ब्राण्ड नाम से बेचा जाता है। जहां फार्मूलेशन पर उत्पाद शुल्क अपेक्षित है वहां इसे यदि सामान्य नाम से बेचा जाय तो उत्पाद शुल्क नहीं लगता।

यह मत व्यक्त किया गया है कि ब्राण्ड नामों की अपेक्षा सामान्य नामों से बेची जाने वाली औषधों में समर्थन खर्चे कम होंगे और इस प्रकार औषधियों के मूल्य कम हो जायेंगे।

(ख) औषध और प्रसाधन नियमों को संशोधित करते हुए सरकार ने जनवरी, 1981 में एक अधिसूचना जारी की जिसमें किसी एक मात्र सक्रिय अवयव के रूप में कई औषधों में सम्मिलित संपाक के ब्राण्ड नामों को समाप्त कर दिया गया। उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत किसी एक मात्र सक्रिय अवयव के रूप में निम्न लिखित पांच औषधों में से सन्निहित संपाक के ब्राण्ड नामों को भी समाप्त कर दिया गया है :—

1. एनलजिन
2. एस्पिरिन और इसके लवण
3. क्लोरप्रोमाजाइन और इसके लवण
4. फेरस सल्फेट
5. पिपराजाइन और इसके लवण

ये अनुदेश 1 अगस्त, 1981 से लागू होंगे

अधिसूचना में, किसी औषध का नाम ट्रेड मार्क की अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट रूप से छपा हो, ऐसी व्यवस्था तत्काल प्रभावी होगी। दिनांक 29 मार्च, 1978 को सदन के पटल पर प्रस्तुत विवरण-पत्र में सन्निहित औषध नीति के अनुपालन में ऐसे कदम उठाए गए हैं।

दिल्ली दूरदर्शन द्वारा दिखाई जाने वाली हिन्दी फीचर फिल्मों के स्तर में गिरावट

2801. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन द्वारा दिखाई जाने वाली हिन्दी फीचर फिल्मों के स्तर में हाल ही में काफी गिरावट हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ;

(ग) एक दूरदर्शन केन्द्र पर इस तरह की फिल्मों को दिखाये जाने के लिये और उसी को दूसरे दूरदर्शन केन्द्रों पर दिखाए जाने के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है; और

(घ) इस तरह की फिल्मों का स्तर सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) दिल्ली दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली हिन्दी फीचर फिल्मों के स्तर में कोई गिरावट नहीं आई है, किन्तु यह सही है कि नई तथा अधिक लोकप्रिय फिल्मों की मांग है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिन्दी फिल्मों के प्रत्येक प्रदर्शन चाहे वह पहला हो या उत्तरवर्ती के लिए भुगतान की जाने वाली राशि फिल्म की आयु पर निर्भर करती है। प्रति टेलीकास्ट भुगतान की दरें इस प्रकार हैं :—

(1) 3 वर्ष से कम की पुरानी फिल्मों के लिए---8500/-रु०

(2) 3-5 वर्ष के बीच की पुरानी फिल्मों के लिए--7500/-रु०

(3) 5-7 वर्ष के बीच की पुरानी फिल्मों के लिए–4000/-रु०

(4) 7-10 वर्ष के बीच की पुरानी फिल्मों के लिए–3000/-रु०

(5) 10 वर्ष से अधिक की पुरानी फिल्मों के लिए--2500/-रु०

तथापि, उन फिल्मों को जिनको किसी भी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार मिला हो, इस बात का विचार किए बिना कि वे कितनी पुरानी है, 8500/-रु० का भुगतान किया जाता है।

(घ) दूरदर्शन के वित्तीय साधनों के अन्दर और फिल्मों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए अधिक नई और बहतर फिल्मों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास किए जाते हैं। अधिक नई और लोकप्रिय फिल्मों को आकर्षित करने की दृष्टि से रायल्टी की दरों को बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

हजारीबाग में पनकारी बरवाहडीह कोयला खान को पुनः खोलना

2802. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड, हजारीबाग के अन्तर्गत पनकारी बरवाडीह कोयला खान, जो वर्ष 1973 में बन्द कर दी गई थी, को पुनः खोलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : पनकारी-बरवाडीह कोलियरी का लीज़होल्ड इलाका केवल 100.12 एकड़ है। लीज़ होल्ड और तथा आस-पास के अन्य कोयलाधारी क्षेत्रों का विस्तृत समन्वेषण होना अभी बाकी है। वर्तमान संकेतों के अनुसार इस क्षेत्र का समन्वेषण कार्य 1987-88 में शुरू होने की संभावना है।

इन्दौर में कपड़ा मिलों को आबंटित कोयले का कोटा

2803. श्री शिव कुमार सिंह : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंदौर में कपड़ा मिलों को जुलाई, 1980 से आज तक आबंटित कोयले का कोटा उनको सप्लाई नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वे तुरन्त बन्द होने की स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) इन्दौर की कपड़ा मिलों को कोयला भेजने के लिए पर्याप्त संख्या में रेलवे वैगन न मिलने के कारण इन मिलों को कोयले की सप्लाई में कुछ कमी रही है। कोल इण्डिया लिमिटेड कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की उपलब्धि बढ़ाने के संबंध में रेलवे के साथ लगातार सम्पर्क रखे हुए हैं और दिसम्बर, 1980 से वैगनों की उपलब्धि बढ़ गई है। कोयला कम्पनियां रेल द्वारा ले जाने से जो कोयला बच जाता है उसे सड़क द्वारा ले जाने के लिए भी दे रही हैं।

आवश्यक औषधियों की कमी

2804. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के औषध नियंत्रक के निदेश में स्थापित उत्पादन की देख-रेख करने वाले सैल के फेल हो जाने के कारण देश में आवश्यक औषधियों की कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आवश्यक औषधों के उत्पादन की देख-रेख के लिए औषध नियंत्रक (भारत) के नियंत्रण के आधीन कोई सैल स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, रसायन और उर्वरक विभाग कुछ चुने हुए आवश्यक बल्क औषधों के उत्पादन और आवश्यक तथा जीवन-रक्षक फार्मूलेशनों की उपलब्धता की देख-रेख करता है। विभिन्न स्थानों से समय-2 पर कुछ विशिष्ट ब्रांड के औषध फार्मूलेशनों की कमी की रिपोर्ट प्राप्त होती रहती हैं। ये कमियाँ देख-रेख सैल की असफलता के कारण नहीं होती, अपितु विभिन्न कारणों जैसे (1) पावर कटौती (2) औद्योगिक असन्तोष (3) क्षमता अवरोध (4) कुछ कच्चे मालों की सीमित सप्लाई अनुपलब्धता, (5) परिवहन समस्याओं आदि से होती है। इन कमियों को समन्वित सीमा तक दूर करने के लिए सरकार उपचारी कदम उठाती है, (I) कमी वाले ब्रांड के निर्माताओं और सम-उत्पादों के निर्माताओं को कमी वाले क्षेत्र में सप्लाई भेजने की सलाह द्वारा (II) उसके स्वदेशी उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए सरणीबद्ध बल्क औषधों के आयात के लिए आवश्यक प्रबंध द्वारा (III) औद्योगिक लाइसेन्स जारी करने के लिए आवेदन पत्रों को भी शीघ्रता के आधार पर निपटाया जाता है।

"ए" श्रेणी की फिल्मों का प्रदर्शन

2805. श्री एन० ई० होरो : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अवयस्क माना जाता है और उसे "ए" श्रेणी की फिल्में नहीं देखने दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि आठवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गई अधिकांश फिल्मों में ऐसे दृश्य थे जिन्हें "ए" प्रमाण-पत्र के अंतर्गत भी दिखाने की मंजूरी नहीं दी जाती ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) हो सकता है कि कुछ फिल्में "ए" प्रमाण-पत्र के अंतर्गत मंजूर न की गई हों ।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित फिल्में देश भर में रिलीज करने के लिए नहीं होतीं । इन फिल्मों का प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय विनियमों से विनियमित होता है जिनमें यह निर्धारित है कि समारोह की फिल्मों को किसी देश के सेंसरशिप विनियमों के अधीन नहीं किया जा सकता । उसके पीछे तर्क यह है कि सेंसर-शिप के स्तर एक देश से दूसरे देश में उनके सांस्कृतिक रीति-रिवाजों पर निर्भर करते हुए, बहुत ज्यादा भिन्न हैं । इसके अतिरिक्त फिल्म निर्माता यह चाहते हैं कि समारोह के दर्शक उनकी फिल्मों को कला के एक कार्य के रूप में उनकी समग्रता में देखें । इसलिए किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में फिल्मों के प्रदर्शनों की तुलना देशव्यापी दर्शकों के लिए वाणिज्यिक आधार पर फिल्मों के प्रदर्शनों से करना उचित नहीं होगा ।

क्यूबा में औषध निर्माण संयंत्र की स्थापना

2806. श्री राम चन्द्र रथ : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय "यूनिडो" द्वारा प्रायोजित एक भारतीय कम्पनी को क्यूबा में बहु-उद्देशीय विशाल औषध-निर्माण संयंत्र की स्थापना करने के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करेगा ;

(ख) इस संयंत्र को कब स्थापित किया जायेगा;

(ग) इस संयंत्र में किन-किन दवाइयों को बनाया जाएगा ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) क्यूबा में एक बहु-उद्देशीय औषध प्लांट स्थापित करने के लिए साराभाई अनुसंधान केन्द्र, बड़ौदा यूनिडो के माध्यम से जानकारी प्रदान कर रहा है ।

(ख) वर्ष 1982 में प्लांट को स्थापित किये जाने की आशा है ।

(ग) एस्पिरीन, मेट्रोनिडाजोल, निकोटिनामाइड, मेट्रोनिडाजोल, नलीडिक्सिक एसिड, फिनाइल बुटाजोन, पेरासिटासोल, डिफिनाइल हाइडेन्टोइन, डाइजेपाम, क्लोकी, व्रेट, लिडोकेन आदि सहित 15 बल्क औषधों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

(घ) अपेक्षित ठेके पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग और डिजाइन का काम पूरा हो गया है और सप्लाई किया गया है। उपकरणों का निर्माण हो गया है और इस वर्ष उनका प्रेषण किए जाने की आशा है। क्यूबा के कार्मिकों ने भारत में प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है।

अरुणाचल प्रदेश के जल संसाधनों से पन बिजली के उत्पादन की सम्भाव्यता

2807. श्री संतोष मोहन देव : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधनों से 1000 मेगावाट पन बिजली के उत्पादन की सम्भाव्यता की ओर दिलाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्भाव्यता को वास्तविक रूप दिए जाने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) देश में जल विद्युत शक्यता के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की उपयोग में लाए जाने योग्य जल विद्युत शक्यता 16% भार अनुपात पर 16,000 मेगावाट है। इस शक्यता को उपयोग में लाने की दृष्टि से इस संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित जल विद्युत स्कीमों का अन्वेषण किया जा रहा है :—

स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
सियांग	7500
सुबनसिरी	1800
कामेंग	250
दमवे	400
रंगा नदी	500
पापू-कामेंग	80
जोड़	10530

उपर्युक्त स्कीमों में से कामेंग और रंगा नदी परियोजनाओं पर अन्वेषण किए जा रहे हैं और 1985-90 की योजना अवधि के दौरान इनसे आंशिक लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन के मृतक नैमित्तिक कलाकारों के आश्रितों के लिए व्यवस्था

2808. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों से सम्बद्ध नैमित्तिक कलाकारों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों के लिए कोई व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो वह व्यवस्था किस तरह की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसी व्यवस्था किस तारीख तक किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा "नैमित्तिक कलाकारों" को अब सर्वथा नियत कार्य के आधार पर लगाया जाता है । इस प्रकार के नियत कार्यों को किसी भी व्यक्ति के बारे में सामान्यतया सप्ताह में 3 बार और महीने में 6 बार से अधिक दिए जाने की अनुमति नहीं है । इसलिए वे सिविल कर्मचारियों के रूप में या संविदा कर्मचारियों के रूप में भारत सरकार के कर्मचारी नहीं हैं और सामान्य भविष्य निधि/पेंशन, इत्यादि जैसे लाभों को पाने के पात्र नहीं है । एक नियोक्ता के रूप में सरकार का, उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों के लिए व्यवस्था करने का कोई दायित्व नहीं है । इसलिए इस प्रकार के कोई प्रावधान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल को पैराफीन मोम की सप्लाई

2809. श्री मतिलाल हसदा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 13 महीनों के दौरान महीनेवार, पश्चिम बंगाल को पैराफीन मोम की कितनी कितनी मात्रा का आबंटन किया गया और वस्तुत: कितनी कितनी सप्लाई की गई ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल की माँग और वास्तविक आवश्यकता कितनी कितनी थी ; और

(ग) पश्चिम बंगाल की मांग की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) राज्यों को पैराफीन मोम का आबंटन त्रैमासिक आधार पर किया जाता है । जनवरी, 1981 को समाप्त

होने वाले पिछले 13 महीनों में पश्चिम बंगाल को किया गया कुल आबंटन तथा उठान इस प्रकार है :

जनवरी, 1980—जनवरी, 1981 (जनवरी, 1981 के लिए यथानुपात मात्रा सहित) के लिए आबंटन	उठान
10457 मी० टन	7129 मी० टन

(ख) आवश्यकता के राज्यवार अनुमान तैयार नहीं किये गये हैं।

(ग) आबंटन पिछले वर्ष के उठान/कार्य-निष्पादन के आधार पर किया जाता है। यह देखा गया है कि पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल द्वारा उठान आबंटन से कम रहा है।

पश्चिम बंगाल में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाना

2810. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में नए आकाशवाणी केन्द्र और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये केन्द्र स्थापित किए जाएंगे;

(ग) इन केन्द्रों का रेंज कितना है ये कब तक स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) जहां तक रेडियो प्रसारण कवरेज का संबंध है, पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में से एक है जिनको सर्वोत्तम प्रसारण सेवा प्रदान की जाती है। मीडियम वेव पर दिवाकालीन सेवा राष्ट्रीय औसत के 89.4% की तुलना में राज्य की 94% जनसंख्या को उपलब्ध है। द्वितीय ग्रेड की सेवा भी कलकत्ता और कुर्सियांग के क्षेत्रीय शार्टवेव ट्रांसमीटरों से उपलब्ध है। इसलिए इस राज्य में आकाशवाणी के नए केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

छठी "योजना" अवधि 1980-85 के दौरान आसनसोल और मुर्शिदाबाद में दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनमें से प्रत्येक की सेवा परिधि 75 कि० मी० होगी। आसनसोल में ट्रांसमीटर के 1983-84 तक और मुर्शिदाबाद में 1984-85 में तैयार हो जाने की उम्मीद है।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के सम्बन्ध में वृत्त चित्र

2811. श्री अनादि चरण दास : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1981 में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण कार्यक्रमों पर वृत्त चित्र प्रदर्शित करने का है;

(ख) यदि हां, तो फिल्म्स डिवीजन ने अब तक ऐसे कितने वृत्त-चित्र बनाए हैं ;

(ग) क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित ऐसे वृत्त-चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो उन वृत्त चित्रों को उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां। फिल्म प्रभाग को विकलांग व्यक्तियों पर वर्ष 1981 के दौरान तीन डाकुमेंट्री फिल्में पूरी करने और उन्हें रिलीज करने की उम्मीद है। फिल्म प्रभाग, भारतीय फिल्म और टेलीजन संस्थान के छात्रों द्वारा बनाई गई "वेलफेयर आफ दि मेंटल्ली रिटारडिड चिन्ड्रन" नामक एक फिल्म रिलीज करने की भी योजना बना रहा है।

(ख) फिल्म प्रभाग द्वारा अब तक बनाई गई और प्राप्त की गई डाकुमेंट्री फिल्मों की सूची को दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है।

(ग) जी, हां। उनको केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के चलते-फिरते वाहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाता है।

(घ) और (ङ) उड़ीसा राज्य के सिनेमाघरों में फिल्मों को दिखाने के लिए सामान्यतया उड़िया में 35 मिलीमीटर की तीन प्रिंटें सप्लाई की जाती हैं। 16 मि० मी० की प्रिंटें भी क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और राज्य सरकार द्वारा अपने चलते-फिरते वाहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाने के लिए मांगे जाने पर सप्लाई की जाती है।

विवरण

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों पर फिल्म प्रभाग द्वारा बनाई गई और प्राप्त की गई डाकुमेंट्री फिल्में।

1. फर्स्ट स्टेपस।
2. वण्डर आफ वर्क।
3. सफेद चड्डी।
4. प्राब्लम चाइल्ड।
5. जीवन ज्योति।
6. डिसएब्लिटि आर एब्लिटि।
7. योर आईज।
8. डिगनिटि डिस्पाईट डिसएब्लिटि।
9. दि अन-डिफिटिड।

10. आई कैन आई एम एबल ।

11. ए हैल्पिंग हैंड ।

12. लव इज दि आन्सर ।

13. नैवर से डाई ।

डीजल ईंधन तेल की सप्लाई के लिए बुल्गारिया के साथ करार

2812. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को डीजल और ईंधन तेल की सप्लाई के लिए भारत तथा बल्गारिया के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1981 के दौरान 200,000 मी० टन एच० एस० डी० (गैस तेल) के आयात के लिए बल्गारिया से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भट्टी के तेल के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

(ख) इस बारे में और ब्यौरे देना जनहित में न होगा ।

नए गैस बर्नर का उत्पादन

2813. श्री निहाल सिंह : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान और विकास विंग ने रेलों, बिजली घरों, इस्पात कारखानों, नौवहन और रक्षा प्रतिष्ठानों के प्रयोग के लिए 65/70 प्रतिशत कार्यकुशलता वाले नए गैस बर्नर डिजाइन तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गैस बर्नर का बिक्री मूल्य क्या है और क्या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए इसका उत्पादन आरम्भ हो गया है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उलहास नगर से लोगों द्वारा सम्पत्ति के दावे

2814. श्री आर० के० महालगी : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने उलहास नगर (जिला थाना, महाराष्ट्र) से लोगों के सम्पत्ति के दावों के लिए वसूली कार्यक्रम जारी करने हेतु केन्द्र सरकार के पास 800 मामले भेजे थे ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या उक्त मामलों की जांच पूरी कर ली गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और उसके लिये क्या समाधान सोचा गया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगोन) : (क) और (ख) जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1980 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने 980 मामले भेजे थे जिनमें से 257 मामले उलहासनगर से संबंधित थे।

(ग) और (घ) इन 257 मामलों में से, 32 मामलों में वसूली की सूचियां भेज दी गई है। सही विवरण भेजने के लिए राज्य सरकार को 30 मामले वापस कर दिए गए हैं। शेष 195 मामलों की जाँच की जा रही है। इन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए राज्य सरकार से अपने अधिकारियों की एक दल भेजने का अनुरोध किया गया है।

आदिवासी क्षेत्रों के गांवों का विद्युतीकरण

2815. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में उन आदिवासी गांवों की कुल संख्या जिनमें बिजली लगाई गई है, कम है ;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी गांवों की राज्यवार संख्या क्या है जिनमें अब तक बिजली लगाई जा चुकी है और विद्युतीकरण में भेदभाव मिटाने के लिए राज्यों और उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ग) आदिवासी क्षेत्रों के लिए राज्यवार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्वीकृत योजनाएं क्या हैं और चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितनी धनराशि जारी की गई है ;

(घ) पांचवीं योजना में आदिवासी गांवों में विद्युतीकरण के राज्यों के परिव्यय में से कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(ङ) पांचवीं योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने गांवों में बिजली लगाई गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) दिसम्बर, 1980 के अन्त तक विद्युतीकृत किए गए आदिवासी गांवों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण—1 में दिया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में बहुत कम भार वृद्धि के कारण और परिणामस्वरूप राज्य बिजली बोर्डों को होने वाली हानि के कारण इन क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण में तेजी नहीं आ रही है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों-दोनों ही के द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं। भारत सरकार के निदेशन के अन्तर्गत ग्राम विद्युतीकरण निगम राज्य बिजली बोर्डों को आदिवासी

क्षेत्रों की स्कीमों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कर्यक्रम के अन्तर्गत तथा विशेष रूप से अविकसित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत, ब्याज की काफी कम दरों पर तथा स्कीमों के लिए जीवक्षमता संबंधी उदार मानदण्डों पर ऋण सहायता दे रहा है। राज्य बिजली बोर्डों को वित्तीय दृष्टि से जीवनक्षम तथा तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य स्कीमें विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्कीमें तैयार करने में, सलाह देने के लिए देश के विभिन्न भागों में निगम ने क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए हैं। केवल आदिवासी स्कीमों का ही वित्त पोषण करने के लिए निगम, अपने कुल वार्षिक योजना परिव्यय का लगभग 15% भाग अलग रखता रहा है। अधिकांश राज्यों ने ग्राम विद्युतीकरण के लिए ब्लाक/जिला/राज्य स्तरों पर समन्वय समितियां भी गठित की हैं जिनमें वित्तीय संस्थानों तथा आदिवासी क्षेत्र विकास एजेंसियों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में लगी लगभग सभी एजेंसियों का प्रतिनिधित्व है।

(ग) सितम्बर, 1980 के अन्त तक आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा और उनके लिए मुहैया कराई गई निधियों का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 7,028 ग्राम विद्युतीकृत किए गए थे।

विवरण 1

देश में 31-12-80 तक विद्युतीकृत किए गए आदिवासी गाँवों की संख्या को दिखाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आदिवासी गांवों की कुल संख्या	31-12-80 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत किए गए आदिवासी गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	7,097	733(*)
2.	असम	4,565	428
3.	बिहार	15,638	1,204(*)
4.	गुजरात	5,367	2,237
5.	हिमाचल प्रदेश	485	189
6.	कर्नाटक	111	37(ख)
7.	केरल	उ० न०	(*) (*)

1	2	3	4
8.	मध्य प्रदेश	26,218	8,144(*)
9.	महाराष्ट्र	6,440	2,655(%)
10.	मणिपुर	1,344	63(*)
11.	मेघालय	4,583	624
12.	नागालैण्ड	960	360
13.	उड़ीसा	18,683	3,375(*)
14.	राजस्थान	4,489	1,341(ख)
15.	तमिलनाडु	321	162
16.	त्रिपुरा	2,655	77(क)
17.	उत्तर प्रदेश	605	108(*)
18.	पश्चिम बंगाल	4,389	577
	जोड़ (राज्य)	1,03,950	22,314
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	163	15 (ग)
2.	अरुणाचल प्रदेश	2,973	295
3.	दादर और नागरहवेली	72	52
4.	गोवा, दमन और दिव	21	21
5.	लक्षद्वीप	10	9
6.	मिजोरम	229	28
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	3,468	420
	जोड़ (अखिल भारत)	1,07,418	22,734

(*) (*) गांवों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है।

(*) 31-3-79 की स्थिति के अनुसार।

(क) 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार।

(%) 31-1-80 की स्थिति के अनुसार।

(ख) 30-6-80 की स्थिति के अनुसार। (ग) 30-9-80 की स्थिति के अनुसार।

विवरण—2

31-12-80 तक ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का तथा उनके लिए मुहैया की गई ऋण राशि का राज्यवार ब्यौरा ।

क्र० सं०	राज्य	31-1-81 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत स्कीमों की संख्या	स्वीकृत ऋण (लाख रुपए में) (31-1-81)	विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव	वितरित राशि (31-12-80 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	33	1445	1956	931
2.	असम	11	718	1199	454
3.	बिहार	37	2221	4884	1383
4.	गुजरात	21	994	1595	416
5.	हिमाचल प्रदेश	8	236	383	77
6.	कर्नाटक	2	84	95	47
7.	मध्य प्रदेश	110	4461	7327	2493
8.	महाराष्ट्र	26	1157	1845	676
9.	मणिपुर	4	262	245	77
10.	मेघालय	34	1404	1023	907
11.	नागालैण्ड	11	634	282	327
12.	उड़ीसा	79	3817	7743	2003
13.	राजस्थान	21	1365	1882	750
14.	त्रिपुरा	14	460	559	170
15.	उत्तर प्रदेश	2	118	187	48
16.	पश्चिम बंगाल	28	1407	2347	541
	जोड़	441	20783	33552	11300

परादीप उर्वरक परियोजना—विश्व बैंक से ऋण

2816. श्री के० पी० सिंह देव : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परादीप उर्वरक परियोजना, जिसकी योजना इस समय चल रही है, संकट में पड़ जाएगी क्योंकि इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध नहीं होगा;

(ख) क्या संयंत्र के आकार और इसकी उत्पादन क्षमता का निर्णय करने से पहले सरकार का विचार विश्व बैंक से उसकी वचनबद्धता के बारे में स्पष्टीकरण मांगने का है ;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का भी है कि उक्त संयंत्र का डिजाइन तैयार करने और उसके लिए तकनीकी जानकारी देने का कार्य, यदि आवश्यकता पड़ी, तो हमारे अपने ही तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किया जा सकता है ; और

(घ) परादीप संयंत्र की योजना आदि का काम इस समय किस अवस्था में है और सम्पूर्ण परियोजना कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) पारादीप उर्वरक परियोजना के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के प्रश्न पर बातचीत हो रही है ।

(ग) अन्य उर्वरक संयंत्रों की भांति इस परियोजना की स्थापना में स्वदेशी योग्यता और स्वदेशी यंत्रों का प्रयोग सम्भावित अधिकतम सीमा तक किया जायेगा ।

(घ) उर्वरक परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा एक निवेश निर्णय के लिये कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है ।

मुख्य उद्योगों को लागत लेखा परीक्षा

2817. श्री रघुनंदन लाल भाटिया : क्या **विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केवल कुछ मुख्य उद्योगों के मामले में वार्षिक लागत लेखा परीक्षा को अनिवार्य बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो वे उद्योग कौन से हैं ;

(ग) क्या सरकार ऊनी तथा हस्त निर्मित रेशों जैसे अधिक लाभ कमाने वाले उद्योगों को लागत लेखा परीक्षा नियंत्रण के अन्तर्गत लाना चाहती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव हाथ में नहीं है।

(ग) तथा (घ) मैन-मेड फाइबर, यथा, रैयन, पोलिस्टर तथा नायलान पहले ही लागत लेखा-परीक्षा के नियंत्रणाधीन कर दी गई है। ऊनी उद्योग को अभी लागत लेखा परीक्षा के नियंत्रण के अन्तर्गत लाना है, क्योंकि वर्तमान में, अन्य उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को इस प्रकार की परीक्षा की जा रही है।

दूध सागर पन बिजली प्रजनन योजना

2818. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूध सागर पन बिजली प्रजनन योजना, जिसे पहले त्याग दिया गया था अब पुनः आरंभ की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इसे संभवतः कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग ने दूध सागर परियोजना से विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का अन्वेषण किया है तथा इस अन्वेषण के आधार पर एक परियोजना रिपोर्ट उन्होंने 1971 में तैयार की थी। तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने पम्प टर्बाइनों को प्रतिष्ठापित करने का सुझाव दिया था। यह आर्थिक दृष्टि से न्याय-संगत नहीं पाया गया था। केन्द्रीय जल आयोग ने अक्तूबर, 1979 में संशोधित अनुमान तैयार किया था जिसकी जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की गई है। चूंकि ये संशोधित अनुमान, 1971 की परियोजना रिपोर्ट के लिए एकत्र किए आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए आंकड़ों को अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस की गई। बहुद्देश्यीय परियोजना होने के कारण, परियोजना में परिकल्पित विभिन्न सुविधाओं की लागत को बांटने के प्रश्न की भी जांच करनी होगी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस पर कार्रवाई करने से पहले, योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा भी इसको स्वीकृति दी जानी होगी। इसे शीघ्र पूरा करने का अनुरोध केन्द्रीय जल आयोग से किया गया है जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

कोयले पर रायल्टी

2820. श्री पीयूष तिरकी : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कुल कितने टन कोयला निकाला गया और 1975 से दिसम्बर, 1980 तक, उत्पादित कोयले का वर्षवार मूल्य क्या है और कोयले पर वसूल की गई रायल्टी की राशि कितनी है; और

(ख) इसी अवधि के दौरान राज्यवार कुल कितने टन कोयला निकाला गया, निकाले गये कोयले का मूल्य क्या है और राज्यों द्वारा वसूल की गई रायल्टी की राशि कितनी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में 1975 से 1980 तक उत्पादित कोयले की कुल मात्रा का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

आंकड़े लाख टनों में

राज्य	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 (अनुमानित)
पश्चिम बंगाल	231.50	234.10	227.50	198.33	182.96	198.18
बिहार	390.00	397.80	392.90	399.90	397.25	431.20
मध्य प्रदेश	202.00	198.40	202.90	225.61	243.07	257.60
महाराष्ट्र	38.50	36 90	38.00	43.19	47.53	55.59
उड़ीसा	22.20	21.40	21.60	21.30	25.74	32.24
उत्तर प्रदेश	—	0.50	0.50	6.00	12.02	18.07
आसाम	5.60	5.70	6.20	6.22	5.63	6.10
कुल :	889.80	894.80	889.60	900.55	914.20	998.98

इसी अवधि में उत्पादित कोयले के मूल्य और उत्पादित कोयले पर राज्य सरकारों को मिले स्वामिस्व की राशि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उज्जैन और कोटा के बीच 220 किलोवाट की अन्तर्राज्यीय लाईन

2821. श्री मातण्ड सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उज्जैन (मध्य प्रदेश) तथा कोटा (राजस्थान) के बीच दोहरे सर्किट वाली एक 220 किलोवाट की अन्तर्राज्यीय लाइन बिछाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की मंजूरी की प्रतीक्षा है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश तथा राजस्थान ने उक्त कार्य को हाथ में लेना स्वीकार कर लिया है; और

(ग) उक्त अन्तर्राज्यीय लाइन बिछाने के लिए भारत सरकार कब तक अपनी मंजूरी दे देगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) उज्जैन और कोटा के बीच डबल सर्किट टावरों पर 220 के० वी० सिंगल सर्किट लाइन का निर्माण किया जा चुका है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रणालियों के बीच विद्युत के आदान-प्रदान के लिए पहले सर्किट का उपयोग भी कुछ अवसरों पर ही किया गया है, इस लाइन के दूसरे सर्किट पर तार कसने का प्रस्ताव आस्थगित रखा गया है ।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पश्चिम बंगाल में रानीगंज टाऊन के अंतर्गत रुका कोयला

2822. श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई० सी० एल०) में रानीगंज टाउन में कितना कोयला रुका हुआ है और इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है तथा प्रस्तावित कस्बे को खाली करने के लिए मुआवजे के रूप में कितनी राशि की आवश्यकता है;

(ख) क्या इस मामले को वर्तमान कोयला निकालने के बाद खाली क्षेत्र में रेत और सीमेंट कन्क्रीट का उपयोग करने काफी कम लागत पर हल नहीं किया जा सकता ; यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में रानीगंज वाणिज्य मण्डल का दिनांक 18 जनवरी, 1981 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस ज्ञापन की विषय-वस्तु क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रानीगंज नगर के नीचे कम गहराई पर स्थित कोयला सीमों से बहुत साल पहले कोयला निकाल कर उनका परित्याग कर दिया गया था। इन परित्यक्त खानों से और कोयला नहीं निकाला जा सकता। परन्तु कुछ कोयला सीमें अधिक गहराई पर हैं और उनमें यथावत भंडार 74 मी० टन होने का अनुमान लगाया गया है। यदि खनन योग्य भंडारों की कीमत निकाली जाए तो वह लगभग 470 करोड़ रुपये आयेगी। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार इस शहर के निष्क्रमण पर लगभग 750 करोड़ रुपये लागत अएगी।

(ख) से (घ) रानीगंज चैंबर आफ कामर्स ने अपने 18-1-1981 के ज्ञापन द्वारा ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने रानीगंज नगर को असुरक्षित घोषित कर दिया है और आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की इन सिफारिशों की ओर भी ध्यान दिलाया है कि परित्यक्त खानों की रेत और कंकरीट से भराई कर दी जाए।

आसनसोल दुर्गापुर विकास का वितरण पश्चिम बंगाल सरकार की एक एजेंसी है और इसमें फरवरी 1981 में यह प्रस्ताव रखा है कि रानीगंज नगर के नीचे परित्यक्त खानों में खाली जगह को रेत और पानी के घोल से भरने के लिए एक पाइलेट अध्ययन किया जाए। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने इस पद्धति की उपयुक्तता प्रमाणित करवाने की दृष्टि से अपनी एक खान में पाइलेट अध्ययन करने के लिए सुविधाएं और धनराशि देना मंजूर कर लिया है। पाइलेट अध्ययन अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

कम्पनियों द्वारा ली गयी जमा राशियों की वापिस अदायगी

2823. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री कम्पनियों में जमा राशियां देने वालों के हितों की रक्षा के बारे में 27 मार्च 1979 के तारांकित प्रश्न

संख्या 490 के उत्तर में शुद्धि करने के लिए 29 जनवरी, 1980 के उनके वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सभी पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के नाम क्या हैं जो अदायगी देय होने पर भी राशि लौटाने पर भी असफल रही हैं ;

(ख) दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पब्लिक तथा प्राइवेट, गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनियों, जो परिपक्व होने पर अपने निक्षेपों को वापिस करने में असफल रहीं, के नाम विवरण 1 और 2 में दिए गये हैं।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 में गैर-बैंकिंग, गैर वित्तीय कम्पनियों को, जनता के जमा धन तथा/अथवा उन पर उपार्जित ब्याज को, परिपक्व होने पर, वापिस दिलाने के लिए विवश करने में समर्थ बनाने के कोई उपबंध नहीं हैं। परिपक्व होने पर, निक्षेपों को वापिस करने में असफल रहना, एक दावे को उत्पन्न करता है, एवं जमाकर्त्ताओं के लिए इसका समुचित प्रतिकार, कानून के न्यायालय के माध्यम से निवारण प्राप्त करना, होता है। तथापि, सरकार चूककर्त्ता कम्पनियों के विरुद्ध समुचित मामलों में, अभियोग चलाने के विचार वहां करती है, जहां, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उल्लंघन सिद्ध होते हैं।

विवरण—1

उन पब्लिक कम्पनियों के नाम, जो दावे किये जाने पर भी निक्षेपों को वापिस करने में असफल रहीं।

1. एसोसिएटड आयरन एण्ड स्टील इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
2. जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड
3. ईस्ट वैस्ट होटल्स लिमिटेड
4. फलकोन टायर्स लिमिटेड
5. मैसूर इलैक्ट्रिकल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
6. अपर इन्डिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड
7. प्रेम स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड
8. स्वरूप वेजीटेबल इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड
9. हिक्स थर्मोमीटर्स (इन्डिया) लिमिटेड
10. स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड
11. भिलाई वायर्स लिमिटेड
12. इम्पीरियल मेच कम्पनी लिमिटेड

13. आंध्रा प्रभा लिमिटेड
14. गंगप्पा केबल लिमिटेड
15. आर्टोज ब्रेवरीज लिमिटेड
16. श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड
17. वसन्था मिल्स लिमिटेड
18. धर्मापुरी स्टील्स कास्ट्ग्स लिमिटेड
19. इन्डियन एक्सप्रेस (मदुराई) लिमिटेड
20. मदुरा कोट्स लिमिटेड
21. श्री शक्ति टैक्सटाइल्स लिमिटेड
22. सदर्न एग्रीप्रेन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
23. श्री गणपति मिल्स कम्पनी लिमिटेड
24. हिवेल्म इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
25. त्रिचिनोपलि मिल्स लिमिटेड
26. टेक्सटूल कम्पनी लिमिटेड
27. मद्रास फोर्जिग्स एण्ड अलाइड इन्डस्ट्रीज (सीबीई) लि०
28. मार्क्स मैरिन एण्ड प्लास्टिक्स लिमिटेड
29. श्री शक्ति पाइप्स लिमिटेड
30. यूनाइटेड इन्डिया रोलर्स फ्लोर मिल्स कम्पनी लि०
31. मद्रास अल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड
32. कावेरी शुगर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
33. लैम्प कैप्स एण्ड फिलामेंन्ट्स लिमिटेड
34. सैन्ट्रोन इन्डस्ट्रियल अलायेन्स लिमिटेड
35. इप्को पेपर मिल्स लिमिटेड
36. निसार टैक्सटाइल लिमिटेड
37. सेमी कन्डक्टर्स लिमिटेड
38. कमानी ट्यूब्स लिमिटेड
39. कमानी मेटालाइस आक्साइड लिमिटेड
40. किर्लोस्कर आयल इंजिन्स लिमिटेड
41. पोलसन लिमिटेड
42. इलीफिस्टन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड

43. खण्डेलवाल हरमन इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
44. मधुसूधन लिमिटेड
45. गुजरात इन्डस्ट्रियल ट्रक्स लिमिटेड
46. दरबार इलैक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
47. श्री अमर सिंह जी मिल्स लिमिटेड
48. न्यू जहांगीर वकोल मिल्स लिमिटेड
49. इन्डीक्यूप इन्जीनियरिंग लिमिटेड
50. योस्ट अल्को इन्जीम्स लिमिटेड
51. अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एण्ड कैलिको प्रिन्टिग कम्पनी लि०
52. वैस्ट इन्डिया स्टील कम्पनी लिमिटेड
53. रूबी रब्बर वर्क्स लिमिटेड
54. नारंग इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
55. पानीपत फूड्स लिमिटेड
56. सल्वानिया एण्ड लक्ष्मन लिमिटेड
57. अजन्ता टैक्सटाइल्स लिमिटेड
58. इनैक्स इंजिन वैल्वस लिमिटेड
59. अजय इलैक्ट्रीकल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

विवरण—2

उन प्राइवेट कम्पनियों के नाम, जो दावे किये जाने पर भी निक्षेपों को वापिस करने में असफल रही ।

1. न्यू होरिजन शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2. साहदरी इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
3. न्यू प्रोसिशन इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
4. नगेश्वर राव एस्टेट (प्राइवेट) लिमिटेड
5. शेशासाई ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड
6. गोबाल्द टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
7. ओरिएन्ट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
8. सपकेट्रापैक्स प्राइवेट लिमिटेड
9. इस्सर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड

10. पेन्टागांव इंजीनियरिंग (प्राइवेट) लिमिटेड
11. पेन्टागांव स्टेनलेस स्टील कास्टिंग्स एण्ड अलोयज (प्रा०) लि०
12. कीर्ती स्टील रि-रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
13. देल-स्टार (प्राइवेट) लिमिटेड
14. गुरु राजेन्द्र-रोलिंग मिल्स एण्ड मैटल प्राइवेट लिमिटेड
15. इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वैस्टमेंट कम्पनी प्रा० लि०
16. खीरा स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
17. लक्ष्मी सर्जीकल प्राइवेट लिमिटेड
18. इन्डियन बिल्डिंग एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
19. ओप्टीकल फ्रेम्स प्राइवेट लिमिटेड
20. वी० ए० पी० कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
21. ए० बी० सी० लेमोनार्ट प्राइवेट लिमिटेड
22. पी० एस० एन० मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
23. वेसिक एण्ड सिन्थेटिक केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड
24. इ० एम० आई० प्राइवेट लिमिटेड
25. एच० आर० भल्ला एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड
26. दिल्ली फोर्जिंग्स एण्ड स्टेम्पिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
27. ओरिएन्ट एण्ड कोन्टीनेन्टल प्राइवेट लिमिटेड

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना

2824. **श्री सुभाष यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उन केन्द्रों की स्थापना किए जाने का विचार है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इस तरह के कोई दूरदर्शन केंद्र स्थापित किए जाने का विचार है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) छठी "योजना" 1980-85 के दौरान गुजरात (अहमदाबाद), कर्नाटक (बंगलोर), केरल (त्रिवेन्द्रम) और असम (गोहाटी) में दूरदर्शन केन्द्र तथा हिमाचल प्रदेश (कसौली),

पश्चिम बंगाल (मुर्शिदाबाद), तमिलनाडु (कोडैकनाल), पश्चिम बंगाल (आसनसोल), आंध्र-प्रदेश (विजयवाड़ा), उड़ीसा (कटक), गोवा, दमन और दीव (पणजी) और उत्तर प्रदेश (वाराणसी) में रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये दूरदर्शन केन्द्र इन नगरों के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी सेवा प्रदान करेंगे।

"इनसैट" स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार की स्कीम भी तैयार की जा रही हैं। तथापि, "इनसैट" स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रों का कवर होना स्कीम की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(ग) छठी "योजना" अवधि 1980-85 के दौरान मध्य प्रदेश में रायपुर में वहां पर कार्य कर रहे दूरदर्शन ट्रांसमीटर के लिए एक कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

मद्रास दूरदर्शन पर फिल्में

2825. श्री एन० डेनिस :क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थित दूरदर्शन केन्द्र पर कुछ नाटक और कथा चित्र बार-बार दिखाए जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) 1980 के दौरान मद्रास दूरदर्शन केन्द्र ने 81 नाटक टेलीकास्ट किए जिनमें से 24 नाटकों को दोहराया गया था। जहां तक फीचर फिल्मों का सम्बन्ध है, कुल मिलाकर 106 फिल्में टेलीकास्ट की गई थीं और उनमें से किसी भी फिल्म को दोहराया नहीं गया था।

(ख) जहाँ तक नाटकों का सम्बन्ध है, दोहराए जाने वाले कार्यक्रमों की प्रतिशतता को कम करने के लिए संसाधनों के अनुसार मद्रास केन्द्र के फिक्सड प्वाइंट चार्ट का पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से समाचार बुलेटिन का मैथिली में प्रसारण

2826. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** आकाशवाणी के दरभंगा, पटना, भागलपुर केन्द्रों का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में 17 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थल जनकपुर और आस-पास के क्षेत्र तथा सहरसा और परवा के पूर्वी भागों सहित नेपाल सराय के घनी आबादी वाले मैथिली-भाषी क्षेत्रों को आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र के अन्तर्गत नहीं लाया गया है ;

(ख) क्या इसके लिए ट्रांसमीटर की क्षमता 10 किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट करना पर्याप्त होगा ;

(ग) क्या साहित्य अकादमी तथा आधे दर्जन से अधिक विश्वविद्यालय मैथिली में स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो मैथिली में समाचार बुलेटिनों के प्रसारण में क्या कठिनाई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) आकाशवाणी का दरभंगा केन्द्र, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपूर के जिलों, मोतीहारी के पूर्वी भागों, बेगुसराय के पश्चिमी भागों, सहरसा के पश्चिमी भागों को सेवा प्रदान करता है। सहरसा के पूर्वी भाग और मोतीहारी जिले के भाग इस केन्द्र की प्राथमिक सेवा के क्षेत्र में नहीं आते। जनकपुर और परसा दोनों नेपाल के तराई क्षेत्र में आते हैं। नेपाल क्षेत्र में संग्रहण का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) आकाशवाणी, दरभंगा के प्रसारण नेपाल के लिए नहीं होते, यद्यपि, इनको बिहार के पड़ोसी क्षेत्रों में सुना जा सकता हो। इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की योजना के अन्तर्गत रात्रि समय में प्रचालन के लिए दरभंगा केन्द्र के लिए स्वीकार्य अधिकतम शक्ति 20 कि० वा० ही है। इसलिए ट्रांसमीटर की शक्ति को 10 किलोवाट से बढ़ाकर 100 कि० वा० करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मैथिली को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। यह भी पता चला है कि कुछ विश्वविद्यालयों में मैथिली में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा है।

(घ) बिहार की घटनाओं को हिन्दी के वर्तमान समाचार बुलेटिनों, जिनको मैथिली भाषी लोगों में व्यापक रूप से सुना जाता है, द्वारा अच्छी तरह से कवर किया जाता है। इसलिए मैथिली में अलग समाचार बुलेटिन को शुरू करना कोई संचार अनिवार्यता नहीं है।

गुजरात के कलोल तेल क्षेत्रों में पाए गए कोयले के भण्डार

2827. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कलोल तेल क्षेत्रों में कोयले के भण्डार पाये गए हैं और यदि हाँ, तो क्या इस कोयले से गैस तैयार करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) कोयले के भण्डार कितनी गहराई में पाए गए हैं और उसकी अनुमानित मात्रा कितनी है और यदि कोयले से गैस बनाई जाए तो उसकी अनुमानतः कितनी मात्रा उपलब्ध होने की सम्भावना है ;

(ग) इस कोयले से गैस तैयार करने में कितना व्यय होगा और क्या जिस रूप में कोयला मिला है उसे उसी रूप में उपभोग किया जाना अधिक लाभप्रद होगा अथवा इसे गैस तैयार करने में उपयोग किया जाना ; और

(घ) क्या देश में कोयले और गैस की कमी को देखते हुए इस योजना पर कार्य शीघ्र शुरू किया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) गुजरात के महसाना जिले में कलोल कोयला क्षेत्रों में कोयले के भण्डार 1500 मीटर से अधिक गहराई पर हैं। यहां कोयले के भण्डारों का अनुमान लगभग 63 मिलियन टन है। भूमिगत गैसीकरण पद्धति से कोयला निकालने के प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है। गैसीकरण की संभावना और उसकी लागत के बारे में अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता। चूंकि यह कोयला तेल तलछट से संबंधित है इसलिए यहां कोयले का परम्परागत खनन साध्य नहीं है। इतनी अधिक गहराई पर कोयले के गैसीकरण के लिए कोई प्रमाणित प्रौद्योगिकी नहीं है। अध्ययन के परिणामों से भावी कार्रवाई की रूप-रेखा का संकेत मिल सकेगा।

औषध निर्माताओं द्वारा अर्जित लाभ

2828. श्री सुन्दर शर्मा : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के निर्माण में लाभांश का मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या औषध निर्माण में होने वाली लागत और उसके विक्रय मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात औषध निर्माताओं द्वारा अर्जित किए जा रहे भारी लाभ पर अंकुश लगाने का विचार है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिनांक 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर प्रस्तुत औषध नीति के अनुसार श्रेणी-I और II फार्मूलेशनों उत्पादन के लिए अपेक्षित बल्क औषधों पर कर के पश्चात् लाभ कुल लागत पर 14 प्रतिशत और अन्य मूल्य नियमित बल्क औषधों पर 12 प्रतिशत रखा जायेगा जो बहुत आवश्यक और जीवन-रक्षक है। जहां तक फार्मूलेशनों का संबंध है, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 में फार्मूलेशनों के बिक्री लाभ के आधार पर 8 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक क्रमबद्ध कर पूर्व लाभ का प्रावधान है जिसमें औषध नीति, 1978 की मूल्य निर्धारण निर्माण भी सम्मिलित है और जो 31 मार्च, 1979 से लागू हुआ।

उक्त आदेश में सरकार को औषध निर्माता यूनिट द्वारा कमाए गए लाभ में यदि कोई अधिक लाभ है तो उसे विनियमित करने की सक्षमता है चाहे ऐसे फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रित हैं या नहीं।

कोयले की सप्लाई कम मूल्यों पर सुनिश्चित करने के लिए इसकी उत्पादन लागत कम किया जाना

2829. श्री कृष्ण प्रताप : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की सप्लाई कम मूल्यों पर सुनिश्चित करने के लिए इसकी उत्पादन लागत कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ख) कोयले के मूल्यों में बार-बार वृद्धि किए जाने के क्या विशेष कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) मजदूरी लागत की एक नियत मद है और कोयले की उत्पादन लागत का लगभग 65% होती है तथा इसमें मजदूरी संशोधन, वेतन वृद्धियां, परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में वृद्धि, आदि के कारण धीरे-धीरे वृद्धि होती रहती है। उत्पादन की लागत घटाने के लिए उठाये गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपाय शामिल हैं :—

(1) उत्पादन में इन उपायों से वृद्धि करना—ओपेनकास्ट खानों का तेजी से विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, बिजली, विस्फोटक पदार्थ आदि उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि सुनिश्चित करना, भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी, कानून और व्यवस्था की स्थिति में राज्य सरकारों से घनिष्ठ सम्पर्क द्वारा सुधार, आदि।

(2) खनिकों में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण।

(3) जन शक्ति पर नियंत्रण और उत्पादकता में सुधार।

(4) भंडार सूची पर नियंत्रण और भंडार सामग्री के प्रयोग में किफायत।

(5) उपकरणों के उपयोग में सुधार।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

2830. श्री उत्तम भाई एच० पटेल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में गुजरात तथा देश के अन्य भागों में न्यायाधीशों के कितने रिक्त पद भरे गए हैं ;

(ख) उन न्यायाधीशों/व्यक्तियों के क्या नाम हैं तथा उनकी संख्या कितनी है जो उच्च न्यायालयों में न्यायिक सेवा तथा 'बार' से प्रति वर्ष लिए गए हैं ;

(ग) इन उच्च न्यायालयों में वर्ष वार कितने व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों, तथा जनजातियों, आदिवासी, निःशक्त तथा नेत्रहीनों में से लिए गए हैं ;

(घ) देश के विभिन्न न्यायालयों में इस समय कितने पद रिक्त हैं ;

(ङ) इसके क्या कारण हैं ; और

(च) इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में संविधान में जो उपबंध है उनके अधीन किसी भी व्यक्ति वर्ग के पक्ष में कोई आरक्षण अनुज्ञेय नहीं है। जब उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उस समय जाति और समुदाय संबंधी जानकारी नहीं मांगी जाती है। तारीख 1-6-1980 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा मुस्लिम समुदाय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में जो जानकारी

इकट्ठी की गई थी उसके अनुसार 5 न्यायाधीश अनुसूचित जातियों के थे, अनुसूचित जनजातियों का कोई नहीं था और 16 न्यायाधीश मुस्लिम समुदाय के थे। इनमें से अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति तथा मुस्लिम समुदाय के तीन व्यक्ति 1978-80 की अवधि के दौरान नियुक्त किए गए थे। ये सभी 1978 में ही नियुक्त किए गए थे।

जहां तक निःशक्त और नेत्रहीन व्यक्तियों के प्रवर्ग का संबंध है, उस प्रवर्ग के किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकी क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने कृत्यों का पालन करने के लिए उपयुक्त हों।

(घ) तारीख 6-3-1981 को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 84 पद रिक्त थे।

(ङ) अधिकतर मामलों में राज्य प्राधिकारियों से ऐसे ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने हैं जो सभी दृष्टि से पूर्ण हों। उन्हें बराबर स्मरण दिलाया जा रहा है। मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधिपतियों से इस बात पर बल देते हुए कहा गया है कि जिन पदों के रिक्त होने की संभावना है, उनको भरने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाए।

(च) यह बताना संभव नहीं है कि ये पद किस तारीख तक भर दिए जायेंगे।

विवरण

तारीख 1-1-1978 से 31-12-1980 की अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नई नियुक्तियों की सूची

क्र० सं०	नियुक्त किए गए न्यायाधीश का नाम	नियुक्ति का स्रोत
1	2	3
	इलाहाबाद	
1.	न्यायमूर्ति श्री सैयद जर्रार हैदर	बार
2.	न्यायमूर्ति श्री वी० एन० मिश्र	न्यायिक सेवा
3.	न्यायमूर्ति श्री के० एन० गोयल	न्यायिक सेवा
4.	न्यायमूर्ति श्री वी० के० मेहरोत्रा	बार
5.	न्यायमूर्ति श्री एस० सी० माथुर	बार
6.	न्यायमूर्ति श्री आर० सी० श्रीवास्तव	बार
7.	न्यायमूर्ति श्री मुरली धर	न्यायिक सेवा
8.	न्यायमूर्ति श्री राम सुरत सिंह	बार

1	2	3
9.	न्यायमूर्ति श्री प्रो० पी० राणा	बार
10.	न्यायमूर्ति श्री अमरेन्द्र नाथ वर्मा	बार
11.	न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र नाथ मित्तल	बार
12.	न्यायमूर्ति श्री वी० के० खन्ना	बार
13.	न्यायमूर्ति श्री बी० डी० अग्रवाल	बार
14.	न्यायमूर्ति श्री के० एम० दयाल	बार
	आन्ध्र प्रदेश	
15.	न्यायमूर्ति श्री पी० ऐ० चौधरी	बार
16.	न्यायमूर्ति श्री पी० रामचन्द्र राजू	न्यायिक सेवा
17.	न्यायमूर्ति श्री जी० रामांजुलु नायडू	न्यायिक सेवा
18.	न्यायमूर्ति श्री ए० सीताराम रेड्डी	बार
	मुम्बई	
19.	न्यायमूर्ति श्री आर० डी० तुलपुले	न्यायिक सेवा
20.	न्यायमूर्ति श्री वी० वी० जोशी	न्यायिक सेवा
21.	न्यायमूर्ति श्रीमती सुजाता मनोहर	बार
22.	न्यायमूर्ति श्री एम० एल पेंडसे	बार
23.	न्यायमूर्ति श्री एस० पी० कुर्दुकर	बार
24.	न्यायमूर्ति श्री डी० एन० मेहता	न्यायिक सेवा
25.	न्यायमूर्ति श्री वी० एस० कोतवाल	बार
26.	न्यायमूर्ति श्री एम० एस० जामदार	न्यायिक सेवा
27.	न्यायमूर्ति श्री एम० आर० वैकर	न्यायिक सेवा
28.	न्यायमूर्ति श्री एस० जी० मनोहर	बार
29.	न्यायमूर्ति श्री डी० बी० देशपांडे	न्यायिक सेवा
30.	न्यायमूर्ति श्री आर० एस० पाधे	बार
31.	न्यायमूर्ति श्री वी० ए० मेहता	बार
32.	न्यायमूर्ति श्री बी० जे० रेले	न्यायिक सेवा
33.	न्यायमूर्ति श्री एन० के० परीख	न्यायिक सेवा
34.	न्यायमूर्ति श्री राजाराम सखाराम भोंसले	बार
35.	न्यायमूर्ति श्री अशोक नलिनीकान्त मोदी	बार

1	2	3
36.	न्यायमूर्ति श्री पद्माकर गोपाल पाल्शिकर	बार
37.	न्यायमूर्ति श्री सूर्यकान्त वासुदेव पुरानिक	बार
	कलकत्ता	
38.	न्यायमूर्ति श्रीमती प्रतिभा बनर्जी	बार
39.	न्यायमूर्ति श्री एस० एन० गुहा	न्यायिक सेवा
	दिल्ली	
40.	न्यायमूर्ति श्रीमती लीला सेठ	बार
41.	न्यायमूर्ति श्री एन० एम० गोस्वामी	बार
42.	न्यायमूर्ति श्री सुल्तान सिंह	बार
43.	न्यायमूर्ति श्री ओ० एन० वोहरा	न्यायिक सेवा
44.	न्यायमूर्ति श्री हरिश्चन्द्र	बार
45.	न्यायमूर्ति श्री एस० एन० कुमार	बार
46.	न्यायमूर्ति श्री एस० बालकृष्ण वाड	बार
47.	न्यायमूर्ति श्री जे० डी० जैन	न्यायिक सेवा
48.	न्यायमूर्ति श्री चन्द्रजीत तलवार	बार
49.	न्यायमूर्ति श्री जी० आर० लूथरा	न्यायिक सेवा
50.	न्यायमूर्ति श्री डी० आर० खन्ना	न्यायिक सेवा
51.	न्यायमूर्ति श्री बी० एन० कृपाल	बार
	गोहाटी	
52.	न्यायमूर्ति श्री के० एन० सैकिया	बार
53.	न्यायमूर्ति श्री बी० एल० हंसारिया	न्यायिक सेवा
	गुजरात	
54.	न्यायमूर्ति श्री एस० बी० मजुमदार	बार
55.	न्यायमूर्ति श्री जी० टी० नानावटी	बार
56.	न्यायमूर्ति श्री वी० वी० वेदारकर	न्यायिक सेवा
57.	न्यायमूर्ति श्री डी० एच० शुक्ला	न्यायिक सेवा
58.	न्यायमूर्ति श्री एस० एल० तलाती	न्यायिक सेवा
59.	न्यायमूर्ति श्री डी० डी० घीवाला	न्यायिक सेवा

1	2	3
	हिमाचल प्रदेश	
60.	न्यायमूर्ति श्री हीरा सिंह ठाकुर	बार
61.	न्यायमूर्ति श्री तिलक राज हन्डा	न्यायिक सेवा
62.	न्यायमूर्ति श्री व्योम प्रकाश	बार
	कर्नाटक	
63.	न्यायमूर्ति श्री एम० पी० चन्द्रकान्तराज अर्स	बार
64.	न्यायमूर्ति एम० एस० पाटिल	न्यायिक सेवा
65.	न्यायमूर्ति श्री आर० एस० महेन्द्र	बार
66.	न्यायमूर्ति श्री सलेश मोहम्मद सैत	बार
67.	न्यायमूर्ति श्री आर० जी० देसाई	न्यायिक सेवा
68.	न्यायमूर्ति श्री एम० नागाप्पा	बार
69.	न्यायमूर्ति श्री के० ए० स्वामी	बार
70.	न्यायमूर्ति श्री डी० आर० विठल राव	बार
	केरल	
71.	न्यायमूर्ति श्री एम० पी० मेनन	बार
72.	न्यायमूर्ति श्री पी० सी० वी० बालकृष्ण मेनन	बार
73.	न्यायमूर्ति श्री उलाल लक्ष्मीनारायण भट	न्यायिक सेवा
	मध्य प्रदेश	
74.	न्यायमूर्ति श्री सी० पी० सिंह	न्यायिक सेवा
75.	न्यायमूर्ति श्री आर० सी० विजयवर्गीया	बार
76.	न्यायमूर्ति श्री बी० सी० वर्मा	बार
77.	न्यायमूर्ति श्री एस० के० सेठ	बार
78.	न्यायमूर्ति श्री फैजानुद्दीन	बार
79.	न्यायमूर्ति श्री आर० सी० श्रीवास्तव	न्यायिक सेवा
80.	न्यायमूर्ति श्री एम० डी० भट्ट	न्यायिक सेवा
81.	न्यायमूर्ति श्री के० एन० शुक्ला	न्यायिक सेवा
	मद्रास	
82.	न्यायमूर्ति श्री एस० पद्मानाभन	बार
83.	न्यायमूर्ति श्री मुहमदअब्दुस सत्तार सईद	बार

1	2	3
84.	न्यायमूर्ति श्री टी० सत्यदेव	बार
85.	न्यायमूर्ति श्री एन० सुन्दरम	बार
86.	न्यायमूर्ति श्री जी० महेश्वरन्	न्यायिक सेवा
87.	न्यायमूर्ति श्री पी० वेणुगोपाल	न्यायिक सेवा
88.	न्यायमूर्ति श्री एस० स्वामीकन्नु	न्यायिक सेवा
89.	न्यायमूर्ति श्री वी० रतनाम	बार
90.	न्यायमूर्ति श्री आर० सेनगोत्तुवेलन	बार
91.	न्यायमूर्ति श्री के० शनमुखम	बार
	उड़ीसा	
92.	न्यायमूर्ति श्री जे० के० मोहन्ती	बार
	पटना	
93.	न्यायमूर्ति श्री सतेश्वर राय	बार
94.	न्यायमूर्ति श्री विश्वनाथ मिश्र	न्यायिक सेवा
95.	न्यायमूर्ति श्री उमेश चन्द्र शर्मा	न्यायिक सेवा
96.	न्यायमूर्ति श्री मुनेश्वर प्रसाद वर्मा	न्यायिक सेवा
97.	न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर प्रसाद मन्डल	न्यायिक सेवा
	पंजाब और हरियाणा	
98.	न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र वीर गुप्ता	बार
99.	न्यायमूर्ति श्री सुकदेव सिंह कांग	बार
100.	न्यायमूर्ति श्री गोकुल चन्द मित्तल	बार
101.	न्यायमूर्ति श्री इकबाल सिंह तिवाना	बार
102.	न्यायमूर्ति श्री मदन मोहन पंछी	बार
	राजस्थान	
103.	न्यायमूर्ति श्री गुमान मल लोढा	बार
104.	न्यायमूर्ति श्री एस० एम० लोढा	बार
105.	न्यायमूर्ति श्री एन० एम० कसलीवाल	बार
106.	न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द्र जैन	न्यायिक सेवा
107.	न्यायमूर्ति श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल	बार

1	2	3
108.	न्यायमूर्ति श्री के० एस० सिधु	न्यायिक सेवा
109.	न्यायमूर्ति कुमारी कान्ता भटनागर	न्यायिक सेवा
110.	न्यायमूर्ति श्री एम० बी० शर्मा	न्यायिक सेवा
111.	न्यायमूर्ति श्री एस० एन० दीदवानिया	न्यायिक सेवा

वर्ष	कुल नियुक्तियां	न्यायिक सेवा	बार
1978	53	18	35
1979	56	24	32
1980	2	1	1

बंगाली कवित्री के कार्यक्रम को रद्द किए जाने का समाचार

2831. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र ने संसद सदस्य और बंगाली कवित्री को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्यक्रम को रद्द करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या एसे मामलों के पहले भी उदाहरण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और वे किन राजनैतिक दलों से सम्बद्ध हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) टेलीकास्ट को लोक सभा के चुनावों से ठीक पहले की अवधि के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित राजनीतिक हस्तियों को प्रतिबिम्बित न करने की नीति को देखते हुए स्थगित करना पड़ा था।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के लिए मिट्टी के तेल की सप्लाई

2832. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उस राज्य को मिट्टी के तेल की पर्याप्त सप्लाई करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा उस राज्य को की गई मिट्टी के तेल की सप्लाई का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) सितम्बर, 1980 और फरवरी, 1981 के दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 1.96 लाख मी० टन मिट्टी का तेल बेचा गया था ।

केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1954 पर समिति की रिपोर्ट

2833. श्री आरिफ मोहम्मद खान : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1954 में प्रस्तावित परिवर्तनों पर विचार करने के लिए 1979 में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या है और सरकार द्वारा की गई अथवा किए जाने वाली कार्रवाई क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) वक्फ अधिनियम, 1954 में प्रस्तावित परिवर्तनों पर विचार करने के लिए 1979 में कोई समिति गठित नहीं की गई थी किन्तु तत्कालीन निर्माण और आवास तथा वक्फ मंत्री ने वक्फ जांच समिति की रिपोर्टों में दी हुई सिफारिशों पर विनिश्चय करने में उनको सहायता देने के लिए 1978 में केन्द्रीय वक्फ परिषद् की एक उप समिति गठित की थी। इस समिति के सात अधिवेशन हुए और कुछ मुख्य मुद्दों पर विनिश्चय किए गए। ये मुद्दे वक्फ अधिनियम, 1954 के (जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर) सम्पूर्ण भारत पर लागू किए जाने, वक्फों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए तंत्र के ढ़ांचे, दो या अधिक राज्यों के लिए मिले जुले वक्फ बोर्ड के बनाए जाने, ऐसी वक्फ सम्पत्तियों की जो प्रतिकूल कब्जे में है, प्रत्युद्धरण के लिए वाद फाइल करने के लिए परिसीमा और वक्फ सम्पत्तियों के संरक्षण के लिए उपयुक्त विधान बनाने के संबंध में थे। तत्कालीन वक्फ मंत्री ने उन्हें स्वीकार कर लिया था और ब्यौरे के अन्य विषय बाद में तय किए जाने के लिए छोड़ दिए गए थे क्योंकि इस विषय में अन्तिम निष्कर्ष निकाला जा चुका था। इस विषय में शीघ्र कार्यवाही करने की दृष्टि से एक अनन्तिम प्रारूप संशोधन विधेयक तैयार किया गया था। इसी बीच उक्त मुख्य मुद्दों पर राज्य वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों के 6 अक्टूबर, 1980 को हुए अधिवेशन में और केन्द्रीय वक्फ परिषद् के 7 अक्टूबर, 1980 को बुलाए गए 19वें अधिवेशन में विचार विमर्श हुआ। इन दोनों ही अधिवेशनों में उक्त उप समिति की कुछ मुख्य सिफारिशों पर वाद विवाद हुआ। अतः इन सिफारिशों पर फिर से विचार किया जा रहा है।

'ओशियन थर्मल इनर्जी कनवरजन' के लिए तमिलनाडु की योजना

2834. श्री के० टी० कोसलराम : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्रविड मुनेत्र कषगम के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य सरकार ने 'ओशियन थर्मल इनर्जी करवरजन' नामक एक योजना तैयार की है जिसके लिए अमरीका के विशेषज्ञ एक संभाव्यता प्रतिवेदन देने के लिए सहमत हो गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो पूरे देश में गहरे ऊर्जा संकट को देखते हुए राज्य क्षेत्र में नहीं तो कम से कम केन्द्रीय क्षेत्र में इस योजना को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 25 मेगावाट के समुद्री तापीय ऊर्जा परिवर्तन (ओ० टी० ई० सी०) संयंत्र के अन्वेषण तथा डिजाइन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक आफ यू० एस० ए० का प्रस्ताव तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने भेजा था। छः महीने के प्रारम्भिक अभिकल्प सोपान के निष्पादन के लिए अनुमानित लागत 3,13,400 अमरीकी डालर बताई गई है। चूंकि समुद्री ताप विद्युत परिवर्तन तकनीक के संबंध में अनुसंधान और विकास अभी बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में है तथा विश्व में कहीं भी अभी तक एक मेगावाट के ओ० टी० ई० सी० संयंत्र का भी प्रतिष्ठापन वास्तव में नहीं हुआ है, इसलिए 25 मेगावाट के ओ० टी० ई० सी० संयंत्र का प्रारम्भिक डिजाइन तैयार करने हेतु अमरीकी विशेषज्ञों का प्रस्ताव इस अवस्था में उपयुक्त नहीं पाया गया, विशेषकर इसलिए कि इससे विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाएगी।

"वैसाखी मेघ" फिल्म के संबंध में सेंसर प्रमाणपत्र जारी करना

2835. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेंसर बोर्ड कलकत्ता ने उत्पल दत्त के निदेश में बनी "वैसाखी मेघ" नामक बंगाली फिल्म को अभी तक सेंसर प्रमाण पत्र नहीं दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) फिल्म सेंसर बोर्ड ने "वैसाखी मेघ" (बंगला) नामक फिल्म को दो काटछांट के साथ "यू" प्रमाणपत्र देने का निर्णय लिया है। जैसे ही आवेदक द्वारा काटछांट कर दी जाएगी और औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी, प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।

कलोरमफेनीकल प्लमीटर का क्रय

2836. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलोरमफेनीकल प्लमीटर की हाल की खरीद के दौरान एक छोटी सी भूल के कारण इटली की फर्म की पेशकश की उपेक्षा कर उसके स्थान पर जर्मनी की एक फर्म की पेशकश स्वीकार की गई थी ;

(ख) क्या इटली की फर्म को कोई वैकल्पिक पेशकश की गयी थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, (सी० पी० सी०),

सरणीवद्ध ऐजेंसी के रिपोर्ट दी है कि उन्होंने 20-9-1980 को 12.5 टन क्लोरमफैनीकल पालमीटेट के आयात के लिए टेन्डर मंगाये थे। सी० पी० सी० ने रिपोर्ट दी है कि उनके टेन्डर में शर्तों, प्रेषण कार्यक्रम और पैकिंग का उल्लेख किया हुआ था। एक ईटालियन फर्म और एक जर्मन गणराज्य की फर्म ने सामग्री भेजने का प्रस्ताव रखा था। उन प्रस्तावों पर सी० पी० सी० की आयात समिति द्वारा विचार किया गया था। यद्यपि ईटालियन फर्म का प्रस्ताव सबसे कम था लेकिन उसे सी० पी० सी० की क्रय पद्धति के आधार पर रद्ध किया गया था क्योंकि वह उनके टेन्डर में दी गई शर्तों की दृष्टि से पूरे नहीं थे और पैकिंग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। जर्मन गणराज्य से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया गया और पिछले मूल्य पर एक अन्य बोली दी गई थी जो इटालियन फर्म द्वारा दिये गये मूल्य से कम थी जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

दण्डकारण्य परियोजना का समाप्त किया जाना

2837. **श्री निरेन घोष : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को यह आश्वासन दिया है कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से पहले दंडकारण्य परियोजना को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको पता है कि मंत्रालय दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों, भवनों, शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सा संस्थाओं, पशु-चिकित्सा संस्थाओं, सिंचाई योजनाओं, गांवों की टंकियों, नल कूपों, रिहायशी आवास आदि जैसी बनाई गई आस्तियों के मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकारों के अंतरित करने पर विचार कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगोन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस प्रकार के अंतरण से इस क्षेत्र के प्रशासन को शीघ्र सामान्य बनाने में सहायता मिलेगी तथा यह विस्थापित व्यक्तियों के हित में होगा कि वे यथा शीघ्र कोरापुट तथा बस्तर जिलों के सामान्य जीवन में घुल-मिल जाएं।

वकीलों के लिए फीस निर्धारित करने का प्रस्ताव

2838. **श्री रामजीभाई मावणि : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वकीलों द्वारा मामले लिए जाने की सीमा और मामलों के लिए फीस नियत करने का है जिससे कि निर्धन और मध्य वर्ग के लोग शीघ्र उचित और सस्ता न्याय प्राप्त कर सके और अपने मामलों का निपटारा कर सके ;

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या देश के कुछ लोगों द्वारा यह मांग की गई है और वकीलों, विधि वेत्ताओं और ऐसे ही अन्य संगठनों द्वारा आयोजित गोष्ठियों, सम्मेलनों और बैठकों में भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उनकी मांग स्वीकार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोई अधिवक्ता जो काम हाथ में ले सकता है उसकी मात्रा की तथा उसके द्वारा प्रभारित की जा सकने वाली फीस की, जो अवश्य ही मामले की जटिलता के अनुसार अलग-अलग होगी, कोई सीमा निर्धारित करने का परिणाम विधि व्यवसाय के सदस्यों की आय को विनियमित करना और उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित करना होगा। ऐसा कोई सीमा-निर्धारण तभी संभव है जब कि वह सभी वृत्तियों के सदस्यों को न कि केवल विधि व्यवसाय के सदस्यों को लागू होने वाली व्यापक आय नीति का एक अंग हो।

(घ) कुछ लोगों ने माँग की है कि सरकार द्वारा वकीलों के बीच मामलों का समान वितरण किया जाना चाहिए।

(ङ) ऐसे काउन्सेलों से जिन्हें सरकार ने नियोजित किया है, भिन्न काउन्सेलों के बीच मामलों (ब्रीफों) के वितरण का विनियमन करने के प्रश्न पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

अखिल भारतीय सिलिकेट निर्माता संघ के अध्यक्ष को तंग करना

2839. **श्री जार्ज फर्नांडीस** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोडा ऐश के निर्माताओं द्वारा अखिल भारतीय सिलिकेट निर्माता संघ के अध्यक्ष श्री एस० एस० सिंघानिया को तंग किए जाने की शिकायतों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों का क्या स्वरूप है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि उनको इस प्रकार से निरंतर तंग किया जाना जरूरी है, और

(घ) यदि हां, तो इसे समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सरकार ने सोडियम सिलिकेट का निर्माण करने वाली कम्पनी मैसर्स मेट्रो कैमिकल्स लि० के श्री सिंघानिया,

प्रबन्ध निदेश की समय-समय पर की गई शिकायत की जांच की जिसमें उन्होंने सोडा ऐश की सप्लाई और औद्योगिक अशान्ति तथा समानान्तर सिलिकेट निर्माता संघ की स्थापना के बारे में लिखा था।

(ख) प्रत्यक्षतः मैसर्स मेट्रो कैमिकल्स लि० में औद्योगिक अशान्ति से सोडा ऐश-निर्माताओं के संबंध या समानान्तर सिलिकेट निर्माता संघ की रचना का कोई साक्ष्य नहीं है। जहां तक सोडा ऐश की सप्लाई का संबंध है सरकार ने सप्लाई रोकने के बारे में श्री सिंघानिया के अभ्यावेदन पर मैसर्स मेट्रो कैमिकल्स को सोडा ऐश की सप्लाई की पुनः बहाली की वर्ष 1978 में व्यवस्था की। इस यूनिट में नवम्बर, 1978 से तालाबन्दी की थी। यूनिट को तालाबन्दी के समय भी कुछ सोडा ऐश सप्लाई की गई। तालाबन्दी समाप्त होने के बाद निर्माता सप्लाई देने लगे और इस विभाग ने निर्माताओं के अनुदेश जारी किए कि इस विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिकों के अनुसार वे मैसर्स मेट्रो कैमिकल्स लि० को दिसम्बर, 1979 से यूनिट की हकदारी के अनुसार सोडा ऐश की मात्रा उपलब्ध कर लें।

(ग) इस संबंध में सरकार के ध्यान में ऐसा कोई विशिष्ट अवसर नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महत्वपूर्ण औषधियों की कम सप्लाई

2840. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री पी० एम० सईद : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत सी महत्वपूर्ण औषधियों की कम सप्लाई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में औषधियों का कुल उत्पादन मांग की दृष्टि के अनुरूप नहीं है;

(ग) क्या सरकार फार्मास्यूटिकल एककों का विकास करने और महत्वपूर्ण औषधियों के बारे में अपनी वर्तमान नीतियों की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) समय-समय पर फार्मूलेशनों के विशिष्ट ब्राण्डों की कमी की सूचना विभिन्न स्थानों से मिलती है। तथापि, इनमें से अधिकतर मामलों में अनेक समतुल्य उपलब्ध थे।

यद्यपि कुछ आवश्यक और जीवन रक्षक बल्क औषधों के संबंध में देश में औषध और भेषज उद्योग में काफी विकास हुआ है फिर भी देश स्वावलम्बन के इच्छित स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। तथापि फार्मूलेशनों के संबंध में न्यूनाधिक रूप से देश स्वावलम्बी है यद्यपि कैन्सर निरोधी फार्मूलेशन जैसे कुछ जीवन रक्षक फार्मूलेशनों की कुछ मात्रा आयात करनी पड़ती है।

वर्ष 1978 की औषध नीति का एक उद्देश्य है—आयात की मात्रा को कम करने के लिए औषध के निर्माण में स्वावलम्बन प्राप्त करना। औषध उद्योग से औद्योगिक लाइसेंस, आशयपत्र, कामचलाऊ लाइसेंस आदि जारी करने के लिए लगातार प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं जिन्हें तेजी से निपटाया जा रहा है। वर्ष 1980 में 55 औद्योगिक लाइसेंस, 69 आशयपत्र और 3 सी ओ वी लाइसेंस जारी किए गए हैं। तथापि विभिन्न अनेक कारणों से आयात से पूर्णतया नहीं बचा जा सकता। जहां तक मूल्य निर्धारण का संबंध है, सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य वृद्धि के कारण निवेशों की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अगस्त, 1980 में बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्य में समायोजन की प्रक्रिया की स्वीकृति दी है और तदनुसार अनेक बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्य संशोधित किए गए हैं। शेष के संबंध में मूल्य समायोजन किया जा रहा है।

"36 करोड़ टनेज आफ कोल फीयर्ड बर्न्ट इन्साइड कोल माइन्स" (खानों में दबे 36 करोड़ टन कोयले के जलने की आशंका) शीर्षक समाचार

2841. श्री अशोक गहलोत : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दैनिक "जनगण" दिनांक 1 जनवरी, 1981 में "खानों में दबे 36 करोड़ टन कोयले के जलने की आशंका" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या कार्रवाई की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) इस मंत्रालय ने जोधपुर (राजस्थान) से प्रकाशित समाचार पत्र "जनगण" के पहली जनवरी, 1981 के अंक की एक प्रति प्राप्त कर ली है। इसमें यह रिपोर्ट नहीं प्रकाशित हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े व्यापारिक घरानों के लाभों पर नियंत्रण

2842. स्वामी इन्द्रवेश :
श्री राकेश कुमार सिंह :
श्री राम विलास पासवान :
श्री वृद्धि चन्द जैन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े व्यापारिक घराने के लाभों पर जिनकी आय काफी बढ़ गई हैं नियंत्रण रखती है ; और

(ख) देश में इन बड़े व्यापारिक घरानों की आय में कमी करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम अथवा कम्पनी अधिनियम में, बड़े व्यापारिक घरानों की आय को इस प्रकार से नियंत्रित करने के लिये कोई पग उठाना अपेक्षित नहीं है। तथापि, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम की धारा 31 में, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से उपक्रमों के पुनर्विलोकन का आह्वान है, कि वे अधिक लाभ तो नहीं कमा रहे हैं। परन्तु यह एक ऐसे उपक्रम तक प्रतिबंधित है, जिस पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम लागू होता है।

सरकारी कालोनियों में राशन कार्ड पर उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई

2843. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जारकारी है कि सरकारी कालोनियों में विशेषकर रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर एक में उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर बहुत ही घटिया किस्म का अथवा हार्ड कोयला सप्लाई किया जा रहा है जो आग से लाल होने के तुरन्त बाद ठंडा हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या घरेलु उपयोग के लिए इस प्रकार के काम में न आ सकने वाले घटिया किस्म के कोयले पर स्वीकृति देने का दायित्व निर्धारित किया गया है अथवा करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी के चण्डीगढ़ केन्द्र की स्थिति में सुधार लाने का प्रस्ताव

2844. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के चंडीगढ़ केन्द्र की स्थिति में सुधार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) आकाशवाणी के चण्डीगढ़ केन्द्र में वर्धित गतिविधियों से निबटने के लिए वहां स्थायी स्टूडियो स्थापित करना छठी "योजना" की एक स्वीकृत स्कीम है।

भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

2845. श्री अजय विश्वास : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में काम करती रही हैं ;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन्होंने गत तीन वर्षों में कितना पूंजी निवेश किया है ;

(ग) इस कम्पनियों द्वारा आरक्षित पूंजी की राशि कितनी है ; और

(घ) वे भारत में कितनी रायल्टी लेती हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां उनकी शाखाओं तथा/अथवा सहायक कम्पनियों के माध्यम से कार्य संचालन करती हैं। 1976-77 से 1979-80 के वर्षों में उनकी संख्या निम्न प्रकार थी :—

	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
	(मार्च समाप्ति)	(मार्च समाप्ति)	(मार्च समाप्ति)	(मार्च समाप्ति)
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शाखायें	482	473	358	315
बहुराष्ट्रीय कम्पननियों की सहायक कम्पनियाँ	161	146	125	उपलब्ध नहीं

(ख) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों के नाम, पुस्तिका के रूप में कम्पनी कार्य विभाग द्वारा "भारत में विदेशी कम्पनियों की शाखायें" तथा "विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियां" प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किए जाते हैं, जिसकी प्रतियां, संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। इस प्रकार की अन्तिम पुस्तिका 31 मार्च, 1979 की अवधि समाप्ति की है। ऐसी धारणा है कि माननीय सदस्य "पूंजी निवेश" को निर्दिष्ट करते समय "प्रदत्त पूंजी" के ब्यौरे प्राप्त करना चाहते हैं। सहायक कम्पनियों की 31-3-1979 तक की प्रदत्त पूंजी (साम्य तथा अधिमान) की नवीनतम सूचना "विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियां" नामक पुस्तिका के कालम 5 व 6 पर उपलब्ध है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शाखाओं की कोई प्रदत्त पूंजी नहीं होती।

(ग) ऐसी धारणा है कि माननीय सदस्य इन कम्पनियों द्वारा धारित "आरक्षित धन" पर सूचना चाहते हैं। इस प्रकार के आरक्षित धन की स्थिति निम्न प्रकार है :—

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सहायक कम्पनियों को 31-3-79 तक कुल "आरक्षित धन"	करोड़ रु० में 406.9

(टिप्पणी—शाखाओं के कोई आरक्षित धन नहीं होते)

(घ) 1978-79 के मध्य, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सहायक कम्पनियों तथा शाखाओं द्वारा अदा की गई अधिशुल्क की कुल राशि	लाख रु० में 58.00

राष्ट्रीय रेयन निगम बोर्ड में नये निदेशक

2846. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय रेयन निगम बोर्ड में नये निदेशक नियुक्त किये हैं ;

(ख) क्या बम्बई शेयरहोल्डर्स एसोसियेशन ने कुछ नियुक्तियों पर यह आरोप लगाते हुए आपत्ति की है कि उनमें से कुछ को रेयन उद्योग का कोई अनुभव नहीं है जब कि उनमें से कुछ बम्बई से बाहर के हैं ;

(ग) क्या पिछले प्रबन्ध ने राष्ट्रीय रेयन निगम के कापड़िया ग्रुप के कुप्रबन्ध में काफी सुधार किया था ; और

(घ) भारी हानि को दूर करने, सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया से बहु-करोड़ बैंक अग्रिम राशियां प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय रेयन निगम के शेयरहोल्डरों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कर्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) हां, श्रीमन् जी ।

(ख) बम्बई शेयरधारी संगठन से इस प्रकार की कोई भी आपत्ति, कम्पनी विधि बोर्ड/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त नहीं की गयी है ।

(ग) वर्ष 1975 से 1979 तक के कम्पनी के कार्य परिणाम निम्न प्रकार थे :—

लाभ/हानि

(कर से पूर्व और निवेश भत्ते)	लाख रु०
1975	74 (लाभ)
1976	178 (हानि)
1977	333 (हानि)
1978	215 (लाभ)
1979	718 (लाभ)

सरकारी निदेशकों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1980 के दौरान का कार्य, अक्तूबर-दिसम्बर, 1980 की अवधि के लिये भी अधिकांशतः काफी संतोषजनक रहा है ।

इस प्रकार से, यह कहा जा सकता है कि जुलाई, 1977 में इस कम्पनी के बोर्ड में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात्, संचालन और कार्य करने के परिणामों ने, संयमित वृद्धि दिखलाई है।

(घ) वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, कम्पनी, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया से कोई लेनदेन का संबंध नहीं रखता है और उक्त बैंक द्वारा कम्पनी को कोई अग्रिम ऋण नहीं दिया गया है।

छठी योजना में बिजली-क्षेत्र के लिए नियतन में कमी

2847. श्री जनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छठी योजना में बिजली क्षेत्र के लिए किये गये नियतन को 23,433 करोड़ रुपये से घटाकर 19,265 करोड़ रुपये करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस संभावित कटौती से नये सुपर तापीय कारखाने खटाई में पड़ जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन विद्युत योजनाओं को बचाने के लिए पश्चिमी देशों से वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) छठी योजना में विद्युत सेक्टर में निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के कुल परिव्यय का 19.8 प्रतिशत है इसकी तुलना में पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान यह परिव्यय 17.8 प्रतिशत था। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नई योजना में विद्युत सेक्टर को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रस्तावित निवेश 19,265 करोड़ रुपये है।

तथापि छठी योजना को तैयार करके अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाई करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित किए गए विद्युत पर कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि उपभोक्ता क्षेत्रों की प्रत्याशित मांग और प्रतिष्ठापित क्षमता से उपलब्धता के आधार पर 1980-85 के लिए विद्युत सेक्टर कार्यक्रम के लिए निधियों की आवश्यकता लगभग 23,433 करोड़ रुपये होगी।

चूंकि विद्युत की मांग सीधे ही उपभोक्ता क्षेत्रों की वृद्धि की दर और स्वरूप के ऊपर निर्भर करती है, योजना आयोग ने जिसने इसके बाद अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की वृद्धि की दरों को अन्तिम रूप दिया था, सातवीं योजना के लिए विद्युत मांग की कम दर लगाई है। मांग की वृद्धि की इस कम दर पर ही विद्युत क्षेत्र के लिए वास्तविक लक्ष्यों को अन्तिम रूप दिया गया है, इसी के आधार पर ही विद्युत की मांग का मूल्यांकन किया गया है और इसके अनुरूप ही वित्तीय आबंटन किए गए हैं।

सामान्यतः सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए पूरा-पूरा प्रावधान किया गया है तथा छठी योजना के दौरान प्रतिष्ठापित क्षमता की लक्ष्यानुसार अभिवृद्धि को प्राप्त करने में निधियों

संबंधी बाधा नहीं होगी। तथापि सातवीं योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए जिन नई परियोजनाओं के संबंध में छठी योजना में अग्रिम कार्रवाई की जानी है उनके संबंध में कुछ हद तक संशोधन करना सातवीं योजना में संभावित वृद्धि की कम दर को तथा उसके अनुरूप वित्तीय प्रावधान में कमी को मद्दे नजर रखते हुए आवश्यक है।

विदेशी पत्रकारों द्वारा "भारत दर्शन" यात्रा का रद्द किया जाना

2848. श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जन संचार संस्थान में प्रशिक्षण पाने वाले नौ विदेशी पत्रकारों के एक समूह को "भारत दर्शन" यात्रा के साथ जाने वाले संस्थान के एक अध्यापक के दुर्व्यवहार के कारण अपनी यात्रा को बीच में ही रद्द करना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संस्थान के अध्यापक के कथित दुर्व्यवहार के बारे में कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गयी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) "भारत दर्शन" यात्रा पर गए 18 विदेशी प्रशिक्षणार्थियों में से 8 प्रशिक्षणार्थियों ने, उनके और ग्रुप के साथ गये संकाय सदस्य के बीच गलतफहमी हो जाने के कारण अपनी यात्रा बंगलौर से रद्द कर दी। और वे दिल्ली लौट आए। एक अन्य प्रशिक्षणार्थी को अपने पिता की मृत्यु के कारण मद्रास से अपने देश को वापस जाना पड़ा।

(ख) और (ग) भारतीय जन संचार संस्थान के निदेशक ने मामले में पूछताछ की। सम्बन्धित समुदाय सदस्य और प्रशिक्षणार्थियों के साथ बातचीत के बाद गलतफहमी को दूर कर दिया गया।

गैस सिलिंडरों का गायब होना

2849. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और कानपुर तथा देश के शेष भागों में गैस केन्द्रों से गायब होने वाले खाना बनाने की गैस के सिलेंडरों की संख्या कितनी है और प्रत्येक मामले में उनका मूल्य कितना है ;

(ख) प्रत्येक मामले में की गई जांच के परिणाम क्या रहे तथा कितने दुबारा मिल गए तथा प्रत्येक गैस केन्द्र पर कितने लोगों को दण्ड दिया गया ; और

(ग) भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या पूर्वोपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता

2850. श्री ए० टी० पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार 31 जनवरी, 1981 को बिजली उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी ;

(ख) राज्य-वार कुल कितनी क्षमता उपयोग में लाई गयी ;

(ग) उपयोगीकरण में राज्य-वार कुल कितनी बर्बादी हुई ;

(घ) उपयोग में कमी के अन्य राज्य-वार कारण क्या है ; और

(ङ) कमी और बर्बादी के कारणों को दूर करने के लिए सरकार ने 1980-81 में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 31-1-1981 की स्थिति के अनुसार, राज्यवार प्रतिष्ठापित विद्युत् उत्पादन क्षमता (केवल यूटिलिटीज में) दिखाने वाला **विवरण-1** संलग्न है।

(ख) **और (ग)** जल विद्युत् केन्द्रों का क्षमता समुपयोजन मुख्यतः जल की उपलब्धता तथा डिज़ाइन शाक्यता पर निर्भर करता है। ताप विद्युत केन्द्रों का क्षमता समुपयोजन विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है जिनमें ये शामिल हैं, संयंत्र की आयु, उपस्कर की हालत, ईंधन की गुणवत्ता, यूनिट के सुस्थिर होने की अवधि, प्रणाली नियंत्रण की परिस्थितियां, प्रणाली सम्मिश्रण तथा भार अनुपात आदि। नियोजित अनुरक्षण तथा जबरन बन्दियों के कारण मरम्मतों के लिए बन्द पड़ी क्षमता को छोड़कर, शेष विद्युत् उत्पादन क्षमता को सामान्यतः विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, यदि भार संबंधी स्थितियों में विद्युत् उत्पादन आवश्यक हो। जनवरी, 1981 के महीने के दौरान जल विद्युत् और ताप विद्युत् केन्द्रों से हुआ विद्युत् का राज्यवार उत्पादन तथा संयंत्र भार अनुपात (न्यूक्लीय केन्द्रों सहित ताप विद्युत् केन्द्रों का क्षमता समुपयोजन) दिखाने वाला विवरण—2 में संलग्न है।

(घ) विद्युत् उत्पादन क्षमता के कम उपयोजन के अन्य कारण, आंशिक अनुपलब्धता तथा रात्रि के दौरान कम भार हो सकते हैं।

(ङ) प्रणाली में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) छुट्टियों के दिनों को अलग-अलग करके, दिन के भारों को रात्रि के समय में शिफ्ट करके आदि द्वारा विद्युत् की भार माँग की बेहतर प्रबंध व्यवस्था करना।

(2) प्रणाली में नई उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि करना। 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की वृद्धि की

परिकल्पना की गई है। परियोजनाओं का शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम की विस्तृत मानीटरिंग की जा रही है।

(3) विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से वर्तमान ताप विद्युत् संयंत्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना ;

(ख) उपस्कर के डिजाइन में कमी का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम शुरू करना ;

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना ;

(घ) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई। गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रूप से सैम्पलिंग करने के लिए विद्युत केन्द्रों के प्रतिनिधि वहां तैनात किए जा रहे हैं। कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि पत्थर, सलेटी पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ से उठाने के कार्य को तेज करें ताकि गुणवत्ता में सुधार हो। कोयला कम्पनियों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कोयला खानों पर पोर्टेबिल/स्थाई क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिष्कार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें।

(4) जिन इंजीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों को विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

विवरण—1

31-1-1981 की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन संयंत्र क्षमता

(केवल यूटिलिटीज)

क्र० सं	क्षेत्र/राज्य का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता मेगावाट में			
		जल विद्युत	डीजल और गैस सहित ताप विद्युत	न्यूक्लीय विद्युत	जोड़
1	2	3	4	5	6
1. उत्तरी क्षेत्र					
1.	हरियाणा	659.51	421.42	—	1080.93
2.	हिमाचल प्रदेश	126.02	2.51	—	128.53

1	2	3	4	5	6
3.	जम्मू और कश्मीर	176.92	29.26	—	206.18
4.	पंजाब	1082.26	454.08	—	1536.34
5.	राजस्थान	648.73	170.85	—	819.58
6.	उत्तर प्रदेश	1183.94	2191.72	—	3375.66
7.	चण्डीगढ़	—	2.00	—	2.00
8.	दिल्ली	—	275.80	—	275.80
9.	केन्द्रीय	120.00	510.00	440	1078.00
	जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	3997.38	4057.64	440	8503.02
2.	**पश्चिमी क्षेत्र**				
10.	गुजरात	300.00	1912.22	—	2212.22
11.	मध्य प्रदेश	193.00	1335.02	—	1528.00
12.	महाराष्ट्र	1317.30	2675.00	—	3992.30
13.	केन्द्रीय	—	96.00	420	516.00
	जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	1810.30	6018.24	420	8428.52
3.	**दक्षिणी क्षेत्र**				
14.	आंध्र प्रदेश	977.93	1262.50	—	2240.43
15.	कर्नाटक	1469.80	—	—	1469.80
16.	केरल	1011.50	—	—	1011.50
17.	तमिलनाडु	1369.00	960.00	—	2329.00
18.	केन्द्रीय	—	600.00	—	600.00
19.	लक्षद्वीप	—	1.58	—	1.58
	जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	4828.23	2824.08	—	7652.31
4.	**पूर्वी क्षेत्र**				
20.	बिहार	150.00	805.45	—	955.45
21.	उड़ीसा	664.42	258.50	—	922.92
22.	पश्चिम बंगाल	38.51	1572.03	—	1610.54
23.	दामोदर घाटी निगम	104.00	1317.50	—	1421.50

1	2	3	4	5	6
24.	सिक्किम	2.95	0.37	—	3.22
25.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	6.01	—	6.01
26.	केन्द्रीय	12.00	—	—	12.00
	जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	971.88	3959.86	—	4931.64
5.	**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र**				
27.	असम	—	161.78	—	161.78
28.	अरुणाचल प्रदेश	8.37	2.42	—	10.77
29.	मणिपुर	0.60	14.40	—	15.00
30.	मेघालय	126.71	4.45	—	131.16
31.	मिजोरम	—	2.89	—	2.89
32.	नागालैंड	1.50	2.16	—	3.66
33.	त्रिपुरा	10.00	5.98	—	15.98
	जोड़ (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र)	147.18	194.08	—	341.24
	जोड़ (अखिल भारत)	11754.97	17053.90	860.00	29676.73

विवरण--2

जनवरी, 1981 के दौरान ऊर्जा उत्पादन तथा क्षमता समुपयोजन दिखाने वाला विवरण ।

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

	जल विद्युत	न्यूक्लीय विद्युत सहित ताप विद्युत	संयंत्र भार अनुपात (%) (ताप बिद्युत यूनिटों के लिए)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
दिल्ली	—	320	52.4
हरियाणा	—	94	35.1
पंजाब	28	123	37.6

1	2	3	4
राजस्थान	80	66 (न्यूक्लीय)	
उत्तर प्रदेश	319	751	45.2
जम्मू और कश्मीर	50	4	23.9
हिमाचल प्रदेश	17		
* भाखड़ा-नंगल काम्पलैक्स	424		
* ब्यास जल विद्युत काम्पलैक्स	148		
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	37	866	61.5
मध्य प्रदेश	40	596	54.8
महाराष्ट्र	437	1303 (99-न्यूक्लीय)	59.86
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	302	419	45.3
कर्नाटक	585		
केरल	469		
तमिलनाडु	408	501	43.2
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	10	194	34.1
दामोदर घाटी निगम	14	344	36.8
उड़ीसा	235	60	32.3
पश्चिम बंगाल	3	455	43.2
सिक्किम	2		
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड	30	45	42.7
	6141 (165-न्यूक्लीय)	49.1	(5179-ताप विद्युत)

*इस परियोजना में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का हिस्सा है।

देश में कोयले की अपर्याप्त सप्लाई

2851. श्री जगपाल सिंह : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयले की सप्लाई अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की सप्लाई उसकी मांग में और कितनी कम है; और

(ग) यदि नहीं, तो सामान्य लोगों को कोयला पाने में किन कारणों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) देश में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोयले का उत्पादन और खान मुहाना स्टाक काफी हैं किन्तु इस्पात कारखानों की कोक कर कोयले की मांग पूरी करने में और रानीगंज कोयला क्षेत्र के बढ़िया ग्रेडों के कोयले की मांग पूरी करने में हो सकता है कि कुछ कमी हो जाए।

(ग) उपभोक्ताओं को कोयला कम उपलब्ध होने का मुख्य कारण परिवहन की कठिनाइयां हैं।

कोयले पर आधारित संयंत्र, पश्चिम बंगाल

2852. श्री चित्त बसु : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** गैस पर आधारित संयंत्रों के लगाये जाने के बारे में 2 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2115 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोयले पर आधारित संयंत्र की स्थापना का भेजा गया प्रस्ताव इस बीच नामंजूर कर दिया गया है या उसे स्थगित रखने का निर्णय किया गया है; और

(ख) प्रस्तावित परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में कोलाघाट तापीय बिजली घर के चतुर्थ, पंचम, और छठी यूनिट

2853. श्री मुकुंद मंडल : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने योजना आयोग से पश्चिम बंगाल में कोलघाट तापीय बिजली घर की प्रस्तावित चतुर्थ, पांचवीं और छठी यूनिट की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में 3x210 मेगावाट की यूनिटों वाले निर्माणाधीन कोलघाट ताप विद्युत केन्द्र के विस्तार के रूप में 3x210 मेगावाट की प्रतिष्ठापना की स्कीम योजना आयोग ने 286.73 करोड़ रुपये की लागत पर 10 फरवरी, 1981 को अनुमोदित कर दी है।

क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में दिखाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना

2854. श्री कुन्हम्बू : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में क्षेत्रीय भाषा फिल्मों के प्रदर्शन सुविधाओं की भारी कमी के बारे में मालूम है;

(ख) क्या इस समस्या को हल करने के लिए कम-लागत वाले थियेटरों का निर्माण करने के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) दिल्ली संघशासित क्षेत्र में 70 सिनेमाघर हैं जहां फिल्में (प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों सहित) नियमित रूप से दिखाई जाती हैं। क्योंकि फिल्मों का वितरण और प्रदर्शन निजी क्षेत्र में है, अतः प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों को, रिलीज और प्रदर्शन के मामले में, हिन्दी और अन्य फिल्मों से प्रतियोगिता करनी होती है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम कम लागत वाले सिनेमाघरों के निर्माण के लिए आसान शर्तों पर ऋण देता है। दिल्ली में कम लागत वाले सिनेमाघर बनाने के लिए एक सामान्य योजना दिल्ली प्रशासन के भी विचाराधीन है। योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल को पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

2855. श्री सुनील मैत्रा : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1980 से फरवरी, 81 तक की अवधि में पश्चिम बंगाल को डीजल, मिट्टी के तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का माहवार और उत्पादवार कितना कोटा आबंटित किया गया है और वास्तव में कितना सप्लाई किया गया ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल की मांग और वास्तविक आवश्यकता कितनी है ; और

(ग) केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल की मांगों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) केवल हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) तेल और मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में मासिक आवंटन सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों जिसमें पश्चिम बंगाल शामिल है, को किया जाता है। पश्चिम बंगाल में जून, 1980 से फरवरी, 1981 के दौरान इन उत्पादों का मास-वार आबंटन और बिक्री के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

आंकड़े मी० टनों में

मास	एच० एस० डी०		मिट्टी का तेल	
	आबंटन	बिक्री	आबंटन	बिक्री
जून, 80	55600	41095	28790	26547
जुलाई, 80	55600	47145	28340	27759
अगस्त, 80	55200	44817	34100	31981
सितम्बर, 80	55200	48476	34100	32702
अक्तूबर, 80	41100	43240	33300	34559
नवम्बर, 80	54000	48261	34830	33188
दिसम्बर, 80	57000	51505	34450	31873
जनवरी, 81	57000	अनुपलब्ध	34400	अनुपलब्ध
फरवरी, 81	57000	अनुपलब्ध	30500	अनुपलब्ध

(ख) हाल ही के महीनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए प्रति मास हाई स्पीड डीजल की 65,000 मी० टन और मिट्टी के तेल के लिए 40,000 मी० टन की आवश्यकता बताई थी।

(ग) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों जिसमें पश्चिम बंगाल शामिल है, को डीजल का आबंटन उत्पाद की कुल उपलब्धता और परिवहन क्षमता को ध्यान में रखकर अधिकतम किया गया है। मार्च, 1981 के लिए, डीजल का आबंटन उनके मार्च, 1980 में हुए विक्रय की तुलना में 15% अधिक स्तर पर किया गया है। मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में मासिक आबंटन उनके पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों में हुए वास्तविक विक्रय से 5% अधिक स्तर पर किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को इन उत्पादों के आबंटन में तदर्थ वृद्धि भी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सूचित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी गई है।

हजारी बाग की बलरामपुर कोयला खानों के ठेका-श्रमिकों पर गोली चलाया जाना

2856. श्री विजय कुमार यादव :

श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हजारीबाग की बलरामपुर कोयला खानों में फरवरी में ठेका-श्रमिकों पर चलाई गई गोली की ओर दिलाया गया है जिसमें तीन व्यक्ति मारे गये थे और अनेक व्यक्ति घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और बिहार सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पुलिस को बलरामपुर परियोजना स्थल पर एक हिंसक भीड़ पर गोली चलानी पड़ी थी। आन्दोलनकर्त्ता हजारीबाग जिले से तथा अन्य जिलों के भी सभी नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों को नौकरी देने की मांग कर रहे थे। वे परियोजना स्थल से कीमती उपकरण तक नहीं हटाने दे रहे थे।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बम विस्फोट के कारण डिब्रूगढ में आकाशवाणी के ट्रांसमीटरों को हुई हानि

2857. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री अर्जुन सेठी :
श्री के० प्रधानी :
श्री एम० राम गोपालरेड्डी :
श्री धर्मबीर सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊपरी आसाम में डिब्रूगढ़ तथा गोहाटी में आकाशवाणी के ट्रांसमीटरों को 12-8-81 को हुए दो शक्तिशाली बम विस्फोटों से क्षति पहूंची जिस से प्रसारण पर बूरा असर पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) **और (ख)** गोहाटी के 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के मास्ट बेस इन्सूलेटरों में से एक को और डिब्रूगढ़ के 100 किलोवाट मीडियमवेव ट्रांसमीटर के एकमात्र इन्सूलेटर को 11-2-1981 को रात के लगभग 11.00 बजे बम विस्फोटों से क्षति पहूँची थी। जबकि गोहाटी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं हुए थे, आकाशवाणी, डिब्रूगढ़ से कार्यक्रमों को 12-2-1981 की सुबह से उस दिन सायं 4.50 बजे तक, जब मुख्य ट्रांसमीटर को एतिहात के रूप में लगभग 70 किलोवाट तक की सीमित शक्ति के साथ पुनः चालू कर दिया गया था, अल्प शक्ति वाले एक आपातोपयोगी ट्राँसमीटर से प्रसारित करना पड़ा। क्षतिग्रस्त इन्सूलेटर को बदल दिए जाने के पश्चात् डिब्रूगढ़ के मुख्य ट्रांसमीटर ने 17-2-1981 की सुबह से पूरी शक्ति पर काम करना शुरू कर दिया।

राज्य की कानून और व्यवस्था सम्बन्धी एजेंसियां घटनाओं की जांच कर रही हैं। उनके निष्कर्षों की प्रतीक्षा है।

तट-दूर प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रभाग

2858. श्री जगदीश टाईटलर : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्र की गहराइयों से तेल निकालने में अनुसंधान के लिए एक तटदूर प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रभाग स्थापित करने के लिए विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इसके कार्य निष्पादन की प्रमुख बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

पेट्रो-रसायन निगम द्वारा पोलियस्टर रेशे की मांग पूरी करना

2859. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की इंडियन पेट्रो-रसायन कार्पोरेशन (आई० पी० सी० एल०) जो पोलियस्टर रेशे उद्योग की मांग पूरी करने वाला एक मात्र एकक है, ने हाल ही में अपनी डी० एम० टी० संयंत्र बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : **(क) और (ख)** जी, हां। अक्तूबर, 1980—जनवरी, 1981 के दौरान इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड के डी० एम० टी० संयंत्र को रख-रखाव, पावर कटौती इत्यादि के कारण लगभग 57 दिन तक बंन्द रखा गया था।

सोवियत रूसी/रूमानियाई विशेषज्ञों को डायमंड हार्बर परियोजना पर नियुक्त करना

2860. श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपनी डायमंड हार्बर परियोजना में किसी सोवियत रूसी/रूमानियाई विशेषज्ञ को नियुक्त किया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार यह स्पष्ट करने का है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की बार बार असफलता के बावजूद भी उनकी परियोजना के लिये विशेषज्ञता के इस स्रोत का उपयोग पहले क्यों नहीं किया गया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) डायमण्ड हार्बर कूप की खुदाई के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं लेना आवश्यक नहीं समझा गया था क्योंकि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्वयं ही 5555 मी० की रिकार्ड गहराई तक कूप की खुदाई को पूरा करने में समर्थ हो गये थे।

श्रीलंका से वापस आये व्यक्तियों का पुनर्वास और तत्सम्बन्धी खर्च

2861. श्री पी० के० कोडियन : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका से वापस आए सभी नागरिकों को बसा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वापस आये व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ;

(ग) वापिस आए व्यक्तियों के पुनर्वास पर कुल कितना खर्च आया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में किए गए खर्च में केन्द्र का कितना हिस्सा था ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगोण) : (क) और (ख) 21-2-81 तक श्रीलंका से भारतीय मूल के 3,51,966 व्यक्ति (87,024 परिवार) प्रत्यावर्तित किए गए हैं। 31-12-1980 तक इनमें से 61,622 परिवार, जो पात्र थे और जिन्होंने पुनर्वास सहायता के लिए आवेदन पत्र दिये थे, बसा दिए गए हैं। इन परिवारों को, नकद बेकारी अनुदान, निःशुल्क भोजन, सस्ती दरों पर राशन, यात्रा रियायतें जैसी विभिन्न राहत सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इन परिवारों को, आवास, शिक्षा तथा प्रशिक्षण आदि जैसी विभिन्न सुविधाएं तथा विभिन्न बागान योजनाओं, प्रत्यावासी बैंक की योजनाओं, औद्योगिक योजनाओं, भूमि उपनिवेशन तथा कृषि योजनाओं, लघु-व्यापार/व्यवसाय तथा तामिलनाडु राज्य फार्म निगम की परियोजनाओं में भी पुनर्वास दिया गया है। इसके अलावा, कुछ प्रत्यावासियों को विभिन्न सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार प्राप्त करने के लिए सहायता दी गई है।

(ग) और (घ) 31-12-1980 तक इन प्रत्यावासी परिवारों के राहत और पुनर्वास पर भारत सरकार द्वारा कुल 49.03 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। आन्ध्र-प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु के मामले में 50% तथा कर्नाटक के मामले में 20% के सचिवालय स्टाफ के सीमित उत्तरदायित्व को छोड़कर इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

वृत्तचित्र संबंधी नीति

2862. श्री गुफरान आजम : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म्स डिवीजन के लघु चलचित्र और वृत्त चित्र सरकारी नीति का प्रचार करने के लिये होते हैं अथवा देश की यथार्थ स्थिति को दर्शाने के लिए होते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो विश्व-व्यापी सराहना पाने और आठवें फिल्म समारोह में पुरस्कार जीतने के बावजूद कुछ लघु चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) किन-किन लघु चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) फिल्म प्रभाग की लघु फिल्में और डाकुमेंट्री फिल्में हमारे थियेट्रिकल सर्किट में जाने वाले दर्शकों को और ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रचार वाहनों के माध्यम से इन फिल्मों को दिखा करके शिक्षित, सूचित और प्रेरित करने के लिए बनाई जाती हैं। डाकुमेंट्री फिल्म का एक उद्देश्य देश के समाजिक-आर्थिक विकास में अपने लोगों को शामिल करने के लिए प्रबुद्ध जनमत उत्पन्न करना है। फिल्में देश की यथार्थ स्थिति को वस्तुनिष्ठ और संतुलित ढंग से प्रतिबिम्बित करती है।

(ख) और (ग) यह समझा जाता है कि सन्दर्भ चार फिल्मों अर्थात् "अराईवल" "क्विक सैंड", "दे काल मी चमार" और "इन्सल्ट टु सिविलाइज़ेशन" के बारे में हैं। इनमें से किसी भी फिल्म पर भारत में दिखाए जाने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया हैं। "अराईवल" नामक फिल्म के निर्देयक को भारत के आठवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1981 में प्रविष्ट डाकुमेंट्री फिल्मों का सर्वोत्तम निर्देशक आंका गया था। इस फिल्म के अप्रैल या मई, 1981 में सिनेमा घरों में रिलीज़ किए जाने की सम्भावना है। "क्विक सैंड" और इन्सल्ट टु सिविलाइज़ेशन" को कोई राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है। इन फिल्मों को क्रमशः 3 अक्तूबर, 1980 और 31 अक्तूबर, 1980 को फिल्म प्रभाग के थियेट्रिकल सर्किट में रिलीज़ किया गया था। "दे काल मी चमार" नामक फिल्मों को विदेशों में एक पुरस्कार और एक योग्यता प्रमाणपत्र मिला। इस फिल्म को 16 मई, 1980 को फिल्म प्रभाग के सर्किट में रिलीज़ किया गया था।

2. जहां तक इन फिल्मों के भारत से बाहर दिखाये जाने का संबंध है, विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इन फिल्मों में भारत की स्थितियों के नकारात्मक चित्रण के कारण इन फिल्मों का सरकारी विदेश-प्रचार प्रयोजनों के लिए उपयोग करना उनके लिए सम्भव नहीं होगा। तथापि, सामान्य वाणिज्यिक आधार पर इन फिल्मों के विदेशों में दिखाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

राजस्थान में गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने का निर्णय

2863. श्री भीखा भाई :क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) ऐसा स्थान चुनते समय किन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखा गया है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसा कोई उर्वरक कारखाना देश के किसी आदिवासी क्षेत्र में लगाने की वांछनीयता पर विचार किया है ;

(घ) यह मंत्रालय आदिवासी क्षेत्रों के विकास में भाग लेने के लिए क्या भूमिका निभाता है ; और

(ङ) इस मंत्रालय के आदिवासियों अथवा अदिवासी क्षेत्रों के विकास में किस तरह और किस हद तक योगदान किया है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 6 अतिरिक्त गैस पर आधारित उर्वरक प्लांटों के लिए उपयुक्त स्थल की सिफारिश करने के लिए एक स्थल चयन समिति गठित की गयी है। इसमें से एक प्लांट को राजस्थान में लगाने का विचार है। उर्वरक प्लांट के सही स्थल पर तभी निर्णय लिया जा सकेगा जब स्थल चयन समिति की सिफारिशें उपलब्ध हो जाएं।

(ख) उर्वरक प्लांटों के स्थल के संबंध में निर्णय, फीडस्टाक की उपलब्धता, इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता, मांग पद्धति फीडस्टाक और उर्वरकों के परिवहन पर लागत आदि को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है।

(ग) से (ङ) जबकि सरकार की स्वीकृत नीति है कि अदिवासी और अन्य पिछड़े इलाकों का विकास है। फिर भी उर्वरक प्लांट, जो काफी पूंजी निवेश वाला उद्योग है के स्थल के बारे में प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताए गए तकनीकी आर्थिक पहलुओं पर भी विचार करना पड़ता है।

कल्लड विद्युत् उत्पादन योजना

2864. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कल्लड विद्युत् उत्पादन योजना के परियोजना प्रतिवेदन को केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) कल्लड जल विद्युत परियोजना रिपोर्ट नवम्बर, 1980 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई थी। इस परियोजना में 7.5-7.5 मेगावाट की दो यूनिटों वाले एक बांध-स्थल विद्युत केन्द्र का निर्माण-कार्य शामिल है। आशा है 13.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की इस परियोजना से निश्चित आधार पर 53 मेगावाट अवर वार्षिक ऊर्जा उत्पादन प्राप्त होगा।

कल्लड जल विद्युत परियोजना की रिपोर्ट की फिलहाल विस्तृत जांच की जा रही है और उसके बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए इस पर कार्रवाई की जाएगी।

अगले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की विद्युत संबंधी आवश्यकताएं

2865. श्री जैनुल बशर : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की अगले पांच वर्षों की विद्युत् की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) विद्युत् की आवश्यकता पूरी करने के लिए केन्द्र किस कार्यवाही का सुझाव दे रहा है८ और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां । ग्यारहवीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति के लिए किए गए अनन्तिम अध्ययन के आधार पर, योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत् पर कार्यकारी दल ने छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85 के अन्त तक की उत्तर प्रदेश की विद्युत् की भावी आवश्यकताओं का पता लगाया था।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कई विद्युत् उत्पादन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गयी है तथा राज्य सरकार द्वारा ये क्रियान्वित की जा रही हैं । इन से लाभ छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान और उसके बाद प्राप्त होंगे तथा राज्य में 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 3340 मेगावाट से बढ़ कर छठी योजना के अन्त तक 5312 मेगावाट हो जायेगी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे सिंगरौली सुपर ताप विद्युत् केन्द्र से 1984-85 तक 1,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होने की आशा है। इसमें से राज्य को 350 मेगावाट का अपना हिस्सा भी प्राप्त होगा।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अयोग को भेजे गये मामले

2866. प्रो० मधु दण्डवते : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को 1 जनवरी, 1980 से कुल कितने मामले भेजे गए हैं ;

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को भेजे गये इन मामलों में से आयोग ने कितने मामलों में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) सरकार द्वारा कितने मामलों में कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1 जनवरी, 1980 से 5 मार्च, 1981 की अवधि में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम,

1969 की धारा 21 और 22 के अन्तर्गत 10 मामले एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को जांच करने तथा रिपोर्ट देने के लिए भेजे गये थे ।

(ख) इन 10 मामलों में से, आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट तीन मामलों के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर दी है ।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) में सम्बन्धित तीन मामलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट की परीक्षा की जा रही है ।

बम्बई की कम्पनियों के वार्षिक तुलन-पत्रों की जांच

2867. श्री के० लकप्पा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में कम्पनियों के रजिस्ट्रार द्वारा वर्ष 1979-80 और 1980-81 में सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों के कुल कितने वार्षिक तुलन-पत्रों की जांच की गयी ;

(ख) क्या उनमें कुछ अनियमितताएं प्रकाश में आई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो उन अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है और सम्बन्धित कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रार, बम्बई द्वारा दी गयी सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	संवीक्षा किये गये वार्षिक तुलन-पत्रों की संख्या		योग
	पब्लिक	प्राइवेट	
1979-80	645	1041	1686
1980-81 (जनवरी 81 तक)	252	158	410

(ख) तथा (ग) अभिलेख पर ग्रहीत तुलन-पत्रों की संवीक्षा, कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से की जाती है कि वार्षिक लेखे कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के समनुरूपता में हैं, कम्पनी ने अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं, लेखा-परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गयी विशेषतायें, कम्पनी द्वारा समुचित रूप से स्पष्ट की गई हैं। कम्पनी के वित्तीय निष्पादनों का मुल्यांकन भी किया जाता है ।

तकनीकी संवीक्षा से उत्पन्न पृच्छाओं के आधार पर, कम्पनी से स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं । कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघनों के मामलों में कारण बताओ नोटिस प्रेषित किए जाते हैं ।

इस प्रकार की वृहद संख्या की कम्पनियों की बाबत किये गये "अवलोकनों" को संकलित करने में अत्यधिक समय लगेगा व प्रयास करने होंगे, जो शायद प्राप्त किये जाने वाले परिणामों के समनुरूप नहीं होगा। तथापि, यदि किसी मुख्य कम्पनी अथवा कम्पनियों के समूह के बाबत सूचना अपेक्षित है, तो यह भेजी जा सकती है।

केरल के समुद्र तट पर तेल की खोज

2868. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के समुद्र तट पर की जा रही तेल-सम्बन्धी खोज का पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या खोज कार्य जारी रखा जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) केरल अपतटीय क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा की गई अन्वेषणात्मक खुदाई के विवरण निम्न प्रकार हैं :—

(1) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने केरल अपतटीय क्षेत्र में दो अन्वेषी कूपों की—एक कोचीन के अपतटीय क्षेत्र में जो कि अप्रैल-मई, 1978 को तथा दूसरी कसाड़गड़ में कालीकट के उत्तर में अप्रैल-मई, 1980 में खुदाई की गई थी परन्तु दोनों कूप शुष्क साबित हुए।

(2) मैंगलौर और कालीकट के बीच खाड़ी क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण पहले ही फरवरी-मई, 1980 के दौरान किये गये हैं और प्राप्त आंकड़ों को तैयार और उनकी व्याख्या की जा रही है।

(3) लक्षद्वीप द्वीपसमूह के आसपास के क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सर्वेक्षण भी किये गये हैं और 1980-81 के दौरान कुछ और सर्वेक्षणों के किये जाने की योजना है।

(ख) और (ग) उपरोक्त सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के परिणामों के आधार पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग केरल अपतटीय क्षेत्र में खुदाई सम्बन्धी अपना कार्यक्रम आगे और तैयार करेगा।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रयासों को बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में 32 ब्लाकों जिसमें केरल अपतटीय क्षेत्र के 3 ब्लाक शामिल हैं में अन्वेषी कार्य के लिए सक्षम पार्टियों से प्रस्ताव आमन्त्रित करने का निश्चय किया है।

कलकत्ता में कम्पनियों के तुलन-पत्रों की जांच करना

2869. श्री एस० एन० गौडा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों के कुल कितने तुलन-पत्रों की जांच की गई थी ;

(ख) क्या इनमें कोई अनियमिततायें पाई गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो इन अनियमितताओं और कम्पनियों के नामों का ब्यौरा क्या है उनके खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता द्वारा दी गई सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	छानबीन किये गये तुलन-पत्रों की संख्या		योग
	पब्लिक लिमिटेड कम्पनी	प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी	
1979-80	1510	1434	2944
1980-81 (फरवरी, 1981 तक)	1589	1611	3200

(ख) तथा (ग) रिकार्ड में दर्ज तुलन-पत्रों की छानबीन कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से सम्पन्न की जाती है कि वार्षिक लेखे, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप है, कम्पनी ने अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिये हैं, लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किये गये पृष्ठांकनों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा समुचित रूप से स्पष्टीकरण दे दिया गया है। कम्पनी की वित्तीय निष्पादनता का भी मूल्यांकन किया जाता है।

तकनीकी छानबीन में अंकित प्रश्नों के आधार पर कम्पनी से स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं। कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघनों के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

इस तरह की अत्यधिक संख्या में कम्पनियों के सम्बन्ध में पर्यवेक्षणों में बहुत ज्यादा समय लगेगा और प्रयास करना पड़ेगा, जो शायद उपलब्ध किये गये परिणामों के समानुपातिक नहीं हो। तथापि, अगर किसी विशेष कम्पनी या कम्पनियों के समूह के सम्बन्ध में कोई सूचना जरूरी है तो वह प्रस्तुत कर दी जायेगी।

कोयले से संश्लिष्ट डीजल तैयार किया जाना

***2870.* श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फरवरी, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने भारत

में पहली बार कोयले से संश्लिष्ट डीजल पैदा किया है और उसका परीक्षण भी किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परीक्षण का जो संस्थान में किया गया था ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद के एक पाइलट संयंत्र में कोयले से बनाए गए संश्लिष्ट कच्चे तेल से डीज़ल तेल बनाया गया था। इस प्रकार उत्पादित संश्लिष्ट डीज़ल तेल की मात्रा बहुत ही कम थी। इसका उपयोग एक डीज़ल इंजन वाली जीप को केवल आठ किलोमीटर तक चलाने के लिए किया गया था। यद्यपि डीज़ल तेल के उपभोग की दर अधिक थी किन्तु इंजन संतोषजनक ढंग से काम करता रहा।

आकाशवाणी द्वारा प्रधान मंत्री के कार्य-कलापों का समाचारों में शामिल किया जाना

2871. श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जनवरी, 1981 के पहले पखवाड़े में रेडियो से रात्रि के 9 बजे प्रसारित बुलेटिनों से पता चलता है कि पढ़ी गई कुल 2551 पंक्तियों में से 532 पंक्तियां अथवा 20 प्रतिशत में स्वयं श्रीमती गांधी के बारे में ही उल्लेख किया गया और 734 पंक्तियों या 29 प्रतिशत में अन्य कांग्रेस (आई) के मंत्रियों या नेताओं के बारे में उल्लेख किया गया जबकि विरोधी पक्ष के नेताओं के लिए केवल 134 पंक्तियां या 5 प्रतिशत भाग ही रह गया और गैर-कांग्रेस (आई) सरकार के लिए केवल 57 पंक्तियां या 2 प्रतिशत रह गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : जनवरी, 1981 के पहले पखवाड़े में रात्रि 9.00 बजे के रेडियो बुलेटिनों में घरेलू समाचारों को दी गई कुल 2342 पंक्तियों में से प्रधान मंत्री और अन्यों के बारे में पंक्तियां इस प्रकार है :—

(1)	प्रधान मंत्री : (सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर और अन्य मामलों पर (61 पंक्तियाँ)	465 पंक्तियां (404 पंक्तियां)
(2)	कांग्रेस (आई) के अन्य मंत्री या नेता : (सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर और अन्य मामलों पर (94 पंक्तियां)	708 पंक्तियां (614 पंक्तियां)
(3)	विपक्षी दल और नेता :	140 पंक्तियां
(4)	गैर-कांग्रेस (आई) सरकारें :	75 पंक्तियां

राजकोट में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने की मांग

2872. श्री नवीन रवाणी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र के लोग तथा सौराष्ट्र के विभिन्न भागों में स्थित बार एसोसिएशन राजकोट में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने की मांग एक लम्बी अवधि से करते आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में नागपुर, जयपुर आदि में ऐसे न्यायपीठें हैं ; और

(घ) यदि हां, तो राजकोट अथवा सौराष्ट्र क्षेत्र के किसी अन्य भाग में ऐसी एक न्यायपीठ स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऐसी मांग तो है, किन्तु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इस समय, विभिन्न उच्च न्यायालयों की छह न्यायपीठें है जो इस प्रकार है :—

उच्च न्यायालय	स्थायी न्यायपीठ का स्थान
इलाहाबाद	लखनऊ
मुम्बई	नागपुर
मध्य प्रदेश	इन्दौर और ग्वालियर
पटना	रांची
राजस्थान	जयपुर

(घ) इस विषय पर राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है।

महानगर मजिस्ट्रेटों की वरिष्ठता

2873. श्री चन्द्र पाल शैलानी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री महानगर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के बारे में 16 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4119 के भाग (घ) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों के महानगर मजिस्ट्रेटों की वरिष्ठता बहाल करने के मामले पर दिल्ली प्रशासन और दिल्ली उच्च न्यायालय से बातचीत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले पर कब बातचीत होने और वरिष्ठता बहाल किए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) वर्ष 1976 में आयोजित परीक्षा के आधार पर 1977 और 1978 में भर्ती किए गए महानगर मजिस्ट्रेटों की वरिष्ठता से नियत किए जाने से संबंधित मामले पर दिल्ली प्रशासन और दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ बातचीत की जा रही है। इस विषय में दिल्ली उच्च न्यायालय का उत्तर प्राप्त हो चुका है। इस विषय की यथाशीघ्र समीक्षा की जाएगी।

हरियाणा और पंजाब में बिजली की कमी का प्रभाव

2875. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हरियाणा और पंजाब में बिजली की अत्याधिक कमी के कारण हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन राज्यों को पर्याप्त बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सरकार को जानकारी है कि 1980 के दौरान अपर्याप्त मानसून के कारण गोबिन्दसागर तथा पोंग जलाशयों में जल स्तर नीचा होने के कारण भाखड़ा तथा ब्यास विद्युत केन्द्रों से कुल उत्पादन में कमी हुई है जिसके अनुरूप ही इन केन्द्रों से हरियाणा तथा पंजाब के हिस्सों में कमी की गई है। ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों की जबरन/आंशिक बंदियों के कारण भी हरियाणा तथा पंजाब की दिन-प्रति-दिन की विद्युत उपलब्धता प्रभावित हुई है। इन परिस्थितियों में, हरियाणा और पंजाब दोनों को ही इस समय विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है जिससे किसी सीमा तक उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ा है।

(ख) अप्रैल तथा उसके बाद देहर विद्युत केन्द्र से विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि के परिणामस्वरूप, आने वाली गर्मी के महीनों में हरियाणा तथा पंजाब में विद्युत उपलब्धता में सुधार होने की आशा है। इन राज्यों में ताप विद्युत केन्द्रों के अच्छे कार्य निष्पादन से तथा संतोषजनक मानसून होने से विद्युत की उपलब्धता में और अधिक वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, पंजाब में 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 484 मेगावाट की नई क्षमता चालू किये जाने की प्रत्याशा है तथा इसी अवधि के दौरान हरियाणा में लगभग 312 मेगावाट नई क्षमता चालू किए जाने की प्रत्याशा है। 1980-85 के दौरान चालू की जाने वाली देहर विस्तार तथा पोंग विस्तार परियोजनाओं की 450 मेगावाट क्षमता में से हरियाणा तथा पंजाब को अपना हिस्सा मिलेगा। इसके साथ ही साथ, उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले अन्य विद्युत केन्द्रों से भी इन्हें हिस्सा मिलेगा।

बम्बई में "सागर विकास" रिग द्वारा तट दूर छिद्रण कार्य

2876. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सागर विकास" नामक द्वितीय तटदूर जैक अप रिग पहुंच गया है और बम्बई तटदूर क्षेत्र में इसने छिद्रण कार्य शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो छिद्रण कार्य का क्या परिणाम रहा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) रिग को उत्पादन कूपों की खुदाई के लिये लगाया गया है तथा खुदाई कार्य प्रगति पर है। इस रिग द्वारा 28 फरवरी, 1981 तक कुल 449 मीटर खुदाई की गई थी।

दामोदर घाटी निगम की ताप-इकाइयों में सुधार करने के लिए ब्रिटेन की सहायता

2877. श्री चिन्तामणि जेना : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम की ताप-इकाइयों के संयंत्र में सुधार लाने के लिए समयबद्ध कार्यवाही कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु नाजुक स्थिति में ब्रिटेन के विशेषज्ञों की सहायता के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) दामोदर घाटी निगम की ताप विद्युत यूनिटों के कार्य निष्पादन में सुधार हेतु अध्ययन करने तथा उपाय सुझाने के लिए ब्रिटिश इलेक्ट्रीसिटी इन्टरनेशनल से विशेषज्ञों का एक दल दामोदर घाटी निगम के विद्युत केन्द्रों का दौरा करने के लिए जून, 1980 में भेजा गया था।

(ख) कृतिक बल ने जो सिस्टम फ्रीक्वेन्सी प्रतिबन्धित बायलर दाब तथा अल्प कन्डेन्सर निर्वात, ट्यूब का फेल हो जाना आदि जैसी समस्याओं का पता लगाया था। तकनीकी समस्याएं उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं। इसने, अप्रिय औद्योगिक संबंधों से सम्बद्ध समस्याओं का भी उल्लेख किया था। विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए इसने कुछ संगठनात्मक सुधारों की भी सिफारिश की थी। दामोदर घाटी निगम द्वारा सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप विद्युत उत्पादन में अच्छा खासा सुधार हुआ है विशेषकर पिछले चार सप्ताहों के दौरान।

राजस्थान के जालोर जिले के हरियाली गांव में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा छिद्रण कार्य

2878. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान के जालोर जिले में सांचोर तहसील के अन्तर्गत हरियाली गांव में अपना कार्यक्षेत्र निर्धारित करने के बाद गैस और पेट्रोल निकालने के लिए छिद्रण कार्य आरंभ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम हासिल हुए हैं ; और

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार तेल के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में छिद्रण और सर्वेक्षण कार्य पुनः आरंभ करने का है ; यदि हां, तो काम कब तक आरंभ किया जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) काम्बे बेसिन के अधिक प्रत्याशित समीपवर्ती क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य पूरे हो जाने के बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की और आगे भूकम्पीय सर्वेक्षण करने की योजना है। क्षेत्र में खुदाई कार्यक्रम भूकम्पीय आंकड़ों व्याख्या तथा संभावना के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

ऐसे आदिवासी ग्रामीणों का पुनर्वास जिनकी भूमि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत की गई है

2879. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे आदिवासी ग्रामीणों, जिनकी भूमि और झोंपड़ियां केन्द्रीय कोयला खनन परियोजनाओं के लिये अधिग्रहीत की गई हैं, को रोजगार/पुनर्वास/मुआवजा देने के लिये सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि छोटा नागपुर, संथाल परागना क्षेत्र में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड परियोजनाओं के सन्दर्भ में वर्ष 1980 में बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा इन मामलों पर आश्वासन दिया गया था; और

(घ) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त आश्वासनों का उल्लंघन किये जाने से 7 फरवरी, 1981 को बलरामपुर, हजारीबाग जिले में पुलिस द्वारा गोलाबारी की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) भूमिधरों जिनमें आदिवासी भी शामिल हैं, की जमीन और झोंपड़ियों का अधिग्रहण किया गया था और खनन तथा अन्य समवर्गी प्रयोजनों के लिये इनका अधिग्रहण "भूमि अधिग्रहण अधिनियम" और "कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957" की व्यवस्थाओं के अधीन किया जा रहा है। इनके लिये मुआवजा उपर्युक्त दोनों अधिनियमों की व्यवस्था के अनुसार दिया जाता है। इस नकद मुआवजे के अलावा जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है उन्हें कम्पनी द्वारा निश्चित दरों के अनुसार नौकरियां भी दी जा रही हैं। इस संबंध में निश्चित दर यह है कि 3 एकड़ अधिग्रहीत भूमि के बदले में एक नौकरी दी जाती है।

(ग) और (घ) विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इण्डेन कुकिंग गैस द्वारा डिलीवरी मैन को डिलीवरी-प्रभार का भुगतान

2880. श्री अमर राय प्रधान : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार यह जानती है कि इंडेन कुकिंग गैस के एजेंट कुकिंग गैस के उपभोक्ताओं से 3/— रुपये प्रति सिलेंडर की दर से डिलीवरी प्रभार की वसूली कर रहे हैं, जबकि डिलीवरी मैन को केवल 1/—रुपये की दर से भुगतान करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) कुछ चुने हुए इलाकों को छोड़कर जहां उस क्षेत्र के भू-भाग की स्थिति को देखते हुए विशेष अनुमोदन के अन्तर्गत अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क लेने की अनुमति दी गयी है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के वितरक उपभोक्ताओं से अलग से कोई डिलीवरी शुल्क वसूल नहीं करते हैं। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति वितरक के कर्मचारी होते हैं तथा उन्हें तय की गयी शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तटदूर और तट पर तेल के लिए खोज

2881. श्री आर० पी० गायकवाड : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों के दौरान तटदूर और तटपर तेल की खोज का कार्यक्रम क्या है;

(ख) वर्ष 1980 के दौरान देश में तटदूर और तटपर तेल की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया और 1981 में कितना उत्पादन किए जाने का विचार है;

(ग) कच्चे तेल के मामले में आत्म निर्भर बनने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सतह पर और तटदूर क्षेत्रों में नए तेल क्षेत्रों की खोज का कोई कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) तटवर्ती क्षेत्र में असम-अराकान, कृष्णा-गोदावरी और कावेरी बेसिनों में अन्वेषण कार्य को तीव्र किया जाना है। केम्बे बेसिन में अन्वेषण गति को कायम रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल, गंगा की घाटी, हिमालय की गिरिपीठों, राजस्थान, उड़ीसा के समुद्रीतट और अन्य क्षेत्रों में अन्वेषण को उपयुक्त रूप से बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। संभावी क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों जैसे उथले पानी के स्थान और मुहानें, जिनको अभी तक संभार तंत्र समस्याओं के कारण नहीं लिया गया था, उनका भी अन्वेषण जहां आवश्यक होगा, विशिष्ट ठेके पर कार्य करने वाली एजेंसियों को नियुक्त करके किया जाएगा। ओ०एन०जी०सी० और ओ०आई०एल० द्वारा तटबर्ती बेसिनों

में लगभग 300 कुएं जिसमें 882,700 मीटर की गहराई शामिल हैं के कुल अन्वेषी व्यधन की परिकल्पना की गई है।

2. अपतट के सम्बन्ध में, ऐसी आशा की जाती है कि आयल इंडिया महानदी डेल्टा क्षेत्र में अपने अन्वेषी कार्यक्रम को जारी रखेगा। ओ०एन०जी०सी० बम्बई अपतटीय बेसिन में उसकी सीमाएं गहरे पानी में बढ़ाकर अन्वेषण को जारी रखेगा। उसने कच्छ की खाड़ी में सौराष्ट्र अपतटीय संरचनाओं, अण्डमान और निकोबार मग्नतट और उसके साथ-साथ पूर्वी समुद्री तट बेसिनों जैसे पाक की खाड़ी और कृष्णा-गोदावरी बेसनों में अन्वेषण करने के लिए प्रस्ताव दिया है। योजना अवधि के दौरान विभिन्न अपतटीय क्षेत्रों में लगभग 95 अन्वेषण कुओं को खोदने के लिए ओ०एन०जी०सी० की योजना प्रयोग में लाई जा रही अपतटीय रिगों की संख्या बढ़ाने की है।

3. बम्बई हाई क्षेत्र में पूर्ण विकास के अतिरिक्त योजना अवधि के दौरान आर-12, दक्षिण बसीन तथा उत्तरी बसीन क्षेत्रों, बी-37, बी-38 संरचनाओं नामक अन्य संरचनाओं का भी विकास किया जाएगा।

4. ओ०एन०जी०सी० और ओ०आई०एल० के प्रयासों में सहायता देने हेतु विदेशी नामी तेल कम्पनियों को सहयोगी समझौतों अथवा संयुक्त उद्यम के आधार पर कुछ चुने हुए ब्लाकों को पट्टे पर उठाने का भी प्रस्ताव दिया गया है।

(ख) वर्ष 1980 के दौरान तटीय और अपतटीय क्षेत्रों से खनिज तेल का उत्पादन और वर्ष 1981-82 (जो वित्तीय वर्ष के आधार पर उपलब्ध हैं) के लिए उत्पादन लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मी० टन)		
	तटीय	अपतटीय	कुल योग
1980	4.9	4.5	9.4
1981-82	8.5	8.4	16.9

छठी योजना के दौरान नई परियोजनाओं की स्थापना

2882. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने देश में उर्वरक उद्योग के लिये अपेक्षित वित्तीय सहायता लेने के लिये हाल ही में विदेशों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान देश में कौन-कौन सी नई परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) विदेशों में किये गये विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ग) हाल ही में मंत्री महोदय द्वारा किये गये विदेश के दौरे का उद्देश्य उर्वरक उद्योग के लिये आर्थिक अथवा अन्य कोई सहायता प्राप्त करना नहीं था। तथापि इटली की यात्रा के दौरान इस मामले पर चर्चा हुई थी और इटालियन सरकार ने यह इच्छा जाहिर की थी कि यदि विश्व बैंक सहायता देना बन्द कर दे तो वे थाल वैशेट प्लांट को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेंगे। कुछ अन्य वित्तीय संस्थानों ने भी अन्य प्रायोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने में रुचि दिखाई।

(ख) कार्यान्वयनाधीन प्रायोजनाओं के अलावा 8 नये नाइट्रोजन और 11 नये फास्फेटिक उर्वरक प्लांटों का निर्माण छठी योजना अवधि के दौरान चरणबद्ध रूप में आरम्भ किया जायेगा।

भारत द्वारा विदेशों के साथ हस्ताक्षरित ऊर्जा समझौतों की संख्या

2883. श्री हरिहर सोरन : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान भारत द्वारा विदेशों के साथ हस्ताक्षरित ऊर्जा समझौतों की संख्या कितनी है;

(ख) किन देशों के साथ ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) इन समझौतों पर किस-किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान भारत द्वारा विदेशों के साथ तीन ऊर्जा प्रोतोकोलों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) इन प्रोतोकोलों में से दो प्रोतोकोल पर यू०एस०एस०आर० के साथ तथा एक पर मिश्र के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रोतोकोल पर यू०एस०एस०आर० के साथ 21.11.1980 को हस्ताक्षर किए गए थे।

यू०एस०एस०आर० और भारत के बीच आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें विद्युत तथा कोयला उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग की भी व्यवस्था थी। इस पर 10 दिसम्बर, 1980 को हस्ताक्षर किए गए थे।

मिश्र के साथ एक प्रोतोकोल पर 31 जनवरी, 1981 को हस्ताक्षर किए गए थे।

जयपुर में दूरदर्शन स्टूडियो का निर्माण कार्य

2884. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जयपुर (राजस्थान) में ही दूरदर्शन स्टूडियो का निर्माण-कार्य शुरू करने के लिये निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण-कार्य का उद्देश्य क्या है और इस पर अनुमानतया कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या सरकार का विचार माइक्रोवेव पद्धति के जरिए जयपुर दूरदर्शन केन्द्र को अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों से जोड़ने का है;

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के नाम क्या हैं और इस पद्धति के साथ उन क्षेत्रों को कब तक जोड़ दिये जाने का प्रस्ताव हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) इस समय जयपुर के टी०वी० ट्रांसमीटर के लिए कार्यक्रम दिल्ली के बेस प्रोडक्शन सैंटर में तैयार किये जाते हैं और टेप किये गए कार्यक्रमों को जयपुर से टेलीकास्ट किया जाता है। इससे स्थानीय पुट के कार्यक्रमों के तैयार करने में बाधा हुई है और इससे विशेषकर समाचारों को प्रस्तुत करने में परिहार्य विलम्ब हुआ है। अतः बेस प्रोडक्शन सेंटर को दिल्ली से जयपुर में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है।

इस परियोजना पर 108.60 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संसाधनों की कमी के कारण।

दामोदर घाटी निगम के तापीय एककों द्वारा कम कार्य किया जाना

2885. **श्री बी० डी० सिंह** :
श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा :
श्री जगपाल सिंह : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम की तापीय एककों का कार्य निष्पादन बहुत कम है और विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता से बहुत कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम के तापीय एककों द्वारा कम कार्य निष्पादन किये जाने के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार का विचार इन एककों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने तथा अधिकतम उत्पादन करने के लिए क्या उपाय करने का है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पिछले लगभग 1½ वर्ष से अक्तूबर, 1980 तक दामोदर घाटी निगम की ताप विद्युत यूनिटों से उत्पादन अपेक्षित स्तर

से काफी कम हुआ था। थोड़ा समय पहले यह प्रवृत्ति उलट गई है तथा उत्पादन, विशेषकर पिछले चार सप्ताहों के दौरान काफी संतोषजनक रहा है।

(ख) ब्रिटिश इलेक्ट्रीसिटी इन्टरनेशनल से लिए गए परामर्शदाताओं समेत परामर्श-दाताओं, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्ज लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कई दलों को दामोदर घाटी निगम के विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए समय-समय पर भेजा गया है।

(ग) असंतोषजनक कार्य निष्पादन के प्रमुख कारणों को वर्गीकृत कर लिया गया है यथा, (क) तकनीकी समस्यायें तथा (ख) श्रम तथा औद्योगिक संबंधों से सम्बद्ध समस्यायें।

(घ) ताप विद्युत यूनिटों के लिये संयंत्र सुधार की समयबद्ध कार्रवाई का एक कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है तथा इस समय इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन प्रयासों के परिणाम दिखाई देने लगे हैं तथा ताप विद्युत केन्द्रों से उत्पादन पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान 650 मेगावाट के आस-पास सतत आधार पर रहा है। संयंत्र तथा मशीनरी की पुनः स्थापना के लिये तथा कार्यान्वयन की गहन मानिटरिंग के लिए समयबद्ध कार्रवाई की योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। अनुशासन सुधारने तथा जिम्मेवारी पर बल देने के लिए कदम शुरू किए गए हैं। शिकायतों को दूर करने का तंत्र सक्रिय कर दिया गया है तथा बड़ी संख्या में, कल्याण संबंधी उपाय भी लागू किये गये हैं।

दामोदर घाटी निगम द्वारा नियुक्तियों के मामले में नियमों का उल्लंघन

2886. **श्री त्रिलोक चन्द्र :**
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :
श्री चित्त महाटा :
श्री रामावतार शास्त्री : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियुक्तियों के संबंध में दामोदर घाटी निगम द्वारा नियमों के उल्लंघन के कई मामले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के ध्यान में लाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम में निदेशक (कार्मिक) तथा अपर निदेशक (कार्मिक) की नियुक्तियों में कुछ अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने ऊर्जा मंत्री को लिखा था। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को सूचित कर दिया गया है कि निदेशक (कार्मिक) की नियुक्ति में,

जो भारत सरकार के अधीन एक अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यम से प्रतिनियुक्ति पर आये हैं, नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। दामोदर घाटी निगम से भी यह कह दिया गया है कि नियुक्तियां करने में पूर्ण निष्पक्षता एवं व्यक्ति निरपेक्षता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्म समारोह में जूरी के सदस्यों का चयन

2887. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री जगपाल सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्य परम्परा के अनुसार, उस देश से संबंधित, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित हुआ है, महत्वपूर्ण फिल्म हस्तियां, समारोह के दौरान जूरी की अध्यक्षता करती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में आयोजित हाल के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान भारत ने इस सीमा तक उस सामान्य परम्परा को तिलांजलि दे दी कि समारोह में भाग ले रहे राष्ट्र मंडलीय देशों में से किसी को भी जूरी में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ; और

(घ) राष्ट्र मंडलीय देशों से फिल्म उद्योग से सम्बद्ध जिन व्यक्तियों ने समारोह में भाग लिया उनकी क्या प्रतिक्रिया थीं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जूरी के सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है।

प्रत्येक जिले में विद्युत् संयंत्र

2888. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दो वर्ष की अवधि के भीतर देश के प्रत्येक जिले को एक विद्युत् संयंत्र प्रदान करने संबंधी कोई व्यापक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गयी योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय क्या होगा और क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए आवश्यक मूलभूत ढ़ांचे को अन्तिम रूप दे दिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) जी, नहीं। उपलब्ध भौतिक साधनों तथा भार केन्द्रों को ध्यान में रखते हुए विद्युत् संयंत्र सर्वाधिक उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किये जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी केन्द्र, हैदराबाद के भवन का आधुनिकीकरण

2889. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी, हैदराबाद के स्टूडियो और भवन जिसमें से वे स्थापित हैं, बहुत ही पुराने हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका आधुनिकीकरण करने के लिए विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) हैदराबाद रेडियो स्टेशन को 1950 में आकाशवाणी ने अपने अधिकार में लिया था। उपयुक्त स्टूडियो को 1957 में बनाया गया था और इस बीच उनमें अनेक सुधार किये जा चुके हैं। छठी "योजना" के दौरान आकाशवाणी, हैदराबाद में एक नया कार्यालय भवन बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए वित्तीय मंजूरी जारी कर दी गई है।

अप्रयुक्त पड़े तेल के कुओं की मरम्मत के लिए सोवियत संघ की सहायता

2890. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 1981 के "इकानामिक टाइम्स" में अप्रयुक्त पड़े तेल के कुओं की मरम्मत के लिए सोवियत संघ की सहायता" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलवाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने कुएं हैं, किन किन स्थानों पर हैं और कब से वे अप्रयुक्त पड़े हैं ;

(ग) क्या इन कुओं को पहले सोवियत संघ की मदद से खोदा गया था ; यदि हां, तो क्या कमी रह गई थी, जिसके कारण वे अब अप्रयुक्त पड़े हैं ; उनके अप्रयुक्त पड़े रहने के कारण भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ा है ;

(घ) क्या इन अप्रयुक्त कुओं की मरम्मत के लिए सोवियत संघ से कोई मदद मांगी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और मरम्मत हो चुकने के बाद इन कुओं को अनुमानतः उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(ङ) इन कुओं की मरम्मत पर सोवियत संघ का कितना धन खर्च होगा, सोवियत संघ के कितने विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भारत आयेंगे और कितने समय तक वे भारत में रहेंगे, उनके खर्चों को कौन वहन करेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 235 ऐसे उपर्युक्त कूपों का पता लगाया है जिनमें उत्पादन पुनः प्रारम्भ किया जा सकता है। इसमें पश्चिमी क्षेत्र (गुजरात) में 150 कूप तथा पूर्वी क्षेत्र (असम) में 85 कूप शामिल हैं। 139 कूप 1979 से पहले बेकार हो गये थे, 46 कूप 1979 में तथा 50 कूप 1980 में बेकार हुये थे।

(ग) जी, नहीं। इन कूपों की खुदाई सोवियत संघ की सहायता से नहीं की गयी थी। यह कूप प्राकृतिक निःशेषण, जो कि तेल क्षेत्रों में आम तौर पर होता है, के कारण बेकार पड़े हैं। मरम्मत किये जाने पर इन कूपों से प्राप्त किया जाने वाला तेल पहले से ही वहां पर है। इस कारण भारत को कोई हानि नहीं हुई है।

(घ) कनाडा, रुमानिया, हंगरी तथा सोवियत संघ से पूछताछ की गयी थी। केवल सोवियत संघ ने ही प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन कूपों को चालू किये जाने से जिनका बहना रुक गया है तथा उन कूपों की जिनकी उत्पादकता कम है, से कितनी मात्रा का उत्पादन किया जा सकेगा, इस अवस्था में इसके बारे में ठीक ठीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है।

(ङ) पश्चिमी क्षेत्र में कूपों की मरम्मत पर लगभग 3 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है इस व्यय को सोवियत संघ से प्राप्त ऋण द्वारा पूरा किये जाने की संभावना है। कूपों में उत्पादन दुबारा शुरू करने के कार्य के लिए लगभग 30 सोवियत व्यक्तियों के भारत आने तथा यहां पर लगभग 2 वर्ष रहने के लिए एक संविदा पर अन्तिम निर्णय किये जाने का अनुमान है। सोवियत प्रतिनिधिमण्डल के साथ जिसने जनवरी, 1981 में भारत की यात्रा की थी, प्रारंभिक बातचीत की गयी थी। संविदा के प्रारूप को तैयार करने के लिए अन्तिम रूप से बातचीत शीघ्र ही सोवियत संघ में की जानी है।

सूचना सेवा में भर्ती

2891. श्री के० राममूर्ति : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत आठ वर्षों के दौरान सूचना सेवा में कोई सीधी भर्ती नहीं हुई है और विभागीय पदोन्नति समितियों की हाल के वर्षों में एक भी बैठक नहीं हुई है ;

(ख) क्या सूचना सेवा के रिक्त स्थानों को तदर्थ आधार पर सीमा प्रचारण सेवाओं, महात्मा गांधी के संग्रहीत कृतियों का पर्यवेक्षण करने वाले कार्यालय तथा शिमला पर्वतारोहण एकक जैसे, क्षेत्रीय कार्यालयों से भरा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इतने बड़े पैमाने पर तदर्थ नियुक्तियों के कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 में सीधी भर्ती की व्यवस्था ग्रेड-4 ग्रेड-2 और ग्रेड-1 में नियुक्तियों के लिए है। यह सही है कि इन ग्रेडों में सीधी भर्ती क्रमशः 1971, 1974 और 1964 से नहीं की गई है। तथापि, ग्रेड-4 और ग्रेड-2 में सीधी भर्ती पुनः चालू करने का निर्णय ले लिया गया है और संघ लोक सेवा आयोग से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है।

ग्रेड-3, ग्रेड-2, ग्रेड-1, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड और सीनियर प्रशासनिक ग्रेड (सीनियर स्केल) में पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों की 1978-80 के दौरान दो बैठकें हुई हैं। इस सेवा का सीनियर प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर स्केल) ही एकमात्र ऐसा ग्रेड है जिसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं बुलाई जा सकी। इसकी बैठक पीछे 1977 में हुई थी।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 में एक ऐसा प्रावधान है जिससे सरकार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उक्त नियमों की अनुसूची में पहले से शामिल पदों से भिन्न पदों को रिक्त सेवा में शामिल कर सकती है। इस प्रावधान के अन्तर्गत, रक्षा मंत्रालय के जन संपर्क निदेशालय, प्रकाशन विभाग के सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, और शिमला स्थित आकाशवाणी की अनुश्रवण सेवा के पदों को न केवल संघ लोक सेवा आयोग से ही अपितु कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से भी परामर्श करने के पश्चात् उक्त सेवा में शामिल किया गया था। उन पदों और उनके पदधारियां, जो उन पर नियमित रूप से नियुक्त किए गए थे, का इस प्रकार सेवा में शामिल किया जाना तदर्थ व्यवस्था नहीं है।

बिहार और पश्चिम बंगाल को सप्लाई किये गये कोयले की मात्रा

2892. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० सी० एल०, बी० सी० सी० एल० और ई० सी० सी० एल० ने 1980 के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में डी० ओ० के माध्यम से कितने मी० टन कोयला सप्लाई किया गया ;

(ख) बिहार और पश्चिम बंगाल की औद्योगिक ईंधन तथा अन्य कार्यों के लिए जिलावार मांग कितनी है ; और

(ग) क्या वितरण प्रणाली समानता के न्यायपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल की खोज में विदेशी सहयोग

2893. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल की खोज के कार्यक्रम में विदेशी सहयोग के लिये क्या प्रस्ताव विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार के सहयोग में उत्पादन में भागदारी के बारे में हमारा वर्तमान दृष्टिकोण बाधक है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान नीति में क्या क्या परिवर्तन लाने के लिए विचार किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सरकार ने देश में 32 खण्डों में अन्वेषण के ठेकों के लिये सूची में शामिल नहीं की गई सक्षम विदेशी तेल कम्पनियों से निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उच्च न्यायालय में ऐसे सिविल और आपराधिक मामले जिनका निपटारा नहीं हुआ है

2894. श्री राम स्वरूप राम : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश के उच्च न्यायालयों में ऐसे सिविल और आपराधिक मामलों का एक विवरण सभा पटल पर रखेगी जिनका निपटारा होना बाकी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : उच्च न्यायालयों ने लम्बित मामलों की संख्या के बारे में जो जानकारी दी है वह संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

तारीख 30-6-1980 को उच्च न्यायालयों में ऐसे सिविल और आपराधिक मामलों की, जिनका निपटारा होना बाकी था, संख्या दर्शित करने वाला विवरण

उच्च न्यायालय का नाम	उन मामलों की संख्या जिनका निपटारा होना बाकी था		
	सिविल	आपराधिक	योग
1	2	3	4
1. इलाहाबाद	85,872	19913	105785
2. आंध्र प्रदेश	26259	1887	28146
3. मुम्बई	55423	5291	60714
4. कलकत्ता	74028	3629	77657
5. दिल्ली	29474	1701	31175

1	2	3	4
6. गोहाटी	6272	1390	7662
7. गुजरात	14966	2326	17292
8. हिमाचल प्रदेश	5916	494	6410
9. जम्मू-कश्मीर	6235	1296	7531
10. कर्नाटक	60451	1068	61519
11. केरल	30126	1915	32041
12. मध्य प्रदेश	19533	7683	27216
13. मद्रास	56250	5376	61626
14. उड़ीसा	8572	1621	10193
15. पटना	25641	9712	35353
16. पंजाब और हरियाणा	30137	3623	33760
17. राजस्थान	16079	5494	21573
18. सिक्किम	13	4	17
योग :	5,51,247	74,423	6,25,570

आठवें फिल्म समारोह की कथित कुव्यवस्था

2895. श्रीमती कृष्णा साही :

श्री निहाल सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारह में भारी कुव्यवस्था थी ;

(ख) क्या फिल्म समारोह निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इतने अधिक संख्या में "पास" और "प्रवेश-अनुज्ञापत्र" बांटे थे कि प्रतिनिधियों और पत्रकारों के लिए कोई सीटें बाकी नहीं रह गई थीं ;

(ग) विशेष रूप से विदेशी प्रतिनिधियों को समारोह की कुव्यवस्था के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसके प्रति असन्तोष तक प्रकट किया ;

(घ) क्या सिनेमा हालों को प्रदर्शन के लिए फिल्म बांटते समय इस प्रकार का पक्षपात-पूर्ण रवैया अपनाया गया था कि कुछ सिनेमा घरों को तो केवल अच्छी फिल्म सप्लाई की गयी थीं और कुछ अन्य सिनेमा घरों को केवल खराब फिल्में सप्लाई की गई थीं ; और

(ङ) क्या सरकार का सेंसरशिप नियमों/नीति में कुछ छूट देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। तथ्य यह है कि 877 सीटों वाले एक अनन्य थियेटर को फिल्म प्रतिनिधियों, प्रत्यायित फिल्म आलोचकों, फिल्म छात्रों और फिल्म निर्माताओं तथा फिल्म प्रभाग और दूरदर्शन के प्रोड्यूसरों के लिए अलाट किया गया था। इस थियेटर में सुबह से रात तक प्रतिदिन छः फिल्में दिखाई गई थीं। इसके अतिरिक्त, 337 सीटें विज्ञान भवन में दोपहर 3.30 बजे और सायं 6.30 बजे के शो में प्रतिनिधियों और पत्रकारों के लिए आरक्षित की गयी थीं। इसी प्रकार, अर्चना थियेटर में 200 सीटें दोपहर 3.30 बजे, सायं 6.30 बजे और रात्रि 9.30 बजे के शो में प्रतिनिधियों और पत्रकारों के लिए आरक्षित की गई थीं। 186-186 और सीटें मावलंकर आडिटोरियम में हुए पांचों शो में से प्रत्येक में आरक्षित की गई थी। इस प्रकार, प्रतिनिधियों और पत्रकारों को समारोह में प्रदर्शित सभी फिल्मों को देखने का अवसर था। उनके लिए कुल 1,600 सीटें उपलब्ध थीं, जो प्रतिनिधियों और समारोह के लिए प्रत्यायित पत्रकारों की कुल संख्या से कहीं अधिक थीं। प्रतिनिधियों और पत्रकारों दोनों को पहले से ही विज्ञान भवन, मावलंकर आडिटोरियम और अर्चना में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या के बारे में जानकारी दे दी गयी थी और उनको स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया था कि सीटें "पहले आए सो पहले पाए" के आधार पर उपलब्ध होगी। यह व्यवस्था उस परपाटी के अनुसार की गयी थी जिसका विश्व भर में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में अनुसरण किया जाता है। तथापि 7-1-1981 को उन प्रतिनिधियों और पत्रकारों, जो विज्ञान भवन में सायं 6.30 बजे के शो की फिल्म देखने के लिए आए थे, की संख्या उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक हो गई थी। इससे कुछ भ्रान्ति हुई और इसलिए, उस फिल्म का अगले दिन प्रातः विशेष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इससे समस्या का हर व्यक्ति के सन्तोष के अनुसार समाधान हो गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं। विभिन्न थियेटरों को फिल्मों का वितरण थियेटरों के मालिकों की उपस्थिति में डाले गए लाटों के आधार पर किया गया था।

(ङ) वर्तमान नियमों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है

अशोधित तेल का आयात

2896. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-82 के लिए अन्य देशों से अपेक्षित मात्रा में अशोधित तेल के आयात की व्यवस्था कर दी गई है ;

(ख) कुल कितनी मात्रा का आयात करने का विचार है और कितनी मात्रा की व्यवस्था कर ली गई है ;

(ग) किन देशों से आयात की व्यवस्था की गई है और उनमें से प्रत्येक देश से कितनी मात्रा आयात की जायेगी ; और

(घ) उपरोक्त वर्ष में अशोधित तेल के आयात पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) आम तौर पर खनिज तेल का आयात कैलेन्डर वर्ष आधार पर व्यवस्थित किया जाता है । कैलेन्डर वर्ष 1981 के लिए आवश्यकता को अधिकांश रूप में निश्चित कर दिया गया है ।

(ग) देशों के नाम तथा कितनी मात्रा की व्यवस्था की गयी है के बारे में बताना जनहित में न होगा ।

(घ) वर्ष 1981-82 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर खनिज तेल आयात पर लगभग 3200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत होगी ।

पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि का मुद्रास्फीति की दर पर प्रभाव

2897. श्री ई० बालानन्दन :

श्री माधव राव सिंधिया : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि का मुद्रास्फीति की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मूल्यों में 13-1-1981 से होने वाली वृद्धि का थोक मूल्य सूचक (1970-71) पर सीधे प्रभाव का अनुमान क्रमशः 0.115% और 0.067% का लगाया गया है जिसका कुल योग 0.182% है । समस्त पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में 13-1-1981 से होने वाली मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप थोक उपभोक्ता मूल्य सूचक में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है । केवल 1.40 रुपये प्रतिमाह की दर से एक औसत शहरी परिवार पर मिट्टी के तेल पर अतिरिक्त व्यय का अनुमान लगाया गया है । टैक्सियों के सम्बन्ध में 3.5 पैसे प्रति किलो मीटर और आटो रिक्शा के सम्बन्ध में 1.8 पैसे प्रति किलो मीटर की दर से संचालन लागतों में होने वाली अनुमानित वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को टैक्सी और आटो-रिक्शा के भाड़ों को संशोधन करने के लिए हिदायतें जारी की गयी थीं ।

औषध मूल्यों के बारे में सी० सी० आई० एण्ड ई० फार्मूला

2898. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध मूल्यों के बारे में सी० सी० आई० एण्ड ई० का फार्मूला क्या है, लोडिंग क्या है और सी० पी० सी० और आई० डी० पी० एल० द्वारा आयातित सारणीबद्ध बल्क औषधियों के मामले में यह किस प्रकार प्रभाव डालता है ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान कौन-कौन सी प्रतिबन्धित औषधियों का आयात किया गया था और इस आयात को किन-किन उपबन्धों के अन्तर्गत अनुमति दी गई थी और किन-किन पार्टियों को ऐसे आयात की अनुमति दी गयी थी, और

(ग) डी० पी० सी० ओ० को वर्ष 1979 से पूर्व और इसके बाद सरणीबद्ध बल्क औषधियों के मूल्यों की कितनी लोडिंग है और इसका फार्मूलेशनों के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सी० आई० एफ० मूल्य सीमा शुल्क ऋण पत्र खोलने सम्बन्धी प्रभार, समाशोधन प्रभार, वितरण और सी० पी० सी० के लाभ आदि को ध्यान में रखते हुये स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० द्वारा आयातित और वितरित की गई बल्क औषधों के प्रतिधारण मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत फार्मूले को औषध मूल्य निर्धारण के लिये सी० सी० आई० एण्ड ई० का फार्मूला कहा जाता है। सी० आई० एफ० मूल्यों में भिन्नता, जो एक वर्ष की अवधि के दौरान उत्पन्न होती है, को ध्यान में रखते हुए अथवा जहां देशीय मूल्यों में भिन्नता आदि को लदान/उतार-मूल्यों के रूप में संदर्भित किया गया है, वहां पर बिक्री मूल्यों में एकरूपता लाने के लिए सरकार द्वारा सरणीबद्ध बल्क औषधों के मूल्यों में समायोजन लागू किया गया है । ये समयोजक औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के प्रावधानों के अनुरूप है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) वर्ष 1978-79 (अर्थात् औषध मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के प्रारम्भरण से पहले (तथा वर्ष 1979-80) अर्थात औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1979 के बाद) के दौरान सी० सी० आई० एण्ड ई० फार्मूले के अनुसार, उन मदों की संख्या, जिन पर सरणीबद्ध बल्क औषधों के आयात तथा वितरण के बारे में उनके प्रति धारण मूल्य के संदर्भ में अधिक वसूली/कम वसूली हुई है, निम्न प्रकार है:--

नीचे दी गयी है :—

क्र० सं०	वर्ष	सी० सी० आई० एण्ड ई० फार्मूला के अनुसार मूल्यों के सम्बद्ध में आयात की गयी उन सरणीबद्ध औषध मदों की संख्या जिन पर वसूली हुई है।	सी० सी० आई० एण्ड ई० फार्मूला के अनुसार मूल्यों के सम्बद्ध में आयात की गई उन सरणीबद्ध औषध मदों की संख्या जिन पर वसूली कम हुई है ।
1.	1978-79	12	7
2.	1979-80	14	14

औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 के लागू होने से पहले वर्ष और बाद के वर्ष में सरणीबद्ध औषधों पर आधारित कुछ फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित किये गये थे। सी० पी० सी० के बिक्री मूल्य अपनाये जाने पर ज्यादातर मामलों में मूल्य कम हुए।

तमिलनाडु स्थित मैट्टूर तापीय बिजलीघर के लिए विद्युत उत्पादन उपकरणों के आयात की अनुमति

2899. श्री सी० चिन्ना स्वामी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि तमिलनाडु विद्युत बोर्ड को मैट्टूर तापीय बिजलीघर के लिए विद्युत उत्पादक (जेनरेटर) उपकरणों के आयात की अनुमति दी जाए, क्योंकि उसे छठी योजना में 2×210 मेगावाट क्षमता के संयंत्र लगाने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुमति के कब तक दिए जाने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने अपने 2×210 मेगावाट के मैत्तूर ताप विद्युत केन्द्र के लिए बायलरों तथा टर्बो-जेनरेटरों की सप्लाई के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित करने के लिए अनुमति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से अनुरोध किया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड को सलाह दी है कि स्वदेशी निर्माता मै० भारत हैवी इले० लि० जरूरी उपस्कर की सप्लाई, परियोजना के लिए अपेक्षित निर्धारित समय में करने की स्थिति में है। तथापि, वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत, परियोजना प्राधिकारियों को विद्युत उत्पादन उपस्कर के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित करने की अनुमति दी जाती है तथा इस आधार पर आयात के प्रस्तावों के लिए उद्योग मंत्रालय में, भारत सरकार की शक्ति प्रदत्त समिति की स्वीकृति अपेक्षित होती है जो कि आयात के ऐसे प्रस्तावों पर विचार करते समय स्वदेशी निर्माण क्षमता के सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखती है।

दिल्ली दूरदर्शन पर तमिल फिल्में

2900. श्री एम० अरुणाचलम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन द्वारा प्रादेशिक फिल्म सीरीज के अन्तर्गत छः महीने के अन्तर पर भी तमिल फिल्में न दिखाए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग का विचार इस ओर ध्यान देने और नियमित अन्तराल पर तमिल फिल्मों का प्रदर्शन करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा तमिल फीचर फ़िल्मों को अन्य प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों, जिन्हें पहले, दूसरे, तीसरे और पाँचवें शनिवार को टेलीकास्ट किया जाता है, के साथ बारी-बारी से टेलीकास्ट किया जाता है। यह केन्द्र लगभग एक दर्जन प्रादेशिक भाषाओं में फिल्मों को टेलीकास्ट करता है जिनको इस उपलब्ध सीमित समय के अन्दर स्थान देना होता है। इस प्रकार एक ही प्रादेशिक भाषा की दो फिल्मों के प्रदर्शन में सामान्यतया लगभग 4 महीने का अन्तर रहता है। तथापि, कभी कभी, फिल्म के उपलब्ध न होने या सप्लाई न किए जाने के

कारण बारी-बारी के आधार निश्चित की गई तिथि निकल जाती है जिसके परिणामस्वरूप अन्तर लम्बा हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति में फिल्म उपलब्ध ठीक अगली तिथि को टेलीकास्ट की जाती है।

कैंसर के रोगियों के लिए टीकों की अनुपलब्धता

2901. श्री दिगम्बर सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर रोगियों के लिए विदेशों से आयात किए जाने वाले एक्टीनोमाइसीन-डी और डोक्टीनोमाइसिन-डी के टीके देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या देश में इन टीकों के उपलब्ध न होने के कारण यहां कैंसर के रोगियों की जान जोखिम में पड़ जाती है;

(ग) क्या इन टीकों के तत्काल आयात की कोई व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वे टीके कब तक उपलब्ध कर दिए जायेंगे?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) एक्टिनोमाइसीन-डी इंजेक्शन को डाक्टिनोमाइसीन-डी इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अयातित कैंसर विरोधी फार्मूलेशन है। इस औषध या इसके फार्मूलेशनों को इस देश में नहीं बनाया जाता। निम्नलिखित को इसका आयात आयात नीति (1980-81) के अधीन आम खुले लाइसेंस के अन्तर्गत स्वीकृत है।

(1) अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को स्वयं के प्रयोग के लिये बशर्ते कि एक समय में आयात किये गये ऐसे माल का सी० आई० एफ० मूल्य पच्चीस हजार रु० से अधिक न हो,

(2) किसी भी व्यक्ति को अपने व्यैक्तिक प्रयोग के लिए बशर्ते कि किसी भी समय आयात किये गये ऐसे माल का सी० आइ० एम० मूल्य एक हजार रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) अपने स्वयं के व्यवसायिक प्रयोग हेतु पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के लिए बशर्ते कि एक समय में आयात किये गये ऐसे माल का सी० आई० एफ० मूल्य पांच हजार रु० से अधिक न हो। देश में इनके आयात पर सीमा शुल्क से भी छूट भी उपलब्ध है।

राज्य औषध नियंत्रकों आदि से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर सरकार आवश्यक और जीवन रक्षक औषध फार्मूलेशनों की उपलब्धता की देख-रेख करती है। एक्टिमोमाइसिन-डी की अनुपलब्धता की शिकायत दिल्ली से प्राप्त हुई थी। मै० मर्क शर्प एण्ड डोहमे आफ इंडिया लि०, जो कोसमोगेन ट्रेड नाम में इस फार्मूलेशन का आयात करती है, के साथ मामला उठाया

जाने पर कंपनी ने सूचित किया कि यह उनके सेवा उत्पादों में से एक था और समय-समय पर उनके पास केवल सीमित मात्रा में उपलब्ध था और उस समय सप्लाई के लिये उनके पास कोई स्टाक उपलब्ध नहीं था। चूंकि इस उत्पाद की मांग बहुत कम और स्थिर नहीं है, सप्लायरों द्वारा इसका नियमित आयात नहीं किया जाता।

कर्नाटक में बिजली की सुविधा वाले गांव

2902. श्री० बी० वी० देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जिसके बहुत से गांवों में स्ट्रीट लाईट नहीं दी गई है और सभी गांवों में बिजली नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है;

(ग) वहां अब तक कितने गांवों को बिजली दी जा चुकी है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं और गांवों में बिजली देने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो अब तक राज्य की कितनी सहायता दी जा चुकी है; और

(च) लक्ष्य प्राप्ति के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी सहायता दी जाएगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) कर्नाटक बिजली बोर्ड से प्राप्त ताजा प्रगति रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर, 1980 के अन्त तक 16,505 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं।

(घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्थापना से लेकर 31-1-81 तक, कर्नाटक बिजली बोर्ड ने 57.25 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता के लिए 177 ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमें भेजी हैं।

(ङ) फरवरी, 1981 के अन्त तक ग्राम विद्युतीकरण निगम ने कर्नाटक बिजली बोर्ड को 30.39 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। वर्ष 1980-81 के दौरान वितरित की गई 1.53 करोड़े रुपए की राशि इसमें शामिल है।

(च) चालू वित्त वर्ष (1980-81) के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम ने कर्नाटक बिजली बोर्ड को वितरण हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया है। यह नाशि राज्य को, उनके सामान्य विकास कार्यक्रम के लिए आबंटित की गई 6.07 करोड़ की राशि के अतिरिक्त है।

कोयले से संश्लिष्ट डीजल तैयार किया जाना

2903. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने भारत में पहली बार कोयले से संश्लिष्ट डीजल तैयार किया है और उसका परीक्षण भी किया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त संस्थान द्वारा विकसित प्रक्रिया से पैदा किये जाने वाले संश्लिष्ट अशोधित तेल की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इसका वाणिज्यिक उपयोग करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद के एक प्रयोगशाला पाइलट संयंत्र में कोयले से बनाए गए संश्लिष्ट कच्चे तेल से बहुत थोड़ी मात्रा में डीज़ल तेल मिला था । इसका उपयोग डीज़ल इंजन वाली एक जीप को आठ किलोमीटर तक चलाने के लिए किया गया था । इस प्रक्रिया की लागत क्या व्यापारिक उत्पादन के बारे में कोई निर्धारण अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकता । कुछ अधिक दिनों तक कुछ और परीक्षण करने की जरूरत है ।

विभिन्न राज्यों को डीज़ल, मिट्टी के तेल और पैराफिन मोम की सप्लाई

2904. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल, मिट्टी के तेल, पैराफिन मोम और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का विभिन्न राज्यों को आवंटिक कोटा क्या है और वास्तव में पिछले 13 महीनों में इन राज्यों को सप्लाई किए गए कोटे का राज्यवार, महीनेवार और उत्पादवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में राज्यों की राज्यवार मांग तथा वास्तविक आवश्यकता क्या थी; और

(ग) केन्द्र द्वारा राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए उठाये जाने वाले कदम क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) केवल हाई स्पीड डीजल तेल (एच० एस० डी०) तथा मिट्टी के तेल के मामले में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मासिक अवंटन किया जाता है तथा पैराफीन मोम के मामले में, आवंटन त्रैमासिक आधार पर किया जाता है । पिछले 13 महीनों में अर्थात जनवरी 80 से जनवरी, 81 तक राज्यवार एच० चस० डी० और मिट्टी के तेल के आवंटन तथा विक्रय तथा वर्ष 1980 के लिए पैराफीन मोम के आवंटन तथा उठान का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है । चाही गई रूप रेखा के अनुरूप माहवार तथा राज्यवार सूचना के संकलन में काफी समय, श्रम की आवश्यकता होगी जो कि प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप न होगी ।

(ख) उपरोक्त समय के लिए राज्यवार एच०एस०डी०, मिट्टी के तेल और पैराफिन मोम की मासिक मांग तथा आवश्यकता को निदेशित करना विशेषकर मौसमी मांगों को देखते हुए सम्भव न होगा ।

(ग) उत्पादत उपलब्धता तथा परिवहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के डीजल तथा मिट्टी के तेल के आवंटन को अधिकतम कर दिया गया है । मार्च 1981 के लिए डीजल तेल का आवंटन मार्च 1980 में हुए विक्रय से 15 प्रतिशत अधिक के स्तर

पर किया गया है। मिट्टी के तेल के मामले में, मासिक आवंटन पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीने में हुए विक्रय से 5 प्रतिशत अधिक के स्तर पर आधारित है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनकी विशेष आवश्यकताओं तथा अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तदर्थ आधार पर भी वृद्धि की गई। पैराफीन मोम का आवंटन पिछले वर्ष के उठान/कार्य निष्पादन के आधार पर किया जाता है।

विवरण

13 महीनों अर्थात जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 तक राज्यवार हाई स्पीड डीज़ल तथा मिट्टी के तेल का आवंटन और विक्रय तथा वर्ष 1980 के लिए पैराफीन मोम का आवंटन एवं उठान को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े मी० टनों में)

राज्य/संघ शासित	हाई स्पीड डीज़ल		मिट्टी का तेल		पैराफीन मोम	
प्रदेश	आवंटन	बिक्री	आवंटन	बिक्री	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	794557	798401	328152	338109	1576	1070
अरुणाचल प्रदेश	8664	5417	3770	3731	68	47
अण्डमान और निकोबार	10870*	7118	1114	1040	20	=
असम	168313	131038	142020	96093	1590	1569
बिहार	492585	439204	251294	234095	1380	1109
चण्डीगढ़	20180	19139	9528	9638	200	168
दादर तथा नागर हवेली	3790	3975	710	≠	44	41
दिल्ली	376958	351176	130430	126156	2948	2410
गुजरात	730768	676384	431573	416774	2218	1616
गोवा, दमन एवं दिव	87297	74791	15942	14755	254	250
हरियाणा	294992	316125	70756	76227	1180	1098
हिमाचल प्रदेश	48757	47846	16976	15615	136	98
जम्मू और कश्मीर	88836	86105	29393	29051	256	308

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	544186	539989	246338	242917	1136	1038
केरल	359667	349321	141456	138802	1948	2084
मध्य प्रदेश	487460	449450	209866	194166	1 052	644
महाराष्ट्र	1383277	1293021	890459	872183	12256	8672
मणिपुर	18216	10454	8426	8238	320	420
मेघालय	15795	12677	8478	5279	168	165
मिजोरम	5933	4504	2488	2704	96	95
नागालैण्ड	8314	7659	5045	4427	440	440
उड़ीसा	176730	166878	85380	78306	720	440
पंजाब	618762	583770	146645	153015	1726	1428
पांडिचेरी	23134	24569	7732	6625	136	140
राजस्थान	525023	499186	136255	132357	1156	878
सिक्किम	4487	3850	5345	2944	24	8
तमिलनाडु	962384	989368	376727	384242	8504	8418
त्रिपुरा	15159	9568	11491	8503	460	266
उत्तर प्रदेश	1096288	1016084	407846	401727	4246	3628
पश्चिम बंगाल	721140	*595578	419806	371118	10132	5462
लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	20	=
कुल जोड़	10092522	9512645	4541441	4369337	56410	43570

नोट : जन., 1981 की बिक्री अस्थाई हैं। ≠=गुजरात में शामिल की गई हैं।

*जनवरी, 1981 की बिक्री को शामिल नहीं किया गया है।

कोयले पर रायल्टी

2905. श्री रामावतार शास्त्री :क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयले पर रायल्टी में संशोधन के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों को प्राप्त होने वाले संभावित राजस्वों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : यह अनुमान करके कि 1980-81 में कोयले का उत्पादन लक्ष्य के अनुसार 113.50 मिलियन टन होगा, राज्य सरकारों को,

कोयले पर स्वामिस्व की दरों में हाल ही में किए गए संशोधन के फलस्वरूप, कोयले के स्वामिस्व से होने वाली अनुमानित आय नीचे दी गई है :—

राज्य सरकार	संशोधन पूर्व दरों पर स्वामिस्व की अनुमानित राशि	संशोधित दरों पर स्वामिस्व की अनुमानित राशि
	(करोड़ रुपयों में)	
बिहार	17.89	25.50
पश्चिम बंगाल	8.11	10.88
मध्य प्रदेश	9.15	13.67
आंध्र प्रदेश	4.60	6.21
महाराष्ट्र	1.72	2.74
उड़ीसा	1.20	1.62
उत्तर प्रदेश	0.34	0.36
असम और नागालैंड	0.27	0.34

1978, 1979 और 1980 के दौरान गांवों का विद्युतीकरण

2906. श्री डी० पी० जदेजा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978, 1979 और 1980 के दौरान राज्यवार गांवों के विद्युतीकरण कर वार्षिक लक्ष्य क्या था और इस अवधि में वास्तव में कितने गांवों में बिजली लगाई गई ;

(ख) लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान गाँवों के विद्युतीकरण के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ अल्यूमीनियम, सीमेंट, स्टील आदि जैसी निर्माण सामग्री की कमी, अपर्याप्त ऋण सुविधाओं सहित वित्तीय तंगी, विद्युत की कमी, कुछ राज्य बिजली बोर्डों में समुचित संगठन की कमी, भारी बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदाएं तथा पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए दुर्गम भू-भाग जिन पर बहुत अधिक पूंजीगत परिव्यय लगता है, आदि भी सम्मिलित हैं।

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यक उपचारी उपाय किए जा रहे हैं। इनमें ये सम्मिलित हैं; नए विद्युत केन्द्रों की स्थापना तथा वर्तमान

विद्युत केन्द्रों की दक्षता में सुधार, और अधिक पारेषण लाइनों का निर्माण, ग्राम विद्युतीकरण के लिए परिव्यय में वृद्धि, अल्यूमीनियम, स्टील का आयात आदि। भारत सरकार के अनुरोध पर, कई राज्यों ने ग्राम विद्युतीकरण के लिए ब्लाक/जिला/राज्य स्तरों पर समन्वय समितियों की स्थापना की है जिनमें, वित्तपोषक संस्थानों सहित, ग्रामीण क्षेत्र के सभी विकास अभिकरणों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। राज्य बिजली बोर्डों से भी अनुरोध किया गया है कि ग्राम विद्युतीकरण के लिए पर्याप्त स्टाफ वाले पृथक सैल बनाएं। वित्तीय दृष्टिकोण से जीवनक्षम तथा तकनीकी दृष्टिकोण से व्यावहारिक ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें तैयार करने की सलाह राज्य बिजली बोर्डों को देने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है। निगम, अपने द्वारा वित्त-पोषित स्कीमों की भी लगातार मानीटरिंग कर रहा है।

विवरण

वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान गांवों के विद्युतीकरण के संबंध में लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गांवों का विद्युतीकरण					
		1977-78		1978-79		1979-80	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	690	1157	2000	826	1520	1014
2.	असम	500	179	1150	825	1165	1225
3.	बिहार	1600	537	2000	499	1310	742
4.	गुजरात	880	1013	1350	1343	1400	1403
5.	हरियाणा	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)
6.	हिमाचल प्रदेश	800	507	750	576	900	592
7.	जम्मू व कश्मीर	500	1185	700	414	415	124(क)
8.	कर्नाटक	600	457	600	560	1104	546
9.	केरल	24	12	32	24	20	20
10.	मध्य प्रदेश	1600	2521	2650	3000	2120	2700
11.	महाराष्ट्र	1500	1274	1800	1904	1800	2073
12.	मणिपुर	शून्य	शून्य	22	39	100	48
13.	मेघालय	100	58	110	78	199	72

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	नागालैण्ड	30	37	46	34	70	50
15.	उड़ीसा	1500	1100	1750	1407	2200	1663
16.	पंजाब	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)
17.	राजस्थान	1315	1638	1600	2312	2000	1531
18.	सिक्किम	20	20	35	0	25	5
19.	तमिलनाडु	31	6	15	3	(+)	25
20.	त्रिपुरा	140	120	120	155	200	200
21.	उत्तर प्रदेश	5000	1928	4700	1272	3945	2279
22.	पश्चिम बंगाल	1800	688	2000	495	1950	700
	जोड़ (राज्य)	18630	14437	23430	15766	22443	17012
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह		4		2		18
2.	अरुणाचल प्रदेश		47		120		33
3.	चण्डीगढ़	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)
4.	दादर और नागर हवेली		14		3		शून्य
5.	दिल्ली	(+)	40(X)	(X)	100(X)	(X)	250(X)
6.	गोवा दमन और दिव		6		5		4
7.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	मिजोरम		5		11		5
9.	पाण्डिचेरी	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	40	76	100	141	250	60
	जोड़ (अखिल भारत)	18670	14513	23530	15907	22693	17072

(X) शतप्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है।

(+) राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(क) 31-12-1979 तक प्राप्त हुई प्रगति।

खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों का दिया जाना

2907. श्री डी० पी० जदेजा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस वर्ष मार्च से खाना पकाने की गैस के प्रतिमास एक लाख कनेक्शन देने का निर्णय किया है ;

(ख) गुजरात राज्य ने प्रतिमास कितने कनेक्शन आवंटित किये हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिससे कि भारत में विशेष कर गुजरात राज्य में, खाना पकाने की गैस के नये कनेक्शनों के लिए सभी आवेदनों को कनेक्शन दे दिए जायेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) तेल कम्पनियों की नामांकन योजना के अनुसार गुजरात राज्य में फरवरी, 1981 से मार्च, 1982 के दौरान लगभग 92,000 कनेक्शन जारी किये जाने हैं। माहवार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) बम्बई हाई तथा मथुरा और कोयाली शोधनशालाओं से खाना पकाने की गैस की उपलब्धता होने पर गुजरात सहित भारत में एल० पी० जी० के नए कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आवेदन-पत्रों का अगले माह से एक चरणबद्ध ढंग से निपटान किया जाएगा।

असम में कच्चे तेल का उत्पादन

2908. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के तेल-क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले कच्चे तेल का वर्तमान उत्पादन कितना है ; और

(ख) असम राज्य में आजकल तेल के कुल कितने कुएं चालू हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान 5.3 मिलियन मी० टन० उत्पादन किया जाना है।

(ख) आजकल असम में ए० ओ० सी० के 417 पुराने कूपों के अतिरिक्त आयल इंडिया लिमिटेड तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लगभग 403 कूपों से तेल निकल रहा है।

हरियाणा में दूरदर्शन की स्थापना

2909. श्री चिरंजी लाल शर्मा :

स्वामी इन्द्रवेश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ;

(ख) योजना का ब्यौरा क्या है और उसके लिए कौन से स्थान का चयन किया गया है ; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक हो जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) संसाधनों की कमी के कारण छठी "योजना" अवधि (1980-85) के दौरान हरियाणा में कोई दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

ट्रिब्यून चण्डीगढ़ में विज्ञापनों के लिए दी गई राशि

2910. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्रिब्यून चण्डीगढ़ को विज्ञापनों के लिए गत पाँच वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : वैयक्तिक समाचारपत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों और उनको दी जाने वाली राशि के ब्यौरों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय और वैयक्तिक प्रकाशक के बीच गोपनीय समझा जाता है ।

आकाश्वाणी से रामचरित मानस के पाठ का प्रसारण किया जाना

2911. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी से रामचरित मानस के पाठ के प्रसारण के समय को और अधिक बढ़ाने सम्बन्धी जनता की मांग पर ध्यान देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रामचरित मानस के पाठ को दिल्ली दूरदर्शन से भी प्रसारित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं । रामचरित मानस के पाठ के प्रसारण के समय को अधिक बढ़ाने की जनता से कोई मांग नहीं रही है । विभिन्न केन्द्रों से प्रसारण की वर्तमान अवधि पर्याप्त है ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता । तथापि दूरदर्शन केन्द्र समय समय पर "रामचरित मानस" पर आधारित अपने कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करता रहा है ।

फील्ड पब्लिसिटी आफिसर (सीमा)

2912. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी फील्ड पब्लिसिटी (सीमा) अधिकारी को केन्द्रीय सूचना सेवा श्रेणी दो में समावेष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख से किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और किस संभावित तारीख तक ऐसा किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी (सीमा) के पद शुरू से ही केन्द्रीय सूचना सेवा में नहीं थे। इसलिए क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों की प्रारम्भिक नियुक्ति और उनका बना रहना केन्द्रीय सूचना सेवा के बाहर के पदों पर रहा है। इन पदों और उनके पदधारियों को केन्द्रीय सूचना सेवा के उपयुक्त ग्रेड में शामिल करने के प्रश्न पर विचार करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से उनकी नियुक्तियों को नियमित करना होगा। इस प्रयोजन के लिए, भर्ती नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग से अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत भर्ती करने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है ; संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही इनको केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करने का प्रश्न उठेगा।

1979-80 और 1980-81 के दौरान उड़ीसा में गांवों का विद्युतीकरण

2913. श्री अनादिचरण दास : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 और 1980-81 के दौरान उड़ीसा के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ; और

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य के कटक जिले में कितने गांवों का विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) उड़ीसा में वर्ष 1979 80 के दौरान 1663 गांव विद्युतीकृत किए गए थे तथा वर्ष 1980-81 के दौरान (दिसम्बर, 1980 के अन्त तक) 319 गाँव विद्युतीकृत किए गए थे।

(ख) छठी पंच वर्षीय योजना (1980-85 के दौरान उड़ीसा में 13,179 गांवों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है। जिलेवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

संयुक्त अरब अमीरात

2914. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को और अधिक तेल की सप्लाई के लिये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हाल ही में कोई बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) इस बारे में ब्यौरा देना जनहित में न होगा ।

गुजरात तेल शोधक कारखाने के लिये निर्धारित्त राशि

2915. श्री निहाल सिंह : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात तेल शोधक कारखाने के लिये सम्बद्ध तेल शोधन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है और क्या इस परियोजना पर अगस्त, 1981 तक कार्य पूरा हो जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) गुजरात शोधन शाला में गौण-प्रक्रिया सुविधाओं की स्थापना के लिए 6.50 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अवयव सहित 57.97 करोड़ रुपये की संशोधित लागत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है । पहले इस प्रायोजना को यांत्रिकी रूप से मार्च, 1981 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया था । तथापि निम्नलिखित कारणों से कुछ विलम्ब हुआ है और अब यह आशा की जाती है कि इस प्रायोजना को वर्ष 1981 की चौथी तिमाही में पूरा कर लिया जायेगा :—

(1) देशी विक्रेताओं द्वारा समय के अन्दर उपकरण की सप्लाई न करना;

(2) कच्चे माल, संरचनात्मक स्टील और सीमेंट की कमी ।

उड़ीसा आकाशवाणी में सुधार

2916. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के विद्यमान आकाशवाणी केन्द्रों में सुधार की आवश्यकता है ताकि वहां से प्रसारण पूर्ण राज्य में सुना जा सके;

(ख) यदि हां, तो सुधार के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किये गये हैं और जेयपोर और सम्भलपुर आकाशवाणी केन्द्रों को किलोवाट क्षमता में कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) क्या छठी योजनावधि में क्रियान्विति हेतु उनके मंत्रालय ने योजनाओं को स्वीकृति दी है; और

(घ) यदि हां, तो योजनाओं के लिए कितनी राशि रखी गई है और उनके लिए योजनाएं क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) आकाशवाणी का उद्देश्य केवल उड़ीसा के ही नहीं, अपितु समूचे देश के प्रत्येक संभाव्य

श्रोता को कवरेज उपलब्ध करना है। तथापि, यह संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

जेयपुर और सम्बलपुर के ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य को उपलब्ध वर्तमान दिवाकालीन प्राथमिक ग्रेड सेवा 81% जनसंख्या को कवर करती है। छठी "योजना" (1980-85) के प्रारूप में कवरेज में और सुधार के लिए भवानी पटना में एक नया प्रसारण केन्द्र और बरहामपुर, राउरकेला, और क्योंझर में स्थानीय प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रावधान किया गया था, परन्तु संसाधनों की कमी के कारण अन्तिम रूप से स्वीकृत छठी "योजना" में केवल क्योंझर में अनुमानित 50 लाख रुपए की लागत के एक स्थानीय प्रसारण केन्द्र की स्थापना का प्रावधान ही रखा जा सका।

बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन

2917. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पटना में 20 और 21 दिसम्बर, 1980 को अपना राज्य सम्मेलन आयोजित किया था जिसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्य मंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र ने की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि डा० मिश्र ने समाचार माध्यमों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का सुझाव दिया था; और

(ग) यदि हां, तो उन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) माध्यमों के बारे में सरकार की राष्ट्रीय नीति है जो लोगों की सेवा करने और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचने और उनको निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और संतुलित ढंग से सूचना और समाचार मुहैया करने की है ताकि उनको उनके हित के मामलों में और देश के बड़े हित में शिक्षित किया जा सके।

प्रेस सेंसरशिप लगाने के बारे में मार्गदर्शी निदेश

2918. श्री आर० के० महालगी :
श्रीमती प्रमिला दंडवते :
श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के किसी भाग में प्रेस सेंसरशिप लगाने के लिये कोई मार्गदर्शी निदेश तय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मार्गदर्शी निदेशों की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ग) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय सूचना और प्रसारण उपमंत्री द्वारा इस विषय पर दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो दिनांक 11 जनवरी, 1981 के "टाइम्स आफ इंडिया" दिल्ली, में प्रकाशित हुआ था और जिसमें कहा गया है कि प्रेस सेंसरशिप का लगाया जाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये कथित विचार मुख्य रूप से केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) प्रेस सेंसरशिप लगाने के लिए सरकार ने हाल ही में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना और प्रसारण उप मंत्री द्वारा व्यक्त विचार इस आशय के थे कि यदि स्थिति का तकाजा हो तो राज्य सरकारें उस अधिकार के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है जो राज्य के कानूनों के अन्तर्गत उनको उपलब्ध हैं। यह राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप न करने की सरकार की स्थूल नीति के अनुरूप है।

तेल की खरीद

2919. श्री आर० एन० राकेश :

श्री एम० ई० होरो : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने ईरान को छोड़कर अन्य देशों से कच्चे तेल का आयात किया था हालांकि ईरान सस्ती दरों पर कच्चा तेल सप्लाई कर रहा था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किन किन देशों से और कितनी मात्रा में तथा किन-किन दरों पर अशोधित तेल खरीदा गया था ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) वर्ष 1981 के दौरान भारत में कच्चे तेल के सप्लाई के लिए हमने निम्नलिखित देशों के साथ ठेके निश्चित किये हैं :—

ईरान, मेक्सिको, वेनेजुएला, अल्जीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सोवियत संघ, कुवैत और नाइजीरिया। आगे और ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

समाचारपत्रों पर सेंसर लगाया जाना

2920. **श्री आर० एन० राकेश :**
श्री छीतू भाई गामित :
श्री के० मालन्ना :
श्री अर्जुन सेठी :
श्री नवीन रवाणी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार समाचारपत्रों पर सेंसर लगाये जाने के पक्ष में नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेंसर लगाया जाना राज्य सरकारों की मर्जी पर निर्भर है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा इसकी पुष्टि के बारे में स्पष्टीकरण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सरकार प्रेस की स्वतंत्रता की नीति के प्रति वचनबद्ध है और समाचारपत्रों पर सेंसरशिप लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) और (ग) संभवतया हवाला असम सरकार द्वारा साम्प्रदायिक मेल मिलाप बनाए रखने के प्रतिकूल और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को रोकने/सामना करने के लिए असम विशेष अधिकार (प्रेस) अधिनियम, 1960 के उपबन्धों को लागू किए जाने के बारे में है । लोगों के दिमागों से इसके बारे में गलतफहमी को दूर करने के लिये असम सरकार ने 2-1 81 को एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें मामले की पृष्ठ भूमि दी हुई है । उक्त प्रेस नोट की प्रति संलग्न है । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—2067/81) । उसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आदेश के अनुसार समाचार पत्रों की पूर्व छानबीन करना किसी भी प्रकार से सेंसरशिप के समान नहीं है ।

सप्लायारों को विलम्ब से भुगतान

2921. **श्री राम प्यारे पनिका : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सप्लायरों को विलम्ब से भुगतान करती है ;

(ख) यदि हां, तो शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप घटिया किस्म का माल सप्लाई किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रबन्ध कर रही है कि अपेक्षित किस्म का माल प्राप्त किया जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के ठेकों के सम्बन्ध में अदायगी की शर्तें काफी उदार हैं। साधारणतया, सामान के प्रेषण के प्रमाण, जैसे रेलवे रसीद आदि, के आधार पर सामान के लिए 95 प्रतिशत तक की राशि की अदायगी कर दी जाती है। प्रायः सम्बन्धित कागजातों के साथ प्राप्त बिलों की प्राप्ति की तारीख से 2 सप्ताह के अन्दर-अन्दर सप्लाइरों को अदायगी कर दी जाती है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। फिर भी, अदायगी की कार्यविधि में और अधिक सुधार करने के लिए उसका निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। माल के प्रेषण से पहले योग्य तकनीकी अधिकारियों द्वारा सामान का निरीक्षण किया जाता है। घटिया दर्जे के माल को रद्द करने का, प्रेषितों को भी अधिकार होता है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में सॉफ्ट कोक की कमी

2922. श्री एन० ई० होरो : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सॉफ्ट कोक की अत्यधिक कमी है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सॉफ्ट कोक के मूल्य महीने में दो बार बढ़ाये गये थे लेकिन इसकी सप्लाई नियमित नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप समाज के कमजोर वर्गों के निर्धन व्यक्तियों को राजधानी में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) दिल्ली में हाल के महीनों में सॉफ्ट कोक की उपलब्धि बढ़ गई है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने फरवरी में साफ्ट कोक की कीमतों में दो बार संशोधन किया जिसका कारण खान मुहानों की साफ्ट कोक कीमतों में वृद्धि और दिल्ली में साफ्ट कोक के रखरखाव की लागत में वृद्धि है। हाल के महीनों में दिल्ली में साफ्ट कोक की उपलब्धि बढ़ गई है और इसका वितरण उचित दर की दूकानों के जरीये किया जा रहा है जिससे समाज के कमजोर वर्गों को लाभ हो रहा है।

औद्योगिक घरानों द्वारा न्यासों को दिए गए दान

2923. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ बड़े औद्योगिक घराने ऐसे न्यासों को दान दे रहे हैं, जिनका प्रबन्ध कार्य उनके कुछ निदेशकों के हाथ में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) ऐसे कोई दृष्टान्त सरकार की सूचना में नहीं आये हैं। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (1) (ङ) में निदेशक मंडल को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह कम्पनी के व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से असम्बद्ध संस्था को अथवा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिये, धर्मादा अथवा अन्य निधियां अंशदान में दे सकता है, जो एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु० अथवा पिछले तीन सदय वित्तीय वर्षों के मध्य इसके औसत शुद्ध लाभ का 5 प्रतिशत, जो भी अधिकतर हो, से अधिक न हो, बशर्ते कि इस प्रकार के दान/अंशदान देने के लिये कम्पनी द्वारा इसके पार्षद नियमों में प्राधिकार दिया गया है। जहां तक कम्पनी तथा इसके निदेशकों द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया जाना है, सरकार यथा संभव इस प्रकार के मामलों का कोई आलोकन नहीं करती।

पटना, बिहार में कुकिंग गैस के ऐजेंट

2924. श्री रामावतार शास्त्री : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार की राजधानी पटना में कुकिंग गैस एजेंट नियुक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक एजेंट को आबंटित गैस सिलिंडरों का मासिक कोटा कितना है ;

(घ) क्या गैस सिलिंडरों में भ्रष्टाचार के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों में यदा-कदा प्रकाशित होते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं की शिकायतों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) इस समय पटना में इंडियन आयल कार्पोरेशन के खाना पकाने की गैस के 5 एजेंट काम कर रहे हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

(1) एस० के० ट्रेडिंग कम्पनी

(2) अमरज्योति गैस सर्विस

(3) सुबचन्दिनी गैस सर्विस

(4) पाटलीपुत्र गैस सर्विस

(5) अनामिका इण्डेन

(ग) वितरकों को गैस सिलेंडर का कोटा आवंटन करने की कोई प्रणाली नहीं है। उन्हें सप्लाई उनके द्वारा ग्राहकों को की जा रही रिफिलों की आवश्यकता के अनुसार की जाती है। तथापि, यह सप्लाई, सप्लाई स्रोतों से उत्पाद की उपलब्धता होने पर ही की जाती है।

(घ) विशिष्ट क्षेत्र के गैस वितरकों के विरुद्ध उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतें कभी कभी स्थानीय समाचार पत्रों में छापी जाती हैं।

(ङ) शिकायतों की जांच की जाती हैं और जहां कहीं आवश्यक हो, सम्बन्धित तेल कम्पनी द्वारा औपचारिक उपाय किये जाते हैं।

प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र में स्टाफ आर्टिस्टों के रिक्त पदों की संख्या

2925. श्री राम अवध : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र में स्टाफ आर्टिस्टों के कितने और कौन-कौन से पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) उनमें से, केन्द्रवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कितने पद आरक्षित हैं ; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के नियम

2926. श्री मूल चन्द डागा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसे नियम बनाए हैं जिनमें यह निर्धारित किया गया हो कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, उसे कब और कहां स्थानान्तरित किया जा सकता है और यह कि क्या स्थानान्तरण किए जाने पर वह किसी भत्ते का हकदार होगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो ये विषय सरकार द्वारा किस प्रकार विनियमित किये जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानान्तरणों को संविधान का अनुच्छेद 222 लागू होता है। इस अनुच्छेद में न तो यह उपबंध है कि किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश कब और कहां स्थानान्तरित किया जा सकता है और न उन परिस्थितियों का उपबंध है जिनमें उसे स्थानान्तरित किया जा सकता है। इस अनुच्छेद में इस निमित्त नियम बनाने की भी परिकल्पना नहीं की गई है। अतः सरकार ने इन विषयों पर कोई नियम नहीं बनाए हैं। इस अनुच्छेद के खण्ड (1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके एक उच्च न्यायालय से किसी दूसरे उच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण कर सकेगा। न्यायाधीशों के स्थानान्तरण अनुच्छेद 222 (1) के उपबंधों का अनुपालन करके ही किए जाते हैं।

अनुच्छेद 222 के खण्ड (2) में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानान्तरित न्यायाधीश को प्रतिकारात्मक भत्ते के दिये जाने का उपबंध है। इस उपबंध के अधीन स्थानान्तरित न्यायाधीशों को उनके वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिकारात्मक भत्ता अनुज्ञात किया गया है।

सिनेमा गृहों की हालत

2927. श्री मूल चन्द डागा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जनसंख्या के अनुपात मे अन्य देशों की तुलना में सिनेमा गृहों की संख्या बहुत कम है ;

(ख) क्या देश में सिनेमा गृहों की हालत बहुत खराब है और यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा उदासीनता दिखाये जाने के क्या कारण है ; और

(ग) क्या यह सच है कि मनोरंजन कर में वृद्धि के बावजूद निर्धन व्यक्तियों को सस्ती श्रेणियों के टिकट उपलब्ध नहीं होती ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 31-1-1980 को, अनुमानित 64.68 करोड़ जनसंख्या के लिए हमारे पास कुल 10.392 सिनेमा घर हैं। विकसित देशों में आम तौर से सीटों का अधिक, अनुपात है। देश में प्रदर्शन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम कम लागत वाले सिनेमाघरों के निर्माण के लिए आसान शर्तों पर ऋण देता है !

(ख) और (ग) फिल्मों का वाणिज्यिक प्रदर्शन पूर्णतया निजी क्षेत्र में है, जबकि इसलिए यह विषय राज्य सरकारों से संबंधित है। सिनेमाघरों की हालत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती है, यह कहना सही नहीं होगा कि यह समान रूप से असन्तोषजनक है। मनोरंजन कर में वृद्धि का टिकटों की दरों को कम करने के बजाए इनको बढ़ाने पर सीधा असर पड़ता है।

डालमिया-समूह की कम्पनियां

2929. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री राजेश कुमार सिंह :
स्वामी इन्द्रवेश : क्या विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डालमिया समूह के सदस्यों के स्वामित्व में हैं/नियंत्रणाधीन है ;

(ख) प्रत्येक कम्पनी द्वारा किस प्रकार का व्यापार किया जाता है ; और

(ग) इन में से प्रत्येक को आस्तियां उनके प्रारम्भ के समय और इस समय क्या क्या थीं ?

विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) डालमिया समूह सदस्यों द्वारा स्वयं को नियंत्रित किया जाना मानने वाली, कोई कम्पनी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है । अतः उक्त कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे व्यापार के ब्यौरे देने तथा उनकी परिसम्पत्तियों के मूल्य बताने का निर्धारण करना संभव नहीं है ।

तथापि, यह वर्णनीय है कि कम्पनी विधि बोर्ड ने अपने दिनांक 8.2.80 के आदेश से धारणा बनाई कि 23 उपक्रम ऐसे व्यक्तियों के समूह के नियंत्रणाधीन थे, जो श्री जयदयाल डालमिया के परिवार के सदस्य हैं । इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर दी गयी है तथा मामला सर्वोच्च न्यायालय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत है ।

कम्पनी विधी बोर्ड के आदेश के पश्चात्, 23 कम्पनियों में से, उड़ीसा सीमेंन्ट लिमिटेड तथा कोणार्क मिनरल्स लिमिटेड नामक दो कम्पनियों ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत स्वयं को पंजीकृत करा लिया परन्तु स्वयं को अन्य डालमिया समूह की कम्पनियों से अन्तः सम्बन्धित होना स्वीकार नहीं किया । उनके मामलों में परिसम्पत्तियों के ब्यौरे तथा व्यापार की श्रेणी निम्न प्रकार है :–

नाम	व्यापार की श्रेणी	1979 में परिसम्पत्तियां
उड़ीसा सीमेंट लि०	सीमेंट रेफ्रेक्टरीज, सीमेंट उत्पाद (31.12.79 के तुलन-पत्र के अनुसार)	31.21 करोड़ रुपये
कोणार्क मिनरल्स लि०	अग्निमृत्ति-का तथा क्रोमाईट की खनिज (30.6.79 के तुलन--पत्र के अनुसार)	6,000 रुपये

1980-81 के दौरान कोयले की प्रतिटन उत्पादन लागत

2930. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान कोयले की प्रतिटन उत्पादन लागत क्या थी;

(ख) क्या यह सच है कि कोयले के उत्पादन में वृद्धि की संभावना बहुत उज्ज्वल नहीं है; और

(ग) वर्ष 1981 से 1985 तक के लक्ष्यों के आंकड़ें क्या हैं और विद्युत और इस्पात उद्योगों जैसे कोयले के महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं की बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981 की अवधि के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित कोयले की अनन्तिम औसत उत्पादन लागत लगभग रु० 123.83 प्रतिटन है ।

(ख) जी, नहीं । अप्रैल, 1980 से फरवरी, 1981 को अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोयले के उत्पादन में पहले ही 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है ।

(ग) कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 1981-82 के लिए 121 मी० टन और 1984-85 के लिए 165 मी० टन रखा गया है । कोयला कंपनियां बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय कर रही है:—

(1) जहां कहीं साध्य हो वहां वर्तमान खानों का पुनर्निर्माण/पुनर्गठन

(2) जहां कहीं दशाएं अनुकूल हों वहां ओपेनकास्ट खनन शुरू करना ।

(3) जहां कहीं यंत्रीकृत लांगवाल खान प्रौद्योगिकी अपनाने का अवसर हो वहां यह पद्धति शुरू करना ।

(4) जिन निकटवर्ती इलाकों में प्रमाणित भंडार हों वहां खानें इस प्रकार खोलना कि उनसे न्यूनतम समय में उत्पादन शुरू हो सके ।

तापीय, पन, परमाणु आदि विद्युत उत्पादन की कुल अधिष्ठापित निर्धारित क्षमता

2931. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तापीय, पन, परमाणु आदि विद्युत् उत्पादन की राज्य-वार कुल कितनी पृथक-पृथक अधिष्ठापित निर्धारित क्षमता है तथा इनका अलग-अलग कुल कितना वास्तविक उत्पादन है; और

(ख) उत्पादन क्षमता से कम होने के क्या विशेष कारण हैं और उत्पादन के लक्षित स्तर तक पहुंचने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 28 फरवरी, 1981 को देश में कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता (केवल युटीलिटीज में) 29705 मेगावाट थी । प्रतिष्ठापित क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है । देश में अप्रैल, 1980 से

फरवरी, 1981 के दौरान कुल ऊर्जा उत्पादन 101206 मिलियन यूनिट हुआ जिसमें से 55578 मिलियन यूनिट उत्पादन ताप विद्युत केन्द्रों से, 2742 मिलियन यूनिट न्यूक्लीय केन्द्रों से तथा 42886 मिलियन यूनिट जल विद्युत केन्द्रों से हुआ था।

(ख) देश में विद्युत की कमी के मुख्य कारण ये हैं (1) अपर्याप्त प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता; (2) ताप विद्युत् केन्द्रों का अपेक्षाकृत असंतोषजनक कार्य निष्पादन; तथा (3) 1980 के दौरान देश के कुछ भागों में मानसून वर्षा न होना। प्रणाली में विद्युत् उपलभ्यता में सुधार हेतु कई अल्पकालीन उपाय किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) छुट्टियों के दिनों को अलग-अलग करके, दिन के भारों को रात्रि के समय में शिफ्ट करके आदि द्वारा विद्युत् की भार मांग की बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था करना।

(2) प्रणाली में नई उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि करना। 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। परियोजनाओं का शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम की विस्तृत मानीटरिंग की जा रही है।

(3) विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से वर्तमान ताप विद्युत् संयंत्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना;

(ख) उपस्कर के डिजाइन में कमी का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम शुरू करना;

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना;

(घ) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई। गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रूप से सैम्पलिंग करने के लिए विद्युत् केन्द्रों के प्रतिनिधि कल तैनात किए जा रहे हैं। कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि पत्थर, सलेटी पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ में उठाने के कार्य को तेज करें ताकि गुणवत्ता में सुधार हो। कोयला कम्पनियों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कोयला खानों पर पोर्टेबिल/स्थायी क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिष्कार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें।

(4) जिन इंजीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों को विद्युत् केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

विवरण

28-2-1981 को प्रतिष्ठापित उत्पादन संयंत्र क्षमता

(केवल यूटीलिटीज)

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम/राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता मेगावाट में			
		जल विद्युत्	डीजल तथा गैस सहित ताप विद्युत्	न्यूक्लीय	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	**उत्तरी क्षेत्र**				
1.	हरियाणा	659.51	421.42	—	1080.93
2.	हिमाचल प्रदेश	126.02	2.51	—	128.53
3.	जम्मू और कश्मीर	176.92	29.26	—	206.18
4.	पंजाब	1082.26	454.08	—	1536.34
5.	राजस्थान	648.73	170.85	—	819.58
6.	उत्तर प्रदेश	1219.94	2191.72	—	3411.66
7.	चण्डीगढ़	—	2.00	—	2.00
8.	दिल्ली	—	275.80	—	275.80
9.	केन्द्रीय	120.00	510.00	440	1078.00
	जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	4033.38	4057.64	440	8539.02
II.	**पश्चिमी क्षेत्र**				
10.	गुजरात	300.00	1912.22	—	2212.22
11.	मध्य प्रदेश	193 00	1335.02	—	1528.00
12.	महाराष्ट्र	1317.30	2675.00	—	3992.30
13.	केन्द्रीय	—	16.00	426	516.00
	जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	1810.30	6018.24	420	8248.52
III.	**दक्षिणी क्षेत्र**				
14.	आन्ध्र प्रदेश	977.93	1262.50	—	2240.43
15.	कर्नाटक	1469.80	—	—	1469.80
16	केरल	1011.50	—	—	1011.50

1	2	3	4	5	6
17.	तमिलनाडु	1369.00	960.00	—	2329.00
18.	केन्द्रीय	—	600.00	—	600.00
19.	लक्ष द्वीप	—	1.58	—	1.58
	जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	4828.23	2824.08	—	7652.31
iv	पूर्वी क्षेत्र				
20.	बिहार	150.00	805.45	—	955.45
21.	उड़ीसा	664.42	258.50	—	922.92
22.	पश्चिम बंगाल	38.51	1572.03	—	1610.54
23.	दामोदर घाटी निगम	104.00	1317.50	—	1421.50
24.	सिक्किम	2.95	0.37	—	3.22
25.	अण्डेमान व निकोबार द्वीप समूह	—	6.01	—	6.01
26.	केन्द्रीय	12.00	—	—	12.00
	जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	971.88	3959.86	—	4931.64
v.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
27.	असम	—	161.78	—	161.78
28.	अरुणाचल प्रदेश	8.37	2.40	—	10.77
29.	मणिपुर	0.60	14.40	...	15.00
30.	मेघालय	126.71	4.45	—	131.16
31.	मिजोरम	—	2.89	—	2.89
32.	नागालैण्ड	1.50	2.16	—	3 66
33.	त्रिपुरा	10.00	5.98	—	15.98
	जोड़ (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	147.18	194.06	—	341.24
	जोड़ (अखिल भारत)	11790.97	17053.88	860.00	29712.73

अर्थात् 29713 मेगावाट

इंडियन पेट्रोलियम एण्ड केमीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के पास डी० एम० टी०, तथा आई० डी० पी० एल० के भंडार जमा होना

2932. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पेट्रोलियम, एण्ड केमीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के पास डी० एम० टी० से लगभग 15,000 टन तथा एल० डी० पी० ई० के 24,000 टन बिना बिके पड़ा है;

(ख) यदि हां तो क्या काफी मात्रा में यह भंडार सिन्थेटिक फायबर उद्योग में घाटे और इसके साथ-साथ पोलिएस्टर स्टैपल फाईबर और फिलमैंट यार्न के पर्याप्त आयात के कारण जमा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन वस्तुओं को उठाए जाने के परिणाम स्वरूप आइ० पी० सी० एल० को चालू मूल्य निर्धारण नीति को संशोधित करने के निर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बात का सुझाव दिया गया है कि निगम को अपने विपणन प्रयास सुदृढ करने के लिए कदम उठाने चाहिए; और

(ङ) इन प्रयासों से निगम को किस सीमा तक सहायता मिली है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) फ़रवरी, 1981 में आई० पी० सी० एल० में डी० एम० टी० तथा एल० डी० पी० ई० के क्रमशः लगभग 11200 मी० टन तथा 24000 मी० टन के भण्डार थे।

(ख) पालिएस्टर स्टैपल फाइबर उद्योग के कम क्षमता उपयोग तथा आयात सहित विभिन्न कारणों के परिणामस्वरूप डी० एम० टी० की मांग में गिरावट आ गई है। एल० डी० पी० ई० की मांग में जैसी आशा की गयी थी वैसी तेजी नहीं आई ।

(ग) जी, नहीं। अई० पी० सी० एल० ने कच्ची सामग्री के मूल्यों में वृद्धि होने के बावजूद 17-8-1979 से डी० एम० टी० के विक्रय मूल्यों को बनाये रखा है। 3-11-1980 से एल० डी० पी० ई० के मूल्य में 1000 रुपये प्रति टन की कमी की गयी थी। दिनांक 8-1-1981 से नैफ्था तथा भट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद इसमें वृद्धि नहीं की गई थी ।

(घ) और (ङ) आई० पी० सी० एल० ने एल० डी० पी०ई० के विक्रय को प्रोत्साहन देने के लिए पहले ही कदम उठा लिये हैं जिसके परिणामस्वरूप इसकी कुल खरीद में वृद्धि होने की आशा है। हाल के महीनों में डी० एम० टी० की कुल खरीद में सुधार हुआ है।

सिंदरी उर्वरक संयंत्र में उत्पादन

2933. **श्री बी० वी० देशाई** :

श्री पी० एम० सईद : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी उर्वरक संयंत्र में जबरदस्ती लागू किये गये 11 महीने के बंद के बाद इस वर्ष से उत्पादन पुनः आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सिंदरी उर्वरक संयंत्र से जनवरी और फरवरी, 1981 के दौरान कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) क्या बंद के दौरान हुई इसकी हानि को पूरा करने के लिए इसका उत्पादन दुगुना करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भण्डार में कच्चे माल न होने के कारण जनवरी, 1980 के मध्य में सिंदरी आधुनिकीकरण संयंत्र को बन्द करना पड़ा था। कच्चे माल की सप्लाई पुनः आरम्भ होते ही संयंत्र को सितम्बर 1980 में पुनः आरम्भ किया गया था और जनवरी, 1981 से अमोनिया और यूरिया का स्थिर उत्पादन शुरू किया गया था।

(ख) सिंदरी उर्वरक संयंत्र से जनवरी और फरवरी 1981 के दौरान उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(टनों में)

मं	नाइट्रोजन	पी2 ओ5
जनवरी	6,700	600
फरवरी	4,200	3500

(ग) संयंत्र को उच्च दक्षता स्तर पर चलाने हेतु कच्चे माल और निवेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रबन्ध किये गये हैं।

बड़ी जल विद्युत् परियोजनाओं के लिए कनाडा से सहायता

2934. **श्री बी० बी० देसाई :**
श्री पी० एम० सईद :
श्री चिन्तामणि जेना :
श्री के० प्रधानी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने प्रमुख जल विद्युत् परियोजनाओं के जांच के लिए कनाडा से सहायता मांगी है;

(ख) क्या कनाडा सरकार ने हमारे अनुरोध पर कोई उत्तर भेजा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अन्तिम करार किया जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो यह करार किस समय हो जाने की संभावना है; और

(ङ) उनके द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) कनाडा से अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) से (ङ) इस स्थिति में प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों के उत्पादन में कमी

2935. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूरे देश में उर्वरकों के उत्पादन में तेजी से कमी आई है;

(ख) क्या यह सच है कि असम आन्दोलन को न सुलझा पाने के कारण 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है;

(ग) अन्य एककों में उर्वरकों के उत्पादन में कमी के क्या कारण है;

(घ) क्या 1981-82 के दौरान उर्वरकों का आयात किया जाएगा यदि हां, तो कितनी मात्रा में और किन देशों से;

(ङ) 1981-82 के दौरान उर्वरक उत्पादन के नए लक्ष्य क्या है; और

(च) उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जबकि वर्ष 1980-81 में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन में कमी हुई है किन्तु फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ख) फरवरी, 1981 के अन्त तक असम आन्दोलन के कारण लगभग 235 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 5.41 लाख टन नाइट्रोजन की हानि का अनुमान है।

(ग) वर्ष 1980-81 में विभिन्न यूनिटों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उत्पादन मुख्यतया अनेक कारणों से प्रभावित रहा, जैसे बिजली कटौती/बिजली समस्या, असम आन्दोलन के कारण अनेक प्लांटों के फीडस्टाक सप्लाई में बाधा और बन्द होना।

(घ) चूंकि वर्ष 1981-82 में उर्वरकों की मांग पूरी करने के लिए स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए, मांग और सप्लाई के मध्य की कमी पूरी करने के लिए आयात करना आवश्यक होगा। वर्ष 1981-82 के लिए आयात के ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा।

(ङ) वर्ष 1981-82 में अस्थायी रूप से 30 लाख टन नाइट्रोजन और 9 लाख टन पी2 ओ5 के रूप में उर्वरकों के उत्पादन का अनुमान है।

(च) गोरखपुर और नामरूप प्लांटों को छोड़कर पहले इन सामग्रियों की कमी के कारण प्रभावित विभिन्न उर्वरक प्लांटों को फीड स्टाक/कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए कदम पहले ही उठाए गए हैं। गोरखपुर प्लांट को पर्याप्त फीडस्टाक की सप्लाई के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि नामरूप प्लांटों के शीघ्र ही सामान्य संचालन करने की आशा है।

मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन तथा उसकी आवश्यकता

2936. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक रुकावटों और कमियों के कारण मध्य प्रदेश की बिजली की आवश्यकता पूरी नहीं की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य बिजली बोर्ड और मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के एककों ने कितनी बिजली का उत्पादन किया ;

(ग) 1981-82 में मध्य प्रदेश को कितनी बिजली की आवश्यकता है और क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के माध्यम से केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा बिजली की कितनी कमी पूरी की जायेगी ; और

(घ) मध्य प्रदेश को बिजली के उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने के लिए केन्द्र सरकार के विचाराधीन कौन से वर्तमान तथा नए प्रस्ताव हैं, तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां । मध्य प्रदेश में बिजली की कुछ कमी है ।

(ख) मध्य प्रदेश में स्थित उत्पादन केन्द्रों से पिछले पांच वर्षों में हुआ ऊर्जा का उत्पादन नीचे दिए अनुसार है :—

कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)

उत्पादन का प्रकार	1976-77	77-78	78-79	79-80	80-81 (अप्रैल से जनवरी, 81 तक)
ताप विद्युत	4263	4876	5025	5622	5101
जल विद्युत	548	660	624	465	248
जोड़ :	4811	5536	5649	6087	5349

(ग) 1981-82 के दौरान मध्य प्रदेश की विद्युत की आवश्यकता का अनुमान नीचे दिए अनुसार है :—

व्यस्ततम मांग	1469 मेगावाट
ऊर्जा मांग	8516 मिलियन यूनिट

क्षेत्रीय बिजली बोर्ड से मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई, इस क्षेत्र के अन्य घटक राज्यों के पास उपलब्ध फालतू बिजली पर निर्भर करेगी ।

(घ) मध्य प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाएं क्रियान्वयन में हैं :—

परियोजना का नाम	लाभ (मेगावाट) 1980-85 के दौरान	85-90 के दौरान
1. सतपुड़ा 8 और 9 (ता० वि०)	420	—
2. कोरबा पूर्व (ता० वि०)	120	—

1	2	3
3. कोरबा पश्चिम (ता० वि०)	420	—
4. कोरबा पश्चिम विस्तार (ता० वि०)	420	—
5. पेंच (राज्य का हिस्सा) (ज० वि०)	106.6	—
6. बिरसिंगपुर (ता० वि०)	—	420
7. बोध घाट (ज० वि०)	—	500
जोड़ :	1486.60	920

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सेक्टर के कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र से मध्य प्रदेश को विद्युत का आबंटन मिलेगा ।

मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन हैं :—

स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)
विन्ध्याचल (ता० वि०)	2×500
सिंध (ज० वि0)	3×25
ओरछा (ज० वि०)	2×30+2×15
वसदेब (ज० वि०)	3×40
कुत्रू (ज० वि०)	3×50
बाणसागर	3×105+2×15+3×15

सोवियत रूस द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई

2937. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1981 में भारत को और कच्चे तेल की सप्लाई के लिए सोवियत रूस के साथ विचार विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो योजना मंत्री द्वारा अपनी यात्रा के दौरान सोवियत नेताओं के साथ किए गए विचार विमर्श के क्या परिणाम रहे हैं और सोवियत रूस कच्चा तेल, पेट्रोलियम और इसके उत्पादों तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई में कितनी वृद्धि करने के लिए सहमत हो गया है ;

(ग) भारत द्वारा अदा किया जाने वाला दोनों देशों द्वारा सहमत हुआ मूल्य क्या है, और क्या यह मैत्रीपूर्ण आधार पर लिया गया मूल्य/अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अथवा तेल निर्यातक देशों के संगठन द्वारा लिया जाने वाला मूल्य अथवा अपने मित्र देशों से सोवियत रूस द्वारा मूल्य लिया जाने वाला मूल्य होगा ; और

(घ) 1981 के दौरान कुल कितनी सप्लाई की जानी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ सोवियत मंत्रियों और नेताओं के साथ विचार विमर्श किये गये थे । उनका सम्बन्ध मुख्यत: भारत और सोवियत संघ के योजना अधिकारियों के बीच सहयोग देने से था ।

(ग) और (घ) 1981-85 के लिए व्यापार योजना के अन्तर्गत सोवियत संघ भारत को प्रत्येक वर्ष खनिज तेल और उत्पादों की विशिष्ट मात्राएं देगा । इन वार्षिक मात्राओं के बढ़ाने के संबन्ध में विचार विमर्श किए गए हैं और एक निर्णय पर पहुंच गये हैं । ब्यौरे जनहित में नहीं दिये जा सकते हैं ।

मांग की पूर्ति के लिए विद्युत उत्पादन में वृद्धि

2938. श्री जगपाल सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है जैसा कि मंत्रालय के आंकड़ों में बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और क्या यह देश की मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मांग की पूर्ति के लिए विद्युत् उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के लिए कोई कदम उठा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) ऊर्जा के उत्पादन में पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में नवम्बर, 1980 में 20%, दिसम्बर, 1980 में 16.3%, जनवरी, 1981 में 9.5% तथा फरवरी, 1981 में लगभग 10.3% की वृद्धि हुई है । तथापि, यह ऊर्जा उत्पादन सम्पूर्ण देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रणाली में विद्युत् उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कदम उठाए गए हैं । इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) छुट्टियों के दिनों को अलग-अलग करके, दिन के भारों को रात्रि के समय में शिफ्ट करके आदि द्वारा विद्युत् की भार मांग की बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था करना ।

(2) प्रणाली में नई उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि करना। 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। परियोजनाओं का शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम की विस्तृत मानीटरिंग की जा रही है।

(3) विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से वर्तमान ताप विद्युत् संयंत्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्रक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना ;

(ख) उपस्कर के डिजाइन में कमी का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम शुरू करना ;

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना ;

(घ) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई। गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रूप से सैम्पलिंग करने के लिए विद्युत् केन्द्रों के प्रतिनिधि वहां तैनात किए जा रहे हैं। कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि पत्थर, सलेटी पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ में उठाने के कार्य को तेज करें ताकि गुणवत्ता में सुधार हो। कोयला कम्पनियों को यह सलाह भी दी गयी है कि वे कोयला खानों पर पोर्टेबिल/स्थाई क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिष्कार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें।

(4) जिन इंजीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों को विद्युत् केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

महाराष्ट्र के ताप-बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई

2939. श्री आर० के० महालगी : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कौन कौन से ताप-बिजली घर हैं ;

(ख) जनवरी, 1980 से लेकर उसके बाद के महीनों में महीने-वार उनमें से प्रत्येक को आवंटित किए गए और वास्तव में उनके द्वारा प्राप्त किए गए कोयले की मात्रा कोयले की

ढुलाई के लिए उन्हें आवंटित वैगनों के किस्म और कोयले की वैगनों के रुके रहने सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) महाराष्ट्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के ताप विद्युत् केन्द्रों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. भुसावल
2. बल्लारशाह
3. खापरखेड़ा
4. कोराड़ी
5. नासिक
6. पारस
7. पारली

इसके अतिरिक्त, टाटा द्वारा प्रचालित किया जा रहा ट्राम्बे ताप विद्युत् केन्द्र तथा रेलवे द्वारा प्रचालित किया जा रहा चोला ताप विद्युत् केन्द्र भी महाराष्ट्र में स्थित है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के ताप विद्युत् केन्द्रों के सम्बन्ध में जनवरी, 80 से जनवरी 81 की अवधि के लिए कोयले का आबंटन और वास्तविक प्राप्तियां दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

खापरखेड़ा ताप विद्युत् केन्द्र को कोयले की ढुलाई आठ पहियों वाले और चार पहियों वाले दोनों प्रकार के नैरो गेज के वैगनों के द्वारा तथा कोराड़ी, नासिक, भुसावल और पारली विद्युत् केन्द्रों के लिए सामान्यतः आठ पहियों वाले और चार पहियों वाले खुले किस्म के वैगनों द्वारा की जाती है। पारस विद्युत् केन्द्र को कयले की सप्लाई चार पहियों वाले खुले किस्म के वैगनों में प्राप्त होती है। सामान्यतः ताप विद्युत् केन्द्रों द्वारा वैगनों को खाली करने के लिए जो निर्धारित निःशुल्क समय अवधि है उससे अधिक अवधि के लिए वैगनों को नहीं रोका जाता। तथापि, यदि कोयला हैंडलिंग संयंत्र में ब्रेक डाऊन हो जाए अथवा बड़े आकार का कोयला तथा कोयले के बड़े-बड़े ढेले, गीला कोयला, सलेटी पत्थर, पत्थर तथा ट्रैम्प लोहा आदि कोयले के साथ प्राप्त होते हैं या जब कभी विद्युत् केन्द्रों पर कई कोयला रेक एक साथ आ जायं तो कभी-कभी वैगनों को ज्यादा देर तक रोकना पड़ जाता है।

(ग) कोयला सप्लाई कम्पनियों को सलाह दी गई है कि ताप विद्युत् केन्द्रों को बड़े साइज़ का कोयला सप्लाई न करें बड़े साइज़ का कोयला सप्लाई करने वाली चूककर्ता कोयला खानों का पता लगाया जाना है और सरकारी कार्रवाई की जानी है। महाराष्ट्र में स्थित ताप विद्युत् केन्द्रों सहित ताप विद्युत् केन्द्रों को कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए रेलवे को कहा गया है।

विवरण

महाराष्ट्र के ताप विद्युत केन्द्रों के संबंध में जनवरी, 80 से जनवरी, 81 तक की अवधि के दौरान स्थायी लिंकेज समिति द्वारा किया गया आवंटन और वास्तविक प्राप्तियों को दिखाने वाला विवरण

क्र० सं०	ताप विद्युत केन्द्र का नाम		1/80	2/80	3/80	4/80	5/80	6/80	7/80	8/80	9/80	10/80	11/80	12/80	1/81
1.	भुसावल	ए	45	85	80	80	80	80	80	80	80	105	105	105	90
		आर	21	30	45	42	61	55	47	44	51	55	111	92	118
2.	खापरखेड़ा	ए	33	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		आर	29	29	31	35	33	28	29	28	33	40	31	22	40
3.	कोराड़ी	ए	212	220	220	220	220	220	220	220	220	230	230	230	230
		आर	199	168	158	221	211	209	198	160	195	137	185	229	197
4.	नासिक	ए	120	150	150	160	160	160	160	160	160	175	175	175	190
		आर	109	101	103	110	138	120	122	73	73	123	165	182	186
5.	पारस	ए	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
		आर	26	30	31	29	35	39	40	42	46	47	41	26	45
6.	पारली	ए	35	25	25	35	35	35	40	55	55	60	60	60	60
		आर	21	27	23	22	30	24	37	33	14	24	32	45	47
7.	बल्लारशाह	ए	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9
		आर	9	7	7	7	7	8	8	6	8	8	7*	10	12

नोट :—* मूल्यांकित आंकड़े

ए—आवंटन

आर—प्राप्ति

समाज के दैनिक जीवन से सम्बद्ध घटनाओं का चित्रण

2940. श्री आर० के० महालगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सम्बन्ध में विशेषकर समाज के दैनिक जीवन से सम्बद्ध सामान्य स्थिति के अस्तव्यस्त होने के सम्बन्ध में सूचना देने सहित गतिविधियों को प्रस्तुत करने की पर्याप्त व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को जानकारी है कि महाराष्ट्र के बड़े भाग में डाक सेवाएं दिसम्बर, 1980 से लगभग 2 महीनों तक ठप्प पड़ी रही;

(घ) यदि हां, तो क्या पत्र सूचना कार्यालय, आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन केन्द्रों ने वहां होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में कोई समाचार दिया;

(ङ) यदि हां, तो सरकारी संगठनों द्वारा इस प्रसार माध्यमों के संगठन प्रभारी द्वारा जारी की गई बुलेटिनों/अथवा प्रेस विज्ञप्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो विशेषकर तब जब इन मामलों की प्रैस को व्यापक रूप से दिया गया हो, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सरकार अपने माध्यम एककों अर्थात् पत्र सूचना कार्यालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से समाज के जीवन के विभिन्न पहलुओं और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की गतिविधियों तथा सामान्य गतिविधियों के अस्त-व्यस्त होने के सम्बन्ध में जब भी प्रमाणिक सूचना उपलब्ध होती है, उसको व्यावसायिक और वस्तुनिष्ट ढंग से प्रतिबिम्बित करती है। पत्र सूचना कार्यालय समाचारपत्रों तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन को भी सरकार के मंत्रालयों और विभागों की गतिविधियों के बारे में फीचर और लेख जारी करता है। आकाशवाणी समाज के दैनिक जीवन के बारे में समाचार प्राप्त करने के लिए देश की चारों समाचार एजेंसियों की ग्राहक है। इसके अलावा, आकाशवाणी के नियमित और अंशकालिक दोनों प्रकार के संवाददाता, आकाशवाणी को समाचार भेजते हैं। मौसम पूर्वानुमान के सम्बन्ध में, मौसम विभाग से सीधे सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था है। यातायात, रेल, सड़क सेवाओं, पानी सप्लाई और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की व्यवस्थ के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित स्रोतों से प्राप्त की जाती है। राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों में प्रसारण करने के अलावा, सर्वथा क्षेत्रीय महत्व के मामलों को क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों में भी कवर किया जाता है। समाचार पत्र के आलावा, समाज के दैनिक जीवन में सामाजिक और मानव पहलुओं से संबंधित होने वाली घटनाओं को आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित होने वाले "फार्म और गृह" "महिलाओं के लिए कार्यक्रम", "बच्चों के लिए कार्यक्रम" नाटकों और रूपकों इत्यादि जैसे कार्यक्रमों में प्रतिबिम्बित किया जाता है। दूरदर्शन के देश में कतिपय शहरों और नगरों में कुछ फुटकर संवाददाता हैं।

(ग) से (च) डाक-तार कर्मचारियों को समयोपरि-भत्ते की अदायगी में विलम्ब के सम्बन्ध में बम्बई में 31-12-80 की मध्य रात्रि से 2-1-81 के अपराह्न तक दो दिन आन्दोलन हुआ था और केवल एक यूनिट अर्थात् बम्बई आर० एम० एस० इससे विशेष रूप से प्रभावित हुई थी। क्योंकि सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त नहीं हुआ था, इसलिए घटना का प्रसारण नहीं किया गया था।

एकाधिकारी घरानों से प्रेस को मुक्त कराने के लिए कार्यक्रम

2941. श्री चित्त बसु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रेस को एकाधिकार गृहों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए अपने कार्यक्रम को ठोस रूप प्रदान किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कार्यवाही कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सरकार का यह मत है कि इस मुद्दे की गहराई से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। प्रेस का स्वामित्व पैटर्न, वित्तीय संरचना और चेन समाचारपत्रों से संबंधित मामलों को पुनर्गठित प्रेस आयोग के संशोधित विचारणीय विषयों में शामिल किया गया है। प्रेस आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर सरकार मामले में आगे कार्रवाई करेगी।

जल विद्युत् उत्पादन के लिए विदेशी तकनीकी जानकारी प्राप्त करना

2942. श्री चित्त बसु : क्या **ऊर्जा मंत्री** जल विद्युत् उत्पादन के लिए विदेशी तकनीकी जानकारी के बारे में 18 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 254 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल विद्युत् उत्पादन के लिए विदेशी तकनीकी जानकारी के उपयोग के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो चुने गये किन विशिष्ट स्थानों पर इसका उपयोग किया जायेगा;

(ग) क्या किसी विदेशी सहयोगकर्ता के साथ इस बारे में इस बीच कोई करार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जल विद्युत् परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने की दृष्टि से, सरकार ने चुने हुए क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकी को लाने का निर्णय सिद्धान्त रूप में लिया है।

(ग) कोई अन्तिम समझौता नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"थर्ड वर्ल्ड आस्कड टू कोपरेट ओन आयल" शीर्षक से समाचार

2943. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 फरवरी, 1981 के "टाइम्स आफ इंडिया" नई दिल्ली संस्करण में "थर्ड वर्ल्ड आस्कड टू कोपरेट आन आयल" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) 16 फरवरी, 1981 को टाइम्स आफ इंडिया में छपे समाचार का आशय, संभवतः ई० एस० सी० ए० पी० द्वारा "ई० एस० सी० ए० पी० क्षेत्र में ऊर्जा की स्थिति के अल्पावधि आर्थिक नीति सम्बन्धी पहलुओं पर तैयार किये गये उस दस्तावेज से है जिसे विकास योजना समिति के तीसरे सत्र तथा मार्च में बैंकाक में ई० एस० सी० ए० पी० के होने वाले 37वें अधिवेशन में उठाये जाने वाले विशिष्ट कार्यसूची मदों के सम्बन्ध में सदस्य देशों में विचार विमर्श के लिए परिचालित किया गया था ।

रिपोर्ट में सामान्य रूप से सुझाई कई कार्यविधि एवं नीति निर्देश हमारी विचारधारा के अनुरूप है ।

असम में आयल-इन्डिया की पाईप लाइन में बम विस्फोट

2944. श्री एस० एम० कृष्ण :

श्री सुभाष यादव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल-इन्डिया की 1158 किलोमीटर लम्बी नहरकटिया-बरौनी पाइपलाइन में दिनांक 13 फरवरी, 1981 को हुए बम विस्फोट से छिद्र हो गया है जिसके परिणामस्वरूप असम के ऊपरी भाग के तेल क्षेत्रों से बरौनी तेल शोधक कारखाने को कच्चे तेल की पंपिंग स्थगित करनी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस गड़बड़ी को अब तक दूर किया जा चुका है और तेल की पंपिंग पुनः शुरू हो गई है; यदि नहीं, तो उसमें अब क्या कठिनाई है; और

(ग) पाइपलाइन को इस प्रकार की गड़गड़ से तथा बरौनी तेल शोधक कारखाने को, जिसे असम आन्दोलन के कारण पहले ही बहुत लम्बे समय तक बन्द रहना पड़ा है, सप्लाई मिलने में होने वाली रुकावट से बचने के लिए क्या ठोस उपाएं किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) क्षतिग्रस्त भाग को छोड़ दिया गया था । और बम विस्फोट के बाद उसी दिन करीब 12 घन्टों में

लूप लाइन के माध्यम से कच्चे तेल की पंपिंग की गई थी। मुख्य लाइन की मरम्मत हो गई है और इसे 15-2-81 के प्रयोग में लाया गया था।

(ग) पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा एहतियाती उपाय किये गये हैं।

सिंगरौली ताप बिजली घर की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि किया जाना

2945. श्री राम प्यारे पनिका : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से सिंगरौली ताप बिजली घर की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने तथा इस बिजली घर से तथा नाथपुरा बिजली घर से उत्तर प्रदेश को मिलने वाली बिजली के हिस्से में बढ़ोतरी का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में अन्य बातों के साथ केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में लिए जा रहें सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र तथा नरोरा परमाणु विद्युत केन्द्र से विद्युत के आबंटन का उल्लेख करते हुए केन्द्र को लिखा है तथा अनुरोध किया है सिंगरौली परियोजना के आबन्टित न किये गये 300 मेगावाट के भाग को तथा नरोरा परियोजना के समस्त उत्पादन को उत्तर प्रदेश के लिए सुरक्षित कर दिया जाए।

(ख) और (ग) सरकार की वर्तमान नीति यह है कि केन्द्रीय ताप विद्युत केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र से विद्युत का आबंटन देश में सभी केन्द्रीय ताप विद्युत केन्द्रों के लिए अपनाये गए आबंटन फार्मूला के आधार पर किए जाने चाहियें। इस फार्मूले के अनुसार, केन्द्र की क्षमता का 15 प्रतिशत भाग बिना आबंटन के ही रख लिया जाता है तथा क्षेत्र में लाभ पाने वाले राज्यों को समय-समय पर, कमियों के आधार पर, आबंटित किया जाता है। इसी तरह, केन्द्र द्वारा अन्य राज्यों में निर्माणाधीन, परमाणु विद्युत केन्द्रों के लिए जो सिद्धान्त अपनाये जाने हैं वही सिद्धान्त नरोरा परमाणु विद्युत केन्द्र से विद्युत आबंटन के लिए भी अपनाने का प्रस्ताव है।

बिहार के जिलों में कुकिंग गैस के कनेक्शनों की मांग

2946. श्री विजय कुमार यादव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में कुकिंग गैस के कनेक्शनों की कुल मांग क्या है और वर्तमान सप्लाई की दर क्या है;

(ख) उक्त गैस के कनेक्शनों के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में लंबित आवेदनों की कुल संख्या क्या है और इन आवेदनों के निपटान के लिए क्या योजना बनाई गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि कुकिंग गैस की अत्यधिक कमी है और यदि हां, तो इस कमी के बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) बिहार राज्यों में 31-12-81 को गैस कनेक्शन देने के लिए कुल आवेदन पत्रों की बकाया संख्या करीब 48,500 है। 31-3-81 तक बिहार राज्य में खाना पकाने की गैस के लिए दिए गये कनेक्शनों की कुल संख्या करीब 104011 हैं। जिलेवार विवरण तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। तेल कम्पनियों की सभी राज्यों में जिसमें बिहार शामिल है में प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को क्रमिक रूप से चालू वर्ष की प्रथम तिमाही से गैस कनेक्शन देने की योजना है।

(ग) बरौनी शोधनशाला के बंद रहने तथा अन्य स्रोतों से उत्पाद की कम उपलब्धता के कारण राज्य में खाना पकाने की गैस का कुछ अभाव रहा है। बरौनी शोधनशाला द्वारा इस वर्ष में जनवरी से उत्पादन दुबारा शुरू किया गया है। खाना पकाने की गैस की सप्लाई स्थिति में शीघ्र ही सुधार होने की आशा है।

औषध मूल्यों में संशोधन

2947. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पेट्रोलियम. रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में 60 "बल्क" औषधि मूल्यों में संशोधन करने सम्बन्धी सरकारी अधिसूचना से पीड़ित जनता के लिए प्रायः सभी आवश्यक औषधियां महंगी हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 60 बल्क औषधियों के मूल्यों में संशोधन करने के क्या कारण हैं तथा प्रत्येक मामले में किस सीमा तक संशोधन किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 111 बल्क औषधों के मूल्य अब तक संशोधित किए गए हैं जिनमें से कुछ में वृद्धि और कुछ में कमी की गई है। उसी प्रकार फार्मुलेशनों के मूल्य में भी कुछ मामलों में वृद्धि और कुछ में कमी होगी

(ख) और (ग) बल्क औषधों के नाम और मूल्य में की गई वृद्धि और कमी दर्शाने वाला **विवरण पत्र** संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-2068/81) अधिकतर औषधों के मूल्य जो पहले मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत थे, अनेक वर्षों तक अपरिवर्तित रहे और मार्च, 1970 में नई औषध नीति के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए विशेष रोक लगाई गई थी। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्पश्चात् मूल्य संशोधन अपेक्षित था। इसी बीच कच्चे मालों की लागत में काफी वृद्धि हुई. विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप/इसलिए यह मूल्य संशोधन हुआ जिसमें इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखा गया है।

रसायनिक, उर्वरक की स्थापित क्षमता/उत्पादन

2948. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के संयन्त्रों में 1970-71 से 1980-81 तक रसायनिक उर्वरकों की अलग-अलग और वर्षवार कुल अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन क्या रहा; और

(ख) क्षमता के उपयोग में वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) अपेक्षित ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) सामान्यतया उर्वरक प्लांटों के क्षमता उपयोग में वृद्धि या कमी बिजली कटौती, फीडस्टाक और निवेशों की कमी, उपकरण खराबी, श्रमिक समस्या आदि जैसे कारण की अनुपस्थिति या उपस्थिति पर निर्भर करती है।

विवरण

वर्ष 1970-77 से 1980-81 तक उर्वरकों की वर्षवार और क्षेत्रवार संस्थापित क्षमता और उत्पादन

(आंकड़े, पोशकतत्व के 000 टन में)

वर्ष	क्षेत्र	वार्षिक स्थापित क्षमता		वास्तविक उत्पादन	
		नाइट्रोजन	पी2 ओ5	नाइट्रोजन	पी2 ओ5
1970-71	सरकारी	650.0	98.3	382.0	51.0
	गैर सरकारी	656 0	316.7	449.0	178.0
1971-72	सरकारी	864.0	183.3	447.0	70.0
	गैर सरकारी	656.0	316.7	505.0	288.0
1972-73	सरकारी	884.0	183.3	496.0	115.0
	गैर सरकारी	656.0	316.7	564.0	211.0
1973-74	सरकारी	1132.0	183.3	535.0	115.0
	गैर सरकारी	887.0	316.7	525.0	208.0
1974-75	सरकारी	532.0	303.3	547.0	122.0
	गैर सरकारी	849.0	316.7	630.0	205.0
1975-76	सरकारी	1187.0	196.0	719.0	120.0
	गैर सरकारी	1107.0	369.0	701.0	163.0
	सहकारी	215.0	127.0	115.0	37.0
1976-77	सरकारी	1503.0	223.0	857.0	136.0
	गैर सरकारी	1270.0	451.0	885.0	250 0
	सहकारी	215.0	127.0	150.0	94.0

1	2	3	4	5	6
1977-78	सरकारी	1543.0	337.0	835.2	212.5
	गैर सरकारी	1270.0	451·0	962.0	303.7
	सहकारी	215.0	127.0	203.2	153.0
1978-79	सरकारी	1774.0	502.0	975.0	278.0
	गैर सरकारी	1276.0	451.0	963.2	316.6
	सहकारी	215.0	127.0	231.8	175.4
1979-80	सरकारी	238.2	659.0	1053 0	262.6
	गैर सरकारी	1294.0	444.0	993.1	314.3
	सहकारी	215.0	127·0	179.9	159.8
1980-81	सरकारी	2838.0	665.0	842.9X	243.5X
	गैर सरकारी	1294.0	490.0	664.9X	293.0X
	सहकारी	215.0	127.0	189.7X	163.7X

(×अप्रैल 1980 से जनवरी, 1981 तक)

विदेशी औषध फर्मों द्वारा कमाया गया मुनाफा

2949. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कार्यरत प्रत्येक विदेशी औषध फर्म ने वर्ष 1975-76 से 1979-80 तक प्रतिवर्ष कुल कितना मुनाफा कमाया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : अपेक्षित सूचना जहां तक उपलब्ध थी, दिनांक 9-12-80 को लोक सभा अता० प्र० सं० 3098 के उत्तर में पहले ही दी जा चुकी है।

फिल्म-निर्माताओं की ओर बकाया ऋण

2950. श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म निर्माण के लिए फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं, चलचित्रों के निदेशकों को दिए गए ऋण की कुल कितनी धनराशि उनकी ओर अभी बकाया है ;

(ख) किन-किन निर्माताओं/निदेशकों की ओर धनराशि बकाया है और कब से बकाया है ; और

(ग) उनसे ऋण की धनराशि वसूल करने के लिए सरकार/फिल्म वित्त निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) 31-12-1980 के दिन की स्थिति के अनुसार सूचना संलग्न विवरण में दी हुई है।

(ग) ऋणों को वसूल करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं। इनमें वाणिज्यिक वितरण चैनल, टी० वी० सर्किटों, गैर वाणिज्यिक सर्किट यथा विश्वविद्यालय फिल्म क्लब, फिल्म सोसाइटियां, आदि के माध्यम से फिल्म का उपयोग शामिल है। इसके साथ-साथ, दोषी ऋणियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाहियां, जहां उचित हैं, की जाती हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम जिसके साथ 11-4-1980 को फिल्म वित्त निगम को मिलाया गया था, के निदेशक मंडल ने निदेशकों की एक उप समिति बनाई है जो ऐसे सभी मामलों, जिनमें ऋण बकाया है, की अलग अलग से जांच करेगी और बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें करेगी।

विवरण

विवरण जिसमें फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्म-निर्माताओं/निदेशकों को दिए गए ऋणों की 31-12-1980 को बकाया राशि, उन निर्माताओं/निर्देशकों/के नाम जिनकी ओर राशि बकाया है और जिस अवधि से बकाया है वह दी हुई है

क्र० सं०	निर्माता/निर्देशक का नाम	31-12-1980 को बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
1	2	3	4
	5 वर्ष से अधिक समय से बकाया		
1.	आनन्द फिल्म्स	233903.00	28845.17
2.	बिमलराय पिक्चर्स	118000.00	—
3.	रूप रेखा	200000.00	10293.95
4.	लूला मनोहर	94954.40	31115.47
5.	कान्ति लाल राठौड़	124500.00	—
6.	चितानन्द दास गुप्ता	235500.00	54569.40
7.	राज मरब्रोस	215500.00	47909.09
8.	सत्यदेव गोविन्द प्रोडक्शन्स	115000.00	—
9.	मणि कौल	202669.48	38564.56
10.	अरुणधति देवी	217800.00	47051.36
11.	गजानन्द जागीरदार	78349.91	—
12.	सुरेश सहगल	308964.66	42320.51
13.	अर्जुन देव पाशक	248615 07	38703.47
14.	ए० के० फिल्म्स	253461.71	4980.04

1	2	3	4
15	कुमार टी० साहनी	288954.00	—
16.	गीरीश वैद्य	161304.00	10355.25
17.	निरंजन पटनायक	150000.00	10002.91
18.	रिटो प्रोडक्शन्स	132429.22	—
19.	अवतार कृष्ण कौल	297626.74	—
20.	यूनिट 3 एम० एम०	158461.02	—
21.	मृणाल सेन	253339.10	—
22.	गीरीश रन्जन	241068.39	—
23.	मणि कौल	55345.63	—
24.	सामन्तर चित्र	72574.60	—
25.	श्यामल गुह	240000.00	—
26.	एम० सी० बिनायक	450000.00	—
27.	रमेश दानी पिक्चर्स	155331.35	—
	3 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय से बकाया		
28.	आर० एस० बेदी	447463.04	—
29.	टी० पी० रामरेडी	134604.77	—
30.	हिरू के० अडवानी	150000.00	—
31.	युक्त फिल्म सोसायटी लिमिटिड	442054.63	—
32.	सरैया प्रोडक्शन्स	11000.00	—
33.	प्रेम सिंह वर्मा	381683.23	—
	2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम समय से बकाया		
34.	मुज़फ्फर अली	444731.67	—
35.	बिमल दत्त	149664.59	—
*36.	देवकी चित्र	500000.09	—
37.	एस० सुखदेव	99878.93	—
38.	रविन्द्र गुप्त	388198.54	—

*फिल्मों के वितरण के लिए

1	2	3	4
		1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम समय से बकाया	
39.	एन० पटवर्धन	339799.51	—
40.	कृष्णा मुवीज़	400000.00	—
41.	जाहनु बरुआ	238819.18	—
42.	चित्र भरथ	300000.00	—
43.	संचार फिल्म को० ओ० सोसाइटी लि०	383499.51	—
44.	सैयद अख्तर मिर्जा	396799.47	—
45.	कलिंगा फिल्म इन्टरनैशनल	423509.61	—
46.	एम० एस० साथू	340432.23	—
47.	भारत चलचित्र	3771.56	—
		6 महीनों से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम समय से बकाया	
48.	नियो फिल्म्म	355000.00	—
49.	तंवीर अहमद प्रोडक्शन	338645.46	—
50.	दुर्गा खोटे प्रोडक्शन	38910.26	—
51.	विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन	336239.09	—
52.	कविता फिल्म्स	74863.15	—
53.	एम० सरकार प्रोडक्शन	209428.22	—
		6 महीनों के समय तक का बकाया.	
54.	फिल्म वालास	225000.00	—
55.	बलवन्त गार्गी	50000.00	—
56.	बी० डी० गर्ग प्रोडक्शन	30000.00	—
		कुल : 13237818.93	364710.18

महात्मा गांधी पर फिल्म बनाने के लिए समझौता

2951. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी पर फिल्म बनाने के लिए सर रिचर्ड एटेनबोरो के साथ किए गए समझौते में ऐसी व्यवस्था है कि यदि फिल्म चलने की दृष्टि से ठीक न रहे तो ऐसी स्थिति में उनको अग्रिम दी गई राशि वसूल की जा सकेगी ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की विशेष शर्तें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) करार एक सह-निर्माण का करार है और उसमें यह व्यवस्था है कि दोनों पक्ष बिक्री की आय को अनुपात के आधार पर बांटेंगे। भारतीय निवेश, निवेश का एक हिस्सा है और यह ऋण नहीं है। इसलिए वसूली समूचे जगत में फिल्म के प्रदर्शन और उससे अर्जित आय पर निर्भर होगी।

महात्मा गांधी पर फिल्म बनाने की लागत

2952. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर रिचर्ड एटेनबोरो द्वारा महात्मा गांधी पर बनाई जा रही फिल्म का निर्माण लागत का मद-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि धन का दुरुपयोग नहीं हो रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) फिल्म निर्माणाधीन है। इस अवस्था पर निर्माण की वास्तविक लागत का पता नहीं किया जा सकता।

(ख) "गांधी" नामक फिल्म के लेखों का आडिट होना है। व्यय में अनियमितता या दुरुपयोग, यदि कोई हो, का पता लेखों का आडिट हो जाने के बाद ही लग सकेगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो फिल्म का सह-निर्माता है, द्वारा व्यय पर निगरानी रखी जा रही है।

दुर्गापुर में औषध संयंत्र की स्थापना

2953. **श्री निरेन घोष** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथी समिति की सिफारिशों के अनुसार दुर्गापुर में औषधि संयंत्र की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इसे छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार का एक उपक्रम मैसर्स पश्चिम बंगाल फार्मास्यूटिकल्स एण्ड फिटो-केमिकल्स डवैलपमेन्ट कारपोरेशन लि० को पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर में एक नये उपक्रम में एस्पिरीन, सालीसिलिक एसिड, 8-हाइडोक्सी क्विनोलाइन आदि के निर्माण के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में उसके लिये उपयुक्त प्रावधान रखा गया है।

महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में छठी योजनावधि के दौरान बिजली की आवश्यकता

2954. श्री निरेन घोष : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के अन्त में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में बिजली की कितनी आवश्यकता होगी;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक उक्त मांग किस हद तक पूरी कर दी जायेगी ;

(ग) यदि इसमें कोई कमी रहने की संभावना लगती है, तो इसे पूरा करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है,

(घ) इन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किस आधार पर विद्युत परियोजनाओं को रूप दिया जायेगा; और

(ङ) उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ङ) छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85 में शामिल किये जाने के लिए विद्युत कार्यक्रम की सिफारिश करने के लिए योजना आयोग द्वारा विद्युत विकास पर जो कार्यकारी दल गठित किया गया था, उस दल ने 11 वीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति द्वारा किए गए अनन्तिम अध्ययन के आधार पर विभिन्न राज्यों की विद्युत की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया था तथा विद्युत की आवश्यकताओं के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए 1980–85 की अवधि के दौरान लाभ के लिए विद्युत परियोजनाओं का निर्धारण भी किया था। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में व्यस्ततमकालीन भार तथा ऊर्जा की वार्षिक आवश्यकता का तथा इन राज्यों में छठी योजना के अन्त में विद्युत और ऊर्जा की व्यस्ततमकालीन उपलब्धता का पूर्वानुमान निम्नानुसार लगाया गया है :–

	महाराष्ट्र	गुजरात	तमिलनाडु	दामोदर घाटी निगम सहित पश्चिम बंगाल
व्यस्ततमकालीन भार-मेगावाट	4181	2645	2714	1540
व्यस्ततमकालीन उपलब्धता मेगावाट	3998	2195	2369	1604
ऊर्जा की आवश्यकता-मिलियन यूनिट	26373	14733	14820	8316
ऊर्जा की उपलब्धता-मिलियन यूनिट	25351	15224	12323	10792

11वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है तथा मांग और सप्लाई के बीच का सुनिश्चित अन्तर उसके बाद ही सुस्पष्ट होगा। तथापि निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन है और संबंधित राज्यों को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ देंगी।

परियोजना	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	क्षमता संबंधी लाभ (मेगावाट) 1980-85
महाराष्ट्र		
जलविद्युत		
कोयना बांध बिजलीघर	40	20
पैथोन	12	12
भीरा टेलरेस	80	80
तिल्लारी	60	60
पवाना	10	—
भन्डारदारा	43.5	—
ताप विद्युत		
नासिक	420	210
भूसावल	210	210
पार्ली	210	210
चन्द्रपुरा	420	420
चन्द्रपुरा विस्तार	420	210
ट्राम्बे	500	500
कोराडी चरण-3	630	420
पारली	210	—
उरण गैस	240	240

इसके अतिरिक्त, राज्य को पेंच जल विद्युत परियोजना, जो कि (160 मेगावाट) से, जो कि अन्तर्राज्यीय परियोजना के रूप में निर्मित की जा रही है, 53 मेगावाट का भाग भी प्राप्त होगा। केन्द्रीय सेक्टर के कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र से 148.5 मेगावाट का भाग भी इस राज्य को मिलेगा, जहां पर 1980-85 की अवधि के दौरान 600 मेगावाट की क्षमता चालू होने की संभावना है।

गुजरात		
जल-विद्युत		
उकई वाया किनारा	5	5
कडाना पम्पड स्टोरेज	240	120

ताप-विद्युत		
उकई 5वीं यूनिट	210	210
वानबोकरी	630	630
वानकबोरी विस्तार	630	200

इसके अतिरिक्त 1980-85 की अवधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना में चालू किए जाने वाले 300 मेगावाट में से भी इस राज्य को 87 मेगावाट का हिस्सा प्राप्त होगा ।

तमिलनाडु		
जल-विद्युत		
कुन्डाह 5वीं यूनिट	20	—
कदमपराई	400	400
सर्वालार	20	20
लोअर मैत्तूर	120	—
ताप-विद्युत		
तूतीकोरिन यूनिट	210	210
मैत्तूरं	420	—

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1980-85 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र में चालू किए जाने वाले 600 मेगावाट में से 112 मेगावाट का हिस्सा तथा 1980-85 के दौरान नेवेली दूसरा माइनकट विद्युत केन्द्र में चालू किए जाने वाले 210 मेगावाट में से 24 मेगावाट का हिस्सा भी तामिलनाडु के लिए प्रारक्षित रखा गया है ।

पश्चिम बंगाल		
जल विद्युत		
जलनाका	8	8
रामन	50	50
तापविद्युत		
संथालडीह	240	120
कोलाघाट	630	630
कोलाघाट विस्तार	630	—
बंडेल विस्तार	201	210
दुर्गापुर परियोजना लि० विस्तार	110	110
कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन	240	240

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1980-85 के दौरान फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र में चालू किए जाने वाले 210 मेगावाट में से 45 मेगावाट का हिस्सा भी पश्चिम बंगाल को मिलेगा ।

गुजरात के उकाई जल और ताप विद्युत केन्द्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता

2955. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उकाई जल विद्युत् केन्द्र और ताप विद्युत् केन्द्र की विद्युत् उत्पादन क्षमता कितने-कितने मेगावाट है ;

(ख) वर्ष 1975 से 1980 तक, वर्ष वार कितने-कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ ;

(ग) इन दो विद्युत् केन्द्रों की विद्युत् उत्पादन की पूरी क्षमता का उपयोग न करने के क्या विस्तृत कारण हैं ;

(घ) इन विद्युत् केन्द्रों में दोषपूर्ण संयंत्रों के कारण बार-बार खराबी आ जाने की शिकायतें मिली हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव उकई में विशेषज्ञों को एक दल भेजकर इस मामले की जांच करवाने का है और यदि हां, तो कब तक ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) और (ख) उकई जल विद्युत् एवं विद्युत् केन्द्रों की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता तथा इन केन्द्रों से 1975-76 से 1980-81 की अवधि के दौरान विद्युत् उत्पादन की मात्रा, मेगावाट में निम्नानुसार है :—

वर्ष	उकई जल विद्युत्		उकई ताप विद्युत्	
	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अधिकतम उत्पादन (मेगावाट)	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अधिकतम उत्पादन (मेगावाट)
1975-66	300	240	2×120	(यूनिटों का) प्रचालन परीक्षण के तौर पर जा रहा है)
1976-77	300	251	240	175
1977-78	300	228	240	230
1978-79	300	223	440	266
1979-80	300	237	640	460
1980-81	300	300	640	470

(ग) उकई जल विद्युत् परियोजना के मामले में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा पहली बार निर्मित 75 मेगावाट के यूनिट सब से बड़े कप्लान टर्बाइन थे तथा भारत हैवी

इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सभी सेटों में वृहत सुधार कार्य करने पड़े थे ताकि वे संतोषजनक कार्य कर सकें । इस वर्ष के दौरान उकई जल विद्युत् जलाशय के बाह्य क्षेत्रों में कम मानसून के परिणाम स्वरूप अक्तूबर, 1980 से 150 मेगावाट उत्पादन की हानि हुई है । उकई ताप विद्युत् यूनिटों के संबंध में कम उत्पादन के कारण हैं, नये चालू किए गए यूनिटों के सामने प्रारम्भिक समस्यायें होना तथा नए चालू किए गए यूनिटों के स्थिरीकरण में अधिक अवधि लगना एवं कई कारणों से लम्बी जबरन बन्दी जिसमें दो सेटों में रोटर्स के वेन्डिंग भी शामिल हैं ।

(घ) यूनिटों में बार-बार जबरन बन्दियां होने की भी शिकायतें हैं ।

(ङ) जल विद्युत् एवं ताप विद्युत् यूनिटों में कमियों पर काबू पाने के लिए इनके दोषों का पता लगाने और उपचारी उपाय सुझाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने एक परियोजना नवीकरण दल भेजा है । इस दल ने दो बार उकई का दौरा किया है । अधिकांश समस्याओं का पता लगा लिया गया है तथा नवीकरण दल द्वारा सुझाए गए उपचारी कार्य, अधिकतर मामलों में पूरे किये जा चुके हैं । पिछले कुछ महीनों के दौरान यूनिटों के कार्य निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । दोष सुधार कार्य किये जाने के बाद उकाई कुल विद्युत् यूनिट भी अच्छा कार्य निष्पादन कर रहे हैं । इसके अलावा 1979 गुजरात बिजली बोर्ड से दो विशेषज्ञों के एक दल को बुलाया गया था तथा उकई ताप विद्युत् केन्द्र के 120-120 मेगावाट के दो यूनिटों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए उनके द्वारा की गई सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं । इन परिस्थितियों में, इस मामले में जांच करने के लिए विशेषज्ञों के एक और दल को भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गुजरात में पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता

2956. श्री छीतूभाई गामित : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल एवं मिट्टी के तेल की मासिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) 1 जनवरी 1980 से 1 जनवरी 1981 तक की अवधि के दौरान गुजरात सरकार द्वारा की गई पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल एवं मिट्टी के तेल की माहवार मांग और किस सीमा तक उसकी मांग को स्वीकार किया गया तथा वास्तव में सप्लाई की गयी उसकी मात्रा कितनी थी, उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गुजरात की मांग पूर्णतया पूरी न करने के क्या कारण हैं और इस मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये जा रहे ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) हाल ही के महीनों में गुजरात सरकार ने हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) तेल की प्रतिमास 70,000 से 75,000 मी० टन, मिट्टी के तेल की 35,000 से 39,000 मी० टन तथा लाईट डीजल तेल (एल० डी० ओ०) (जिसका प्रश्न में सम्भवता तात्पर्य कच्चे तेल से है) की

55,000 मी० टन की मांग का प्रस्ताव रखा था। राज्य सरकार ने पेट्रोल के बारे में कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं बताई है।

(ख) केवल एच० एस० डी० ओ० और मिट्टी के तेल के संबंध में मासिक आबंटन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों जिसमें गुजरात राज्य शामिल है को किया जा रहा है। इन उत्पादों का जनवरी 1980 से जनवरी 1981 के दौरान हुए वास्तविक विक्रय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं

(ग) डीजल और मिट्टी के तेल के आबंटन को उत्पाद की कुल उपलब्धता और परिवहन क्षमता को ध्यान में रख कर अधिकतम किया जा रहा है। मार्च 1981 के लिए डीजल का आवंटन उनके मार्च 1980 में हुए विक्रय से 15% अधिक किया गया था। मिट्टी के तेल के बारे में मासिक आबंटन पिछले वर्ष के इन्हीं मात्राओं में हुए विक्रय से 5% अधिक के आधार पर किया जाता है। गुजरात राज्य में एच० एस० डी० और मिट्टी के तेल के आवंटन में तदर्थ वृद्धि भी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सूचित अवश्यकाताओं को ध्यान में रख कर दी गई है।

विवरण

जनवरी—दिसम्बर 1980 और जनवरी—फरवरी 1981 के दौरान गुजरात राज्य के संबंध में हाई स्पीड डीजल तेल और मिट्टी के तेल के विक्रय के सम्बंध में एक विवरण पत्र।

आंकड़े मी० टनों में

मास	हाई स्पीड डीजल	मिट्टी का तेल
	विक्रय	विक्रय
जनवरी, 80	53836	33065
फरवरी, 80	55421	30577
मार्च, 80	56146	32938
अप्रैल, 80	56745	25263
मई, 80	60528	26014
जून, 80	51785	28735
जुलाई, 80	42704	30489
अगस्त, 80	36896	33699
सितम्बर, 80	45867	33613
अक्तूबर, 80	47507	32508
नवम्बर, 80	53328	34073
दिसम्बर, 80	57910	37391
जनवरी, 81	57711	38908
	अस्थायी	अस्थायी
फरवरी, 81	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा अपनी प्रथम ऊर्जा संरक्षण परियोजना का निष्पादन

2957. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात विद्युत बोर्ड ने अपनी प्रथम ऊर्जा संरक्षण परियोजना का सफलतापुर्वक निष्पादन किया है जो कि भारत में अपनी किस्म की प्रथम है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परीक्षण, यदि कोई किया गया है, संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बोर्ड ने कृषि पम्पों के लिए एक ऊर्जा संरक्षण परियोजना आरंभ की है। गुजरात में दो जिलों के 20 गावों में बिजली की अधिक खपत के कारणों का पता लगाने के लिए पम्पसेटों में बिजली की खपत का एक सर्वेक्षण किया है और सफल दोष निवारक उपायों का प्रदर्शन भी किया गया है। जामनगर जिले के पांच गांवों में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर दो प्रतिष्ठापनों में दोष सुधार किए गए हैं। चुने गए घटिया प्रतिष्ठापनों के परिणामों से यह पता चला है कि फुटवाल्वों पाइप-व्यवस्था तथा पम्पसेटों में उपयुक्त परिवर्तन करके ऊर्जा की खपत में 17 से 60% की सीमा तक की उल्लेखनीय बचत करना संभव है। ऐसे प्रयासों को व्यापक तौर पर लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से गुजरात बिजली बोर्ड ने 100 परीक्षण एवं प्रदर्शन करने का विचार किया है। इस दिशा में बोर्ड ने 61 इंजीनियरों और 50 कृषकों को प्रशिक्षण भी दिया है।

केरल में मनन्थवाडी बहु-उद्देश्यीय योजना

2958. **श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा मनन्थवाडी बहुद्देश्यय योजना की योजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास कब प्रस्तुत की गई थी और योजना का मुख्य विवरण क्या है ; और

(ख) भारत सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) मनन्थवाड़ी बहुद्देश्यीय परियोजना के विद्युत वाले भाग से संबंधित परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मई, 1980 में प्राप्त हुई थी। परियोजना का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में देखा जा सकता है।

परियोजना में कावेरी नदी के जल में केरल के हिस्से के जल में से जल को पश्चिम दिशा की ओर व्यपवर्तित किया जाना है, जो ऐसा मामला है जिस पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। चूंकि यह एक बहुद्देश्यीय परियोजना है इसे योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया जाना है, जिसके

बाद विद्युत संबंधित भाग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। परियोजना पर कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

केरल में मनन्थवाड़ी बहुद्देश्यीय स्कीम का ब्यौरा

परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :—

(1) 607.8 मिलियन घन मीटर की सकल संचयन क्षमता का एक जलाशय बनाने के लिए मनन्थवाड़ी नदी पर 38 मीटर ऊंचा एक बांध।

(2) जल ले जाने के लिए 2.34 किलोमीटर लम्बी एक अनलाइन्ड सुरंग।

(3) 60-60 मेगावाट की 4 यूनिटों की प्रतिष्ठापित क्षमता वाला एक विद्युत केन्द्र।

परियोजना से प्रतिवर्ष 730 मेगावाट अवर ऊर्जा का उत्पादन होने तथा केरल में 1.1 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई किया जाने का अनुमान है। परियोजना की लागत 69.12 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। जिसमें से विद्युत पर प्रभार्य समझी जाने वाली लागत 69.12 करोड़ रुपए है।

केरल में पण्डियार पुन्नपुझ जल-विद्युत योजना

2959. श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मालूम है कि केरल पण्डियार-पुन्नपुझा जल-विद्युत योजना का योजना प्रतिवेदन 1972 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पेश किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार जो कार्यवाही करना चाहती है उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) स्वीकृति जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) भारत सरकार का प्रस्ताव कब तक स्वीकृति जारी करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ङ) केरल की पण्डियार पुन्नापुझा जल विद्युत परियोजना की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में 1973 में प्राप्त हुई थी। स्कीम का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में देखा जा सकता है।

यह परियोजना तमिलनाडु द्वारा प्रस्तावित पण्डियार पुन्नापुझा परियोजना का टेलरेस, विकास है, जिसमें केरल और तमिलनाडु के बीच अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल हैं। दोनों राज्यों के बीच इन मामलों को अभी तक हल नहीं किया गया है और इसलिए स्वीकृति में विलम्ब हो रहा है।

विवरण

पण्डियार पुन्नापुझा जल-विद्युत स्कीम का ब्यौरा

इस स्कीम में 23 मीटर ऊंचा व्यपवर्तन बांध, 4.3 किलोमीटर लम्बी एक सुरंग तथा 35-35 मेगावाट के यूनिटों की प्रतिष्ठापना वाला एक बिजली घर है, जिसमें बाद में तीसरे विद्युत उत्पादन यूनिट की प्रतिष्ठापना की व्यवस्था रहेगी। परियोजना से सुदृढ़ आधार पर 262 मेगावाट अवर ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन होने का अनुमान है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1978 के दौरान तैयार किए गए संशोधित अनुमानों के अनुसार परियोजना की लागत 21.95 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

केरल में कुट्टियाड़ी आगमेनटेशन स्कीम

2960. श्री ए० नीला लोहियादसन नाडार : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल की कुट्टियाड़ी आगमेनटेशन स्कीम का परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 1976 में दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) इस परियोजना के बारे में मुख्य ब्यौरा क्या है और भारत सरकार का इस परियोजना को कब तक स्वीकृति देने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) कुट्टियाडी विस्त। स्कीम की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में पहले पहल 1976 में प्राप्त हुई थी। स्कीम का ब्यौरा संलग्न **विवरण** से देखा जा सकता है।

इस स्कीम में विद्युत उत्पादन के लिए कावेरी बेसिन से जल को पश्चिम दिशा की ओर व्यपवर्तित किया जाना है। इस स्कीम की स्वीकृति, कावेरी के जल के बंटवारे से संबंधित मुद्दों के समाधान पर निर्भर करेगी, जिन पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच विचार-विमर्श चल रहा है और इसी कारण विलम्ब हो रहा है।

विवरण

केरल में कुट्टियाडी विस्तार स्कीम का ब्यौरा

कुट्टियाडी विस्तार स्कीम में कावीनी (कावेरी बेसिन) की पानामारम नदी की एक सहायक नदी पूर्व की ओर बहने वाली कारामानथोड़ नदी पर 4 निम्न पश्वों वाले बांधों सहित 34.5 मीटर ऊंचे एक बांध के निर्माण की परिकल्पना है। इस प्रकार बनाए गए जलाशय 198.69 मिलियन घन मीटर की सकल संचयन क्षमता की व्यवस्था हो जाएगी। बांध से मौजूदा कुट्टियाडी जल विद्युत जलाशय के लिए जल एक 4.678 किलोमीटर लम्बी सुरंग के द्वारा ले जाया जाएगा। विस्तार स्कीम की लागत 13.05 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें से विद्युत पर प्रभार्य समझी जाने वाली लागत 9.75 करोड़ रुपए है।

केरल में कुरियारकुट्टी-करापारा बहुद्देश्यीय योजना

2961. श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कुरियारकुट्टी-करापारा बहुद्देश्यीय योजना की परियोजना रिपोर्ट स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब भेजा गया था और परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) भारत सरकार का इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने का विचार है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) कारापाड़ा कुरियारकुट्टी बहुद्देश्यीय परियोजना के विद्युत संबंधी भाग पर परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जनवरी, 1979 में प्राप्त हुई थी। परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न **विवरण** में दी गई हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना रिपोर्ट की विस्तार पूर्वक जांच की गई है और उनकी टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई थीं और टिप्पणियां अप्रैल, 1980 में भेजी गई थीं। इन टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है। चूंकि यह एक बहुद्देश्यीय परियोजना है, अतः पहले इस परियोजना को योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी, उसके बाद विद्युत से संबंधित भाग पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

विवरण

इस स्कीम में कारापाड़ा नदी पर 57 मीटर ऊंचा एक भाराश्रित बांध, पुलिकालार घाटी में स्थित 15 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाले एक बिजली घर को जल ले जाने वाली 4.55 किलोमीटर लम्बी सुरंग का निर्माण किया जाना है। पुलिकालार नदी पर 45 मीटर ऊंचा एक बांध का निर्माण करके पुलिकालार नदी के जल को तथा टेल रेस जल को पुनः उपयोग में लाया जाएगा, जहां से 2.9 किलोमीटर लम्बी एक सुरंग के जरिए जल पुनः कुरियारकुट्टी घाटी में स्थित 20 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाले बिजली घर को ले जाया जाएगा। उपर्युक्त बिजली घर से टेल रेस जल को तथा कुरियारकुट्टी नदी के जल को 8.84 किलोमीटर लम्बी एक सुरंग के जरिए पुनः 60 मेगावाट की प्रतिष्ठापना वाले एक बिजली घर को ले जाया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 48.55 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें से 32.06 करोड़ रुपये विद्युत के लिए प्रभार्य समझी जाती है। परियोजना से 211 मेगावाट अबर का वार्षिक उत्पादन होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 11740 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लाभ प्राप्त होंगे।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

2962. **श्री जैनुल बशर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की आवश्यकता के बारे में सरकार द्वारा कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यह आवश्यकता पूरी करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) उत्तर प्रदेश में कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या इन संयंत्रों की स्थापना के लिये स्थान का चुनाव किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) आगामी 5 वर्षों (1981-82 से 1985-86) के लिये उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान कृषि मंत्रालय द्वारा निम्न प्रकार लगाया गया है :—

(आवश्यकता लाख टनों में)

वर्ष	नाइट्रोजन	पी2 ओ5
1981-82	10.28	2.93
1982-83	11.10	3.17
1983-84	11.76	3 42
1984-85	12.47	3.69
1985-86	13.31	3.99

(ख) उर्वरकों की आवश्यकता पूरे देश के लिये आंकी गयी है और उर्वरकों की मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अन्तर को ध्यान में रखते हुये स्वदेशी उत्पादन और आयात दोनों माध्यमों से उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रबन्ध किये जाते हैं।

(ग) से (घ) उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले संयंत्रों सहित गैस पर आधारित प्रस्तावित 6 उर्वरक संयंत्रों के लिये सर्वोत्तम स्थानों की सिफारिश करने हेतु सरकार द्वारा एक स्थल चयन समिति नियुक्त की गई है। उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले संयंत्रों की संख्या और स्थान के बारे में निर्णय तभी लिया जा सकता है जब स्थल चयन समिति की सिफारिशें उपलब्ध हो जाये।

कृषि विकास के लिए दूरदर्शन पर कार्यक्रम

2963. **श्री जैनुल बशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि विकास के लिए किसी कार्यक्रम का प्रसारण दूर-संचार के माध्यम से किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र (जो नीचे दिए गए हैं) ग्रामीण दर्शकों के लिए कार्यक्रम टेलीकास्ट करते हैं जो मुख्यतः अपने-अपने क्षेत्र के कृषि विकास को कवर करते हैं :—

1.	दिल्ली	सप्ताह में 5 दिन
2.	लखनऊ	सप्ताह में 5 दिन
3.	श्रीनगर	सप्ताह में 4 दिन
4.	बम्बई	सप्ताह में 3 दिन
5.	मद्रास	सप्ताह में 3 दिन
6.	जलन्धर/अमृतसर	सप्ताह में 2 दिन
7.	कलकत्ता	सप्ताह में 1 दिन

उपग्रह दूरदर्शन केन्द्रों, जो "साइट" उत्तरवर्ती परियोजना के अंग हैं, की कार्यक्रम सेवाएं 100 प्रतिशत ग्रामोन्मुखी हैं। ये केन्द्र कृषिकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम निम्नानुसार टेलीकास्ट करते हैं :—

रायपुर, मुजफ्फरपुर, जयपुर और सम्बलपुर	—	सप्ताह में 5 दिन।
हैदराबाद, गलबर्ग	—	सप्ताह में 3 दिन।
अहमदाबाद (पिज)	—	सप्ताह में 1 दिन।

बिजली इंजीनियरों में उनके वेतन मानों के संबंध में व्याप्त असंतोष

2964. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सम्पूर्ण देश के बिजली इंजीनियरों में उनके वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में व्याप्त गम्भीर असंतोष की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो बिजली इंजीनियरों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हाँ। कुछ राज्यों में विद्युत इंजीनियरों में असंतोष की जानकारी सरकार को है।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों में विद्युत इंजीनियरों के रोजगार की शर्तों का नियमन संबंधित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है। अतः विद्युत इंजीनियरों की शिकायतों को दूर करने का मुख्य दायित्व राज्यों का है। तथापि, विद्युत इंजीनियरों द्वारा अपनाये गये आन्दोलनात्मक रवैये से केन्द्रीय सरकार बहुत चिन्तित है तथा इस बारे में राज्य सरकारों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

दूरदर्शन के कार्यक्रम में क्षेत्रीय और विकासशील भाषाओं/बोलियों का प्रसारण

2965. प्रो० नारायण चंद पराशर : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के कार्यक्रमों में क्षेत्रीय और विकासशील भाषाओं/बोलियों का भी पर्याप्त प्रसारण किया जाता है जैसा कि विभिन्न केन्द्रों से आकाशवाणी के कार्यक्रमों के मामले में होता है ;

(ख) क्या अमृतसर से प्रसारित दूरदर्शन के कार्यक्रमों में हिमाचल-पहाड़ी अथवा इसकी बोलियों का पर्याप्त प्रसारण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो हिमाचली-पहाड़ी अथवा इसकी बोलियों को इस प्रयोजनार्थ कुल कितना समय आबंटित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) प्राथमिक सेवा क्षेत्र की प्रादेशिक और विकासशील भाषाओं/बोलियों का दूरदर्शन के कार्यक्रमों में कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुसार आम तौर पर पर्याप्त प्रसारण किया जाता है।

(ख) से (घ) हिमाचल प्रदेश अमृतसर/जलन्धर दूरदर्शन केन्द्र की प्राथमिक सेवा के क्षेत्र में नहीं आता। अमृतसर/जलन्धर दूरदर्शन केन्द्र की प्राथमिक सेवा का क्षेत्र पंजाब तक सीमित है। फिर भी, हिमाचली-पहाड़ी भाषा के कार्यक्रम विशेषकर लोक संगीत और नृत्य के विविध कार्यक्रम दिल्ली-मसूरी और अमृतसर/जलन्धर दूरदर्शन केन्द्रों से कभी-कभी टेलीकास्ट किए जाते हैं।

दिल्ली प्रशासन द्वारा छोटे समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापन

2966. श्री चन्द्र पाल शैलानी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने पिछले वर्ष के दौरान छोटे समाचार-पत्रों को विज्ञापन दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो लाभ पाने वाले ऐसे छोटे समाचार पत्रों की संख्या क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो छोटे समाचारपत्रों को विज्ञापन जारी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) 240

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयम्बतूर, तमिलनाडु में दूरदर्शन केन्द्र

2967. श्री सी० टी० दंडपाणि : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कोयम्बतूर, तमिलनाडु में शीघ्र ही एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब तक चालू हो जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) स्वीकृत छठी "योजना" (1980-85) में मद्रास दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों को रिले करने के लिए मदुरै (कोडैकनाल) में दूरदर्शन रिले केन्द्र की व्यवस्था है। उम्मीद है कि यह रिले केन्द्र कोयम्बतूर को कवर करेगा। कोयम्बतूर में अलग दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के ऊर्जा के संरक्षण के बारे में सुझाव

2969. श्री अमर राय प्रधान : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ने ऊर्जा के संरक्षण के लिए एक 9 सूत्री योजना का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां । ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने के बारे में एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री ने हाल ही में कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ।

(ख) ऊर्जा संरक्षण से संबंधित पूंजीगत व्यय के लिए, वित्तीय संगठनों से उदार शर्तों पर ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता को उदार बनाये जाने की इन प्रस्तावों में परिकल्पना की गई है । जो उद्योग ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपाय अपनाते हैं उनकी कुछ राजकोषीय प्रोत्साहन देने की परिकल्पना भी इनमें की गई है ।

डीजल की आवश्यकता और कमी

2970. श्री आर० पी० गायकवाड : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और विशेष कर गुजरात में डीजल की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और चालू वर्ष 1981 की वार्षिक आवश्यकता और उपलब्धता की स्थिति क्या है ; और

(ग) इस कमी के कारण क्या हैं और इस को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : (क) जी, नहीं। अल्प अवधियों के लिए कुछ स्थानीय कमियां हो सकती हैं।

(ख) वर्ष 1980-81 के लिए देश की एच० एस० डी० की आवश्यकताओं का अनुमान 10.4 मि० मी० टन का लगाया गया है। इन आवश्यकताओं को शोधनशालाओं के लगभग 7.3 मि० मी० टन के देशी उत्पादन से और शेष को उत्पाद के आयात द्वारा पूरा किया जाने के लिए योजना बनाई है।

(ग) शोधनशालाओं के उत्पादन को अनुकूलतम बनाने के लिए और अधिक मात्राओं में डीजल के द्वारा मांगों को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार ने पहले से ही कदम उठा लिए हैं। जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है, राज्य सरकार द्वारा बतायी गई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को अभी हाल के महीनों में डीजल के अतिरिक्त आबंटन किये गए हैं।

मथुरा-दिल्ली-अम्बाला-जलंधर उत्पाद पाइपलाइन पर होने वाला व्यय

2971. श्री निहाल सिंह : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा-दिल्ली-अम्बला-जलंधर उत्पाद पाइप लाइन को सर्वे आफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इन पाइप लाइनों के बिछाये जाने में कितनी धनराशि खर्च होगी ौर क्या उनका काम निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ो, हाँ।

(ख) मथुरा-दिल्ली-अम्बाला-जलंधर उत्पाद पाइपलाइन पर 50 करोड़ रुपये की लागत ा अनुमान है। वर्तमान प्रगति के अनुसार आशा है कि पाइपलाइनों के बिछाने का कार्य ार्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जायेगा।

भारतीय तेल निगम और भारत पेट्रोलियम द्वारा गैस एजेंसियों का आवंटन

2972. श्री अशोक गहलोत : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम और भारतीय तेल निगम ने गैस वितरण एजेंसियों का आवंटन करने के लिए वर्ष 1980 में कई बार देश के विभिन्न भागों में बेरोजगार स्नातकों, अनुसूचित जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और विकलांग व्यक्तियों से आवेदन पत्र मांगे थे ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान, राज्य वार देश के कितने स्थानों में ऐसे आवेदन पत्र मांगे गये थे और तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ।

(ग) क्या सरकार चयन के मामले में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए पर्ची निकालने के जरिये भारत गैस पेट्रोलियम और भारतीय तेल निगम की गैस एजेंसियों का आवंटन करने के लिए पात्र उम्मीदवारों के चयन के प्रश्न पर विचार करेंगी ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां । भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन तथा इंडियन आयल कर्पोरेशन ने देश के विभिन्न स्थानों में बेरोजगार इंजीनियरों/स्नातकों (यू० ई० जी०), अनुसूचित जातियों (एस० सी०), अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग (पी० एच०) तथा युद्ध में अपंग हुए सुरक्षा कार्मिक तथा युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं (डी० डी० पी०) के लिए सुरक्षित खाना नकाने की गैस की डिस्ट्री-ब्यूटरशिपों के लिए वर्ष 1980-81 के दौरान समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर बाछंनीय उम्मीद-वारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये थे ।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उपर्युक्त (ग) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) वर्तमान प्रक्रिया संतोषजनक समझी गई है ।

विवरण

वर्ष 1880-81 के दौरान आई० ओ० सी० तथा बी० पी० सी० द्वारा विज्ञापित गैस एजेंसियां

राज्य नाम	काकंपनी	यू०ई०जी०	एस०सी०	एस०टी	डी०डी०पी०	पी० एच०	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
गोवा	बी०पी०सी०	—	1	—	—	—	1
दिल्ली	बी०पी०सी०	—	4	—	1	1	6
	आई०ओ०सी०	4	2	—	1	1	8

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	बी०पी०सी०	3	1	1	1	—	6
गुजरात	बी०पी०सी०	1	1	1	—	2	5
	आई०ओ०सी०	3	1	2	1	1	8
आंध्र प्रदेश	बी०पी०सी०	1	1	2	—	1	5
	आई०ओ०सी०	—	1	—	—	—	1
मध्य प्रदेश	बी०पी०सी०	1	—	—	—	—	1
	आई०ओ०सी०	2	1	4	1	2	10
हरियाणा	बी०पी०सी०	1	1	—	—	—	2
	आई०ओ०सी०	2	2	—	1	1	6
कर्नाटक	बी०पी०सी०	1	4	—	—	1	6
	आई०ओ०सी०	—	1	—	—	—	1
पंजाब	बी०पी०सी०	1	2	—	1	2	6
	आई०ओ०सी०	2	2	—	—	—	4
राजस्थान	बी०पी०सी०	—	—	1	—	—	1
	आई०ओ०सी०	2	—	1	1	—	4
उत्तर प्रदेश	बी०पी०सी०	2	2	—	—	—	4
	आई०ओ०सी०	2	4	—	2	2	10
तमिल नाडु	आई०ओ०सी०	3	2	—	1	1	7
पश्चिम बंगाल	आई०ओ०सी०	2	2	—	—	2	6
असम	आई०ओ०सी०	1	—	1	—	—	2
बिहार	आई०ओ०सी०	2	2	—	1	1	6
चण्डीगढ़	आई०ओ०सी०	1	—	—	—	—	1

बी०पी०सी०–भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन

आई०ओ०सी०–इंडियन आयल कार्पोरेशन

यू०ई०जी०–बेरोजगार इंजीनियर्स/स्नातक

एस०सी० –अनुसूचित जाति

एस०टी० –अनुसूचित जनजाति

डी०डी०पी०–युद्ध में अपंग हुए सुरक्षा कार्मिक/युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाएं

पी०एच० --शारीरिक रूप से विकलांग ।

राजस्थान टैक्सटाइल्स हैंड प्रोसैसर्स एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदन

2973. **श्री अशोक गहलोत :**

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिट्टी के तेल का मूल्य 1382.23 रु. प्रति कि० लि० से बढ़ाकर 3282.23 रु० प्रति कि० लि० किये जाने के बारे में राजस्थान टैक्सटाइल्स हैण्ड प्रोसैसर्स एसोसिएशन पाली मारवाड़ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन लघु उद्योगों को बचाने, जिनके बन्द हो जाने का खतरा है, के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राजस्थान टैक्सटाइल्स हैंड प्रोसैसर्स एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदन विचाराधीन है। इस पर शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

बम्बई हाई में उत्पादन बढ़ाने के लिए फ्रांस की एक फर्म को लगाना

2974. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री के० मालन्ना :

श्री अजित कुमार मेहता :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार बम्बई हाई में उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक फ्रांसीसी सलाहकार फर्म को बम्बई हाई में अशोधित तेल के उत्पादन में एक भाग देकर उसे इस कार्य पर लगाने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग स्वयं भी उसी समय तक अशोधित तेल का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ है जितने समय में फ्रांसीसी फर्म से अपेक्षित हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए यदि इस फ्रांसीसी फर्म के साथ कोई शर्तें तय हुई हैं तो वे क्या हैं और इन फर्मों को इस कार्य पर लगाने के क्या कारण हैं जबकि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग स्वयं ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) बम्बई हाई आदि के विकास को अधिकतम करने के लिए एक करार जो 5 अप्रैल, 1981 को समाप्त होना है, के अन्तर्गत तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सी० एफ० पी०, जो एक फ्रांसीसी परामर्शदात्री

कम्पनी है, तकनीकी सलाह दे रही है। उन्होंने इस करार के क्षेत्र को और अधिक बढ़ाने की पेशकश की है। उन्होंने बताया है कि कुछ स्तर से तेल के उत्पादन के अधिक होने पर उनके पारिश्रमिक का एक भाग तेल के रूप में होना चाहिये।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई हाई और उपग्रह क्षेत्रों से 1983 के प्रारंभ से इस प्रकार की तकनीकी सहायता/सलाह जो आवश्यक हो के साथ कच्चे तेल की उत्पादन दर को बढ़ाने की संभावनाओं की जांच कर रहा है।

(ग) इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आकाशवाणी केन्द्र, रोहतक की बिजली बंद करना

2975. श्री सतीश अग्रवाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आकाशवाणी केन्द्र, रोहतक की बिजली सप्लाई 31 जनवरी, 1981 को बंद कर दी गई थी क्योंकि आकाशवाणी केन्द्र को आवश्यक सेवा के रूप में सूची में नहीं रखा गया है;

(ख) क्या देश के आकाशवाणी केन्द्रों को बिजली की सप्लाई काट देने के ऐसे और मामले प्रकाश में आये हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को आकाशवाणी केन्द्रों को आवश्यक सेवा मानने के लिए आग्रह किया है; और

(घ) इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां। आकाशवाणी, रोहतक में बिजली की सप्लाई 31 जनवरी, 1981 को दोपहर 1-10 बजे से 2.59 बजे तक बन्द कर दी गई थी। इस अवधि के दौरान बिजली की सप्लाई लगभग समूचे नगर में बन्द कर दी गई थी।

(ख) विभिन्न बिजली बोर्ड विभिन्न कारणों से बिजली की कमी के कारण बिजली की सप्लाई काटने का सहारा लेते रहे हैं। इससे आकाशवाणी के केन्द्र भी कभी-कभी प्रभावित होते हैं।

(ग) सभी राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा गया है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे आकाशवाणी/दूरदर्शन को आवश्यक सेवा के रूप में मानें और आकाशवाणी/दूरदर्शन के केन्द्रों को बिजली की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करें।

(घ) राज्य सरकारों के उत्तर की प्रतीक्षा है।

धनबाद क्षेत्र की कोयला खानों में आग

2976. श्री सतीश अग्रवाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद कोयला खान क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में कोयले में लगातार आग लगी रहती है जिससे देश को बहुत भारी हानि हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने हो रही हानि का कोई मूल्यांकन किया है, कितनी हानि हुई है और आग कब से बराबर लगी हुई है;

(ग) क्या सरकार ने आग बुझाने के लिए पौलैंड के कुछ विशेषज्ञों की सलाह मांगी थी; और

(घ) पौलैंड के दल की क्या सिफारिशें थीं तथा कोयले में लगी आग बुझाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) झरिया कोयला क्षेत्र में लगभग 70 सक्रिय अग्निस्थल हैं। इनमें कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। इनमें आग 1916-1965 की अवधि में लगी थी। इस आग के आरण अब तक अग्नि से प्रभावित इलाकों के नीचे लगभग 30 मि० टन कोककर कोयला नष्ट हो गया है और 40 मि० टन कोयला पिलरों में बन्द हो गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस आग पर काबू पाने के लिए पोलैंड से सहायता मांगी गई हैं किन्तु अभी तक कोई विशेषज्ञ इस देश में नहीं आया है।

कोयले की दोहरे-मूल्य की नीति

2977. श्री सतीश अग्रवाल :

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विशेष रूप से किसी क्षेत्र में कुछ उद्योगों को कोयले को सड़क के रास्ते ले जाने पर कोयले के लिए प्रति टन 1000 रुपये देने पड़ते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने वहां भी कोयले को दोहरी नीति लागू करने की संभाव्यता पर विचार किया है जहां गैर प्राधमिकता वाले क्षेत्र में कोयला ऊंची दर पर सप्लाई किया जाता है जब कि सामान्य लोगों तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कोयला सरकार द्वारा स्वयं निर्धारित मूल्यों पर सप्लाई किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्या उक्त कार्यवाही से उन हानियों की क्षति-पूर्ति करने में बहुत सहायता मिलेगी जो इस समय कोल इंडिया को हो रही है तथा इससे सामान्य जनता अथवा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जो उपभोक्ता सड़क से कोयला ले जाते हैं उनके बारे में रिपोर्ट है कि उन्हें बहुत अधिक भाड़ा देना पड़ता है जो कि अक्सर रेल भाड़े से दो/तीन गुना अधिक होता है। उपभोक्ता केन्द्र पर सड़क द्वारा ले जाए गये कोयले की कीमत कोयला क्षेत्र से उपभोक्ता केन्द्र की दूरी और उसकी स्थिति पर निर्भर करेगी।

(ख) से (घ) कोयले के लिये दोहरी मूल्य नीति का कोई विचार नहीं है। आम लोगों द्वारा घरेलू इंधन के रूप में प्रयुक्त साफ्ट कोक की कीमत केवल 150/—रु० प्रति टन निश्चित की गई है जो कि उत्पादन लागत से भी कम है।

शरणार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की मांग

2978. श्री मुकुंद मंडल : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शरणार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए 500 करोड़ रुपये की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के थुंगोन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा यह मांग सातवें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

(ग) इस संबंध में सातवें वित्त आयोग द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई।

कडप्पा, आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रस्ताव

2979. श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में रायलसीमा क्षेत्र में कडप्पा में आकाशवाणी केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है क्योंकि यह एक कमजोर आकाशवाणी केन्द्र है और चित्तूर, अनंतपुर और तिरूपति क्षेत्रों में लोग रेडियो सुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ है; और

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन ऐम० जोशी) : (क) और (ख) कुडप्पा के ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने की एक स्वीकृत स्कीम है। इस चैनल पर हस्तक्षेप के कारण वर्तमान मीडियम वेव ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र में संकुचन का प्रतिकार करने के लिये ऐसा किया जा रहा है। तथापि, चित्तूर, अनन्तपुर और तिरुपति, कुडप्पा के वर्तमान मीडियम वेव ट्रांसमीटर की प्राथमिक ग्रेड की दिवाकालीन सेवा के क्षेत्र में नहीं आते। आशा है कि इस ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ जाने पर सेवा क्षेत्र पर्याप्त बढ़ जायेगा और इन नगरों के आकाशवाणी, कुडप्पा की प्राथमिक ग्रेड की दिवाकालीन सेवा के क्षेत्र में आने की संभावना है। इसके बारे में प्रारम्भिक कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

असम में विद्युत पारेषण लाइनों का निर्माण और परिणमन कार्य

2980. श्री संतोष मोहन देव : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने आसाम में विद्युत् पारेषन लाइनों के निर्माण और परिणमन (ट्रांसफोरमेशन) कार्यों की योजना को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, इस योजना पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) उपरोक्त कार्य के कब से शुरू होने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) असम में छठी योजना के पारेषण और ट्रांसफार्मेशन कार्यों को योजना आयोग ने 4318 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 16 जनवरी, 1981 को स्वीकृति दे दी है।

(ग) असम राज्य बिजली बोर्ड ने इनमें से कुछ कार्यों पर कार्यवाही शुरू कर दी है।

'कोयला ऊर्जा कम्पलैक्स के संबंध में भारत सोवियत समझौता' शीर्षक समाचार

2981. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या ऊर्जा मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला ऊर्जा काम्पलेक्स के संबंध में भारत सोवियत समझौता शीर्षक से 18 जनवरी, 1981 के 'आनन्द बाजार पत्रिका-कलकत्ता' में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जिस सोवियत प्रतिनिधि मंडल ने भारत की यात्रा की, उसके नेताओं तथा अन्य सदस्यों के नाम तथा स्तर और उनकी अपने भारतीय साथियों के साथ हुई चर्चा की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यह काम्पलैक्स किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा और कितना क्षेत्र इसके अन्तर्गत होगा और इससे ऊर्जा का अनुमानित उत्पादन कितना होगा ;

(घ) क्या इस प्रयोजन से अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और केवल रूसी सहायता ही क्यों ली गई ;

(च) खर्च तथा इसकी तकनीकी जानकारी में रूस का भाग कितना होगा ; और

(छ) इस काम्पलैक्स की स्थापना के परिणाम स्वरूप कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए०बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1981 के दौरान आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए संयुक्त भारत-सोवियत संघ आयोग के छठे अधिवेशन में भाग लेने वाले सोवियत प्रतिनिधि मंडल का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक विद्युत् सेक्टर का संबंध है, भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ हुए विचार-विमर्श के दौरान विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण विषय था, सोवियत सहायता से एक एकीकृत ताप विद्युत् संयंत्र का निर्माण।

(ग) यह निर्माण किया गया है कि सोवियत सहायता से निर्मित किया जाने वाला ताप विद्युत् संयंत्र मध्य प्रदेश में सीधी जिले में वैधन में स्थापित किया जायेगा। विकास के प्रथम

चरण में प्रतिष्ठापना के लिए हाथ में ली जा रही 1000 मेगावाट की उप्पादन क्षमता वाली इस परियोजना की चरम क्षमता 3000 मेगावाट परिकल्पित है। इससे उत्पन्न की जाने वाली विद्युत् पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों को उपलब्ध कराई जायेगी। 3000 मेगावाट वाले विद्युत् केन्द्र और उससे संबद्ध सुविधाओं के लिए अपेक्षित कुल क्षेत्र 3750 एकड़ के लगभग होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) यह विद्युत् काम्पलैक्स सोवियत संघ और भारत के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत स्थापित किया जा रहा है। अतः परियोजना के लिए विश्व-व्यापी निविदाएं आमंत्रित करना परिकल्पित नहीं है। रियायती ऋण और प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के रूप में सोवियत संघ द्वारा दिए जाने वाले सहयोग को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित सहयोग का लाभ उठाने के लिए कोयला और विद्युत् क्षेत्रों में पूंजीगत गहन परियोजनाओं का सुझाव दिया गया था।

(च) वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार, सोवियत संघ परियोजना के 1000 मेगावाट के प्रथम चरण के विकास के लिए सहायता देगा। तकनीकी तथा वित्तीय दोनों प्रकार की सोवियत सहायता का सही-सही क्षेत्र आपसी विचार-विमर्श से तय किया जाना है।

(छ) परियोजना के प्रथम चरण के विकास के लिये उसके अनुरूप ही कोयला विकास कार्यक्रम से 4.2 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होने का अनुमान है।

विवरण

सोवियत प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य

क्रम सं०	नाम	पदनाम
1	2	3
1.	एल० वी० अरखीपोव	सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद् के प्रथम उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष)
2.	वी० के० लिटवीनेनको	विदेशी-आर्थिक संबंधों के लिए सोवियत संघ राज्य समिति के उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि मंडल के उपाध्यक्ष)
3.	वाई० एम० वोरोन्त्सोव	भारत गणराज्य के लिए सोवियत संघ के विशेष तथा पूर्णाधिकारी राजदूत।
4.	वी० वी० बेलिय	सोवियत संघ के कोयला उद्योग के प्रथम उप मंत्री
5.	डी० ए० ताकोव	सोवियत संघ के तेल उद्योग के उप मंत्री
6.	एन० ए० लोपातिन	सोवियत संघ के विद्युत् तथा विद्युतीकरण के उप मंत्री
7.	वी० ए० यारमोलिउक	सोवियत संघ के भू-विज्ञान के उप मंत्री

1	2	3
8.	आई० ए० वोजवीशीव	किमिस्टर आई० वी० अरखीपोव के सचिवालय के अध्यक्ष
9.	आई० पी० नेस्तेरेन्को	भारत सोवियत संयुक्त आयोग के सोवियत पक्ष के कार्यपालक सचिव ।
10.	के० वी० मिशाक	सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद् के सलाहकार
11.	आई० के० मिनीव	विदेशी आर्थिक संबंधों के लिए सोवियत संघ की राज्य समिति के विभागाध्यक्ष ।
12.	एम० ए० किसेलेव	सोवियत संघ के विदेशी व्यापार मंत्रालय के विभागाध्यक्ष ।
13.	वी० ए० कुजिन	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए सोवियत संघ राज्य समिति के विभागाध्यक्ष ।
14.	ए० आई० तुरीशिन	सोवियत संघ की मंत्रपरिषद् के वरिष्ठ सलाहकार
15.	ए० एम० कदाकिन	प्रथम विदेश उप मंत्री के सहायक
	विशेषज्ञ दल	
1.	आर० आई० कुपरेविख	अध्यक्ष, वी/ओ "तस्वीमेटप्रोमेक्सपर्ट"
2.	वाई० वी० चुगुनोए	अध्यक्ष, वी/ओ "टेक्नोएक्सपर्ट"
3.	वी० ए० मेदवेदेव	अध्यक्ष, वी/ओ "सेलखोजप्रोमएक्सपर्ट"
4.	के० वी० अनानीचिव	प्रमुख वी/ओ "ग्लावजाग्रेनेरगे"
5.	एन० एम० सखारोव	प्रमुख वी/ओ "जारुवेजुगोल"
6.	ए० एफ० ओजेरेंको	प्रमुख वी/ओ "जारूवेजनेफ्ट"
7.	एन० आई० स्किविनश्की	उपाध्यक्ष वी/ओ "तजाजप्रोमेक्सपर्ट"
8.	वाई० ए० कामेनश्की	उपाध्यक्ष वी/ओ "तजाजप्रोमेक्सपर्ट"
9.	ए० एन० यूसोव	सोवियत संघ की राज्य योजना समिति के सब-डिविजन के प्रमुख ।
10.	एन० आई० एलेग्जेन्डरोव	सोवियत संघ के विदेश-व्यापार मंत्रालय की राज्य समिति के डिवीजन के प्रमुख
11.	वी० एन० कोपटेवश्की	विदेशी आर्थिक संबंधों के लिए सोवियत संघ की राज्य समिति के उप विभागाध्यक्ष ।
12.	ई० ए० लीओनेनको	बिदेशी आर्थिक मंबंधों के लिए सोवियत संघ की राज्य समिति के उपाध्यक्ष के सहायक
13.	ओलसेवस्काया (श्रीमती)	दुभाषिया

तेल की खोज के लिए भारत-सोवियत संघ संयुक्त आयोग

2982. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1981 के "फिनान्शियल एक्सप्रेस" में "सोवियत प्रोपोजल्स आन आयल सर्च टु बी स्टडीड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सोवियत प्रतिनिधी मंडल के नेता था तथा सदस्यों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जिन्होंने भारत-सोवियत संघ आयोग की बैठक के संदर्भ में भारत का दौरा किया था और विचार विमर्श किया था;

(ग) क्या अमरीका से भी कोई प्रस्ताव मांगे गये हैं यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है और इनमें से कौन से प्रस्ताव किस आधार पर बेहतर हैं और उन्हें चुनने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सोवियत संघ तट पर खोदे गये कुओं के बारे में कोई गारंटी देगा ताकि उन्हें बेकार न पड़े रहने दिया जाये जैसा कि इससे पूर्व हुआ है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : (क) जी, हां।

(ख) छठे भारत-सोवियत संयुक्त आयोग के समय जिस सोवियत प्रतिनिधि-मंडल ने तेल अन्वेषण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में तेल एवं, प्राकृतिक गैस आयोग के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया था, उसके नेता का नाम डा० डी० ए० ताकोइव था। प्रतिनिधिमण्डल के अन्य सदस्य डा० सेल्जुनिन-भू-भौतिकी वैज्ञानिक, डा० सफरोनोव-व्यधन विशेषज्ञ, डा० मत्वीव-उत्पादन विशेषज्ञ, डा० जिनिन—प्रौधोगिकी विशेषज्ञ, डा० बीखोव-उत्पादन विशेषज्ञ, डा० जवोनाजेव-जलाशय विशेषज्ञ तथा श्रीमती कोरोलेवा-दुभाषिया थे।

(ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 10 दिसम्बर, 1980 को हस्ताक्षर किये गए आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग करार के अनुसार सोवियत पक्ष भारतीय पक्ष को भारतीय तटवर्ती क्षेत्रों में से एक के कार्यान्वयन में, भू-भौतिकीय अन्वेषण और व्यधन कार्य सहित तेल और गैस के सम्पूर्ण कार्य में, निक्षेप विकास तथा उत्पादन सुविधाओं की स्थापना से संबंधित मूल तकनीकी विचारधाराओं का विस्तरण में सहयोग प्रदान करेगा। क्षेत्र का चुनाव भारतीय तथा सोवियत पक्ष के बीच किये गये आपसी समझौते से किया जायेगा। इसके आगे सोवियत पक्ष भारतीय पक्ष को बंद हो जाने और कम उत्पादकता देने वाले कुओं के कारण होने वाले उत्पादन को बढ़ाने से सम्बन्धित कार्यों के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करेगा। यह निर्णय लिया गया था कि इस सम्बन्ध में हस्ताक्षर किये जाने वाले करारों के ब्यौरे तैयार करने के लिए दोनों पक्षों के संगठन आगे बातचीत जारी रखेंगे।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में गिरावट

2983. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में काफी गिरावट आई है :

(ख) क्या ऐसा इसलिए है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में गतिरोध होने के कारण कर्मचारियों में भारी असन्तोष है; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने और कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कर्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार इन माध्यम एककों के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की समस्याओं और तकलीफों से पूर्ण तरह से सजग है। जहां आवश्यक होता है शोधक उपाय किए जाते हैं।

तेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के कर्मचारियों की विदेशों में नियुक्ति ।

2984. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विदेशों में कार्य के लिए अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और यदि हां, तो क्या उसके लिए अनुसूचित जातियों /जनजातियों के कर्मचारियों का कोटा निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा 1975 से अक्टूबर, 1980 तक विदेशों में देशवार भेजे गये अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

ऐसी नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) 1975 से अक्टूबर, 1980 तक देश भर से विदेश भेजे गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है।

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
इराक	4	
तंजानिया	5	

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में काम कर रहे अनुसूचित जातियों/जनजातियों से सम्बद्ध कर्मचारियों की संख्या

2985. श्री हीरालाल आर० परमार : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध कर्मचारियों की संख्या कितनी है और क्या आरक्षित कोटे के अनुसार उनकी संख्या पूरी है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 1-1-1980 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 2574 अनुसूचित जाति और 743 अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी काम कर रहे थे। आरक्षण कोटे के अनुसार कर्मचारियों की अभी पूरी संख्या नहीं है। यह मुख्यत: इसलिए है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में, जो कि एक तकनीकी संगठन है बारम्बार विज्ञापन दिये जाने पर भी और भर्ती के मानक के छूट देने पर भी भर्ती/पदोन्नति के लिए उपयुक्त स्तर के उपयुक्त अर्हताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्तियों के लिए आरक्षण पर सरकार के निर्देशों के उपबन्धों का तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता निरन्तर बढ़ रही है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग साक्षात्कार के समय उनके निष्पादन में छूट वाले मानक अपना रहा है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए स्थानीय भर्ती करने के लिए एक प्रायोजना भी चालू की है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वयन

2986. श्री हीरालाल आर० परमार : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में मेहसाना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन ने पदोन्नति और संवर्ग की संवीक्षा के विरोध में गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) इस पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। दिनांक 28-3-1979 को गुजरात उच्च न्यायालय ने केवल अन्तरिम आदेश दिया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय नहीं दिया गया है। फिर भी दिनांक 28-3-1979 के अन्तरिम आदेश को कार्यान्वित किया जा चुका है।

ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सामने कोयले का स्टाक जमा होने की समस्या

2987. श्री हीरालाल आर० परमार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पास भारी मात्रा में कोयला जमा हो गया है;

(ख) क्या उससे उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि उपरोक्त उत्तर सकारात्मक हों तो सरकार का ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की इस समस्या को हल करने के लिए उसकी सहायता किस प्रकार से करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में खान-मुहाना स्टॉक में हाल ही के महीनों में वृद्धि हुई है।

(ख) खान मुहाना स्टॉक में वृद्धि से उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तापीय विद्युत के उत्पादन की क्षमता का कम उपयोग

2988. श्री जगदीश टाईटलर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में तापीय विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता का सर्वाधिक कम उपयोग होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं। ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता समुपयोजन, 1979-80 के दौरान हुए 45% के समग्र क्षमता समुपयोजन की अपेक्षा नवम्बर, 80 से फरवरी, 81 के दौरान अधिक रहा है। इसके आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

नवम्बर, 80	--	45.4%
दिसम्बर, 80	—	48.6%
जनवरी, 81	—	49.1%
फरवरी, 81	—	49.3%

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ताप विद्युत संयंत्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना;

(2) संयंत्र तथा उपस्करों में कमियों का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम शुरू करना;

(3) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना;

(4) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई । गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रूप से सैम्पलिंग करने के लिए विद्युत केन्द्रों के प्रतिनिधि वहां तैनात किए जा रहे हैं । कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि पत्थर, सलेटी पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ से उठाने के कार्य को तेज करें ताकि गुणवत्ता में सुधार हो । कोयला कम्पनियों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कोयला खानों पर पोर्टेबिल/स्थायी क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिष्कार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें ।

(5) जिन इंजीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों को विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना ।

डीजल के आवंटन के लिए राजस्थान सरकार से अनुरोध

2989. **श्री अशोक गहलोत :**

श्री मूल चन्द डागा : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य के लिए डीजल के आवंटन में वृद्धि की जाये;

(ख) क्या इस समय राजस्थान को दी जा रही इस आवश्यक वस्तु की मात्रा उनकी आवश्यकता से बहुत कम है;

(ग) क्या राजस्थान को दिया जा रहा डीजल का कोटा अन्य राज्यों के कोटे की तुलना में भी बहुत कम है और यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान के कोटे में राज्य की आवश्यकता को देखते हुए वृद्धि करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राजस्थान राज्य सहित राज्यों को हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) का मासिक आवंटन करते समय देश में उत्पाद की उपलब्धता, परिवहन क्षमता, विगत आवंटनों/विक्रय जैसे तथ्यों तथा अन्य तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है और अधिकतम संभव आवंटन और सप्लाई की जाती है। एक राज्य के लिए किए गए आवंटनों की तुलना दूसरे राज्य से करना उचित नहीं होगा।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार के अनुरोधों और उत्पाद उपलब्धता और परिवहन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अक्तूबर, 1980 और फरवरी, 1981 के दौरान राजस्थान के एच०एस०डी० के आवंटन प्रतिमाह बढ़ाये गए थे। गत दो महीनों के दौरान रेलवे के स्थानीय कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिनको अब दूर किया जा रहा है और उसके परिणामस्वरूप सप्लाई स्थिति में सुधार होना आरम्भ हो गया है।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप लघु कारखानों पर प्रतिकूल प्रभाव

2990. श्री नरसिंह मकवाना क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयले की मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप लघु कारखानों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए जायेंगे;

(ख) मूल्यों में वृद्धि के स्थान पर उत्पादन लागत में कमी करने के उपाय न अपनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास कोयले की मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप छोटे कारखानों के बन्द होने की कोई सूचना है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कोयला लघु उद्योगों की अन्तिम उत्पादन लागत का बहुत छोटा भाग होता है और इसीलिए कोयले की कीमत में संशोधन का लघु उद्योगों पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव बहुत नहीं होगा।

(ख) उत्पादन लागत घटाने के लिए उठाये गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) उत्पादन में इन उपायों से वृद्धि करना—ओपेनकास्ट खानों का तेजी से विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, बिजली, विस्फोटक पदार्थ आदि उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि सुनिश्चित करना, भूमि-अधिग्रहण के काम में तेजी, कानून और व्यवस्था की स्थिति में राज्य सरकारों से घनिष्ठ सम्पर्क द्वारा सुधार, आदि।

(2) खनिजों में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण।

(3) जनशक्ति पर नियंत्रण और उत्पादकता में सुधार।

(4) भंडार सूची पर नियंत्रण और भंडार सामग्री के प्रयोग में किफायत।

(5) उपकरणों के उपयोग में सुधार।

कोयले की कीमतों में वृद्धि इसलिए आवश्यक हो गई थी कि मजदूरी—जो कि उत्पादन लागत का लगभग 65% होती है—में वृद्धि हो गई और अन्य उत्पादन सामग्रियों की लागत में भी वृद्धि हो गई।

(ख) जी, नहीं।

औषध कम्पनियों द्वारा वैद्य लाइसेंस के बिना औषधियों का विपणन

2991. श्री के० पी० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स ई० मार्क सेन्डोज, आई०सी०सी०, सीबा गजी, सायनामिड़ और वार्नर हिन्दुस्तान द्वारा कितनी औषधियों का वैध औद्योगिक लाइसेंस के बिना विपणन किया जा रहा है और राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा उनको दिए गए निर्माण लाइसेंसों के ब्यौरे क्या है ; और

(ख) सरकार की अनुमति के बिना उनके फार्मुलेशनों को भिन्न-भिन्न पैकों में विपणन किये जाने को रोकने के लिए विभिन्न उपबन्धों के अधीन क्या कदम उठाए गये हैं और गत तीन वर्षों में मद-वार तथा फर्म-वार उनके उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मैसर्स बारनर हिन्दुस्तान को बिना किसी वैध औद्योगिक लाइसेंस के कुछ औषध फार्मूलेशनों का निर्माण करते हुए पकड़ा गया था। अन्य कम्पनियों द्वारा बाजार में बेची जा रही अनधिकृत निर्माण की मदों के बारे में स्थिति का पता तभी चलेगा जब वर्ष 1978 की औषध नीति और अगस्त 1980 की औद्योगिक नीति के आधार पर उनके मामलों पर कार्यवाही करने के बाद उनके दावों पर अन्तिम रूप से निर्णय किया जायेगा। जहां तक राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा जारी किये गये निर्माण लाइसेंसों के ब्यौरे का सम्बन्ध है, कोई भी मद ऐसे प्राधिकार के बिना निर्मित नहीं की जा सकती है।

(ख) कम्पनी को कुछ मदों का उत्पादन बन्द करने के लिये कहने का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब सरकार द्वारा उनके दावे और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे अन्तिम निर्णय लिया जाये। अतः इस स्तर पर मद-वार उत्पादन के आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

औषध फर्मों द्वारा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए बिना ही औषधों का उत्पादन

2992. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज तथा फिजर कोई वैध औषध लाइसेंस प्राप्त किये बिना ही कितनी औषधों का उत्पादन कर रहे हैं ;

(ख) क्या मैसर्स ग्लैक्सो तथा फिजर द्वारा बेरोक्यूल्स, प्रोटीनेक्स यूरोबायोटिक कैस्यूहस, टेरासेटिल आयन्टमेंट, एफ्नकोलिन, ओस्टोकेहयिशम, माल्टीविट आदि का उत्पादन किये जाने की अवैध गतिविधियों को नहीं रोका गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इन फर्मों ने औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये बिना ही गत तीन वर्षों के दौरान मद-वार कितनी मात्रा में विभिन्न औषधों का उत्पादन किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरटरीज और मैसर्स फाइजर लि० द्वारा निर्मित अनधिकृत मदों से सम्बन्धित स्थिति तभी ज्ञात होगी जब औषध नीति, 1978 और अगस्त, 1980 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत पार्टी के दावे पर विचार किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल सरकार को शरणार्थियों के लिए अनुदान

2993. श्री मुकुन्द मण्डल : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को शरणार्थियों के लिए अनुदान देती रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान (वर्षवार) कितनी राशि के अनुदान मंजूर किए गये हैं; और

(ग) उसके वितरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगोन) : (क) जी, नहीं।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार को निम्नलिखित धन राशि अनुदान के रूप में दी गई :—

	वर्ष	सहायक अनुदान (रुपये लाखों में)
1)	1975-76	88.31
2)	1976-77	123.65
3)	1977-78	109.00
4)	1978-79	121.40
5)	1979-80	62.10

ग) भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रशासकीय अनुमति/मंजूरियों के अनुसार ही राज्य सरकार राशि खर्च करती है तथा इसके पश्चात् किए गए खर्च के दावे प्रतिपूर्ति के लिए तिमाही आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं।

आकाशवाणी मद्रास केन्द्र द्वारा संसदीय तथा विधान सम्बन्धी कार्य के बारे में कार्यक्रम का प्रसारण

2994. **श्री एन० डेनिस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी मद्रास की संसदीय तथा विधान सम्बन्धी कार्य को अपने कार्यक्रमों में दिखाने के लिए एक फीचर तैयार करने का प्रस्ताव उनके विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी, मद्रास से संसदीय तथा विधान सम्बन्धी गतिविधियों को कवर करने के लिए कोई फीचर कार्यक्रम चालू करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास रेडियो स्टेशन द्वारा फिल्म उद्योग से सम्बद्ध व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना

2995. **श्री एन० डेनिस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में वाणिज्य प्रसारणों के लिए फिल्म उद्योग से सम्बद्ध लोगों को ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जन जीवन में जनता के लोगों, विधायकों तथा संसदीय कार्य में लगे लोगों का वाणिज्यिक प्रसारण के दौरान साक्षात्कार लेने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) विज्ञापन प्रसारण सेवा, मद्रास समय-समय पर फिल्म जगत की हस्तियों को फिल्मी गीतों के विशेष रूप से कम्पीअर किए गए कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है, साक्षात्कारों के लिए नहीं।

(ख) और (ग) विज्ञापन प्रसारण सेवा लोकप्रिय रुचि पूरी करने के लिए है और रेडियो समय की बिक्री का प्रभावी माध्यम होने और सरकार के लिये राजस्व अर्जित करने के लिये यह तदनुसार विज्ञापनों की ग्राह्यता को विनियमित करता है। इसलिये जनता के लोगों, विधायकों तथा संसदीय कार्य में लगे लोगों के साक्षात्कारों को विज्ञापन प्रसारण सेवा में प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस प्रकार के साक्षात्कारों को समय-समय पर मुख्य चैनल में प्रसारित किया जाता है।

बिहार द्वारा मिट्टी के तेल/डीजल की मांग

2996. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की मिट्टी के तेल और डीजल की मांगों को किस हद तक पूरा किया गया है ; और

(ख) बिहार सरकार द्वारा 1980-81 के दौरान मिट्टी के तेल और डीजल की कितनी मात्रा की मांग की गई और उसे कितनी मात्रा सप्लाई की गई तथा बिहार को मिट्टी के तेल और डीजल की अधिक मात्रा सप्लाई करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के दौरान बिहार सरकार ने मिट्टी के तेल की मांग 23,000 और 30,000 मी० टनों के बीच और हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) तेल की 40,000 और 60,000 मी० टन के बीच प्रति माह घटती बढ़ती बताई थी। बिहार के सम्बन्ध में अप्रैल, 1980 और जनवरी, 1981 के दौरान किये गये मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल के आवंटन और विक्रय तथा फरवरी और मार्च, 1981 के आवंटन के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

आंकड़े मी० टनों में

मास	मिट्टी का तेल		एच०एस०डी०	
	आवंटन	बिक्री	आवंटन	बिक्री
अप्रैल, 1980	23000	20357	40000	40249
मई, 1980	23000	18213	43000	41442
जून, 1980	18910	16385	40800	36413
जुलाई, 1980	20800	19726	40800	32245
अगस्त, 1980	20300	16896	37500	26780
सितम्बर, 1980	21200	19963	37500	26554
अक्तूबर, 1980	18090	18659	31933	33187
नवम्बर, 1980	19080	18339	37000	34329
दिसम्बर, 1980	18400	18369	41300	39910
जनवरी, 1981	19400	18498	42100	38177
फरवरी, 1981	19000	अनुपलब्ध	38300	अनुपलब्ध
मार्च, 1981	20400	महीना अभी समाप्त नहीं हुआ है	45000	महीना अभी समाप्त नहीं हुआ है

कुल उत्पाद उपलब्धता और परिवहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए बिहार सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, का डीजल का आवंटन अधिकतम कर दिया गया है। मार्च, 1981 के लिए डीजल का आवंटन उसकी मार्च, 1980 की बिक्री की तुलना में 15% से अधिक स्तर पर किया गया है। मिट्टी के तेल के मामले में मासिक आवंटन उसके विगत वर्ष के

तदनुरूपी महीनों के वास्तविक विक्रय से 5% अधिक स्तर पर किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा बताई गई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिहार को इन उत्पादों के आवंटनों में तदर्थ वृद्धि दी गई है।

ब्रिटेन के सहयोग से भूमिगत कोयला खानों का विकास

2997. **श्री के० प्रधानी :**
श्री जनार्दन पुजारी :
श्री पी० एम० सईद : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ब्रिटेन के सहयोग से भूमिगत कोयला खानों का समेकित विकास करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इन कोयला खानों का नाम क्या है ;

(ग) ऐसे प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जाएगा ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) यह कोयला खानें आसनसोल के निकट असनापानी और ईस्ट बोकारो कोयला क्षेत्र में घूसिक हैं।

(ग) और (घ) ग्रेट ब्रिटेन में विशेषज्ञ इन परियोजनाओं की साध्यता रिपोर्टें आशा है कि अगले 8 से 10 महीनों में सरकार के विचार के लिए प्रस्तुत कर देंगे। इस सम्बन्ध में तथ्य और आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं तथा कुछ विशेषज्ञ पहले ही भारत आ चुके हैं।

नए तेल भण्डारों के लिए खोज

2998. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में नए तेल भण्डारों की खोज और उस दिशा में काम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या परिणाम हासिल हुए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : 1. गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूगर्भीय और भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किए गए थे। अपतट में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के सर्वेक्षण जहाज "अन्वेषक" ने अनेक अपतटीय क्षेत्रों में भूकम्पीय और गुरुत्व सर्वेक्षण किये थे। इसके अतिरिक्त अनेक तटीय और अपतटीय स्थानों में अन्वेषी व्यधन किये गए थे। आयल इण्डिया लिमिटेड ने अरुणाचल प्रदेश और कुम्चाई में दो गहरे अन्वेषी कुएं खोदे थे।

2. गुजरात में पश्चिम सोभासन और पश्चिम मोतवान तटीय संरचनाओं में तेल मिला था। गुजरात में वालनेर और गजेरा तटीय संरचनाओं में गैस मिली थी। गुजरात में पंसार संरचना

में तेल और गैस प्राप्त हुए थे। विराज क्षेत्र के विस्तार और गुजरात में उत्तरी वामेज और पोलयाद में संरचना में तेल की विद्यमानता के सम्बन्ध में आशाजनक संकेत दृष्टिगोचर हुए थे। असम में गेलेकी के स्थान पर बरायलत कूप में भी तेल मिला था। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में नरसापुर कूप में गैस के संकेतों को देखा गया था। पश्चिम बंगाल में ओ०एन०-जी०सी० के अपने कर्मीदल द्वारा विभागीय उपकरणों को प्रयोग करके डायमंड हार्बर नामक कुओं 5500 मीटर की गहराई तक खोदा गया था।

3. मध्य ताप्ती संरचना में गैस की प्राप्ति के अतिरिक्त आर–9, आर–12, बी-37 और बी-38 अपतटीय संरचनाओं में तेल मिला था। बी-55 संरचना में भी गैस मिली थी। गोदावरी अपतट में भी तेल और गैस विद्यमानता के संकेत मिले थे। अण्डमान के अपतट में पहले कुएं में गैस मिली थी।

4. आयल इण्डिया लिमिटेड इस समय उथले और अपेक्षाकृत कम मात्रा में प्राप्त खरसांग उपलब्धि के विकास कार्य में लगी हुई है। महानदी अपतटीय बेसिन में, इसके महानदी-1 और महानदी-2 नामक दो कूप खोदे हैं।

5. यह सब प्रयास देश में हाईड्रोकार्बन्स को अतिरिक्त साधनों का पता लगाने के लिए किये जा रहे हैं।

आजादी के बाद भारत आए शरणार्थियों की संख्या तथा उनमें से नौकरी प्राप्त लोगों की संख्या

2999. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे शरणार्थियों की संख्या क्या है जो आजादी के बाद देश में आए थे ;

(ख) ऐसे शरणार्थियों की संख्या क्या है जिन्हें आजादी के बाद रोजगार मिल गया था तथा ऐसे शरणार्थियों की संख्या क्या है जिन्हें अब तक रोजगार नहीं मिला है और क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन सभी शरणार्थियों को रोजगार मिल जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगोन) : स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक लगभग 1,00,24,000 शरणार्थी भारत आए हैं।

(ख) और (ग) शरणार्थियों को, सम्पत्तियों के आदान-प्रदान सहित, कृषि, लघु-व्यापार जैसी विभिन्न योजनाओं में बसाया गया है उनमें से बहुत से व्यक्तियों को केन्द्रीय स्थानान्तरण ब्यूरो और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार मिल गए जिसके लिए उन्हें परम अग्रता तथा आयु सीमा में रियायतें प्रदान की गई थीं। तथापि, रोजगार के सम्बन्ध में पूछे गए इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे गए हैं क्योंकि शरणार्थियों को समस्त देश में चलाई गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वास दिया गया है अतः उनको रोजगार देने में संबंधित इन सभी वर्षों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करना व्यवहार्य नहीं है। छठी योजना में 350 परिवारों को उद्योगों में रोजगार दिए जाने का प्रावधान है किन्तु छठी योजना अवधि के दौरान

सम्पूर्ण देश में कितने शरणार्थी रोजगार प्राप्त कर लेंगे, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। संभवतः उनमें से सभी नौकरियां नहीं चाहते हैं। विशेषतया वे जो कृषि या व्यापार में बसाए गए हैं। पहले आए विस्थापित व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या पहले ही राष्ट्र के मुख्य जन-जीवन का भाग बन गई है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में सहायक केन्द्र निदेशकों के रिक्त पद

3000. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में सहायक केन्द्र निदेशकों के लगभग 80 पद रिक्त पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक विभागीय पदोन्नति समिति ने प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के 75 प्रतिशत पदों के लिए नामों की सिफारिश की थी ;

(ग) यदि हां, तो विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ; और

(घ) यदि कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमती के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैडम, मेरी अनुमति के बिना आप नहीं बोल सकती। श्री घोष।

श्री निरेन घोष (दमदम) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : उसकी अनुमति नहीं दी गई है। समय आने पर हम उस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नयी दिल्ली) : मैंने इसी विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह एक गम्भीर मामला है।

(**) कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : हरिकेश जी, मैं एक सवाल आप से पूछ रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब दो। आप कभी छुट्टी करते हो या नहीं ? हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। श्री कुरियन।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका नहीं है। अनुमति नहीं दी जाती है। आप मेरे चैम्बर में आइये। मैं वहां आपसे इस विषय पर चर्चा करूंगा। परन्तु यहां नहीं। एक दिन तो आप छुट्टी कर लिया कीजिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। आप मुझसे मिलिये। श्री चित्त बसु।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है...

अध्यक्ष महोदय : उसकी अनुमति नहीं दी गई है। मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उस विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ, जिसे अनिर्णीत पड़े रहने दिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : आप को जवाब देंगे, पूरा जवाब देंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे रेल मंत्रालय से जो जवाब मिला है, वह संतोषजनक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तब हम उसे फिर देख लेंगे। उसे फिर देख लेंगे। अगर आप की तसल्ली नहीं होती है तो मेरे से फिर बात कर लीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपकी तसल्ली हो गई क्या ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी तसल्ली होने के लिए भेजा है। मैंने आपकी तसल्ली करवानी है। आइये, मेरे साथ बात कीजिये।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बिहार में विभिन्न कोयला परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किये जाने के फलस्वरूप हरिजनों और आदिवासियों का विस्थापित होना

अध्यक्ष महोदय : श्री रंजीत सिंह यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री राम स्वरूप राम।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"बिहार के रांची, धनबाद, पलामू और हजारीबाग जिलों में विभिन्न कोयला परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण किये जाने के परिणामस्वरूप 3 एकड़ से

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कम भूमि वाले हरिजनों और आदिवासियों के विस्थापित हो जाने का समाचार ।"

ऊर्जा मन्त्री (श्री० ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं. ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को तथा देश की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमें कोयले का अपना उत्पादन बढ़ाना है। तदनुसार, छठी योजना के अंतिम वर्ष के लिये कोल इंडिया लिमिटेड के लिये कोयले का उत्पादन लक्ष्य 144 मी० टन रखा गया है । इसके लिये कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों को अनेक नई परियोजनाएं शुरू करनी पड़ेंगी और परियोजनाओं के लिये भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। जनवरी, 1980 से फरवरी, 1981 तक 21 नई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनका उत्पादन लक्ष्य 31 मी० टन है और निवेश 400 करोड़ रु० है। वर्ष 1981-82 में 35 प्रस्तावों पर विचार होगा जिनमें उत्पादन क्षमता 38 मि० टन और निवेश 960 करोड़ रु० का होगा।

कोल इंडिया लिमिटेड की तीन सहायक कंपनियों-सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड—का कार्यक्षेत्र धनबाद, पलामू, हजारीबाग और रांची जिले हैं तथा यह कंपनियां इन जिलों में अपनी नयी ओपेनकास्ट और भूमिगत खानों के लिये भूमि का अधिग्रहण कर रही हैं। भूमि का अधिग्रहण या तो कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन अथवा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन या फिर भू-स्वामियों से सीधे बातचीत करके किया जाता है। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद भूमि अधिग्रहण संबन्धी मामलों पर कार्रवाई हमेशा राज्य सरकार से परामर्श करके की जाती है। यह बात मुआवजे की रकम के मामले में विशेष रूप से है क्योंकि यह रकम राज्य सरकार की सलाह के अनुसार तय की जाती है। हम राज्य सरकार के पास धन जमा कर देते हैं ताकि भू-वंचितों को मुआवजे की रकम का भुगतान जल्दी से जल्दी हो सके। हम राज्य सरकार से परामर्श करके भू-वंचितों के पुनर्वासन के लिये भी यथा संभव प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की दर धान वाली जमीन के दो एकड़ के लिये और गैर धान-वाली जमीन के तीन एकड़ के लिये एक नौकरी देने की है। परंतु इस मामले में कोई निश्चित नियम बनाना बहुत मुश्किल है यद्यपि, जैसा कि मैंने अभी कहा है हम इस मामले का निपटान संबद्ध राज्य सरकार से परामर्श करके ही करना चाहेंगे। राष्ट्रीय हित में हमें राज्य सरकार के साथ किसी प्रकार की सहमति रखनी ही पड़ती है और इस मामले में मैं राज्य सरकार से मार्ग निर्देश लेने के लिये तैयार हूं किंतु हमारे लिये यह संभव नहीं होगा कि सभी भू-वंचितों को एक ही समय में नौकरियां दे दी जाएं। यह काम तो चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यह सही है कि जैसे-जैसे हम नई खनन परियोजनाएं शुरू करेंगे अथवा वर्तमान खानों का विस्तार करेंगे वैसे ही वैसे हमें काम निपटाने के लिये अधिक लोगों की आवश्यकता होगी किंतु यह बात भी ध्यान में रखने वाली है कि उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और इस बात का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है; तो फिर हमें खानों का आधुनिकीकरण और यंत्रीकरण करना पड़ेगा। इससे स्वाभाविक है कि किसी निश्चित समय बिंदु पर विस्तृत पैमाने पर नौकरी देने की संभावना सीमित हो जाएगी। इसके अलावा, कोयला उद्योग को हमेशा अनिश्चित काल के लिए अलाभकारी उद्योग तो नहीं रहने देना है। यह बात ओपेनकास्ट खानों और भूमिगत खानों पर भी लागू होती है। हमें एक ऐसी नीति अपनानी है जो सभी संबद्ध व्यक्तियों को स्वीकार्य तो हो और साथ ही बृहत्तर राष्ट्रीय हित में भी हो।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राम स्वरूप राम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विषय की गम्भीरता को देखते हुए यह ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव दिया था । उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में रांची, धनबाद, हजारीबाग, पलामू और गिरड़ी आदि जिले हैं जहां पर सारे का सारा कोयले का क्षेत्र है । सैकड़ों कोलियरी परियोजनाएं वहां पर रन कर रही हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बिहार, खासकर दक्षिण बिहार, जिसको छोटा नागपुर भी कहते हैं, वह कोयले का बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहां पर 90 प्रतिशत हरिजन-आदिवासी रहते हैं । सारा स्थान जंगलों से भरा हुआ है और अगर कहीं पर उनको थोड़ी सी जगह मिलती है तो वहां पर थोड़ा सा मक्का, अरहर, मड़ुआ या बाजरा आदि उपजाकर अपना पेट पालते हैं। कोयले की 21 परियोजनाएं आप उनकी जमीन पर चालू करने जा रहे हैं। ये हरिजन-आदिवासी हैं और 90 प्रतिशत छोटा-नागपुर में इनकी आबादी है । आप कहते हैं कि कंपंसेशन स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से तय किया जाएगा । परियोजनाएं आपजी चालू होंगी और जवाबदेही स्टेट गवर्नमेंट पर आप डालना चाहते हैं । आप कहते हैं कि कंपंसेशन के रेट्स स्टेट-गवर्नमेंट तय करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, जितनी गंभीरता से मैंने इस विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया था, मुझे दुःख है कि माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय ने उसकी गंभीरता को नज़रअंदाज़ किया है। यह प्रश्न हरिजन-आदिवासियों का है, जिनके पास ज़मीन नहीं हैं। इसके बाद वे जाकर जंगल में रहेंगे तो बिहार गवर्नमेंट का जंगल विभाग कहेगा कि यह जंगलों की ज़मीन है, तुम्हें यहां पर नहीं रहने दिया जायेगा । जहां पर अभी रह रहे हैं, वहां से उन्हें उजाड़ा जा रहा है । ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, इनके पुनर्वास की एक गंभीर समस्या देश के सामने खड़ी हो जायेगी ।

मैं सवाल करना चाहता हूं । चाहे किसी का घर ही क्यों न हो या कोई गांव में धान की खेती ही क्यों न करता हो और उसके पास एक कट्ठा, दो कट्ठा, तीन कट्ठा या पांच कट्ठा ज़मीन ही क्यों न हो— इस में तीन बीघे का कोई सवाल नहीं है—उसके बारे में क्या सरकार विचार करेगी कि विस्थापित होने वाले परिवार में एक एक आदमी को नौकरी अवश्य दी जाएगी ? वहां पर अदिवासी और हरिजन लोग ही 95 प्रतिशत रहते हैं । इस वास्ते क्या सरकार उनके हर परिवार में से एक एक आदमी को नौकरी देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि फिलहाल देश में प्रतिव्यक्ति पारी उत्पादन 0.70 है। 1984-85 में इससे बढ़ कर प्रति व्यक्ति पारी प्रति मीटरी टन 1·20 हो जाने की संभावना है । प्रति व्यक्ति प्रति पारी का यह उत्पादन बहुत कम है । संयुक्त राज्य अमरीका में यह 3.70 मीटरी टन से ले कर 20.7 मीटरी टन तथा ब्रिटेन में यह 14.7 मीटरी टन से ले कर 10.5 मीटरी टन तक है । इसका अर्थ यह है कि हमें और अधिक मशीनीकरण आदि करना होगा । हमें खानों का भी सुधार करना है तथा नवीनतम तकनीक से उनका आधुनिकीकरण करना है । मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमें मानवीय पहलू पर भी विचार करना होगा तथा जैसा कि मैंने कहा

है, इन मामलों में, विशेषकर जनजातीय तथा हरिजनों के मामले में, हम राज्य सरकारों की सलाह लेना चाहेंगे। हम मामले के इस पहलू पर विशेष ध्यान देने को तैयार हैं। मैं माननीय सदस्य से केवल यही छोटी सी बात याद रखने की प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों की भूमिका अधिग्रहण किया गया है, उन सभी लोगों को एक ही समय में नौकरियां देना संभव नही होगा। लेकिन जैसा कि हमने बताया है, विभिन्न चरणों में हम इन लोगों को नौकरियां देने में सक्षम हो सकेंगे। बहुत जल्दी में पटना के दौरे पर जा रहा हूं तथा मैं पुनः मुख्य मंत्री से वार्तालाप करूंगा और दावों के निपटान के लिए राज्य सरकार से सलाह-मशविरा करूंगा।

श्री राम स्वरूप राम : मंत्री महोदय ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट से कंसलटेशन करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों सरकार सारी बातों को स्टेट गवर्नमेंट पर फेंकना चाहती है ? योजना आप बना रहे हैं। सारा बैनिफिट आपको होगा। फिर क्यों आप स्टेट गवर्नमेंट को बीच में लाकर अपनी जवाबदेही से हटना चाहते हैं ? यह बिहार की ही बात नहीं है। आपको सारे देश के लिए यह पालिसी बनानी चाहिये। चाहे कोई हरिजन हो, आदिवासी हो या गरीब आदमी हो, जिस किसी की भी ज़मीन ली जाती है तो राज्य सरकार उसको कंपंसेशन नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति बने उसका पालन करें, क्या इस तरह की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जहां तक भूमि संबंधी नियमों का संबंध है, स्पष्ट है कि राज्य सरकार से सलाह मशविरा जरूरी है तथा राज्य सरकार को हमारी ओर से भूमिका अधिग्रहण करना है। हम वह काम अपने आप नहीं कर सकते। हमें राज्य सरकार को विश्वास में लेना जरूरी है।

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : ऊर्जा मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल असन्तोषजनक हैं। हमने ध्यानाकर्षण में यह जानना चाहा था कि ऐसे लोग जिन की तीन एकड़ से कम जमीन है, क्या ऐसे लोगों को सरकार नौकरियां देने का विचार कर रही हैं ? तो इन्होंने उत्पादन का आकड़ा पेश कर दिया है। रांची, पलामऊ, धनबाद, हजारीबाग के जो इलाके हैं, वहां सारे क्षेत्र में कोलफील्ड हैं और उन में 95 प्रतिशत से भी ज्यादा हरिजन और आदिवासी तथा बैकवर्ड लोग रहते हैं। हरिजन और आदिवासी लोग तीन एकड़ से कम जमीन के मालिक हैं। उनके पास एक मामूली सा मकान, एक छोटी सी सब्जी की खेती करने लायक भूमि और एक कुआं ही मुश्किल से होता है। और इस तरह से हमारे हरिजन और आदिवासियों की हजारों एकड़ ज़मीन कोल फ़ील्ड्स के लिए सालों से ली जा रही है। यह कहते हैं कि जिनके धान के दो, तीन एकड़ के खेत जायेंगे उनको भी नौकरी देंगे। मंत्री जी आंकड़े पेश करें कि दो एकड़ वालों को कितनों को नौकरी दी है ? मेरी समझ से किसी को नहीं। केवल इनके अधिकारियों के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को नौकरी मिली होगी। आज सारे छोटा नागपुर में आग लगी हुई है। जो इनके अधिकारीगण हैं उनके भाई भतीजे काफ़ी चालाक हैं। आदिवासियों की जमीन तो नहीं बिकती हैं, किन्तु हरिजनों की जमीन बिकती है। जब वह जानते हैं कि दो, तीन साल में यहां इस तरह का प्रोजेक्ट खुलेगा तो हरिजन भाइयों को बरगलाते हैं और अगर 1,000 रु० प्रति एकड़ उस जगह ज़मीन का भाव है तो लालच दे कर, सिनेमा दिखा कर 4, 5 हजार रु० प्रति

एकड़ के हिसाब से उनकी ज़मीन ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हीं खेती करो और उसमें से आधा हिस्सा खुद रखो। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट खुलने का समय आया तो हरिजन लोग उस भूमि में महरुम हो जाते हैं। काम भी उनको नहीं मिलता। यह कहते हैं कि 2 एकड़ जमीन वालों को जिनके धान के खेत हैं, नौकरी देते हैं। हमारे रांची जिले में खिलाड़ी के पास इनका हैसालांग प्रोजेक्ट है जिसमें 300 आदमी काम कर रहे हैं उनमें से केवल 5 आदमियों को ही काम दिया गया है जिनकी ज़मीन ली गयी। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी कहती हैं कि हरिजनों और आदिवासियों को नौकरियों में प्राथमिकता देंगे लेकिन वहां ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। उसी के बगल में एक और प्रोजेक्ट है जिसमें 200 आदमी काम कर रहे हैं। उसमें केवल 33 आदमियों को ही कास मिला है। श्रीमन, छोटा नागपुर में आग लगी हुई है। संकर की हराया में कारखाना है, स्वर्णरेखा डैम प्रोजेक्ट खुला है, सभी जगह आदिवासियों हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है।

सरकार हरिजनों, आदिवासियों के कल्याण की बात करती है तो सही माने में उनका कल्याण करना चाहिये। जिनकी ज़मीन जाती है उनको नौकरी भी नहीं मिलती। बेचारे कैसे अपना जीवन चलावेंगे क्या भविष्य होगा 95 प्रतिशत उन आदिवासियों का यह एक गम्भीर सवाल है वह लोग घर के लिए जंगल में जाते हैं ज़मीन मांगने के लिये तो जंगल विभाग कहता है कि यहां वन लगाना है इसलिये आपको ज़मीन नहीं देंगे। पी० डब्लू० डी० वालों से ज़मीन मांगते हैं तो वह भी नहीं देते। तो आदिवासियों के मुंह से यह आवाज़ बरबस निकलती हैं कि हमारे पूर्वज रोहतास से 500 से 600 साल पहले आये और यहां ज़मीन आबाद कर बसे लेकिन अब न हमारे पास ज़मीन है और न नौकरी है। ऐसी हालत में सिवाय क्रान्ति के उनके पास क्या रास्ता रह जाता है ? श्रीमन आज छोटा नागपुर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। आप समय रहते जाग जाइये। उनके साथ होने वाला अन्याय रुकना चाहिये पुरज़ोर मांग है कि जिनकी भी 3 एकड़ से कम भी 2 एकड़ धान वाली ज़मीन जाय उनको नौकरी मिलनी चाहिये। हम 18 संसद सदस्यों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को ज्ञापन दिया, बिहार के मुख्य मंत्री को ज्ञापन दिया, ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन दिया। आप बिहार सरकार से जरूर बात करें, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भाई भतीजावाद बाहर के लोगों द्वारा चल रहा है और छोटा नागपुर क्षेत्र में हरिजनों और आदिवासियों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं इसको अविलम्ब रोका जाय। नहीं तो छोटा नागपुर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप भविष्य में, जिनकी भी 3 एकड़ से कम ज़मीन ली जायगी, उनको नौकरी देंगे अथवा नहीं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने स्पष्टतया कहा है कि सरकार के चाहे जो भी मानदण्ड रहे हों— उदाहरण के रूप में भारत कोकिंग कोल लि० के इस मामले में मानदण्ड के अनुसार धान की खेती की दो एकड़ भूमि तथा धान की अतिरिक्त खेती की तीन एकड़ भूमि वाले लोगों को एक नौकरी देना—हम इस मानदण्ड का पालन नहीं कर रहे हैं। हम राज्य सरकार से सलाह मशवरा करके नये मानदण्ड स्थापित कर रहे हैं। हम राज्य सरकार तथा स्वयं से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हमें भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों की श्रेणी में किन लोगों को रखना चाहिये। मान लीजिये कि किसी व्यक्ति के पास एक कट्ठा जमीन है। क्या हमें उस व्यक्ति को भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित समझना चाहिये ? लेकिन मैं माननीय

सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हरिजनों का हम विशेष ख्याल रखेंगे। मैं इस बात को दोहराया है। हरिजनों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्गों का हम विशेष ख्याल रखेंगे। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। तथा मैं उनके लिये विशेष मानदण्ड स्थापित करूंगा।

समिति के लिए निर्वाचन

नारियल विकास बोर्ड

कृषि और ग्रमीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियन, 1979 की धारा 4 की उपधारा (4)(ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा (4) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कार्य मंत्रणा समिति

13वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से, जो 9 मार्च, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

ऊपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रमीला दण्डवते का स्थानापन्न प्रस्ताव। वे यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री सत्य नारायण जाटिया यहां उपस्थित नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तरपूर्व) : मैंने भी एक स्थानापन्न प्रस्ताव के संबंध में लिखित सूचना दी है। मैंने तीन मुद्दे उठाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका स्थानापन्न प्रस्ताव नकारात्मक है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मैं कुछेक शब्द कह सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। आपको मेरी सहायता अवश्य करनी चाहिये। मैं केवल नियमों के अनुसार ही कार्यवाही कर सकता हूं। मुझे नियमों का तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं जानता हूं कि आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह मैं जानता हूं। लेकिन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप व्यवस्था के प्रश्न पर अनुमति कैसे नहीं दे सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न कौन सा है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं सही तरीके से काम करना चाहता हूं और मैं छोटी सी तकनीकी गलती को अब महसूस कर रहा हूं। मैं आपके ध्यान में केवल यही बात लाना चाहता हूं : जब कोई सदस्य यह महसूस करता है कि उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है तो आपको उसका पक्ष लेना चाहिये। आजकल हम वैद्यलिंगम रिपोर्ट, स्वर्ण नीलामी आदि के बारे में अखबारों में बहुत कुछ पढ़ते हैं। इस सभा के गठन का क्या औचित्य है ? इसके अतिरिक्त विशेष धारक बांड इत्यादि के बारे में भी खबरें है—मुझे इसके बारे में कुछ सनसनीदवेज खबर देनी है तथा सभा ने इसे कार्यसूची से निकाल दिया है। कार्यमंत्रणा समिति विशेष धारकबांड के विषय को कार्यसूची से कैसे निकाल सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का प्रतिनिधि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भाग लेता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी नहीं। मैं यहां संसद सदस्य के रूप में उपस्थित हूं। यहां समिति का कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है, यह एक अनौपचारिक व्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुझाव दे रहा हूं : कृपया अपनी पार्टी के प्रतिनिधि से इसे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में उठाने को कहें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी नहीं। जहां तक वैद्यलिंगम आयोग की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, यह मामला 184 के अन्तर्गत उठाया गया है। इसका पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। महोदय, इन्हें इस विषय को कार्यमंत्रणा समिति की कार्यसूची में रखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से, जो 9 मार्च, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गांधी सागर बांध से कोटा बांध (राजस्थान) के लिए पानी छोड़ा जाना

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुए समझौते के अनुसार चम्बल नदी पर बनाए गए गांधी सागर बांध से दोनों प्रदेशों को

सिंचाई हेतु बराबर का पानी मिलना था। गांधी सागर से नियमित पर्याप्त पानी छोड़ा जाकर कोटा बैराज की मुख्य दाहिनी नहर द्वारा राजस्थान व मध्य प्रदेश को सिंचाई हेतु दिया जाना था। गांधी सागर बांध का कैचमेंट क्षेत्र लगभग 8700 वर्ग मील है, जिसमें भिन्न-भिन्न स्थानों से वर्षा आदि का पानी सिमट कर इकट्ठा होता है, जिसकी औसतन वर्षा के आधार पर औसतन 6.23 मिलियन एकड़ फ़ीट भरण क्षमता है। मूल समझौते व योजना के अनुसार गांधी सागर बांध व उसके कैचमेंट क्षेत्र का उपयोग केवल इस बांध के भरण के लिए होना था, ताकि बाँध की सम्पूर्ण क्षमता का उपयोग दाहिनी मुख्य नहर द्वारा दोनों प्रदेशों के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए हो सके।

परन्तु मध्य प्रदेश ने गाँधी सागर बांध के कैचमेंट क्षेत्र में सन् 1974 व 1978 के बीच अनेक लघु व मध्यम सिंचाई योजनाएं पूर्ण कर ली हैं, जिसके कारण सम्पूर्ण पानी को, जो गांधी सागर बांध में इकट्ठा होना चाहिए था, बीच में ही रोक दिया है और इस रोके हुए पानी से अलग से सिंचाई योजनाओं द्वारा अपने क्षेत्र को अलग से सिंचित करना शुरू कर दिया है, जिससे गाँधी सागर में पानी का भरण कम हो गया है व कोटा बैराज को कम पानी दिए जाने से राजस्थान के कोटा जिले की खेती के सामने संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश गांधी सागर की कुल 6.23 मिलियन एकड़ फ़ीट भरण क्षमता के विरुद्ध बांधों के निर्माण द्वारा प्रतिवर्ष औसतन एक-तिहाई अर्थात् 2 मिलियन एकड़ फ़ीट पानी अलग से दाहिनी मुख्य नहर के अतिरिक्त है।

(दो) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार और उसको सुचारु रूप से चलाने के प्रयत्न

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बंद होने की नौबत आ गयी है। वर्षों तक एक ओर तो इसमें प्रबन्ध की स्थिति बहुत खराब रही है और दूसरी ओर इस महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र को ईंधन, बिजली, कोकिंग कोयला और रेल वैगनों की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही है जिससे राजकोष को भारी हानि हो रही है। ऐसी आशंका है कि 1980-81 में हानि 40-42 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगी, चूंकि यह संयंत्र राष्ट्रीय सम्पत्ति है और बहुत घाटा उठा रहा है, अतः सरकार को युद्ध-स्तर पर तत्काल कदम उठाने चाहिए। इससे रोजगार की संभावना पर भी खतरा पैदा हो गया है। यह बहुत जरूरी है कि इस संयंत्र के विस्तार और पूरी मरम्मत का कार्य अविलम्ब किया जाये। यदि इस संबंध में तनिक भी विलम्ब किया गया तो यह महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र बन्द हो जायेगा।

(तीन) भिंड जिले में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से तहसीलों को अनाज के भंडारों की ढुलाई के लिए प्रयत्न

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : देश में अनाज का पर्याप्त भण्डार होते हुए भी देश के विभिन्न भागों में इसकी बहुत कमी हो रही है। यहां तक भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न के स्टाक का डिपुओं से तहसील स्तर के वितरण केन्द्रों तक परिवहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल, कई बार तो डिपो से भेजा गया स्टाक तहसील स्तर के वितरण केन्द्रों तक शायद पहुंचता भी नहीं है और बीच में ही कहीं गायब हो जाता है। उदाहरण के तौर पर भिंड

जिले में महगांव और लहर तहसील विक्रय केन्द्र इस "गायब हो जाने की बीमारी" से काफी समय से ग्रस्त हैं। इसके अलावा, पिछले महीने भिंड जिले को केवल 250 मीटरी टन खाद्यान्न मिला जबकि उसका मासिक निपतन 1800 मीटरी टन का है। इन उदाहरणों से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। आने वाले तीन महीनों में स्थिति बहुत नाजुक हो जायेगी क्योंकि नयी फसल इस अवधि के बाद ही आयेगी। परिणामतः खुले बाजार की कीमतों पर काफी दबाव पड़ रहा है। सरकार से मेरा पुरजोर आग्रह है कि स्थिति को ठीक करे जोकि खाद्यान्न की कमी के कारण नहीं अपितु भारतीय खाद्य निगम की अक्षम प्रबन्ध-व्यवस्था के कारण तथा उन बेईमान समाज-विरोधी तत्वों के कारण हुई जोकि ऐसी स्थिति का लाभ उठाने चाहते हैं।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

(चार) मध्य प्रदेश के एक गांव में एक आदिवासी महिला के साथ अनेक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार का समाचार

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : 6 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि एक आदिवासी स्त्री, जिसके साथ मध्य प्रदेश के गांव में 27 फरवरी को सामूहिक बलात्कार किया गया, 2 मार्च की रात को म० प्र० के खारगोन जिले बारावाह अस्पताल में मर गयी, समाचार में बताया गया कि इस 26 वर्षीय भील मजदूर के साथ एक खदान में बहुत से व्यक्तियों ने बलात्कार किया और उसे बहुत बुरी हालत में अस्पताल में भरती किया गया।

यह सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है और मैं इस ओर गृह मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं ताकि अपराधियों को पकड़ा जाये और इस सम्बन्ध में सक्रियता से कार्रवाई करके उन्हें दण्डित किया जाये।

(पांच) अशोक लेलैंड ट्रक इन्जन निर्माण उद्योग की अलवर में स्थापना

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : अशोक लेलैंड ट्रक इन्जन निर्माण उद्योग की स्थापना अलवर में होनी है। भारत सरकार इस सम्बन्ध में पहले ही अशोक लेलैंड कम्पनी को आशय पत्र जारी कर चुकी है कि वह राजस्थान के अलवर में उपर्युक्त यूनिट स्थापित करे। राजस्थान सरकार और उपर्युक्त कम्पनी के बीच पहले ही अल्वर में इस यूनिट की स्थापना के लिए एक द्विपक्षीय काम हो चुका है। राजस्थान सरकार उक्त काम के अनुसार कम्पनी को कुछ रियायतें और सुविधाएं देने पर सहमत हो गयी है। राजस्थान सरकार ने एक काम पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें राज्य में उद्योग को विभिन्न सुविधायें देने के सम्बन्ध में शर्तें दी गयी हैं।

कम्पनी के प्रबन्धकों को मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर के निकट उद्योग की स्थापना के लिए एक जगह का प्रस्ताव किया है।

इसी तरह की एक यूनिट महाराष्ट्र में स्थापित हो चुकी है और कम्पनी ने महाराष्ट्र में उद्योग स्थापित करने के लिए कार्य आरम्भ कर दिया है किन्तु कम्पनी ने अल्वर में यह उद्योग स्थापित करने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये हैं। कम्पनी इस संबंध में विलम्ब कर

रही हैं जोकि राजस्थान और विशेषकर अल्वर की जनता के लिए चिंता का विषय हो गया है।

अत: मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि वह कम्पनी के प्रबन्धकों के साथ यह मामला उठाये और उनसे आग्रह करे कि वे यथाशीघ्र अल्वर में इस उद्योग की स्थापना के लिए काम शुरू कर दें।

(छः) कानपुर में क्षय रोग के रोगियों की संख्या में वृद्धि

श्री आरीफ मोहम्मद खान (कानपुर) : तपेदिक, जोकि एक भयंकर रोग हुआ करता था अब अनुसंधानकर्ताओं और डाक्टरों के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप अब असाध्य नहीं रह गया है। भारत सरकार इस बारे में गहरी दिलचस्पी ले रही है कि तपेदिक की रोकथाम और उसके इलाज के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध हो। ट्यूबर क्युलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कानपुर में जोकि एक सबसे पुराना औद्योगिक केन्द्र है, बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक रहते हैं और यह अत्यन्त खेद की बात है इस युग में जबकि विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है, यहां इतनी बड़ी संख्या में लोग तपेदिक का शिकार हो रहे हैं, औद्योगिक कारखानों में काम कर रहे 10 लाख से अधिक मजदूरों में से अधिसंख्या मजदूर घोर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में गंदी बस्तियों और हट्टों में रह रहे हैं। परिणामत: शहर के कुछ हिस्सों में जैसे कांफी मोहल जैसे स्थानों में शायद ही कोई घर बचा हो जहां तपेदिक का रोगी न हो। यह भी बहुत खेद की बात है कि इन अभागे रोगियों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह दया कर के यह कार्यवाही करें :—

(क) कानपुर में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का सर्वेक्षण करने तथा तपेदिक का उल्मूलन करने हेतु कारगर उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय बोर्ड का गठन।

(ख) तपेदिक के अध्ययन के लिए एक उच्चस्तरीय केन्द्र की स्थापना और उसके साथ 150 बिस्तरों वाले अस्पताल की भी व्यवस्था ; तथा

(ग) औद्योगिक अपद्रव्यों के कारण हुए प्रदूषण को रोकना

(सात) मद्रास शहर में पोलियो का महामारी के रूप में फैलना

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : नियम 377 के अधीन मैं इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

आशा है इस सभा के माननीय सदस्य, मद्रास शहर में पोलियो की बीमारी महामारी जैसा रूप धारण कर चुकी है। इस समय इस बीमारी के फैलने का कारण संभवत: भयंकर किस्म का पोलियो वाइरस है। यह इस बात से स्पष्ट है कि पिछले एक महीने के दौरान अब तक लगभग 400 रोगी अस्पतालों में भरती किये जा चुके हैं जिनमें 51 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। यह संख्या गत वर्ष के रोगियों की संख्या से लगभग दुगुनी है, इसलिए यह बहुत जरूरी

है कि वहां प्रभावकारी पोलियो-टीके अविलंब पहुंचाये जायें और सफाई की स्थिति में सुधार किया जाये क्योंकि सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण सफाई की हालत बहुत असंतोषजनक है। राज्य सरकार इस बात पर जोर देकर कि अस्पतालों को सप्लाई की गई टीके की शीशियों पर लोगो-ग्राम अवश्य हो। स्थिति को और बिगाड़ रही है। राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनी 'तमिलनाडु डाढा' के पास जो स्टाक है वह केवल एक दिन चलेगा और मैसर्स स्पेंसर एण्ड कम्पनी प्राइवेट डाक्टरों को अपना स्टाक देने के लिए तैयार नहीं है। सेलम नगर में टीकों के उपलब्ध न होने के समाचार पहले ही आ चुके हैं।

इस स्थिति में मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह वेल्लोर स्थित पोलियो फाउंडेशन को अनुदेश दे कि वह स्थिति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मात्रा में टीके वहां भेजे, साथ ही जनसंचार के साधनों विशेषकर आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा जनता को रोकथाम के उपाय अपनाने के लिए सचेत किया जाये।

यदि इस स्थिति में सक्रिय प्रयास किये जाये तो उनसे निश्चय ही इस बीमारी को शहर और राज्य में तथा वहां से बाहर आगे फैलने से रोका जा सकेगा।

यह वर्ष विकलांग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है अतः इस बात के लिए हर तरह के प्रयास किये जाने चाहिए कि बच्चों को पोलियो के आक्रमण से बचाया जाये।

(आठ) 1947 में भारत आये पाक-अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों को स्वामित्व-अधिकार देने और नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : नियम 377 के अधीन मैं सभी का ध्यान इस अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं :

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आये लगभग 50,000 शरणार्थियों जो 1947 में जम्मू और कश्मीर के भारतीय भाग में चले आये थे, की स्थिति पर जम्मू तथा कश्मीर सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। ये शरणार्थी 1947 से जम्मू-पाकिस्तान सीमा के भारतीय इलाके में सामान्य नागरिकों की तरह रह रहे हैं किन्तु वे नागरिकता के अधिकारों से वंचित हैं। उनके नेता के अनुसार उन्हें जम्मू और कश्मीर राज्य के सरकारी कागजात में "पाकिस्तानी" समझा जाता है। वे 1947 में जो अपनी भूमि और अर्थ-सम्पत्ति पाक अधिकृत कश्मीर में छोड़ आये थे उसे वहां को सरकार ने जम्मू और कश्मीर के शरणार्थियों को जो 1947 में पाक अधिकृत कश्मीर में चले गये थे, पूरे स्वामित्व के अधिकार के साथ आवंटित कर दिया था। किन्तु खेद की बात है कि पाक अधिकृत कश्मीर से आये हुए शरणार्थियों को जो 1947 में भारतीय इलाके में आ गये थे, न तो राज्य की सेवाओं में जाने का अधिकार दिया गया है और न उन्हें अचल सम्पत्ति के स्वामित्व का अधिकार ही दिया गया है। साथ ही उन्हें पूरी नागरिकता भी नहीं दी गयी है। यहां तक कि उन्हें वहां से निकाला जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा उन्हें जो भूमि पहले आवंटित की गयी थी उससे उन्हें बेदखल किया जा रहा है।

विभाजन के बाद भारत सरकार के पुनर्वास विभाग के अधिकारियों का एक दल इन लोगों को तत्कालीन पूर्वी पंजाब में, जो अब पंजाब और हरियाणा राज्य हो गये हैं, बसाने

के लिए जम्मू गया था किन्तु शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर सरकार उन्हें यह कह कर भेजने से इन्कार कर दिया कि जम्मू और कश्मीर भी भारत का अंग है। संभवतः उसका कारण यह था कि पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा क्षेत्र में बहुत क्षेत्र में खाली भूमि उपलब्ध थी। यह भूमि शरणार्थियों को दी गई तथा उन्होंने उस पर खेती करनी आरंभ की।

राज्य सरकार के वर्तमान रवैये के कारण उन लोगों ने 8 मार्च, 1981 को जम्मू में सुचेतगढ के पास जम्मू और काश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश करना आरम्भ कर दिया। यदि इस समस्या को जल्दी नहीं सुलझाया गया तो ऐसी स्थिति में भारत-पाक के बीच सीमा संघर्ष हो सकता है।

राज्य सरकार को इन शरणार्थियों को शीघ्र स्वामित्व अधिकार प्रदान करने चाहिये तथा इन लोगों को राज्य की भूमि आबन्टित की जानी चाहिये तथा उन्हें जम्मू और काश्मीर राज्य के पूर्ण नागरिक अधिकार भी प्रदान किये जाने चाहिये। केन्द्रीय सरकार को इन शरणार्थियों के शीघ्र पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिये।

सामान्य बजट 1981-82—सामान्य चर्चा—(जारी)

सभापति महोदय : अब सभा 1981-82 के सामान्य बजट पर आगे सामान्य चर्चा करेगी।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : सभापति महोदय, क्योंकि हम विपक्षी दलों के हैं इसलिये अब बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने उपस्थित रहना उचित नहीं समझा है। दुर्भाग्य से उनके द्वारा बजट पेश किये जाने से पूर्व भारत सरकार ने विभिन्न पदार्थों पर कर बढ़ा दिये हैं। उससे भी पहले हमारे नेताओं ने बार-बार इस झूठ को निरन्तर दोहरा कर कि पिछली सरकार ने देश की अर्थ व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है, देश को दुर्दशा की स्थिति में लाकर छोड़ दिया है।

सभापति महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कैसे हमने, जबकि हम सभा में उस ओर थे, देश की अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त किया। हमसे पहले की सरकार जिसकी प्रधान श्रीमती इन्दिरा गांधी थी संयोगवश जिन्हें कि हमने आपको सरकार से हटा कर उन्हें सरकार सौंपी जिसमें प्रमुख कारण उसकी योग्यता नहीं थी वरन् हमारे दोष ही थे जिसके कारण वे अब सरकार चला रही है। आप को यह भी जान कर आश्चर्य होगा कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सरकार की बागडोर सौंपी तथा हमने अपने हाथ में ली तब विदेशी मुद्रा कोष 2,700 करोड़ रुपये थे तथा हमने जब उन्हें सरकार की बागडोर सौंपी तब विदेशी मुद्रा का कोष 5300 करोड़ रुपये था। इस प्रकार क्या हमने देश की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त किया है। किन्तु वे तथा वित्त मंत्री जो कि इस समय अनुपस्थित है वे यह चाहते हैं कि देश यह बात माने।

जब हमने सरकार को छोड़ा तब देश में सबसे भयंकर सूखा पड़ा फिर भी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या वास्तव में भूखे की स्थिति में थी, आम आदमी

की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लगभग 20 लाख मीटरी टन खाद्यान्न ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में कम से कम 100 दिन कार्य के आधार पर काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिये आबन्टित किया। इस मांग को तथा कुछ अन्य और आवश्यक मांग को पूरा करने के पश्चात् जब हमने सरकार की बागडोर छोड़ी तो दिसम्बर, 1979 में 145 लाख मीटरी टन खाद्यान्न स्टाक में था। यदि बिलकुल सही-सही आंकड़े बताये जायें क्यों कि वित्त मंत्री, जो यहां नहीं हैं, आंकड़ों में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ये ठीक आंकड़े 145.37 लाख मीटरी टन हैं। इस प्रकार हमने देश की अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त किया। फिर भी हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री देश में यही राग आलाप रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने अथवा जनता लोकदल सरकार ने देश की दुर्दशा कर दी।

श्री वेंकटरामन जी, आप की पिछली सरकार ने विदेशी मुद्रा कोष में 2700 करोड़ रुपये छोड़े थे और जब हमने सरकार की बागडोर छोड़ी तब उसमें 5300 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा कोष था। तथा भयंकर सूखे के वर्ष के बावजूद हमने 145 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का भण्डार छोड़ा था। आपने आपात्काल के दौरान शुभ सम्बन्धों में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी थी इसलिये सामान्य स्थिति पैदा काल आवश्यक था। चाहे वह बंगलौर स्थित उद्योग हों, अथवा कोयला, इस्पात, जीवन बीमा निगम अथवा बैंकिंग कार्य जब हमने सरकार की बागडोर सौंपी तो सर्वत्र कर्मचारियों तथा अधिकारियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण था। फिर भी उनके विचारों के अनुसार हमने देश की दुर्दशा कर दी। और श्री वेंकटरामन, आपने इस वर्ष क्या किया। इस वर्ष फसल भी भरपूर हुई है। 1960 की अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक यद्यपि सामान्यतया इस आधार वर्ष को सभी मूल्य सूचकांक के लिए आधार नहीं माना जाता है पर आधारित रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी, 1980 में रुपये का मूल्य 26.95 पैसे था और इतने सब कुछ आप के पास छोड़े जाने के पश्चात् आप के कार्य काल में जनवरी, 1981 में रुपये का मूल्य कम होकर 24 33 पैसे रह गया इस प्रकार उस सरकार के जो 'कार्य' करती है के एक वर्ष के कार्यकाल में इसका मूल्य लगभग 11 प्रतिशत कम हो गया। यह आपके कार्य की सफलता है। यह आप के कार्यों का नतीजा है जबकि सब जगह जनता को परेशानियां सहन करनी होती हैं। मैं कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में नहीं कह रहा हूं क्योंकि ऐसी सरकार जो 'कार्य' करती है के शासन में कानून तथा व्यवस्था होती ही नहीं। आज कहीं भी शान्ति नहीं है। जब हमने शासन की बागडोर सौंपी थी तब सब जगह शान्ति थी और एक ओर आप विरोधी पक्षों को ही दोष देते हैं कि वे ही अशान्ति पैदा करते हैं और दूसरी ओर यह कहते हैं कि विरोधी पक्ष नगण्य है इस प्रकार उनकी बातें असंगत हैं। एक बार हम यह भी स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी बातें असंगत है और हम राष्ट्र के हित के लिये आप की सफलता चाहते हैं। किन्तु आप तथा प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि विरोधी पक्ष उनका समर्थन नहीं करता है। आप किस सम्बन्ध में समर्थन चाहते हैं क्या इस बात के लिये कि आप ने रुपये के मूल्य में गिरावट ला दी है। क्या इस बात के लिये कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुभवहीन प्रशासकों को पदोन्नत करके राज्यों में पदासीन कर दिये गये हैं और देश के विभिन्न भागों में उपद्रवों को रोका नहीं जा रहा है। क्या आप इस बात के लिये समर्थन चाहते हैं। आप कहां और किस बात के लिये समर्थन चाहते हैं। यह कोई नहीं जानता तथा बस केवल कभी कभी इतना ही कहा जाता है कि 'हम चाहते हैं कि विरोधी पक्ष हमारा समर्थन करें।'

अब हम इस सरकार के कार्यों की तथा बजट की जांच करें जिससे सरकार की विचार धारा का पता चलता है। उनका विचार था कि छठी योजना का आकार बढ़ा कर उन्हें बड़ी प्रशंसा मिलेगी। इसलिये श्री वेंकटरामन इसमें 10,000 करोड़ रुपये की और वृद्धि कर सकते हैं और इस प्रकार इससे न केवल इस्पात, सीमेंट, कोयला के मूल्य में वृद्धि होती है जिसके कारण ईंटों के मूल्य में वृद्धि हुई है, वरन् ट्रक द्वारा अथवा रेल जैसे अन्य साधनों से परिवृद्ध करने के व्यय में भी वृद्धि होगी तथा रुपये के मूल्य में भी प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत से भी अधिक मूल्य ह्रास होगा जैसा कि रेल मंत्री के हाल के बजट से स्पष्ट है। वास्तविक मूल्य के अर्थों में 10,000 करोड़ रुपये का घाटा होगा यह हमारे लिए जमाराशि नहीं वरन् घाटे की राशि होगी। इसलिये 90,000 करोड़ रुपये, 1,00,000 करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर नहीं होंगे वरन् वह केवल 80,000 करोड़ के मूल्य के बराबर की ही राशि होगी। (व्यवधान)

मेरे मित्र को जो व्यवधान डाल रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिये क्योंकि वे गणित शास्त्र में बहुत अच्छे नहीं हैं। यह गणित शास्त्र की सीधी सी बात हैं किन्तु इससे पता चलता है कि यह छठी योजना के दौरान किस ओर जा रहा है। वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण के दौरान धीरे से इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि बजट में एशियाई खेलों के लिये भी व्यवस्था कर दी गई है और उसका अधिकांश व्यय स्थायी आस्तियां बनाने के लिये व्यय किया जायेगा। यदि दिल्ली के सम्बन्ध में स्थायी आस्तियां बढ़ाने के सम्बन्ध में इतनी ढील है तो वित्त मन्त्री देश के प्रत्येक राज्य की राजधानी में एशियाई खेल का आयोजन क्यों नहीं करते तथा हर जगह 700 करोड़ रुपये व्यय क्यों नहीं करते। मुझे भी खेल-कूद में बहुत रुचि है तथा अपने समय में मैं अखिल भारतीय चैम्पियन था. . .

एक माननीय सदस्य : किस खेल में ?

श्री बीजू पटनायक : खेल-कूद में यदि 36-37 का रिकार्ड देखें तो . . .

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : जेल में उन्होंने सब को हरा दिया था।

श्री बीजू पटनायक : जेल में मैंने सब को हरा दिया था। मैं उन सभी चीजों को पसन्द करता हूं जो अच्छी हैं जैसे रंगीन दूरदर्शन। यह सरकार भी सुन्दर वस्तुओं पर अधिक ध्यान देती है। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं क्योंकि मैं भी उनकी तरह सुन्दर वस्तुओं को पसन्द करता हूं। किन्तु मुझे दुर्भाग्यवश गत मास स्वतन्त्रता प्राप्ति के 33 वर्ष के बाद पदयात्रा करनी पड़ी। जब मैं 33 वर्ष की स्वतन्त्रता कह रहा हूँ तो मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं उस समय सरकार में था, कांग्रेस में था आदि-आदि। उसके सम्बन्ध में जो दोष लगाये जाते हैं उनसे मैं अपने को अलग नहीं कर रहा हूँ। 10 दिन तक मैं गांवों में रहा तथा वास्तव में ग्रामवासियों के साथ रहा तथा लगभग 25 किलोमीटर प्रति दिन चला तथा इस प्रकार 200 किलोमीटर से अधिक मार्ग तय किया तथा 250 ग्रामों में गया। सामान्यतया सभी तथा कथित जन नेताओं की तरह हम लोगों की आम सभाओं में जाते हैं—मालायें स्वीकार करते हैं उनसे बात करते हैं तथा अपनी कार में बैठ कर वातानुकूलित घरों में वापस आ जाते हैं। सब ऐसा ही करते हैं सब संसद सदस्य ऐसा ही करते हैं चाहे वे साम्यवादी हो, अथवा समाजवादी अथवा कांग्रेसी अथवा और कोई हो . . .

एक माननीय सदस्य : नही ऐसा नहीं हैं, ऐसा नहीं हैं।

श्री बीजू पटनायक : आप बहुत अधिक विरोध न करें। हम नेताओं को जानते हैं। हमारे देश में नेताओं का ऐसा ही चरित्र है। यह सब कार्यकलाप 15 से 20 प्रतिशत लोगों के लिये है। 20 प्रतिशत जनता जो ग्रामों में, गन्दी बस्तियों में रहती है उन्हें खाने को नहीं मिलता और जब मैं यह दोहराता हूं कि वर्ष में कम से कम 100 दिन की बात कहता हूं तो यह उनकी पत्नियां, बच्चों तथा उनके सभी लोगों के सम्बन्ध में कहता हूं।

वे छोटी-छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं। मुझे उनके साथ 10 दिन रहने का मौका मिला। हमें उनकी झोंपड़ियों में अन्दर जाने के लिए झुकना पड़ता था.....

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई, उत्तर पूर्व) : विशेषकर आपको।

श्री बीजू पटनायक : हां विशेषकर मुझे। आप होते तो आपको भी झुकना पड़ता। दुर्भाग्य से वहां पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है और बहुत सी दूसरी चीजें नहीं हैं। उनके पास कोई काम भी नहीं है क्योंकि गाँव का एक औसत मजदूर जोकि खेत में काम करता है, जिसे आप खेतिहर मजदूर कहते हैं, उसको वर्ष भर में 4-5 महीने काम मिलता है और बाकी समय उसे काम की खोज करनी पड़ती है। यही बात सीमान्त कृषक के बारे में है। सीमान्त कृषक एक खेतिहर मजजूर ही है जिसके पास थोड़ी सो जमीन होती है। आठ महीने उसके पास कोई काम नहीं होता। आधे साल उसके पास काम होता है और बाकी आधे वर्ष वह, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, सारा का सारा परिवार भूखे रह जाते हैं।

इसलिए हमने, जनता पार्टी ने, जनता लोक दल पार्टी ने, लोक दल कांग्रेस सरकार ने उनके लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया था।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चितूर) : नहीं, नहीं यह आप लोगों ने शुरू नहीं किया। यह कार्यक्रम तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लागू किया था।

श्री बीजू पटनायक : आपने उसे बहुत छोटे पैमाने पर चालू किया था। हमने उसका विस्तार किया। आपके पास केवल सदभावनाएं थी, हमने उन्हें कार्यरूप दिया, कार्यान्वित किया। अब आपने इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया है। आपने उसे रोक दिया है, पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : हमने उसमें परिवर्तन कर दिया है।

श्री बीजू पटनायक : आपने इसे दूसरा नाम दिया है जोकि चल नहीं रहा है। लेकिन कुछ भी हो, लोगों को कहने दो। आप गांव में जाते हैं। आप पता करें कि कितने लोगों को काम मिल रहा है। मैं अब इस बात पर आ रहा हूँ। असली बात यह है कि श्री वेंकटरामन के बजट में 80 प्रतिशत लोगों में से 1 प्रतिशत के भी कष्ट की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। यह समस्या का मुख्य मुद्दा है। आप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं। 30 वर्षों से हम उनके बारे में दिखावे की बातें करते आ रहे हैं। हमने उनकी ओर कितना ध्यान दिया है। केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर उनकी दशा

वही है। यदि हमारी कार्य करने की पद्धति नहीं बदली तो उनकी दशा वही रहेगी। हमारा वार्षिक बजट किसके लिए है इसमें कुछ 100 करोड़ रुपये खेलों के लिए, कुछ 100 करोड़ रुपये टेलीविजन के लिए, कुछ 100 करोड़ रुपये दूसरी चीजों के लिए रखे गये हैं। हां, हमें इन सब चीजों की जरूरत है। यह स्पुतनिक युग है। यह मिसाइलों प्रक्षेपास्त्रों का जमाना हैं। परन्तु हम उन 30 से 35 करोड़ लोगों के लिए रोजगार प्राप्त कराने, उनके लिए दैनिक काम ढूंढने के बारे में नहीं सोच रहे हैं जोकि—जैसा कि श्री वेंकटरमन कहते हैं गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। यह शब्द योजना आयोग का है जबकि आप वहां थे। राष्ट्रीय औसत के आधार पर यह इस पृथ्वी पर सबसे अधिक गरीब देशों में से एक है। इसी समय सबसे अधिक गरीब देशों में इसका 87वां नम्बर था। अब 115वां हो गया है यानि सबसे नीचे पहुंच गया है। केवल 8 देश यानि नेपाल, भूटान और कुछ और देश हैं, जो हमसे नीचे हैं। यह भारत है। यहां पर किसे किस बात का गौरव हो सकता है? अभी एक सम्मेलन हुआ था जिसे आप कहते हैं, किसानों का सम्मेलन, एक और सम्मेलन हुआ था.....

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : मि० चरण सिंह ने भी एक सम्मेलन किया था।

श्री बीजू पटनायक : श्री चरणसिंह उस समय सत्ता में नहीं थे। उन्हें गद्दी से उतार दिया गया था। वह मंत्रालय में नहीं थे। लोग जब उनसे मिलने आये उस समय वह मंत्रालय में नहीं थे। आपको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए.....

एक माननीय सदस्य : श्री लकप्पा तथ्यों के मामले में मजबूत नहीं हैं।

श्री बीजू पटनायक : हां, मैं जानता हूँ कि वह नहीं हैं। अज्ञानता का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है।

एक और समारोह होगा। एशियाई खेलों का। यह समारोह कुछ लोगों का होगा। निश्चय ही खिलाड़ी के रूप में एक बहुत अच्छी देखने वाली चीज होगी। लेकिन दिल्ली में आना एक ऐसे देश में आना है जहां 35 करोड़ आदमी गरीबी की रेखा से नीचे जीते हैं जहां 80 प्रतिशत लोगों को वर्ष में कम से कम 100 दिन एक वक्त का भी भोजन नसीब नहीं होता। श्री वेंकटरामन जी अपने उत्तर में यह स्पष्ट करेंगे कि आपने किन-किन चीजों की व्यवस्था की है। उड़ीसा जैसे राज्य के लिए जोकि अंग्रेजी शासन के पिछले 200 वर्षों के दौरान पूंजी-निवेश की दृष्टि से निरन्तर उपेक्षित ही रहा, आपने क्या व्यवस्था की है। वहां केवल 2 रेल लाइन बिछाई गई हैं क्योंकि कलकत्ता को मद्रास के साथ जोड़ना था, बम्बई के साथ जोड़ना था। इसलिए यह दो लाइनें बिछाई गई जोकि उड़ीसा के बार्डर के इलाके में है। यदि अंग्रेज लोग बंगाल की खाड़ी पर रेल लाइन बिछाते तो उन्होंने भी उड़ीसा की उपेक्षा कर दी होती क्योंकि उड़ीसा वह आखिरी राज्य था, जिसने कि अंग्रेजों के सामने हथियार डाले। उड़ीसा ने मद्रास के समर्पण के पश्चात् लगभग 100 वर्ष बाद हथियार डाले। इसलिए मद्रास का निर्माण किया गया, बम्बई का निर्माण किया गया, कलकत्ता बनाया गया, दिल्ली का निर्माण किया गया लेकिन अंग्रेजों ने उड़ीसा की उपेक्षा की। हमें सूखे और भूखे छोड़ दिया गया। हरिजनों और आदिवासियों को पहाड़ियों से बाहर निकाल दिया गया। 33 वर्षों में हमारे लिए क्या पूंजीनिवेश किया गया। जब मैं वहां का मुख्य मंत्री था, मैंने पंडित जी से

इस बात पर झगड़ा किया था। मैंने कहा था कि "यदि उड़ीसा जैसे पिछड़े हुए राज्यों को केन्द्रीय सहायता नहीं मिलती तो उनके लिए यही बेहतर होगा कि भारतीय वित्त व्यवस्था से बाहर हो जाये। अभी भी मेरा यही विचार है। यही बात मैंने उस समय कही थी जिस समय मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे, लाल बहादुर जी प्रधान मंत्री थे, गुलजारी लाल जी प्रधान मंत्री थे। यही बात मैंने तब कही, जब मैं मुख्य मंत्री था। मैंने कहा था यदि मेरे राज्य के 2 करोड़ लोगों को आप कुछ नहीं दे सकते तो मैं अपने राज्य की किसी पहाड़ी को गिरवी रखकर 1 हजार करोड़ रुपया ले लूंगा। हम कुछ 100 करोड़ रु० के लिए भारत सरकार के आगे हाथ क्यों फैलाएं।" यही बात मैंने श्री मोरारजी देसाई से कही थी जब वह प्रधान मंत्री थे। परन्तु इस संघीय अर्थव्यवस्था में जब और जहां धन की बात आती है वहां विकसित इलाकों को दबाव बहुत अधिक हो जाता है। आप महाराष्ट्र की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, जिसका कि 3000 हजार करोड़ रु० का बजट है, जबकि उड़ीसा का घाटे का बजट है। आप कैसे कर सकते हैं। यदि हरिजन लोग यह महसूस करते हैं, आदिवासी महसूस करते हैं कि भारत में उनकी उपेक्षा की जा रही है तो उन्हें यह कहने का अधिकार है कि हम अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करना चाहते हैं। यदि भारत का कोई भी हिस्सा यह महसूस करता है कि केन्द्रीय सरकार के प्राधिकारी उनकी उपेक्षा कर रहे हैं तो वह यह अनुभव करेगा ही कि वह अपने भाग्य का निर्णायक स्वयं हो। आजादी का मतलब करोड़ों लोगों के लिए गुलामी नहीं है। आजादी का लाभ उन्हें भी होना चाहिए। आजादी केवल इस सम्मानित सदन से प्राप्त नहीं हो जाती यह जनता के प्रतिनिधियों के परिश्रम से उद्भूत होती है। लेकिन जनता के कष्टों के निवारण के लिए कुछ नहीं किया गया है। आपके बजट में उन्हें कहीं स्पर्श नहीं किया गया है। यह बजट उन्हें छूता तक नहीं। 1 प्रतिशत आदमियों का भी ध्यान नहीं रखा गया। आपने बजट बनाने में केवल इस बात का ध्यान रखा है कि इसका कम से कम प्रतिरोध हो। आपने इस में यहां तक व्यवस्था की है कि कालाबाजारियों और जमाखोरों को फायदा पहुंचाया है। आपने काले धन वालों का ख्याल रखा है। यदि भारत सरकार हर तीसरे चौथे साल कर बढ़ाती जाती है तो कोई व्यक्ति किस प्रकार से करों का भुगतान कर सकता है। मेरे विचार से यह उचित ही है कि वह कर न दें और पैसे की पूरी आजादी भुगतें और कुछ वर्ष के बाद उनके पास खुला पैसा हो। हां आपका कहना है कि आपके पास इस बारे में तर्क है। ऐसा इसलिए किया गया है कि उस पैसे को लिया जा सके। तब आप आयकर की प्रणाली को समाप्त कर दीजिए। आपने यह प्रणाली क्यों लागू की। तब सारा पैसा बैंकों में चला जाएगा। तब सारी आमदनी बैंकों में चली जाएगी। तब यह कुछ 100 करोड़ रुपये के आयकर का क्या फायदा। जबकि आप सारी की सारी आमदनी बैंकों में प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह बेहतर नहीं होगा। इसमें तर्क का प्रश्न ही कहां उठता है। या तो आप कर प्रणाली ढंग से लागू करें या बिल्कुल समाप्त कर दें। यदि कोई प्रणाली है तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि वह ठीक प्रकार से चले।

आप यहां आए हैं यानि आपके नेता आप सब को यहां लाए हैं और उन्होंने भारत के लोगों की एक ऐसी सरकार देने का वायदा किया है जो काम कर सके। क्या आपको सब क्षेत्रों में असफलता दिखाई नहीं दे रही है। श्री वेंकटरामन निजी तौर पर सोचते होंगे कि वे ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हैं (व्यवधान)

उन्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ। क्या आप नहीं जानते कि आप चारों तरफ ज्वालामुखी फटता हुआ देख रहे हैं .....

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : इसलिए आपको बाहर निकाल फेंका गया है।

श्री बीजू पटनायक : नहीं, नहीं अभी फटा नहीं है, बल्कि फटने वाला है। लेकिन यह ज्वालामुखी आपके चारों तरफ नहीं फट रहा है। आप चाहते हैं इस देश में हर चीज शांति से और चैन से चले, आप कुछ भी कहें अच्छा या बुरा उसका कोई विरोध न हो। यदि ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि दामोदर घाटी निगम में उत्पादन हो रहा है, इसका कार्य आश्चर्यजनक है, इसका उत्पादन दिनोंदिन बढ़ रहा है। जबकि असलियत यह है कि इसका उत्पादन दिनों-दिन गिर रहा है। मंत्री महोदय, आज का उत्पादन कितना है। वह यहां बैठे हुए हैं.....

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : लगभग 700-800।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : आपने प्रश्न पूछने के लिए गलत दिन चुना।

श्री बीजू पटनायक : वेंकटरामन जी आप ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक। यदि यह ठीक है तो निश्चय ही उनके पास आज के उत्पादन के आंकड़े नहीं हैं क्योंकि वह सारे समय यहीं बैठे रहे हैं.....(व्यवधान) क्यों बाकू ठीक है न हम सभी इस बात को जानते हैं कि

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : आप जो कहना चाहें कहें लेकिन सच्चाई कुछ और है।

श्री बीजू पटनायक : श्रीमन्, उसका परिणाम यह है कि कोयले का उत्पादन कम हो रहा है। इस्पात के उत्पादन में कमी हो रही है। श्री वेंकटरामन जी आप को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के तुलनपत्र की जानकारी है। जिस समय मैंने प्राधिकरण छोड़ा, उसमें 54 करोड़ रुपये का फायदा था। अब वर्ष 1980-81 में आपने इसे 130 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे में पहुंचा दिया है। सिद्धान्ततः इसके लिए आपके वह सहयोगी जिम्मेदार हैं, जो आपके पीछे बैठे हुए हैं, वह इस घाटे के मुख्य अपराधी हैं .....

सभापति महोदय (श्री गुलशेर अहमद) : पटनायक जी, आपने बाकू शब्द का प्रयोग किया है। क्या यह असंसदीय नहीं है ?

श्री बीजू पटनायक : नहीं, श्रीमन्, बाकू उनका नाम है। आप उनसे पूछ लीजिए। यह उनका बोलचाल का नाम है।

श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी : मुझे उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह उनका नाम नहीं है, उनके पी० ए० का नाम है। उन्होंने गलत कहा है।

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : मैं, उन्हें बुलाता हूँ।.....(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : नहीं, नहीं, हम सभी उन्हें इस नाम से बुलाते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। लेकिन मुझे अफसोस है। मेरा इरादा उन्हें चिढ़ाने का नहीं था क्योंकि यह उनका बोलचाल का नाम है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं आप को बीजू के नाम से पुकार सकता हूं।

श्री बीजू पटनायक : यदि मुझे उस नाम से पुकारेंगे तो कोई भी नहीं समझ पाएगा। श्री वेंकटरामन मेरे पुराने सहयोगी हैं। वे बहुत ही कर्मठ तथा ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई है कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए तथा अपने अस्थायी राजनैतिक लाभ के लिए थोड़ी-सी ईमानदारी बेच दी है। (**व्यवधान**) आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई है। मैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों से डरने वालों में से नहीं हूँ। भारत उन्हें अपने यहां खपाने के लिए काफी है। वस्तुतः सोवियत रूस में भी अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कार्यशील हैं। मैं उनसे नहीं डरता।

लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपके संबंधित मंत्रालयों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि जैसे कि विश्व के अनेक देश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों बिक गए हैं, उस तरह से वे स्वयं उनके हाथों न बिक जाएं, पर्याप्त एहतियाती कदम उठा लिए हैं। इधर-उधर भी कुछ घटनाएं हुई हैं। मैं पिछले 25 वर्षों के बारे में बता सकता हूं। मैं संसद के दोनों सदनों के साथ काफी समय से सम्बद्ध रहा हूँ। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वित्त मंत्री ने प्रधान मंत्री को वास्तविक तथ्य तथा आंकड़े देने संबंधी अपने कर्तव्य में कुछ लापरवाही बरती है। यदि उन्होंने उन्हें सही जानकारी दी है तो वे यह कैसे कहती हैं कि हमने देश को दिवालिया कर दिया था जबकि वास्तविकता यह है कि जब उनकी सरकार सत्ता से हटी थी तो 2,700 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का कोष था और जब हमारी सरकार ने सत्ता छोड़ी तो हमने 5,300 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का कोष छोड़ा था ? वे यह कैसे कहती हैं कि हमने देश को दिवालिया तथा अन्नरहित कर दिया था जबकि हमने सत्ता छोड़ते समय भारत में एक वर्ष के अभूतपूर्व भयंकर सूखे के बावजूद तथा गांवों में गरीब लोगों के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन 20 लाख मी० टन अनाज का प्रावधान रखने के पश्चात् 145 लाख मी० टन अनाज का भण्डार छोड़ा था। यदि वित्त मन्त्री ने उन्हें जानकारी दी है तो क्या वे ईमानदारी के साथ ऐसा कह सकती हैं ? यदि वित्त मन्त्री ने उन्हें सही जानकारी नहीं दी है तो वे इस असावधानी के लिए दोषी हैं और यदि उनके जानकारी दिए जाने के बावजूद भी प्रधानमन्त्री ऐसा कहती हैं तो वे घोर राजनैतिक बेईमानी की दोषी हैं।

इन शब्दों के साथ मैं कामना करता हूँ कि हमारा देश सौभाग्यशाली बने लेकिन ऐसे बजट से, जिसमें समाज के गरीब वर्गों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसा हो पाना संभव नहीं है।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : सभापति महोदय, जब मैं कल विपक्ष के एक मार्क्सवादी मित्र तथा आज श्री बीजू पटनायक, जो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं का उद्घाटन भाषण सुन रहा था तो मैं इस बात पर हैरान था कि आखिर बजट में ऐसी कौन सी बात है जिस पर वे इतना शब्दाडम्बर रच रहे हैं। श्री पटनायक, आप जाइए नहीं। मुझे आप से कुछ कहना हैं।

सभापति : आप दोनों तो एक ही व्यवस्था से हैं।

श्री कमल नाथ : जी नहीं।

श्री बीजू पटनायक : वे नहीं जानते कि हवाई जहाज कैसे चलाया जाता है।

श्री कमलनाथ : आपने सिखाया ही नहीं था। कोई बात नहीं, माननीय सदस्य महोदय की लम्बी तथा घुमा-फिराकर दी गई दलीलों को सुनकर अब मुझे इस बात पर दुगना यकीन हो गया है कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई तर्क नहीं होती है तो वह अनाप-शनाप बोलने लगता है। सभापति महोदय, जिस बात पर मैं बल देना चाहता हूं वह बात यह है कि कल श्री बालानन्दन ने अपने विचार रखे थे और उन्हें इस बजट से कुछ निराशा अवश्य हुई होगी क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं वे तो एक कठोर बजट की आशा कर रहे होंगे ताकि उनकी आलोचना का कोई औचित्य निकल सके। पश्चिम बंगाल में श्री बालानन्दन का दल सत्तारूढ़ है। मुझे विश्वास है कि यदि उस राज्य में भी ऐसा ही बजट, पेश किया जाता जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने सदन में पिछले पखवाड़े में पेश किया था तो वहां के लोग उनके काफी-काफी आभारी होते।

श्री बीजू पटनायक : यदि आप को यही कुछ कहना है तो मैं चलता हूं।

श्री कमल नाथ : मैं आपकी बात पर भी आ रहा हूँ। आज मैंने सदन में काफी कुछ अनाप-शनाप सुना है। श्री पटनायक ने उनकी द्वारा छोड़ी गई अर्थव्यवस्था की स्थिति की बात कही थी। महोदय, उन्होंने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था छोड़ी थी ? उन्होंने तो इस्पात संयंत्रों को बिना बिजली के छोड़ा था। क्या हम इन बातों को भूल गए हैं ? उन्होंने हमारे बिजली संयंत्रों को कोयले के बिना छोड़ा था। कोयले की खानों के पास वैगन नहीं थे। वैगन उद्योग के पास क्रयादेश नहीं थे। महोदय, मैं किसी एक पर आक्षेप लगाना नहीं चाहता।

श्री बीजू पटनायक : जब हम सत्ता में थे उस समय इस्पात संयंत्रों में पूरी क्षमता पर उत्पादन हो रहा था, वे लाभ कमा रहे थे। पिछले एक वर्ष में उन्होंने भारी हानि उठाई है। आप अपनी बात जारी रखें। मैं जा रहा हूं। कृपया क्षमा करें।

श्री कमल नाथ : आप मेरी बात भी नहीं सुन सकते।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : यह खेल भावना के विरुद्ध है।

श्री बीजू पटनायक : ठीक है, मैं यहां बैठा हूं। आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री कमल नाथ : जैसा कि मैंने कहा था कि मैं किसी एक पर आक्षेप लगाना नहीं चाहता। लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने एक बार फिर दल बदल लिया है।

श्री बीजू पटनायक : मैंने कभी दल नहीं बदला।

श्री कमल नाथ : मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा ! मैं आराम कुर्सियों पर बैठने वाले क्रांतिकारियों, धनाढ्य साम्यवादियों या पांच सितारों वाले होटलों में रहने वाले मार्क्सवादियों पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इस विषय पर अनेक

माननीय सदस्य, जिनमें तत्कालीन वित्त मंत्री, रेल मंत्री तथा इस्पात व खान मंत्री भी शामिल हैं, बोलेंगे। मैं मानता हूं कि इन सभी माननीय सदस्यों को गरीबों की काफी चिन्ता है। मैं यह भी मनता हूं कि उनको अपने कुछ आर्थिक सिद्धांत हैं। मुझे विश्वास है कि सभी राजनैतिक दलों और उनके सदस्यों के पास विभिन्न आर्थिक उपाय, विभिन्न आर्थिक सिद्धांत होंगे। लेकिन उन्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे दल को सरकार चलाने के लिए चुना गया है और हकारे दल को ही पूरी अवधि तक सरकार चलानी है तथा इस लोक सभा की अवधि की समाप्ति तक हमारे दल को ही जनता का सामना करना है। इसलिए हमारी आर्थिक नीतियां और हमारे आर्थिक उपाय ही चलने चाहिए और यही चलेंगे।

श्री बीजू पटनायक : लेकिन लोगों को ये पसन्द होने चाहिए !

श्री कमल नाथ : रानीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के बीच काफी नजदीकी रिश्तेदारी है, कई बार एक दूसरे का स्थान ले लेती है। लेकिन जैसा कि इस सदन में मैंने पहले भी कहा था हमें यह याद रखना चाहिए कि आर्थिक समस्याओं को राजनैतिक दलों से हल नहीं किया जा सकता। आर्थिक समस्याओं को तो आर्थिक उपायों से ही हल किया जा सकता है। विद्यमान संदर्भ में मेरे विचार से बजट, जो कि एक आर्थिक प्रक्रिया है, की राजनैतिक आलोचना करना अनुचित होगा। महोदय, हमें बजट को राष्ट्रीय भावना तथा देश की हाल की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर देखना होगा। नियति की यह कैसी विडम्बना है कि जिन लोगों ने देश की मूल अर्थव्यवस्था को नष्ट किया वे ही लोग आज इसकी आलोचना कर रहे हैं। क्या हम उस संगठित प्रयास-संगठित प्रयास शब्द को मैं फिर दोहरा रहा हूं—को भूल सकते हैं जो उन्होंने लोक दल-जनता सरकार की रजाई हमारे दल की सरकार पर डालने के लिये किया था ? क्या हम उस दोहरे अंकों वाली मुद्रास्फीति को भूल सकते हैं जो आप लाए थे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उन्हें सत्ता में तो आप ही लाए थे।

श्री कमल नाथ : हम उन्हें सत्ता में लाए भी थे और हमने ही उन्हें सत्ता से हटाया भी था। क्या हम यह भूल सकते हैं कि हमें 19 % की औसत दर से 22 % मुद्रास्फीति की स्थिति मिली थी ? क्या हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन की नकारात्मक वृद्धि दर की अभूतपूर्व प्रवृत्ति को भूल सकते हैं ? क्या हम देश की कुल अर्थव्यवस्था तथा उसकी संरचना के ध्वस्त होने को भुला सकते हैं ? क्या हम कृषि क्षेत्र में हुई गड़बड़ी को भुला सकते हैं ? पिछले वर्ष देश में इस शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा था। इस सरकार की ठोस आर्थिक नीतियों के कारण ही राष्ट्र इस समय के सबसे बड़े संकट के दौर से निकल सका था। मेरे मित्र ने उस सूखे का जिक्र किया है जो हमारे देश में दो वर्ष पूर्व पड़ा था। उन्होंने कहा था कि उनकी आर्थिक नीतियों के कारण ही देश उस गंभीर संकट की घड़ी से निकल सका था। मैं उनकी गलती को सही करना चाहूंगा। सूखे की स्थिति तब शुरू हुई थी जब उनकी सरकार आखिरी अवस्था में थी तथा सूखे का असर तो अभी पिछले वर्ष ही देखा गया था। अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पिछले वर्ष देखा गया था और केवल हमारी सरकार की ठोस आर्थिक नीतियों के कारण ही हम स्थिति का सामना कर सके थे। लेकिन मुझे यकीन है

विपक्ष में बैठे हुए मेरे माननीय मित्र हमेशा की तरह अब भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वस्तुतः उनका काम समस्याओं का हल ढूंढना नहीं है अपितु केवल सरकार की कमियों की ही पता लगाना है। यह स्पष्ट है कि वे तो केवल राजनीतिक खेल रहे हैं । देश की प्रगति में तो उन्हें कुछ भी योगदान नहीं देना है । उनके पास देने के लिए कोई रचनात्मक सुझाव नहीं हैं। दुर्भाग्यवश 29 वर्षों तक इस संसदीय प्रजातन्त्र में यही कुछ हुआ है और मैं समझता हूं कि उनमें से अनेक लोग इतने बूढ़े हो गए हैं कि वे अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हमें बजट की विशिष्टताओं पर बात करनी चाहिए। इस वर्ष का बजट न केवल दूरगामी है अपितु यह व्यापक भी है । इस वर्ष के बजट में पहली विशेषता यह है कि इसका प्रभाव काफी व्यापक क्षेत्र में होगा। यह अर्थव्यवस्था के हरेक पक्ष को छूता है और समाज के लगभग सभी क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है। इसमें किसान तथा औद्योगिक मजदूर, बाबू वर्ग तथा व्यवसायिक और स्वतः नियोजित दोनों ही प्रकार के छोटे कामगारों के लिए कुछ न कुछ किया गया है। यह गरीब तथा मध्यम वर्ग के लिए राहत तथा सहायता देने वाला है लेकिन उद्यमियों के लिए भी कोई कड़ा नहीं है। यह निर्यात को बढ़ावा देने वाला तथा आयात को हतोत्साहित करने वाला बजट है। हमारे इतिहास का यह एक ऐसा बेमिसाल बजट है जिसमें किसी से कुछ लिए बिना सभी को कुछ न कुछ देने का वचन दिया गया है।

तथापि, इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके लिए सरकार और वित्त मंत्री महोदय की प्रशंसा की जानी चाहिए, यह है कि इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है । मैंने पिछले बजटों तथा कुछ राज्य सरकारों के बजटों को देखा है तथा इन बजटों को देखकर मैं बिना किसी झिझक के यह बात कह सकता हूं कि इनमें से किसी भी बजट में ग्रामीण क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था जितना कि इस बजट में दिया गया है। यदि विपक्ष में बैठे हुए मित्र मेरी इस बात को झुठला सकें तो मैं उनका स्वागत करूंगा । वस्तुतः मैं तो यह आशा कर रहा था कि यहां बैठे हुए हमारे अनेक स्वतंत्र किसान नेता, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए मुजाहिद करने वाला होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों को दी गयी व्यापक रियायतों के लिए वित्त मंत्री महोदय की प्रशंसा करेंगे।

जैसा कि बजट में बताया गया है केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं के अधीन कृषि क्षेत्र की वार्षिक योजना परिव्यय की राशि वर्ष 1980-81 के 925 करोड़ रुपए से बढ़ कर वर्ष 1981-82 में 1047 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। वर्ष 1980-81 में 25 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई करने का विचार था । इस वर्ष के बजट में यद्यपि अतिरिक्त सिंचाई हेतु इतना ही क्षेत्र रखा गया है तथापि पिछले वर्ष के 1230 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की राशि को इस वर्ष के बजट अनुमान में बढ़ा कर 1408 करोड़ रुपए कर दिया गया है। लेकिन अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि बड़ी तथा छोटी सिंचाई योजनाओं की आबंटन राशि को 266 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 301 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 1981-82 में 22,000 से अधिक गांवों में बिजली पहुंच जाएगी और 4.25 लाख पम्प सेट बिजली से चलने लगेंगे। मेरे लिए इसमें गर्व की बात है, क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, जिला छिंदवाड़ा, में मार्च, 1982 तक पूर्णतः बिजली लग जाएगी। पीने के पानी पर 110 करोड़

रुपए परिव्यय रखा गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। इस वर्ष 36,000 अतिरिक्त गांवों में पीने के जल की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम, जिसके बारे में श्री पटनायक काफी स्पष्ट थे, को केवल पिछले वर्ष से ही सही दिशा में चलाया गया और इसके लिए पिछले वर्ष 340 करोड़ रु० की तुलना में इस वर्ष 360 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है जिससे केन्द्रीय क्षेत्र में 180 करोड़ रु० तथा राज्य क्षेत्र में 180 करोड़ रु० का समान व्यय किया जा सके। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम जैसे अन्य विशेष कार्यक्रमों से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन के नए अवसर निकलेंगे।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इसके परिणामस्वरूप 1981-82 में 30 लाख परिवारों को निर्धनता की रेखा से ऊपर ले जाया जाएगा। मैं यह नहीं समझता कि माननीय मित्र ने यह पढ़ा है। मैं यह नहीं देख सकता कि कैसे एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाला भारतीय, और मैं यह मानता हूं, यहां बैठे हुए मेरे मित्र इस उपलब्धता पर गर्वित होंगें। और मैं यह नहीं समझता कि विरोधी पक्ष के मेरे मित्र इसे किस प्रकार इससे ईर्ष्या करेंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि विरोधी पक्ष के मेरे मित्र सरकार से इससे अधिक उच्च और बेहतर उद्देश्य की क्या आशा कर सकते हैं।

बजट का अन्य पक्ष, जिनकी कि अधिकतर लोगों ने सराहना की है वह यह है कि पहली बार प्रत्यक्ष करों पर हमारी सुसंगत नीति रही है। इससे मेरा अभिप्राय निम्न और मध्यम आय वर्गों पर आय कर के बोझ में नाटकीय कमी करना है। 15000 रु० की आय तक के लोगों को पूर्णतः आय कर से मुक्त कर दिया गया है और इसी प्रकार की राहत उन व्यक्तियों को दी गई है जिनकी आय 15,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच है। प्रत्यक्ष कर प्रबन्ध में इसका क्या अर्थ है ? देश में कर एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली तथा प्रबन्ध पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कर-एकत्र करने की वर्तमान व्यवस्था जो, 40 लाख कर-दाताओं के लिए थी, अब 26 लाख कर-दाताओं का कर-निर्धारण करेगा तथा उनसे कर वसूल करेगी। नामतः उच्च आय वर्ग और अधिक अमीर वर्ग मेरे विचार से, यह कर प्रबन्ध का एक सुस्पष्ट फार्मूला तैयार करने में पहला कदम है। तथापि यहां एक और प्रश्न है जिसे अवश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए और वह प्रश्न लगभग 15 लाख कर-दाताओं के हाथों में अतिरिक्त नकद राशी आ जायेगी जो हमारी प्रणाली में आ जायेंगे। इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा।

एक बार हमने यह मान लिया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की हमारी नीति में निजी क्षेत्र को बनाये रखा जायेगा, यह तो स्वाभाविक है कि सरकार निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करें किन्तु साथ ही इसे एकाधिकार प्राप्त करने से रोके। इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर, बजट में आय-कर अधिभार को 7.5% से घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव है और इससे सरकार को राजस्व में घाटा नहीं होगा। इसके लिए हमारे वित्त मंत्री ने एक नया तरीका निकाला है। अधिकार, जो मूलूतः निर्धारण पर लिया जाता था अब करदाताओं के सभी वर्गों से अग्रिम ही ले लिया जाया करेगा और मेरा विचार है कि सप्लाई की स्थिति को तीव्र करने के लिए यह पर्याप्त प्रोत्साहन हैं।

लघु क्षेत्र के उत्थान की नीति के अनुसरण में, लघु एकक के रूप में मान्यता प्रदान करने की सीमा, मशीनों और उपस्करों के कुल मूल्य के आधार पर 10 लाँख रु० से बढ़ाकर 20 लाख रु० कर दी गई है। इससे पिछले कुछ वर्षों से मुद्रा स्फीती के प्रभाव को रोकने की लम्बे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता पूरी हो गई है। साथ ही, उत्पादन शुल्क से छूट की सीमा को भी निकासी मूल्य के आधार पर 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख रु० कर दिया गया है। यह पर मैं छोटे से संशोधन का सुझाव दूंगा। मैं चाहूंगा कि लघु उद्योग क्षेत्र के उत्थान और एकाधिकार को पनपने से रोकने के लिए हमारे दल की वचनबद्धता के अनुसरण में वित्त मंत्रालय को उत्पादन शुल्क में छूट की सीमा को निकासी मूल्य के अनुसार 7.5 लाख रु० से बढ़ाकर 10 लाख रु० कर देने पर विचार करना चाहिए। मेरा यह विश्वास है कि इससे अधिक संख्या में नियोक्ता बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता कर सकेंगे। मशीनीकृत क्षेत्र को, दूसरे शब्दों में बड़े उद्योग क्षेत्र, मध्यम और लघु क्षेत्र में प्रवेश से रोकने हेतु उत्पादन शुल्क प्रणाली को माचिस की-डिब्बी उद्योग में संशोधित रूप से लागू किया गया है और उत्पादन शुल्क प्रक्रिया को इस प्रकार समायोजित किया गया है कि यह रोजगारोन्मुख हो तथा इससे लघु तथा घरेलु उद्योग क्षेत्र को सहायता मिले।

विदेशी मुद्रा के संतुलन की स्थिति खराब होती जा रही है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत शीघ्र ही हमें 5000 करोड़ रु० का घाटा होगा।

पहले स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों में उन्हें मिलने वाली कर सम्बन्धी रियायतें काफी दुर्वहनीय थीं। बजट में अन्य सभी प्रकार की कर सम्बन्धी रियायतों को समाप्त कर दिया है और पांच वर्षों के लिए कर से पूर्णतः छूट दी गई है। कोई भी इस तथ्य की अवहेलना नहीं कर सकता कि स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र में उद्योग परिष्कृत उद्योगों तथा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। किन्तु मैं यहां भी एक संशोधन का सुझाव दूंगा। कोई ऐसा कारण नज़र नहीं आता कि यह रियायत केवल स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र को ही क्यों दी जानी चाहिए। इसे स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र को ही देने से लघु उद्योग नियोक्ताओं पर भी प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। एक लघु उद्योग एकक को, जो शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख है और जिसके पास अपनी भूमि तथा अपना भवन है, कर से रियायत प्राप्त करने हेतु को अपने पूर्ण संसाधन स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की ओर बदलने होंगे। महोदय, इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि पांच वर्षों के लिए शत-प्रतिशत कर से छूट की यह रियायत उन सभी उद्योगों को दी जानी चाहिए जो शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख हैं। विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र को क्योंकि वे अपने संसाधनों को पत्तनों के निकट स्थित स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र में नहीं ले जा सकते। अगर हमें यह रियायत केवल स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र को ही देनी है तो मैं भविष्य में उठने वाली अन्य समस्या की कल्पना करता हूँ। मैं यह पूर्वाभास करता हूं कि इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की ओर भीड़ बढ़ेगी। भविष्य में यह हो सकता है कि यह भीड़-भाड़ वाला और काफी घना क्षेत्र हो जाए। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि यह रियायत लघु उद्योग क्षेत्र के उन सभी एककों को प्रदान की जाए जो शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख हों चाहे वे किसी भी स्थान पर स्थित हों।

पहली बार इस बजट में नवीकरण योग्य उर्जा स्त्रोतों को और इनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन तथा महत्त्व दिया गया है। इसमें न केवल इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है बल्कि इस उर्जा के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली मशीनों और उपकरणों को भी

बढ़ावा दिया गया है। सौर उर्जा, जीव गैस ले उर्जा, हवाओं से प्राप्त उर्जा ये गैर-परम्परागत तथा नवीकरण योग्य उर्जा स्त्रोत हैं जिन्हें इस बजट में वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। ह्रास भत्ता 30% तक बढ़ा दिया गया है और इन रियायतों के साथ मैं महसूस करता हूं कि भविष्य में उर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का यूर्वानुमान लगाया जा सकेगा।

बजट में गैर-परम्परागत और श्रम प्रधान उद्योगों पर अधिक जोर दिया गया है जैसे इलैक्ट्रानिक उद्योग। यह प्रसन्नता योग्य बात है कि वित्त मंत्री ने देसी कम्पनी और विदेशी कम्पनी में भेद किया है। केवल इलैक्ट्रानिक वस्तुएं बनाने वाले देशी एकक अब करमुक्त लाभांश घोषित कर सकेंगे। मुझे यह विश्वास है कि इस क्षेत्र में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से मुकाबला करने में देशी कम्पनियों को सहायता मिलेगी। आयात की सभी वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क 5% मूल्यानुसार बढ़ाया गया है। इससे राजकोष को 250 करोड़ रु० अतिरिक्त मिलेंगे। तथापि 5% की यह वृद्धि, कुछ अपवादों को छोड़कर जो उचित भी है वर्ना इससे लघु उद्योग और निम्न आय वर्गों पर भी प्रभाव पड़ेगा, काफी वस्तुओं पर लागू है। मैं समझता हूं कि एक थोड़ी सी वृद्धि से 250 करोड़ रु० एकत्र करने से कीमतों पर कोई असर नहीं होगा। मैं यह समझता हूं कि यह तो निर्माताओं द्वारा स्वयं ही वहन कर लिया जायेगा। यद्यपि मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए जिससे निर्माताओं के लिए उनके मूल्य-ढांचे में ही इसे मिला देने के लिए बाध्य होना पड़े।

हथकरघा उद्योग को उत्पादन शुल्क में रियायतें निर्यात बढ़ाने और लघु उद्योगों तथा निर्धन वर्गों के हितों के लिए दी गई हैं जबकि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क वर्तमान ढांचे को युक्तिपूर्ण बनाने और लघु उद्योगों तथा निम्न आय वर्गों के संरक्षण हेतु लगाया गया है। दूसरे शब्दों में, आम राजस्व बढाने के लिए कोई उत्पादनशुल्क नहीं लगाया गया है। उदाहरण के लिए नियंत्रित कपड़े —निर्धनों के लिए **धोती और साड़ी**—के उत्पादन के लिए सहायता 100 करोड़ तक बढ़ जायेगी और इसकी पूर्ति अच्छे कपड़े पर और कपड़े से निर्मित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क में 10% से 15% बढ़ोत्तरी करके की जायेगी। मैं इसका उल्लेख एक उदाहरण के रूप में ही कर रहा हूं जिससे किसी भी व्यक्ति को सरकार की भावनाओं के बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा।

एक विषय के बारे में मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं और यह सुझाव अखबारी कागज पर पन्द्रह प्रतिशत शुल्क लगाये जाने के बजट प्रस्ताव के संबंध में है। हालांकि मैं महसूस करता हूं कि अखबारी कागज पर 15 प्रतिशत का यह शुल्क काफी पहले ही लगा दिया जाना चाहिए था। फिर भी इस बार में मैं एक संशोधन करने का, एक अन्तर रखने का सुझाव देना चाहता हूं और ऐसा अन्तर अंग्रेजी के समाचार पत्रों और भाषायी समाचारपत्रों के बीच होना चाहिए। अंग्रेजी समाचार पत्र आम तौर पर शहर में रहने वाले धनाढ्य लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जब कि भाषायी समाचार पत्र हमारे ग्रामों में जाते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषी शहर में रहने वाले सम्पन्न लोगों को सीमाशुल्क का भार वहन करना चाहिए और इसे ध्यान में रखते हुए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रभावी सीमा शुल्क 15% से बढ़ा कर 30% कर दिया जाये जबकि भाषायी समाचारपत्रों को सीमाशुल्क से पूरी तरह छूट दी जाये। इस में भी कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजी समाचार पत्रों में बहुत बड़ी संख्या में विज्ञापन होते हैं जिन पर ही

आयातित अखबारी कागज की बहुत बड़ी मात्रा की खपत हो जाती है। मेरा विचार यह है कि अंग्रेजी समाचारपत्रों के लिए आयातित अखबारी कागज पर 30% सीमाशुल्क लगाये जाने के इस उपाय से आयातित अखबारी कागज के उपयोग पर भी रोक लगेगी इससे समाचारों को प्रकाशित करने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि अनावश्यक विज्ञापनों का प्रकाशन बन्द हो जायेगा।

इस बारे में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि फोटोग्राफरों को राहत दी जाये जो हमारे समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को तस्वीरें सप्लाई करते हैं। अनेक वर्षों से फिल्मों और फोटोग्राफी के अन्य उपकरणों के शुद्ध मूल्यों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है इससे फ्रीलांसर और उभरते हुए फोटोग्राफरों को प्रोत्साहन नहीं मिलता और एलबमों और फ्रेमों का निर्माण करने वाले उद्योगों के विकास पर भी प्रतिबंध लगता है जो सामान्यतः बहुत ही छोटे उद्योग क्षेत्र द्वारा किया जाता है। हमारे देश में 3 लाख बोक्स कैमरों का निर्माण किया गया था। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस वर्ग को जो हमारे समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को तस्वीरों से सजाते हैं, सीमाशुल्क को 100% घटाकर 50% करके, सहायक शुल्क को 20% से घटाकर 10% करके और उत्पाद शुल्क को 8% से घटाकर 4% करके राहत प्रदान की जाये। इससे राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजस्व की कमी को खपत में वृद्धि करके पूरा कर लिया जायेगा।

इस बजट में राज्य सरकारों की उपेक्षा नहीं की गई है। उत्पाद शुल्क में हिस्सा बंटाने की पद्धति में संशोधन करने से राज्य सरकारों को वस्तुतः लाभ होगा। वस्तुतः राज्य सरकारों को इस बारे में चिंता होनी चाहिए कि वे राजस्व को किससे प्राप्त कर रहे हैं। और इस बारे में चिंता नहीं होनी चाहिए कि वे इसे किस प्रकार प्राप्त कर रहे हैं और क्या उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं।

अब मैं बजट के मूल आर्थिक सिद्धान्तों पर आता हूँ। बजट सरकार के आर्थिक दिशा निर्देश और आयोजना का सूचक है। किसी को भी इस बारे में भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह सरकार शक्तिशाली व्यक्तियों का समर्थन करने के बजाय कमजोर से कमजोर वर्ग को समर्थन देने के लिए प्रतिबंध है। किसी भी देश में अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति की परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों द्वारा नियंत्रित होता है। मुद्रास्फीति का समाधान मांग को नियंत्रित करके अथवा सप्लाई में वृद्धि करके अथवा दोनो द्वारा ही की जानी चाहिए। अन्तिम विश्लेषण के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में मुद्रा की सप्लाई स्थिति ही मुद्रास्फीति का निर्धारण करती है। आयकर में जो रियायतें दी गई हैं और जिन का मैंने पहले उल्लेख किया है उससे 25 लाख व्यक्तियों को 146 करोड़ रुपये का लाभ होगा। अगर इस राहत का उपयोग बचत के रूप में किया जाये तो इससे कोई भी मुद्रास्फीतिकारी प्रभाव नहीं होगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों के जारी किये जाने, 12% ब्याज की अदायगी की जायेगी और बैंक में जमा की जाने वाली धनराशि पर ब्याज दरों में वृद्धि करने से मुझे यह विश्वास है कि इस धन के एक अंश को बचत के रूप में लगाया जायेगा। निस्संदेह नये बचत प्रमाणपत्रों और बैंक की जमा राशियों पर अधिक ब्याज देने से अन्य वर्गों से भी जमा राशियां प्राप्त होंगी।

मुख्य प्रश्न तो यह है कि क्या जो अतिरिक्त राहत दी गयी है, उसका उपयोग पूंजी निवेश और बचत को बढ़ावा देकर किया जायेगा। मेरे विचार में सही आर्थिक समाधान यह होगा कि सप्लाई की स्थिति में वृद्धि की जाये। और माँग की स्थिति में वृद्धि को नियंत्रित रखा जाये और बचत को पर्याप्त मात्रा में बढ़ावा दिया जाये।

इस वर्ष के बजट में यही करने का प्रयास किया गया है।

बजट में दिखाये गये घाटे के बारे में विपक्षी सदस्यों ने काफी विरोध प्रकट किया है। कुछ अजीब कारणों से, एक संतुलित बजट से काफी राजनैतिक प्रभाव पड़ता है। परन्तु पूर्ण रूप से आर्थिक शब्दों में बजट घाटे और मुद्रा स्फीति के बीच उतना घनिष्ठ संबंध नहीं है। इस वर्ष के बजट में 1243 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा और 567 करोड़ रु० का पूंजीगत घाटा दिखाया गया है जो कुल मिलाकर 1810 करोड़ रुपए को कुल घाटा हो जाता है और इस में से 271 करोड़ रुपए के बजट प्रस्तावों की राशि को कम कर दिया जाये तो समग्र घाटा 1539 करोड़ रुपये रह जाता है। अगर इन घाटों को पूरा करने के लिए मुद्रा उत्पन्न करके खर्च की जाती है तो बजट घाटे और मुद्रा स्फीति के बीच सीधा संबंध होगा। मुख्य प्रश्न और मुख्य मुद्दा यह है कि 1539 करोड़ रुपये के घाटे की पूर्ति मुद्रा में वृद्धि करके की जायेगी अथवा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होने से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जायेगा। असली सवाल यह है इसलिए बजट घाटे के बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए।

किसी भी विकासशील देश में मुद्रा में वृद्धि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि के अनुरूप होनी चाहिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अनुमानित 5.6 प्रतिशत की वृद्धि से 1500 करोड़ रुपये का बजट घाटा मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने वाला नहीं है और न वह हो सकता है। वर्तमान बजट की मूल भावना अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास का प्रोत्साहन देना है। जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि हो सके। (व्यवधान) बजट में दिखाया गया घाटा केवल तभी मुद्रास्फीति का बढ़ावा देने वाला है या हो सकता है, अगर घाटे को पूरा करने के लिए मुद्रा सप्लाई की स्थिति में गैर आनुपातिक वृद्धि की जाये। पहले के बजट प्रस्तावों में यही होता रहा है। पहले जनता-लोकदल सरकार ने केवल एक उद्योग को संरक्षण दे करके बजट घाटे को पूरा करने का प्रयास किया और वह उद्योग था नासिक का प्रिंटिंग प्रेस। और यही मुख्य कारण था कि वर्ष 1978-79 में 1710 करोड़ रुपये की मुद्रा सप्लाई स्थिति में वृद्धि हुई और जिसकी वजह से देश में मुद्रा स्फीतिकारी दबाव पड़ा। वही दबाव अब भी है।

प्रो० मधु दण्डवते : इस वर्ष मुद्रा सप्लाई की प्रतिशतता क्या है ?

श्री कमल नाथ : हम ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 800 करोड़ रुपये की कमी की है इस वर्ष के बजट में उत्पादन के स्तर में समग्र रूप से वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इस बजट में सप्लाई की स्थिति में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त बढ़ावा दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होगी। उत्पादन के स्तर में और सप्लाई की स्थिति में वृद्धि होने से देश में मांग के स्तर में होने वाली समग्र वृद्धि की पूर्ति हो सकेगी। यही करण है कि इस मूलभूत आर्थिक कारण से हमने अपनी सप्लाई,

अपनी मांग और अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद के विकास को संतुलित रखा है और इसी कारण की वजह से मैं इस बजट की सराहना करता हूं और इसी कारण की वजह से मुझे यह आशा है कि सारा देश इस बजट की सराहना करेगा।

मैं इस अवसर पर माननीय सदस्यों को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि इस वर्ष के बजट में उल्लिखित कुछ बातों के द्वारा हमने अपनी पार्टी के चुनाव वायदों को पूरा किया है। इनमें से अनेक वायदे हमारे चुनाव घोषणा पत्र में दिये गये थे। उदाहरण के लिए निम्न और मध्यम आय वर्ग पर कर भार को कम करने के लिए हमारी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में मुख्य रूप से चर्चा की गयी थी। उदाहरणार्थ हमारी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई थी।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कम से कम यह एक बात स्वीकार करना चाहूंगा कि हम विपक्ष के प्रति कुछ कठोर रहे हैं। जैसा कि उस दिन के समाचार पत्रों में प्रकाशित कार्टून में यह कहा गया था कि हमने विपक्षी सदस्यों को आर्थिक रूप से बजट की आलोचना करने के अवसर से वंचित कर दिया है। अगर इसका अर्थ विपक्ष का दमन करना है, तो इसके लिये कोई विकल्प नहीं है और इसके लिए हम दोषी हैं।

समापति महोदय : श्री बी० आर० भगत।

श्री बी० आर० भगत : मेरा विचार था कि उस ओर से कोई सदस्य अपना भाषण करेगा।

सभापति महोदय : अगर आप उसके बाद बोलना चाहते हैं, तो किसी और सदस्य से भाषण करने के लिए कहूंगा। श्री वी० एस० विजय राघवन।

***श्री वी० एस० विजय राघवन** (पालघाट) : सभापति महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं कि यह बजट, जिसमें आम आदमी पर करभार कम किया गया है और उसके साथ अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, समाजवाद के स्वर्ण युग की ओर हमारे प्रयाण का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट इस तथ्य का प्रमाण है कि हमारी राष्ट्रीय एकता इंदिरा जी के नेतृत्व में सरकार जनता को दिये गये अपने वायदों को धीरे धीरे पूरा करने का प्रयास कर रही है। इसलिए मैं कृतज्ञता की भावना से ओतप्रोत होकर इस बजट का समर्थन कर रहा हूं। मैं इस प्रकार का बजट तैयार करने के लिए वित्त मंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

इस बजट में जल सप्लाई और विद्युतीकरण के लिए प्रावधान किया गया है और इसमें परिवार नियोजन तथा समाज के जीवन के अन्य आवश्यक तत्वों पर जोर दिया गया है। इस बजट में, यह उल्लेखनीय है कि समाज के उन लोगों के कल्याण पर जोर दिया गया है जो सबसे निचले वर्ग से संबंधित हैं। इसके साथ ही साथ मंत्री महोदय ने कराधान का सहारा लिए बिना ही योजना व्यय की पूर्ति करने के लिए संसाधन जुटाये हैं और इस प्रकार अर्थव्यवस्था बेहतर विकास निश्चित किया है।

*मंत्रालय में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

वर्ष 1981-82 की वार्षिक योजना में 24871 करोड़ रुपये के व्यय और 23061 करोड़ रुपये की आय की व्यवस्था है। यह वित्त मंत्री की दूरदर्शिता और योग्यता का प्रमाण है कि उन्होंने घाटे को 1539 करोड़ रुपये तक सीमित रखा है।

श्रीमान जी, यह बात ठीक ही है कि इस बजट को रियायतों का बजट कहा जा सकता है। जब कि एक ओर माननीय वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को, निश्चित आय वर्ग को लघु उद्योग के संचालकों को पर्याप्त रियायतें दी हैं, दूसरी ओर उन्होंने उत्पादन करने वाले क्षेत्र को राहत प्रदान की है। इस प्रकार उन्होंने उत्पादन में वृद्धि करने तथा मूल्यों में कमी करने के लिए एक मार्ग निकाला है।

आयकर दाताओं को दी गई छूट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मंत्री महोदय ने आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपये करके अच्छा कार्य किया है। यद्यपि जनता सरकार के शासन काल के दौरान भी आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया था, तथापि कर मुक्त सीमा 8,000 रुपये ही रखी गई थी। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने सभी के लिए छूट की सीमा 15,000 रुपये कर दी है। इससे निर्धारित आय वर्ग को लाभ होगा। मंत्री महोदय सीमा शुल्क पर अतिरिक्त कर लगा कर अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सफल हुए हैं।

इसके पश्चात् अब मैं अपने राज्य, केरल की समस्याओं पर आता हूं। यद्यपि रेलवे तकनीकी रूप से इस चर्चा के अन्तर्गत नहीं आता है, फिर भी मैं इस बारे में संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि रेलवे सुविधाओं की कमी की समस्या एक आम समस्या है। रेलवे बजट से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। केरल में रेलवे का कोई विकास कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। केरल के लोग काफी समय से रेल लाइनों के विद्युतीकरण की मांग कर रहे हैं परन्तु रेल अधिकारियों ने इस समस्या का अध्ययन करने पर कोई ध्यान नहीं दिया है। कुट्टीपुरम-गुरूवायूर रेल लाइन केरल की एक महत्वपूर्ण लाइन है। गुरूवायूर मन्दिर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है। बड़े दुःख की बात है कि बजट में इस लाइन के निर्माण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसी प्रकार बहुचर्चित समुद्र तटीय रेल लाइन के लिए भी बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस संबंध में मैं पालघाट क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। ओलावाक्कोड रेलवे डिवीजन का महत्व कम किया जा रहा है। इससे पालघाट के लोगों के हितों को क्षति पहुंचेगी। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह केरल राज्य की समस्याओं पर विचार करें।

केरल में संयुक्त मोर्चा सरकार है। परन्तु वास्तव में वहां मार्क्सवादी पार्टी का ही शासन है। चूंकि मैं उस राज्य से आया हूं इसलिए वहां के बारे में कुछ कहना मेरे लिये आवश्यक हो जाता है। नायनार सरकार बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और मूल्यों पर नियंत्रण रखने में असफल रही है। परन्तु वे केरल में मानव जीवन के मूल्यों को कम करने में अवश्य सफल रहे हैं। मैं केरल विधान सभा में गृह मंत्री श्री टी० के० रामकृष्णन् द्वारा दिये गये आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं केरल के गृह मंत्री द्वारा विधान सभा में दिये गये आँकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। (व्यवधान) यदि श्री बालन को इसमें कोई आपत्ति है तो मैं इस विषय पर उन्हें चुनौती देता हूं। 200 हिन्दू मन्दिरों पर हमला किया गया। इसकी वास्तविक संख्या 600 है। (व्यवधान) यदि इसमें आपको कोई संदेह हैं तो आप इसकी जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार

59 गिरजाघरों पर हमला किया गया। इसकी वास्तविक संख्या 75 है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 11 मस्जिदों पर हमला किया गया परन्तु इसकी वास्तविक संख्या 16 है। राज्य में पिछले एक वर्ष में 249 हत्याएं हुई। बलात्कार की 23 घटनायें हुई हैं। हरिजनों पर अत्याचार की, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 253 घटनायें हुई परन्तु इसकी वास्तविक संख्या 400 है। नक्सलवादी हिंसा के 23 मामले बताये गये हैं। 1-1-80 तक राजनीतिक झगड़ों की 1128 घटनायें हुई हैं। राजनीतिक हत्याओं की संख्या 45 बताई गई है। पुलिस ने 6 स्थानों पर गोली चलाई। जेल में मरे हुए व्यक्तियों की संख्या 5 बताई गई है। मल्लापुरम में 4 व्यक्ति पुलिस की गोली से मारे गये। पल्लीथुरा में पुलिस कर्मचारियों द्वारा 7 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। यह ऐसी शर्मनाक घटना है कि इससे समस्त राज्य को धक्का पहुंचा है परन्तु केरल के मुख्य मंत्री ने कहा है कि यह बलात्कार की मामूली सी घटना है। बलात्कार की मामूली सी घटना से क्या तात्पर्य है ? मैं अपने मान्य मित्र श्री बालन से पूछना चाहता हूं कि इसका क्या अर्थ है। केरल के मुख्य मंत्री ने ऐसा कहा है। मैं इस विषय पर उनके साथ किसी विवाद में नहीं उलझना चाहता हूं। मैं एक और दर्दनाक घटना आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। त्रिवेन्द्रम जिले में पुलिस ने भुवनेन्द्रन नामक एक नवयुवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के शरीर को डिकी में रखकर ले जाने और इस प्रकार उसे नष्ट करने का प्रयास किया परन्तु लोगों के हस्तक्षेप करने के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। शव परीक्षा रिपोर्ट में इसका पर्याप्त प्रमाण मौजूद है। इस हत्या के लिये दोषी पुलिस कर्मचारियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केरल में कोई सरकार है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। संयुक्त मोर्चा सरकार के एक विशेष दल का सरसान नाम का एक नवयुवक अपना दल छोड़ने के बाद यकायक गायब हो गया। वह एक विवाह का निमंत्रण देने के लिए अपनी बहन के घर गया था। अब उसका कोई पता नहीं है। कोई नहीं जानता कि अब वह कहां है। जहरीली शराब पीने से दो व्यक्ति मरे हैं उन सबके बारे में आप को पता है। बहुत से लोग मर गये और 400 लोग मृत्युशय्या पर पड़े हैं और घुल-घुल कर मर रहे हैं। केरल के विभिन्न भागों में आगजनी, लूट तथा हत्याओं की घटनाएं बराबर हो रही हैं। क्या मेरे मार्क्सवादी मित्र यह बता सकते हैं कि केरल में कितने स्थानों पर निषेधाज्ञा लागू हो रही है। आज केरल में लोग शांतिपूर्वक नहीं रह सकते। लोगों के जान माल की कोई सुरक्षा नहीं है। इसे प्रमाणित करने के लिए मैं आंकड़े दे सकता हूं।

एक अन्य बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह स्प्रिट का घोटाला है जिसने केरल सरकार को हिला कर रख दिया है। इससे पहले किसी भी सरकार ने स्प्रिट आयात के लिए किसी गैर-सरकारी फर्म को अनुमति नहीं दी है। परन्तु पिछली कार्य-विधि के विपरीत वर्तमान सरकार ने गैर-सरकारी फर्म को अनुमति दी है। मार्क्सवादी दल ने इस सौदे से अपने दल के लिए पैसा बनाया है। राज्य सरकार को इस सौदे में 25 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इस धनराशि का राज्य में अन्य विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। परन्तु यह धनराशि गैर-सरकारी फर्मों को चली गई। मेरे मान्य मित्र श्री एम० के० कृष्णन् आबकारी विभाग के मन्त्री हैं। वेल्लुपिल्ले आयोग ने उन्हें भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया था। राज्य सरकार ने इस घोटाले की जांच के आदेश दिये हैं परन्तु आदेश कागजों तक ही सीमित हैं क्योंकि उच्च न्यायालय का कोई भी वर्तमान न्यायाधीश इस जांच को लेने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में केरल और तमिलनाडु दो राज्य अन्तर्ग्रस्त हैं।

इसलिए यह जांच उन दोनों राज्यों को नहीं सौंपी जा सकती। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे किसी केन्द्रीय एजेंसी की सहायता से इस घोटाले की जांच करायें ताकि वास्तविक अपराधियों का पता चल सके और उन्हें दण्ड दिया जा सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो केरल के लोग हमें माफ नहीं करेंगे।

जो पुलिस कर्मचारी जेल में हत्या करने के दोषी हैं वे स्वतंत्र घूम रहे हैं। मार्क्सवादी दल के गृह मन्त्री उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। केरल के लोगों को ऐसी सरकार से मुक्ति दिलाई जानी चाहिए जो राज्य में हत्यारों को संरक्षण दे रही है। हमें ऐसी स्थिति का अन्त करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री ए० के० बालन (ओटापालम) : आपने अपने घर में हत्यारों को छुपा रखा है।

श्री वी० एस० विजय राघवन : आप उन्हें क्यों नहीं निकालते ? आप तो केरल में सरकार चला रहे हैं। पुलिस आपके अधीन है। आप अपनी पुलिस भेज कर यह पता कर सकते हैं कि क्या वे मेरे घर में छुपे हुए हैं। मैं वहां न भी हूँ मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं आपके पुलिस कर्मचारी जा कर पता लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो यह आपकी गलती है। (व्यवधान)। केरल के गृह मन्त्री दोषी पुलिस कर्मचारियों को संरक्षण दे रहे हैं (व्यवधान)। श्री बालन, जब राज्य में ऐसी गन्दी घटनाएं हो रही हैं तब आपको सदन में ऐसी चीजें कहते हुए शर्म नहीं आती हैं। क्या आपको एम० के० कृष्णन् जैसे व्यक्ति, जिसे भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया है, को मन्त्रिमण्डल में रखते हुए शर्म नहीं आती। अतः हमें चुनौती न दें। केरल में ऐसी चीजें हो सकती है। परन्तु यहां इस सदन में ऐसा करने का प्रयास न कीजिए (व्यवधान)। आपको बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। तब आप यदि चाहें तो मेरे तर्कों का खण्डन कर सकते हैं। यह चर्चा आपके नेता ने ही यहां उठाई है। आपके दल को बोलने का फिर एक अवसर मिलेगा। इस प्रकार मेरी बात में व्यवधान डालने का कोई लाभ नहीं है। हमें विवाद में नहीं उलझना चाहिए। मुझे अपने क्षेत्र की समस्याएं बताने दीजिए। वास्तव में श्री बालन का दल बहुत ही छोटा है। इनके दल की इस विशाल देश में दो छोटे-छोटे राज्यों में सरकार हैं। यहां उनके दल के बारे में चर्चा करना न मेरे लिए सम्मानजनक है न मेरे दल के लिए। यदि मैं यहां उनके दल के बारे में चर्चा करता हूं तो यह हमारे दल की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

लोगों को जहरीली शराब दी गई। 40 लोग अब तक मर चुके हैं। बहुत से लोग विभिन्न बीमारियों के शिकार होकर मृत्युशैय्या पर पड़े हैं। बहुत से लोग जिन्होंने यह जहरीली शराब पी थी और जो तमिलनाडु के निवासी थे वे भी मरे हैं और मृतकों की वास्तविक संख्या का पता नहीं है। नीन्दाकड़ा में बड़े पैमाने पर आगजनी और लूट की घटनाएं हुई हैं। एक महत्वपुर्ण मन्त्री के इसमें अन्तर्ग्रस्त होने का संदेह है। वह संयुक्त मोर्चा सरकार में एक प्रसुख राजनीतिक दल के सदस्य हैं। हाल ही में मन्त्री महोदय के दल के सरसान नाम का एक नवयुवक उनका दल छोड़ कर कांग्रेस-आई में शामिल हुआ था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सरसान के गायब होने की घटना की ओर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ही इस क्षेत्र में आगजनी और लूट की घटनाओं को प्रोत्साहन दिया गया। आज इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू है।

श्रीमन्, हमारे राज्य में बेरोजगारी की समस्या बड़ी व्यापक है। देश में बेरोजगार लोगों की अनुमानित संख्या 183.23 लाख है। केरल में बेरोजगार लोगों की अनुमानित संख्या 18 42 लाख है। अर्थात्, देश के कुल बेरोजगार लोगों में 10 प्रतिशत बेरोजगार लोग केरल के हैं। इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए वहां नये उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए। दुर्भाग्यवश वर्तमान केरल सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर पाई है। केरल में सरकारी क्षेत्र के उद्योग पंगु हो गये हैं। वेल्लूर स्थित अखबारी कागज की फैक्टरी को श्रमिक असंतोष के कारण चालू नहीं होने दिया गया है। पालघाट स्थित आई०टी०आई० ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है क्योंकि वहां पर भी हड़ताल चल रही है। भारत सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि वे केरल में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए कार्यवाही करें। शिक्षित स्वास्थ्य चतुर व्यक्तियों तथा नौजवान पुरुषों तथा महिलाओं को केरल में रोजगार चाहिए। परन्तु केरल सरकार उन्हें रोजगार दिलाने में असफल रही है। मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह केरल के लिए और धनराशि निश्चत करें ताकि वहां उद्योग स्थापित किये जा सकें। पालघाट में इलैक्ट्रोनिक एक्सेंज के विस्तार के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

मैं कुछ शब्द कृषि के बारे में कहना चाहता हूं। केरल के किसानों को विशेष रूप से मेरे जिले पालघाट में किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। धान उत्पादकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उपकरणों, खाद, बीज आदि के लागत मूल्य में काफी बढ़ोतरी हुई है। परन्तु उनके उत्पादों में मूल्यों में गिरावट आई है। धान उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी हुई है। उर्वरकों, कीटनाशक औषधियों और कृषि उपकरणों के मूल्यों में वृद्धि होने की वजह से किसान गुजारा करने में असमर्थ हैं। केरल की संयुक्त मोर्चा सरकार कृषि मजदूरों को किसानों के विरुद्ध संघर्ष करने की नीति अपना कर कृषि क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रही है। वे इस प्रकार स्थिति से राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। श्रीमान जी कृषि मजदूर और किसान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और देश के सम्पूर्ण हित के लिये उन्हें मिल जुल कर कार्य करना चाहिए। कृषि क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने की नीति अपनाने से कृषि मजदूरों को ही सबसे अधिक नुकसान होगा और इसके साथ-साथ कृषिक उत्पादन में कमी तो होगी ही। इससे कृषि मजदूरों और किसानों दोनों पर ही पतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह स्थिति समाप्त होनी चाहिये। कृषि मजदूरों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए और किसानों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त होने चाहिए। मैं नकदी फसलों के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं। केरल में ऐसी नकदी फसलों का उत्पादन होता है जिनसे हमें काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। केरल में गरीब और भोले-भोले किसान राज्य सरकार के प्रचार की चकाचौंध से प्रभावित हो गये और उन्होंने बड़े पैमाने पर कोको की खेती करना प्रारम्भ कर दिया। आज वे किसान बहुत बड़े गम्भीर संकट में फंस गए हैं क्योंकि कोको की कीमतों में भारी गिरावट आई है। केरल के कोको उत्पादकों के हित मैसर्स कैडबरीज के पास गिरवी रख दिये गये हैं जो एक बहुराष्ट्रिक एकाधिकारी कम्पनी है। केरल सरकार ने उनके साथ एक समझौता किया है जो किसानों के हितों के प्रतिकूल है और यही वजह है कि कोको उत्पादक लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को इस समस्या का समाधान ढूंढ़ना चाहिए।

श्री ए० के० बालन : श्रीमान जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यहां यह जो चर्चा हो रही है वह केरल के बजट पर चल रही है अथवा राष्ट्रीय बजट पर ? श्री राघवन केवल केरल के बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

सभापति : केरल भी तो भारत का एक अंग है ?

श्री विजय राघवन : मुझे इस बात पर गर्व है कि केरल इस महान राष्ट्र का एक अंग है। मैं भारतीय के रूप में अपनी बात कह रहा हूं। मेरे मित्र जिस पार्टी से संबंधित है उस पार्टी की इस देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। आप की निष्ठा किसी अन्य देश के प्रति है। **(व्यवधान)** क्या आप की यह इच्छा है कि केरल और पश्चिम बंगाल को भारत संघ के बाहर उपनिवेश का दर्जा दे दिया जाए। **(व्यवधान)**

श्री ए० के० बालन : क्या केरल सरकार ने मैसर्स कैडबरीज के साथ समझौता किया है ?

श्री वी० एस० विजयराघवन : श्रीमान जी, शुरू-शुरू में मैसर्स कैडबरीज 15 रु० प्रति किलो की दर से कोको की खरीद कर रहे थे। परन्तु, केरल सरकार द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण उसकी कीमत घटकर 5.50 रु० रह गई है। क्या यह काम आप की सरकार ने नहीं किया है ? क्या इससे आपकी पार्टी को फायदा नहीं पहुँचा है ? **(व्यवधान)** श्रीमान जी, मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन मैं अपने माननीय मित्रों को जो दूसरी ओर बैठे हैं, यह अवश्य बता देना चाहता हूं कि मैं अपने ही क्षेत्र से संसद के लिए निर्वाचित हुआ था लेकिन श्री बालन को अपने स्थान से दूसरी जगह भागना पड़ा और चुनाव लड़ने के लिए किसी और निर्वाचन क्षेत्र में जाना पड़ा। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ा होता तो उनकी जमकर पिटाई होती। इसी प्रकार केरल के मुख्य मन्त्री के साथ क्या हुआ जो कि उनके राजनीतिक मार्गदर्शक हैं। उन्हें अपने जन्म स्थान के जिले कन्नानूर से भागना पड़ा और नालमपुजा से चुनाव लड़ना पड़ा जो पालघाट में है। श्रीमान जी, उन्होंने अनेक बार यह कहा है कि श्री सी० एम० स्टीफन जो कि एक राष्ट्रीय नेता है, को अपना मूल राज्य छोड़ना पड़ा और पड़ोसी राज्य से चुनाव लड़ना पड़ा। अपने स्वयं के मुख्य मन्त्री के बारे में उन्हें क्या कहना है ? क्या उन्हें नालमपुजा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ना पड़ा था ? इसलिए मैं अपने मार्क्सवादी मित्र को यह बता देना चाहता हूँ कि उन्हें शीशमहल में बैठकर दूसरे व्यक्तियों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। उन्हें यह कार्य बन्द कर देना चाहिए।

श्रीमान जी, बजट में लोगों को काफी समय से अपेक्षित राहत दी गई है। मगर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिये चोर-बाजारियों, तस्करों और अन्य समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को पूरी तरह से रोका जाना चाहिये, क्योंकि उनकी गतिविधियां अर्थव्यवस्था के लिये एक खतरा है। अर्थव्यवस्था के विकास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे उन समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें जिनका मैंने उल्लेख किया है। केरल में और विशेष रूप से

पालघाट में रेल सुविधाओं के विकास के लिए उन्हें कुछ न कुछ करना चाहिए। पालघाट को एक पिछड़ा जिला घोषित किया जाना चाहिए। जब धान का मूल्य काफी ऊंचा था, पालघाट को एक विकसित जिले का दर्जा प्राप्त था। लेकिन अब पालघाट की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह पालघाट को एक पिछड़ा जिला घोषित करें और वहां कुछ उद्योग प्रारम्भ करें। औद्योगिक विकास से पिछड़े जिले का रूप बदल सकता है। इन शब्दों के साथ इस बजट के प्रति मैं अपना पूर्ण समर्थन एक बार फिर से व्यक्त करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय, पालघाट एक सुन्दर क्षेत्र है। आपको वहां जाना चाहिए और वहां के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।

श्री बी० आर० भगत (सीतामढी) : सभापति महोदय, मेरे अनुसार वित्त मन्त्री महोदय ने स्वाधीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक उदार बजट पेश किया है और इसलिये, क्योंकि उनके बजट में कम से कम कर लगाए गए हैं और सभी क्षेत्रों में राहत दी गई है, इसलिए देश के सभी वर्गों से, जिनमें विपक्ष के कुछ नेता भी शामिल है, सराहना प्राप्त की है। लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा है, जिनमें प्रत्येक प्रकार के अर्थशास्त्री शामिल हैं, चाहे वह सरकारी अर्थशास्त्री हो अथवा विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री हों अथवा व्यापारिक अर्थशास्त्री हों अथवा औद्योगिक अर्थशास्त्री हों या कृषि अर्थशास्त्री हों, उन सभी अर्थशास्त्रियों ने इस बजट की निन्दा की है। आपको शांतिपूर्वक इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि उन लोगों ने इस बजट को आर्थिक दृष्टि से गलत बजट बताया है। यह स्थिति है।

किसी भी व्यक्ति को इस जैसे बजट की चुनाव पुर्व वर्ष में, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव लड़ने जाती है, पेश किए जाने की आशा होती है। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मन्त्री महोदय ने सरकार के कार्य काल के दूसरे वर्ष में ही उदारतम विकल्पों को चुना है जब कि उन्हें देशवासियों से भारवहन करने के लिये कहना चाहिये था और अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिये अथवा उसका विकास करने के लिये सभी साधनों को उपयोग में लाना चाहिए था और जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है देश के समक्ष जो संकट अभी भी हैं, उस संकट का समाधान करना चाहिए। पिछले वर्ष उन्होंने कहा था कि यह बजट संकट का समाधान करने वाला बजट है।

प्रो० मधु दण्डवते : मध्यावति चुनाव हो सकते हैं।

श्री बी० आर० भगत : इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। परन्तु इस वर्ष उनका कहना है कि काफी प्रगति हुई है, भरपूर फसल हुई है और 132 मिलियन टन खाद्यान्न की अभूतपूर्व फसल हुई है जो कि कृषि उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। यह एक ऐसा वर्ष था, जिसमें कर लगाने सम्बन्धी और आर्थिक तथा अन्य उपाय अधिक से अधिक किए जा सकते थे। यह आश्चर्य की बात है कि वित्त मन्त्री महोदय ने इस प्रकार का बजट अपने लिए और अपनी पार्टी के अल्पकालीन लाभों के लिये पेश किया है और इस की वजह से सभी क्षेत्रों में उनकी प्रशंसा हो रही है।

अब हम बजट की जांच करते हैं। जितना समय मुझे दिया गया है उस समय के अन्दर मैं बजट के परिणामों का उल्लेख करने का प्रयास करूंगा। मुझे यह आशा है कि अगले वर्ष जब वित्त मन्त्री फिर से बजट प्रस्तुत करेंगे, तो उन्हें इस वर्ष के बजट के लिये खेद होगा। इस बजट की नीति यह है कि औद्योगिक मूल ढांचे का विकास किया जाए और जैसा कि वह कहते हैं, विकास और स्थिरता के लिए प्रावधान किया जाय। हम इस की जांच करते हैं। जो बजट उन्होंने पेश किया है वह घाटे का बजट है। मैं माननीय युवा सदस्य से सहमत हूं जिन्होंने कहा कि घाटे का बजट वांछनीय नहीं है। वास्तव में विकसित देशों में भी जहां मांग के कारण महंगाई बढ़ती है और मुद्रास्फीति की स्थिति होती है वहां भी घाटे के बजट के विचार को पसन्द नहीं किया जाता। परन्तु विकासशील देशों में इस बात को सभी मानते हैं कि घाटे का बजट एकदम अवांछनीय नहीं है। घाटे का बजट पेश करते हुए आप रक्षा के कुछ दूसरे उपाय कर सकते हैं। रक्षा के ये उपाय क्या हैं? घाटे के बजट को सहने की सीमा कितनी है? मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि पिछले दो तीन वर्ष में सत्ताधारी सरकारों ने, वित्त मंत्रियों ने, सभी सुरक्षोपायों और सहनशीलता की सीमाओं की उपेक्षा कर दी है। दो बजट जो हमारे सामने आए हैं उन्हें देखिये और इससे पहले 1978-79 के बजट को भी देखिये जिनमें 3000 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे का बजट बनाया गया था। पिछले बजट में आप देखिये कि घाटा 2000 करोड़ रुपये का है। इस वर्ष के बजट में घाटा 1510 करोड़ रुपये का है जो कि इस वर्ष के अन्त तक बढ़ जाएगा।

अब एक और तरीका अपनाया गया है जिसे हमारे वित्त मंत्री ने पेश किया है। ये कराधान किये बिना ऐसा धन जुटा रहे हैं। पिछले वर्ष जून में बजट पेश किया गया था और उससे केवल एक महीना पहले मई में पेट्रोलियम के मूल्य बढ़ाये गये और करेतर राजस्व 3000 करोड़ रुपये तक का रहा। इस वर्ष भी बजट पेश करने से पहले जनवरी के महीने में 2275 करोड़ रुपये के ऐसा धन जुटाये गए हैं।

(श्री के० राजामल्लू पीठासीन हुए)

पेट्रोलियम उत्पादनों से आप को 1100 करोड़ रुपया मिलेगा। इस्पात और कोयले का भाव बढ़ा कर आप को 625 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त होंगे।

हमारे मित्र रेल मंत्री ने रेलवे किराए तथा भाड़े में वृद्धि करके 356 करोड़ रुपये प्राप्त करने की व्यवस्था की है। मूल्य बढ़ा कर और अधिक राशि के घाटे के बजट बना कर जो मुद्रा-स्फीति की गई है उसे छोड़ दें तो भी जनता पर कुल शुद्ध भार लगभग 4000 करोड़ रुपये से अधिक होगा। इन्हीं कारणों से मुद्रास्फीति बढ़ती है।

विशेष वाहक बंध दंगों के जरिये आप 800 करोड़ रुपये इकट्ठे कर रहे हैं। अंग्रेजी में इसे बेयरर बांड कहते हैं। अब तक हमने दो 'बी' वाली बात सुनी थी लेकिन इसमें तो तीन 'बी' लगी हैं अर्थात यह बेयरर बाडे नहीं बल्कि वास्तव में ब्लेक मनी बेयरर बाडे है। मैं इस बारे में बाद में कहूंगा। परन्तु मेरा विचार है कि इससे कोई राशि आप को नहीं मिलेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपयोगों से कई सौ करोड़ रुपये के ऐसा साधनों की व्यवस्था की गई है। आपने देखा है कि इस वर्ष सरकारी क्षेत्र को घाटा 74 करोड़ रुपये का हुआ है। जबकि पिछले

वर्ष यह घाटा 50 करोड़ रुपये से कुछ अधिक था। सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों की स्थिति अच्छी नहीं है। वे घाटे में चला रहे हैं। हां जैसा आपने इस्पात के मामले में भाव बढ़ा कर किया है पैसा इनके मामले में भी कर दें तब दूसरी बात है। आप जानते हैं कि संसाधन जुटाने का एक रास्ता यह है कि कुछ चीजों के भाव बढ़ाये जाएं। अकेले हिन्दुस्तान स्टील कुछ चीजों के भाव 3100 रुपये प्रतिटन से बढ़ाकर 5400 रु० प्रति टन कर दिए गए हैं अर्थात् 2300 रुपये प्रति टन की वृद्धि हुई है। यदि आप भाव बढ़ाने की इस विधि का उपयोग करें तो आपको सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से, जिनमें इस समय घाटा हो रहा है, 2300 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। इस्पात की कुछ मदों में 60 प्रतिशत या 70 प्रतिशत तक भाव बढ़ाये गए हैं। सीमेंट तथा कोयले इत्यादि में भी ऐसा ही हुआ है। सरकारी संसाधन बढ़ाने हों तो नया दर्शन यह है कि इसे खुले बाजार की प्रक्रिया पर छोड़ दिया जाए।" आप ऐसा कर सकते हैं और 2300 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि या तो आप भाव बढ़ाएं, जैसा कि आपने इस्पात के मामले में सोचा है, और इस तरह लोगों पर भार बढ़ायें अथवा यदि आप 2300 करोड़ रुपये प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो घाटे की राशि बढ़ायें। आज मुझे जो चिन्ता है वह संवैधानिक घाटे के बारे में अथवा बजट के इस घाटे के बारे में नहीं है जो वित्त मंत्री ने दिखाया है। इस वर्ष का 1500 करोड़ रुपये का घाटा बढ़कर 2000 रुपये तक हो सकता है। इसकी बहुत संभावना है। हरेक जानता है कि तीन 'वी' वाले इन बंधपत्रों से आपको 800 करोड़ रुपये नहीं मिल सकते। इसलिए निश्चित ही घाटा 2000 करोड़ रुपये तक हो जाएगा। पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने घाटा 2000 करोड़ रुपये का रखा था मुझे इससे बहुत चिन्ता है कि जनता पर कुल भार पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक होगा। यह भार पिछले वर्ष 5000 करोड़ रुपये का था। इस वर्ष 2275 करोड़ रुपये का भार मूल्यों में वृद्धि के जरिए है। इसमें 2000 करोड़ रुपये और जोड़ दें तो यह कोई 4500 करोड़ रुपये हो जाता है। अब आप देखें कि भारत जैसे विकासशील देश में सहनशीलता की क्षमता कितनी है ? किसी देश में घाटे की वित्त व्यवस्था कितनी सीमा तक हो सकती है। इस बारे में आकलन भिन्न-भिन्न है। श्री कमलनाथ ने कहा कि यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पांच प्रतिशत की वृद्धि होती है तो आप 1500 करोड़ रुपये तक के घाटे की वित्त व्यवस्था कर सकते हैं पता नहीं उन्होंने यह आंकड़ा कहां से लिया। परन्तु हमारे पास छठी योजना नाम से एक अधिकादिक दस्तावेज है इसमें क्या कहा गया है ? इसमें संसाधन जुटाने की व्यवस्था की गई है, पांच वर्ष में 5000 करोड़ रुपये तक के घाटे की वित्त व्यवस्था करके संसाधन जुटाने की व्यवस्था की गई है। योजना के दो वर्ष का लेखा-जोखा देखिए यदि आप गत वर्ष के 2000 करोड़ रुपये के सरकारी घाटे को पा न ले तो इस वर्ष यह घाटा बहुत करके 2000 करोड़ रुपये का हो जाएगा। इस तरह कुल घाटा 4000 करोड़ रुपये को हो जाता है। आपको योजना के लिए वित्त-व्यवस्था कैसे करेंगे ? छठी योजना में जो आकांक्षाएं रखी गई हैं वे दो वर्ष में कहां तक पूरी हुई ? पांच वर्ष में परिव्यय कुल 97 हजार करोड़ रुपये का एक तिहाई है। यह परिव्यय एक तिहाई है। यदि यह आंकड़े पांच हजार करोड़ रुपये में से चार हजार करोड़ रुपये होता है तो घाटे की वित्त व्यवस्था दो तिहाई से अधिक भी हो सकती है।

मुझे यह कहना है। यह नई विधि है जिसके जरिये देश का बजट तैयार किया गया है; देखने में बहुत अच्छा लगता है; कोई टेक्स नहीं लगा है, करों के जरिये कोई संसाधन नहीं जुटाए गये हैं, मूल्य-संरचना के जरिए अथवा करों से इतर स्रोतों से संसाधन जुटाने

की कोशिश की जा रही है जबकि जनता पर पड़ने वाला शुद्ध भार वही रहेगा। आप घाटे को एक प्रकार से या दूसरी तरह से बढ़ायें, यदि जनता पर बहुत अधिक भार पड़ता है तो आप उसके आर्थिक परिणामों से इस बजट के आर्थिक परिणामों से बचा नहीं सकते। इस बजट का आर्थिक परिणाम यह है। अधिकतर अर्थशासियों ने, जिनका किसी पार्टी से संबंध नहीं है, बजट के ढांचे का विश्लेषण कर के और उन नई बातों को देखकर जो वित्त मंत्री ने इसमें पेश की हैं, यह निष्कर्ष निकाला है कि इस बजट से मुद्रास्फीति बढ़ेगी; एक अर्थशास्त्री का कहना है कि इससे बजट की मुद्रास्फीती रूपी भट्टी में टनों ईंधन पड़ेगा .....

एक माननीय सदस्य : डा० ब्रह्मानन्द।

श्री बी० आर० भगत : हाँ, डा० ब्रह्मानन्द ने ऐसा कहा है। मैं उनसे सहमत हूं। इसलिए अन्त में यही होगा कि यह बजट वित्त मंत्री की सारी परिकल्पनाओं को भिन्न प्रभाव दिखायेगा।

उन्होंने मध्यम वर्ग को राहत दी है; यह अच्छी बात है; एक ही बार में उन्होंने 40 लाख लोगों में से 15 लाख को आयकर के जाल से मुक्त कर दिया है। अखबारी कागज के अलावा किसी और चीज पर उत्पादन कर नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्री या इस सरकार के मनोविज्ञान को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। पहली बार, वित्त मंत्री ने अखबारी कागज पर टैक्स लगाया है। किसी भी वित्त मंत्री ने आज तक अखबारी कागज पर टैक्स नहीं लगाया। हमारे यहां अखबारी कागज का उत्पादन पर्याप्त नहीं है। और नेफानगर में अथवा अन्य स्थानों पर जो अखबारी कागज बनता है वह महंगा है। हम कहते हैं कि हमारा जनतंत्र एक जीवंत जनतंत्र है, यहां वाक्स्वातंत्र्य है, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, प्रकाशन की स्वतंत्रता है। परन्तु इस वर्ष जबकि अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क नहीं लगा है, परन्तु अखबारी कागज पर यह शुल्क लगा है। आप इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को देखें। इसका एकमात्र राजनीतिक निष्कर्ष यह है कि आप नहीं चाहते कि मुक्त प्रचार हो, विशेष रूप से छोटे और मध्यम दर्जे के अखबारों द्वारा मुक्त प्रचार हो। बड़े अखबार, श्रृंखला में चलने वाले अखबार, जूट बिरादरी के अखबार तो रहेंगे; ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं, अधिक लागत पर भी ये आयात कर सकते हैं परन्तु छोटे और मध्यम अखबारों का क्या होगा ? वे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए यह जनतंत्र के लिए धक्का है।

आप कहते हैं, हमने राहत दी है छूट की सीमा बढ़ाकर 15000 रुपये कर दी है परन्तु 15000 रुपये की इस राशि का आज क्या मूल्य है। पैसे की कीमत तो घटती जा रही है। हम हर रोज सुनते हैं, वित्त मंत्री भी कहते हैं, एक रुपये का मूल्य कुछ समय पहले 30 पैसे था वह घट कर 27 पैसे हुआ, अब वह 24.56 पैसे है। रुपये के मूल्य में इस तरह घटती ही रही है। यदि आप इस पहलू को ध्यान में रखें तो 15000 रुपये पर आयकर में जो राहत दी गयी है उससे इस भार में कुछ ही पूर्ति हो पाती है।

फिर, एक और चालाकी की गई है—सूचकांक की विंदु-दर-बिंदु व्यवस्था चलाई गई है। वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि बिंदु-दर-विंदु के आधार पर इस वर्ष में मूल्य वृद्धि 13.5 रही है जबकि पिछले वर्ष यह 20 थी।

उन्होंने जो आर्थिक सर्वेक्षण बजट से कुछ पहले पेश किया था इसमें भी बिंदु-दर-बिंदु के आधार पर गणना नहीं की गई है । इसमें बात औसत की है और यदि आप पिछले 10 महीने का औसत लें, अप्रैल 1980 के बाद और जनवरी 1981 तक के 10 महीनों का औसत लें और उसकी तुलना इससे करें तो देश में मुद्रास्फीति 13 प्रतिशत नहीं है जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा बिल्क यह मूल्य वृद्धि 18 प्रतिशत है। इस तरह आप किसी भी दृष्टि से देखें, बढ़ते हुए घाटे के बजटों को देखें, मूल्य वृद्धि को देखें, संसाधन जुटाने की बात देखें, सरकारी क्षेत्र के उत्पादन के मूल्यों में वृद्धि की दृष्टि से देखें तो इन सबसे जनता पर भार पड़ता है । वर्ष के अन्त में मुद्रास्फीति में वृद्धि के सिवा कोई चारा नहीं होगा । यदि आप इन 15,000 रुपयों को देखें तो इसकी कीमत ही क्या है ? दस हजार से अधिक नहीं है यदि मूल्यों में वृद्धि की दृष्टि से देखें । यदि आप बजट के दांये तथा उसके दर्शन को देखें, आप किसकी सहायता करना चाहते हैं ? असंतुष्ट आँदोलनात्मक जनता की, उन लोगों की जो अपनी आवाज उठाते हैं या मध्य वर्ग की या बाबू वर्ग की या व्यवसायियों तथा उद्योग पतियों की सहायता करना चाहते हैं । उद्योगपतियों के मामलों में निगम कर पर लगने वाले अधिभार को 7.5 से घटा कर 2 % कर दिया गया है । इस पर भी उन्हें संतोष नहीं है । आप उन्हें जितना अधिक देते हैं वे उतना ही अधिक चाहते हैं । वित्त मंत्री की उदारता से उन्हें कभी भी संतोष नहीं होगा ।

जनता के एक और वर्ग पर उन्होंने उदारता दिखाई है वह है मध्य वर्ग के लोग और कौन हैं ? धनी किसान, उन पर कोई टेक्स नहीं है । जबकि छठी योजना में कहा गया था कि खाद्यान्न, उर्वरक तथा निर्धन पर राज-सहायता में 200 करोड़ रुपये तक की कमी की जानी चाहिए । सहायता में कमी तो नहीं की गई बल्कि उसमें वृद्धि की गई तथा और अधिक वृद्धि की जाने की आशा है तो यह धनी किसानों के लाभ के लिए हुआ है । इसलिये उर्वरकों अथवा अन्य उपादानों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है । इतना ही नहीं बल्कि पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र से धन कर भी हटा लिया गया था जिसे वसूल नहीं किया गया इसलिये इस क्षेत्र से संसाधन जुटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है । ये तीन श्रेणियां हैं जिन्हें लाभ प्राप्त हुआ है । निर्धनों की विशाल जनसमूह के बारे में क्या सोचा गया है ? ग्रामीण निर्धनों के बारे में क्या किया गया है ? कमजोर वर्गों, निर्धनों और गरीबी हटाओ के आपके चुनाव वायदों का क्या हुआ ? आपने उनके लिये क्या किया है ? आप 30 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे ला रहे हैं । वित्त मंत्री ने दावा किया है कि उनके ग्रामीण कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप 30 लाख लोग निर्धनता की सीमा रेखा से ऊपर लाये जायेंगे । वे 30 लाख लोग कौन से हैं ? दूसरे दिन योजना मंत्री ने कहा था कि 30 करोड़ से अधिक लोग निर्धनता की सीमा रेखा से नीचे रह रहे हैं । इसलिये, ग्रामीण इलकों के भारी जन समूह के लिये जो हमारी कुल आबादी का 80 प्रतिशत है, इस कार्यक्रम के द्वारा आप 30 करोड़ लोगों में से केवल 1 प्रतिशत लोगों को ही निर्धनता की रेखा से ऊपर लायेंगे । नहीं, आप उन्हें नहीं ला सकते, क्योंकि 30 लाख लोग निर्धनता की रेखा से ऊपर आयेंगे और 30 लाख से अधिक लोग आपकी बजट-नीतियों के फलस्वरूप निर्धनता की रेखा से नीचे चले जायेंगे । यदि अगले वर्ष तक मूल्य सूचकांक में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है अथवा कम से कम 15 प्रतिशत की ही वृद्धि होती है तो आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जायेंगे और गरीबी की रेखा से नीचे

रहने वाले लोगों में से किसी एक को भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये, स्थिति यह है कि हमने कुछ नहीं किया है।

दूसरे कार्यक्रमों को ही लीजिये बजट सम्बंधी अन्य आंकड़े यह प्रकट करते हैं कि वे सभी कार्यक्रम जो आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए हैं, या तो उसी स्तर पर रखे गये हैं और या उनमें कटौती की गई है। उदाहरण के लिये ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को लें। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिये पिछले साल 34 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी और इस वर्ष केवल 18 करोड़ रुपये की ही व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारें भी इस पर 18 करोड़ रुपये अलग से खर्च करेंगी। यदि आप इन दोनों को जोड़ भी दें तो भी इसमें केवल 34 करोड़ रु० से 36 करोड़ रु० ही बैठते हैं। लेकिन, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि राज्य सरकारें भी इसी प्रकार का कोई कार्यक्रम बनायेंगी। भारत सरकार के सभी केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों में कमी की जा रही है। राज्य सरकारों के बजटीय संसाधन भी कम होते जा रहे हैं। ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रमों जैसे कार्यक्रमों के लिये कुल 192 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया है जब कि पिछले वर्ष इसके लिये 150 करोड़ रुपये था। डेरी विकास के लिये पिछले वर्ष 73 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी लेकिन इस साल इस पर 52 करोड़ रुपये रखे गये हैं। पशुपालन के लिये, 19 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22 करोड़ रुपये कर दिये गये हैं। निर्धन लोगों के लिये तथा आम जनता के लिये ग्रामीण इलाकों में सभी विकास कार्यक्रमों को या तो कम कर दिया गया है या उनमें कटौती कर दी गई है। यही वास्तविकता है। वित्त मंत्री महोदय की नीति न तो संकटपूर्ण व्यवस्था (प्रबंध) की है और न ही यह विकासोन्मुख है; यहां तक के इससे स्थायित्व भी नहीं आ पायेगा; और यह संकटपूर्ण व्यवस्था की भी नीति नहीं है जैसा कि हमने पिछले साल दावा किया था। संकटपूर्ण व्यवस्था क्या है और उद्योगों में विकास कितना हुआ है—केवल 4 प्रतिशत। और यह परिणामस्वरूप हुआ है ? ऊर्जा में, 6 से 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कोयला 10.7 करोड़ टन से बढ़कर 11.3 करोड़ टन हो गया है। यह केवल थोड़ी सी ही वृद्धि है। वृद्धि इसलिये नहीं हुई कि सरकार ने कुछ किया था। वास्तव में, यदि आप रेलवे आदि जैसे सरकारी को देखें तो सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध में सुधार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है। प्रथम रिपोर्ट कोयले और ऊर्जा के सम्बंध में दी गई थी। तीन माह बीत चुके हैं परन्तु अभी तक इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। उन्होंने कुछ मूल परिवर्तनों की सिफ़ारिश की थी। इसका परिणाम यह है कि कोयले के उत्पादन में 6 से 7 प्रतिशत की थोड़ी सी वृद्धि हो गई अर्थात् यह 10.7 करोड़ टन से बढ़कर 11.3 करोड़ टन हो गया। इसका कारण है पिछले वर्ष बहुत ही सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बंधों का होना। पिछले वर्ष 6 करोड़ श्रम घंटों की हानि हुइ थी। उत्पादन में अधिकांश वृद्धि का कारण यही है। किसी प्रकार का संकटपूर्ण प्रबंध नहीं है। वित्त मंत्री विकास का दावा करते हैं। क्या आप इस बजट से विकास कर सकते हैं। इससे न केवल नैतिक मूल्यों में गिरावट आयी है बल्कि नैतिक स्तर और अधिक गिर गया है; भयंकर भ्रष्टाचार पनपा है और काला धन बढ़ा है। जहां तक मेरा ख्याल है सबसे बड़ा नुकसान काले धन को कानून सम्मत बनाने से हुआ है। कोई व्यक्ति काला धन पैदा करता है और आप उसे इसकी इजाजत दे देते हैं। जब आप किसी बुराई के साथ समझौता करते हैं, जब आप भ्रष्टाचार से समझौता करते हैं, जब आप गिरे हुए नैतिक स्तर के आगे झुकते हैं और जब आप काले धन को समानान्तर अर्थव्यवस्था को कानूनी रूप देते हैं तो फिर आप क्या आशा कर सकते हैं ? यह मुझे नहीं मालूम कि इस मामले में

उच्चतम न्यायालय का क्या रूख रहेगा। लेकिन वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष 200 करोड़ रुपये और इस वर्ष 800 करोड़ रुपये इस योजना से हासिल करने का आश्वासन दिया है। क्या यह स्थायी योजना है ? सम्भवत: आपने यह काला धन बांड वाली (ब्लैक बीयरर बांड योजना) योजना की तीन महीने के लिये घोषणा की है। आप इस सारे वर्ष के लिये इस योजना की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और फिर अगले साल तथा उससे अगले सालों के लिये भी आप के बजट के लिये यह एक वित्तीय स्रोत हो जायेगी। मैं पूछता हूं : कि क्या यह एक स्थायी योजना है ? आपने इस योजना द्वारा देश में समानान्तर अर्थ व्यवस्था को या तो स्वीकार कर लिया है अथवा इसे वैधानिक रूप दे दिया है। अब जब आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है तो देश का विकास हो ही नहीं सकता। सरकारी प्रबंध इस देश की कार्यक्षमता और नैतिकता का गला घोंट देता है। न केवल रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है बल्कि प्रबंध व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार से नैतिक मूल्यों का भी ह्रास हो रहा है। सरकारी उद्यम बंद पड़े हैं। यदि आप एक-एक चीज़ को देखें तो आपको पता चलेगा कि वे गिरते ही जा रहे हैं। सरकारी व्यवस्था गिरावट की ओर जा रही है। इस देश की कभी तरक्की नहीं हो सकती। इसलिये, मेरा विचार है कि वित्त मंत्री को कोई और सुदृढ़ विकल्प अपनाना चाहिये था। और राष्ट्र से अनुरोध करना चाहिये था कि वह कठोर एवं प्रभावी उपायों को अपनाकर देश के विकास में अपनी सहयोग दे। न्यूनतम प्रतिरोध का रास्ता अपना कर ही मंत्री महोदय बहुत ही सुगम स्थिति का सामना करेंगे। उन्हें वर्ष के अंत में इसके लिये पश्चाताप करना पड़ेगा।

सभापति महोदय : प्रो० रंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : सभापति महोदय, मेरे आदरणीय मित्र श्री भगत ने जो कुछ भी कहा है वह मैंने बहुत ध्यान से सुना है। वे कई वर्षों तक वित्त मंत्री भी रहे हैं। दूसरे मंत्रालयों में भी रहे हैं। उन्होंने उन दिनों इस सदन में बजट बनाने और उसका समर्थन करने का काफी अनुभव भी है। एक और मित्र श्री बीजू पटनायक भी ऐसे ही व्यक्ति है।

श्री बी० आर० भगत : मैंने 13 बजटों का समर्थन किया है।

प्रो० एन० जी रंगा : हमें उन दिनों की याद है। हमें उस साहित्यिक व्यक्तित्व "रिप वान विंकल" की याद आती है। उन्होंने इन सभी चीजों में हिस्सा लिया था। उन्होंने हम विपक्षी लोगों की बातें सुनी थीं जब हमने इसी प्रकार की दलीलें दी थीं और इन लोगों ने भी और कोई खास अकलमंदी की बात नहीं कही है। वे बार बार एक ही राग अलाप रहे हैं। हममें कुछ लोग अर्थशास्त्री भी हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उस समय विपक्ष में बैठे हुए थे।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं विपक्ष का नेता था। जब मैं श्री वेंकटरामन का भाषण सुन रहा था तो मुझे यह आश्चर्य हो रहा था कि वह इसके सिवा और कर भी क्या सकते थे। यदि मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। मैं विपक्ष में लगभग 20 वर्षों तक रहा था मेरा ख्याल है कि लगभग इतने ही समय मैं सत्ता पक्ष में भी रहा, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन इस पूरे समयावधि में मैं कभी भी मंत्री नहीं रहा। मेरे इन मित्रों और मुझमें सिर्फ यही अन्तर है। एक बात जो मुझे याद है वह यह है कि सबसे पहला बजट जो श्री सी० डी० देशमुख ने इस

सदन में पेश किया था, वह घाटे का बजट था। मैंने इसकी प्रशंसा की थी। क्योंकि मैं अर्थशास्त्री हूँ। मैंने बहुत से लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाया है उनमें से अनेक लोग आज भी विभिन्न राज्यों में मंत्री पदों पर हैं। हम भी अर्थशास्त्र पढ़े हुए हैं। एक और भी अर्थशास्त्री है जिसका नाम है डा० वी० के० आर० वी० राव,जो लंदन स्कूल आफ इकानामिक्स के अर्थशास्त्री हैं। जब मैंने घाटे के बजट का समर्थन किया था तो सिर्फ अकेले वही व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे बधाई दी थी। मेरे माननीय मित्रगण घाटे का बजट प्रस्तुत करने पर श्री वेंकटरामन को दोषी ठहरा रहे हैं। इसके सिवा श्री वेंकटरामन कर भी क्या सकते थे ? यदि वे लोग सत्ता पक्ष में होते तो वे लोग भी इसके सिवा क्या कर लेते ? वे लोग भी सत्ता में रहे हैं। घाटे के बजट से आप किस प्रकार बचे रह सकते हैं ?

एक और बात है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ। वह यह है कि घाटे की वित्त व्यवस्था में एक गुण भी है। मैंने पिछली बार आपसे इसका जिक्र किया था। मैं इसके बारे में फिर बता रहा हूँ। वे बड़े-बड़े पूंजीपतियों से निपटना चाहते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है। मेरे माननीय मित्र अब ये कहते हैं कि लोगों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। श्रीमान जी किन लोगों पर बोझ बढ़ रहा हैं ? कई वर्ग के लोग हैं। हां, निश्चित रूप से अमीर वर्ग के लोगों पर बोझ बढ़ रहा है। उन्हें धन जरूर निकालना पड़ेगा। उच्च मध्य वर्गीय लोगों को भी धन निकालना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे मित्र बीजू पटनायक कह रहे थे कि हमने कोयले, इस्पात और अन्य चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं, और इस प्रकार हमने मूल्यों में करोड़ों रुपये की वृद्धि कर दी है, तो क्या यह कर लगाना नहीं है ?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उन्होंने कहा आपने इसे यहां पर क्यों नहीं लागू किया ? आप इसे यहां भी लागू कर सकते थे। महोदय, यदि सरकार ऐसा करती है तो क्या गलत करती है ? इसमें कोई भी गलती नहीं है। यदि आप कोयले और इस्पात का कुल उत्पादन देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें निजी क्षेत्र के उद्यमियों का भाग बहुत थोड़ा है। इसका प्रतिशत बहुत ही कम है। शेष अधिकांश भाग सरकार से प्राप्त होता है। इसलिए सरकार को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए ? क्या उनका आशय यह है कि सरकार के पास जरा भी धन न बचे ? उस स्थिति में आप पेट्रोल, मिट्टी का तेल और अन्य तेलों आदि जैसी चीजों का प्रबंध कैसे कर सकते हैं जिन्हें अरब देशों से आयात करना पड़ता है। आपको इसके लिए पैसा देना पड़ता है। हम इसके लिए सौदेबाजी नहीं कर सकते। क्या आप इन चीजों की कीमत अदा करने से बच सकते हैं ? जी नहीं। इनकी भारी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी चाहे आप सत्ता में हों या हम। यदि वित्त मंत्री का कार्य यही है तो यह उसकी सिरदर्दी है। हमने सभी कुछ कह दिया है। लोगों को यह बोझ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिये। इसयिए उन्होंने इनकी कीमतें बढ़ाई है। इसमें गलती कहां है ? आपने कहा इसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जी हां, जरूर पड़ेगा। पर ये उपभोक्ता कौन हैं ? ये उपभोक्ता वे लोग नहीं हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। ये लोग वो नहीं है जो ताड़ की पत्तियों की झोपड़ियों में रहते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री बीजू पटनायक यह बता रहे थे कि वह उड़ीसा में पदयात्रा पर जा रहे थे। जब कभी हम अपने गांव जाते हैं तो हम ये काम रोज ही करते हैं। हमारे देश के अधिकांश ग्रामवासी आर० सी० के छत्तों वाले मकानों में नहीं रहते, वे तो ताड़ कि पत्तियों की झोंपड़ियों में रहते हैं। छोटी-छोटी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को कर नहीं देना पड़ता है। जो लोग कस्बों और नगरों में रहते हैं कर

तो उन्हें देना पड़ता है। अमीर लोगों को तो कर देना ही पड़ता है, उन्हें देने दीजिए क्योंकि वे दे सकते हैं। वे कैसे भुगतान कर सकते हैं ? जहां तक उन लोगों का सम्बन्ध है जो अपनी मकानों, बहु मंजिली इमारतों, बड़े-बड़े बंगलों में रहते हैं उन्हें और अधिक कर अदा नहीं करना पड़ेगा। किन्तु यदि वे अपनी आवासीय सुविधाओं को बढ़ाना चाहें तो उन्हें कर अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वे कर अदा करने में समर्थ हैं। जो कर अदा कर सकते हैं उन्हें अदा करने को विवश किया जाता है ताकि बजट के लिए धन मिल सके।

अब हमें विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों में ये मुद्दे लेने हैं। आप क्या-क्या बातें इस बजट के खिलाफ कह सकते हैं ? क्या हम कह सकते हैं कि यह किसानों के खिलाफ है? क्या यह ठीक नहीं है कि एक समान मूल्य का भुगतान संभव हो पाया है, और बाजार में भी लागू हो पाया है ? बहुत बढ़िया फसल होने के बावजूद जैसा की मेरे माननीय मित्र ने भी स्वीकार किया है, मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक हो हालांकि पूरी तरह से लाभकारी नहीं थे किंतु उससे कम अलाभकर नहीं थे जितने कि कम इससे पहले थे। क्या किसान प्रसन्न या संतुष्ट हैं ? जी नहीं, वे प्रसन्न नहीं है। किन्तु वे अप्रसन्न भी नहीं हैं। उनका असंतोष बढ़ नहीं रहा है। दूसरी ओर वे सरकार से संतुष्ट हैं क्योंकि इस सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कि वह लाभकर मूल्य,यथासंभव कृषि मूल्य और अन्य मूल्य में संगति लाने पर बल दिये जाने की समर्थक है और चाहती है कि किसानों को समुचित मूल्य मिले। कृषि मजदूरों के बारे में क्या किया गया है ? क्या कृषि मजदूर हरिजन नहीं हैं ? क्या वे पिछड़ी जातियों और जनजातियों के लोग नहीं हैं ? क्या हम इन सभी लोगों के लिए पिछले वर्ष से अधिक और हमारे मित्रों नें 2 या तीन साल सत्ता में रहते हुए जितना किया उससे भी अधिक सुविधा नहीं जुटा पाए हैं? इन वर्गों के लोगों की आबादी हर वर्ष बड़ी तेजी से बढ़ती ही जा रही है और हम इन सभी के लिए प्रबंध कर रहे हैं। क्या हमने यह कार्य हरिजनों के लिए नहीं किया है ? क्या यह कार्य हमने गिरिजनों के लिए नहीं किया है ? क्या यह कार्य हमने अनेक राज्यों में कृषि मजदूरों के लिए भी नहीं किया है ? हम न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसे लागू करने की भी कोशिश कर रहे हैं।

अब मैं दूसरे वर्ग के जिन लोगों की चर्चा करूंगा वह है मध्य-वर्ग। मेरे मित्र इस बात से सहमत हैं कि मध्यवर्ग संतुष्ट है। उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है। आपने कहा था कि 15 लाख लोगों को रियायतें दी गई थी। किंतु उन 15 लाख लोगों पर निर्भर रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। और इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात से आशंकित थे कि वे आय-कर अधिकारियों की गिरफ्त में आ जाएंगे या उन्हें परेशान किया जायेगा। लेकिन अब वे संतुष्ट हैं कि वे इस प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पा चुके हैं। इस प्रकार मध्यवर्ग के लगभग 50 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें आय-कर के भुगतान के चंगुल से मुक्ति मिल गयी है। क्या इन लोगों के लिए यह बहुत बड़ी राहत नहीं है ? ये सभी मुद्रा-स्फीति के प्रभाव से बचा दिये गये हैं। आय-कर की सीमा 12,000 से बढ़ा कर 15,000 कर दी गई है। इसका मतलब क्या है ? इसी बीच मुद्रास्फीति हुई और मूल्यों में वृद्धि हुई। इसलिए उस सीमा तक तो वे आश्वस्त हो ही गए हैं। इसी प्रकार विभिन्न स्तरों पर अन्य कर दाताओं को भी इस प्रकार निश्चित कर दिया गया है। मेरे माननीय मित्र धन-कर से भयभीत हैं। उनके लिए छूट की सीमा बढ़ा दी गई है, क्यों.क मूल्य भी बढ़ने जा रहे हैं; क्या

यह जायज है ? संपदा शुल्क में भी छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। क्या यह गलत है ? क्या इन रियायतों में उन्हें कोई त्रुटि दिखाई पड़ती है ? क्या उन्होंने इन करोड़पतियों को संरक्षण दिया है ? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने केवल यही काम किया है कि उनके लिए आयात और निर्यात बैंक खोल दिए हैं ; उन्होंने ऐसा इसलिए किया, ताकि वे अधिकाधिक धन उधार लेकर उसका अधिकाधिक निवेश कर सकें, अधिक साहस पूर्वक अपने उद्यमों को चालू रखें, अपने देश के लिए अधिकाधिक कमाएं और रोजगार के अवसर प्रदान करें। यह अभियान रोजगार बढ़ाने को लक्ष्य बनाकर चलाया गया है। और यह एक ऐसा अभियान है जिसे काफी अरसे पहले ही शुरू कर दिया जाना चाहिए थी। हम इसी की मांग कर रहे थे। उन्होंने इस बार इसे शुरू कर ही दिया।

मेरे विचार से यह जनता का बजट है। मेरे मित्र श्री भगत इस बात से सहमत हैं कि यह जन सामान्य की भावनाओं के अनुकूल है और उन्होंने इसे यथासंभव लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया है। मैं इस बात से हैरान हो रहा था कि श्री वेंकटरामन के पास ऐसा कौन सा जादू है कि ऐसा बजट प्रस्तुत करेंगे। किन्तु उन्होंने इसे प्रस्तुत किया और उससे भी बढ़कर प्रशंसा की बात यह है कि उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया तथा बहुत सावधानी से विभिन्न दिशाओं से इन सीमाओं को घटाने पर भी उन्होंने यह दिखा दिया कि उन्हें कर-राजस्व में नुक्सान नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि दूसरी ओर वे और बढ़ा सकेंगे। उन्होंने पिछली बार भी ऐसा ही किया था और उस समय हमने यही सोचा था कि ये बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। उन्हें स्वयं भी इसका भय होगा, किन्तु उनकी आशावादिता उचित थी और वे अधिक लाभ प्राप्त करने में समर्थ हुए। इस वर्ष भी हम यही आशा करते हैं।

मेरे सभी मित्र काले धन की चर्चा कर रहे हैं। क्या आजादी के बाद से ही काला धन बराबर नहीं रहा है ? मुझे याद है कि अनेक बार पंडित जवाहर लाल ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में इस बात से परेशान रहे कि किन उपायों से इन लोगों को पकड़ा जा सकेगा। एक अरसे बाद उनके एक सहयोगी मंत्री श्री त्यागी ने, जो पं० जवाहर लाल नेहरू से अधिक नैतिकतावादी थे पहली बार ऐसे लोगों को इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि वे अपने काले धन का ब्यौरा देकर उसे वैध धन में परिवर्तित कर लें। वे सफल भी हुए पर ज्यादा नहीं। उसके बाद आपात् स्थिति में फिर दूसरा प्रयास किया गया था। अब यह तीसरा प्रयास है। और भी अनेक प्रयास किये जाने हैं। इसके बावजूद गारंटी क्या है क्योंकि ये लोग कर वसूल करने वाले वित्त मंत्री से अधिक चतुर हैं ? यही कारण है कि वे करोड़पति हैं और हमारे वित्त मंत्री महोदय भिखारी ही बने रहे और फिर भी हमें उन्हें पकड़ना है। क्या हम एक ही बार में कोशिश कर उन सभी को पकड़ सकते हैं ? इन डाकुओं को ही देखें। नित्यप्रति आप यह समाचार सुनते हैं कि एक डाकुओं के दल ने यहां धावा बोला दूसरे दिन डाकुओं के एक और दल ने कहीं और जगह धावा बोल दिया फिर भी पुलिस उनका पीछा नहीं छोड़ती है। इसी प्रकार वित्त मंत्री को भी अपना प्रयास जारी रखना होगा। आप कुछ लोगों को तो पकड़ ही लेंगे और कुछ जाल में से बच ही निकलेंगे।

फिर वे नैतिकता की बात करते हैं। इसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर होगा। अनेक ऐसे मंत्री थे जिन पर अनेक आरोप थे जिनमें से कुछ सिद्ध हुए और कुछ सिद्ध नहीं हो पाये और फिर भी हर तरफ बराबर हैं। आप किसी व्यक्ति के साथ इस

कारण मेल-जोल समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि उस पर कुछ दोष लगाये गये हैं। आपको उसे तब तक सम्माननीय व्यक्ति ही समझना होगा, जब तक कि उस पर वे सिद्ध नहीं हो जाते और इस तरह हमें समाज में जीवन बिताना होता है। मैं नैतिकता और गरीबी के बारे में ऐसे छुद्र उपदेश सुनना नहीं चाहता।

मेरे माननीय मित्र, उड़ीसा और वर्ष में सौ दिन कष्टों का सामना करने वाले गरीब लोगों, जिन्हें खाने को दाना भी नसीब नहीं होता, के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम जानते हैं कि किस प्रकार जनता की सेवा में आने वाले लोगों ने कुछ लाख रुपयों की पूंजी से व्यापार शुरू किया और अब वे करोडोंपति हो गए हैं। क्या हम उन्हें जानते नहीं हैं ? क्या यह किसी से छुपा हुआ है ? उनका नाम क्या लेना ? फिर अभी भी वे मौज उड़ा रहे हैं। जबकि लोग गरीबी और अभाव का कष्ट उठा रहे हैं। इस पर भी वे लोग जवाहर लाल नेहरू के पक्षधर बने हुए थे और तब मैं विपक्ष की ओर से उनके विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। जब मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष की ओर से संघर्ष कर रहा था तो ऐसे लोग श्रीमती गांधी के पक्षधर हो गए। यह उनके लिए अधिक सुगम भी था। अब विरोधी-पक्ष में बैठे हुए अचानक वे आंखें खोलते हैं, इसीलिए मैं इनकी रिपवैन विंकल से तुलना करता हूँ। मेरे मित्र श्री भगत ने इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के बारे में जिक्र किया है और कहा है कि इस वर्ष के अंत तक और भी अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएंगे। इसीलिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए। कल मेरे मित्र श्री ब्रह्मानंद रेड्डी इस पर चर्चा कर रहे थे। मैं उनसे इस बात पर सहमत नहीं हूँ कि संतान एक ही हो या हो ही नहीं। इससे वैसी ही कठिनाइयां आ सकती हैं, जिनके कारण हम 1977 में चुनाव हार गए थे। हम अब ऐसा नहीं कर सकते। हम अपनी माताओं, बहनों और बेटियों की मातृत्व की भावना के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। इसीलिए मेरा नारा 'एक या दो बच्चे' का ही होगा। यह कभी 'एक या एक भी नहीं' 'कभी नहीं' हो सकता। किन्तु 'एक था दो' के नारे को कार्य रूप देना संभव है। हम इसे सभी के सहयोग से ही लागू कर सकते हैं। क्या सभी सहयोग करने के इच्छुक होंगे ?

श्री० बी० आर० भगत : अब तो चीन में एक ही बच्चे की नीति अपनायी गयी है।

प्रो० एन० जी० रंगा : मेरे माननीय मित्र चीन का उदाहरण दे रहे हैं। महोदय, वहां एक महान नेता थे माओ-त्से-तुंग। उन्होंने कहा था कि मैं जनसंख्या पर नियंत्रण रखने पर विश्वास नहीं करता। यदि अणुबम गिराया जाने वाला हो और उससे 20 या 30 करोड़ लोग मरने वाले हों तो मैं चाहूँगा कि और 30 या 40 करोड़ यहां ऐसे हों जो बच जाएं। उन्हीं माओ-त्से-तुंग को अपनी बात वापस लेनी पड़ी और आबादी पर नियंत्रण लाने के लिए उपाय करने पड़े। वह अपनी तानाशाही के बावजूद सफलता नहीं प्राप्त कर सके। जनतांत्रिक समाज में आप आबादी पर अपनी इच्छानुसार नियंत्रण नहीं लगा सकते। हम उन्हें ऐसा करने के लिए केवल प्रेरित कर सकते हैं। इसके लिए हम उन्हें प्रोत्साहन भी दे सकते हैं। इसके लिए मेरे माननीय मित्र वित्त मंत्री ने 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो कि पहले से अधिक ही है। किंतु, जब आबादी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। ये 60 करोड़ की आबादी वाले हमारे जैसे देश के लिए प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग के बिना किसी भी वित्त मंत्री, सरकार या जादूगर के लिए इन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना संभव नहीं है।

मेरे माननीय मित्र अभी कह रहे थे कि पिछले अनेक वर्षों में कई अरब श्रम घंटे व्यर्थ हो गये थे। कल ही की बात है कि हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि क्योंकि, मेरे मित्र, माननीय वित्त मन्त्री ने भारी हिम्मत के साथ जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत किया है इसलिए वे एक भारी सत्याग्रह आरम्भ करने जा रहे हैं। वे इस सरकार का हर स्तर पर विरोध करने के लिए कभी समाप्त न होने वाला सत्याग्रह आरम्भ करेंगे। इस प्रकार की बातों से ही सारे देश में समस्यायें उठती हैं। इनके लिए, जैसा कल श्री ब्रहमानन्द रेड्डी ने कहा है, ये लोग जिम्मेदार हैं और इन्हीं की वजह से कोयला क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर उत्पादन की दर में कमी आई है। इंगलैंड, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी, इटली के अलावा, अन्य सभी गणतांत्रिक देशों में क्या विपक्षी दल सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं ? क्या वहां भी विपक्षी दल हर बात के लिए सत्याग्रह करते हैं ? क्या विपक्षी दल इस प्रकार के सत्याग्रहों से कोई ऐसा अनुसंधान कर रहे हैं कि किस प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति की जा सकती है ? परन्तु यह सब केवल यहीं हो रहा है। इन सबके बावजूद हमारे देश में उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। इन सब अवरोधों के बावजूद गत वर्ष हमारे देश में उत्पादन उससे पिछले वर्ष से अधिक हुआ था। अब इससे यही साबित होता है कि जनतंत्रकार्य कर रहा है और सरकार बिना आपात्कालीन लगाये जनतांत्रिक रूप से कार्य करने में सक्षम है। मेरे माननीय सदस्य एक एक करके यह कहते चले जा रहे हैं कि ओह आपात्काल आने वाला है। हम जानते हैं कि आपात्कालीन स्थिति आने वाली है। आपात्कालीन स्थिति इन्दिरा जी के हाथ में है क्योंकि वे इसे चाहते हैं।" पिछली बार उन्हें इससे कुछ लाभ हुए और इस बार भी वे ऐसा सोचते प्रतीत होते हैं कि उन्हें इस बार भी इसका लाभ होगा। लेकिन इन्दिरा जी बुद्धिमान रही है। हमारे दोस्त भी बुद्धिमान हो गये हैं। हम आपात्कालीन स्थिति नहीं लगा रहे हैं। हम जनता की सहायता, जनता का सहयोग चाहेंगे। हमने इसे किया है। हमने पिछले दिन ऐसा कर दिखाया है। यहां बीस लाख से भी ज्यादा लोग आये। अन्य लोग यह पूछ रहे थे "आपका ये करोड़ों रुपये कहां से मिले।" आपने इनको बरबाद क्यों किया ? "वे इसे जम्बूरी कहते हैं। यदि लोग अपनी छुट्टी लेते हैं तो क्या आप इसे जम्बूरी कहेंगे। यदि जनता अपना संतोष दिखाने के लिये प्रदर्शन करती है तो क्या आप इसे जम्बूरी कहेंगे ? यदि जनता यहां अपना विश्वास तथा समर्थन दिखाने तथा इन्दिरा जी के नेतृत्व का लगातार समर्थन करने आयी थी, क्या आप इसे जम्बूरी कहेंगे ?

मैंने भी बहुत पहले किसानों का नेतृत्व किया है इन दोस्तों में से बहुत से मित्र जनता की सेवा में आ गये हैं। मैंने लाखों लोगों को अपने साथ चलाया था। मैंने भी वर्ष 1978-79 में गन्ना उत्पादकों का नेतृत्व करते हुए लखनऊ में प्रदर्शन किया था जबकि ये जनता पार्टी सतारूढ़ थी। हमने ऐसा क्यों किया। हमने किसानों की ऐसा संगठित शक्ति का प्रदर्शन करने के लिये ऐसा किया था। हमने इस बार इस किसान रैली का स्वागत क्यों किया है ? क्या हमारे पास पर्याप्त समय था ? हमने केवल 15 दिन का समय दिया था। वे इस ओर जोर शोर से दौड़ पड़े। इसका खर्च किसने किया ? उन्होंने अपना खर्च खुद किया। मैं जानता हूं। इसका मेरे पास वाउचर है। उन्होंने इसका खर्च किया। उन्होंने अग्रिम खर्च किया। कोई आदमी आगे आया उसने 25,000 रुपये या 30,000 रुपये का दान अग्रिम रूप से उदारतापूर्वक दिया और बाद में उसने इसे इकट्ठा किया। बहुत से हमारे लोग जो यहां आये थे उन्होंने इन लोगों को गाली दीं। उन्होंने कहा "आप शाईलाक हो। आपने हमसे पैसा इकट्ठा किया है।"

उपाध्यक्ष महोदय : उस दिन जो लोग यहां आये थे उन्होंने संसद को देखा था। कम से कम मुझे यह खुशी है कि उन्होंने पहली बार संसद को देखा होगा। इसकी मुझे बहुत खुशी है। **(व्यवधान)** यदि वे लोग जो गांवों में रहते हैं, दिल्ली आए हैं, तो इसमें क्या नुकसान है? विपक्षी दलों को इसका स्वागत करना चाहिए। क्या लोगों को हमेशा ही झुग्गियों में रहना चाहिए? क्या वे हमेशा ही वहां रहें? और वहीं मर जायें? मैं सरकार तथा किसी भी पार्टी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि वे उन्हें दिल्ली लाये। और उनके दिल्ली लाने में जो कुछ भी खर्च हुआ उन्होंने किया और अपने कर्तव्य को निभाया।

प्रो० एन० जी० रंगा : आपका धन्यवाद।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : सरकार तथा उनकी पार्टी केवल उनके वोट प्राप्त करती रही हैं लेकिन उन्होंने उन्हें कभी संसद नहीं दिखाई।

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे यह कोई व्यक्ति हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे देश के किसानों ने जिन्होंने कभी दिल्ली और संसद नहीं देखी थी, उन्हें यहां आने के लिये मजबूर किया गया या किसी व्यक्ति ने उनके यहां आने की व्यवस्था की। मैं उन व्यक्तियों को बधाई देना चाहता हूँ।

श्री रंगा, आप अपनी बात जारी रखें। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन, आपने भूल से यह बात कही है। "मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार उन्हें यहां लायी है।"

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। कुछ भी हो, मैंने यह कहा; —'कोई भी व्यक्ति'—सरकार या कोई व्यक्ति। **(व्यवधान)**

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महालगी, एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए। तमिल में एक कहावत है। श्री रंगा, कृपया बैठ जाइये। कुरान कहता है :—

उजहथन्डु वजहवारे वजहवार

मट्ट्रेल्लम थोजहुथुन्डु पिन सल्पावार।

उसका अर्थ यह है। जो व्यक्ति भूमि को जोतता है, वह ईश्वर के तुल्य होता है। और सभी लोगों को उसके अनुयायियों के रूप में उसकी बात उस प्रकार माननी पड़ती है, जैसे हम ईश्वर की पूजा करते हैं। उन देवों को दिल्ली लाया गया था और हममें से प्रत्येक ने उनका स्वागत किया। यह किसान रैली की उपलब्धि है।

श्री आर० के० महालगी : यह अच्छा होता यदि आप इसे इस पक्ष की ओर से कहते।

प्रो० एन० जी० रंगा : मुझे बहुत खुशी है। श्रीमन, मेरे माननीय मित्र श्री वेंकटरामन उस प्रगतिशील नीति को अपना रहे हैं जिसकी उन्होंने तमिलनाडु में शुरूआत की थी। इसी नीति के द्वारा वह शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को लघु उद्योग, मध्यम उद्योग शुरू करके स्वत:

रोजगार प्राप्त करने को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उन्हें इन काम के लिये यथासंभव प्रोत्साहन दे रहे हैं। यदि इस बजट के विषय में कोई विशेष बात है तो वह यह है, श्रीमन, मैं देश भर के इन नौजवानों के हृदय में इन लघु उद्योगों को शुरू करने की एक आशा की ज्योति जलती हुई देखता हूं। उन्होंने इन उद्योगों के लिये 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये की पूंजी की सीमा बढ़ा दी है। उन्हें इस राशि को बढ़ाने दिया जाये। उन्हें यह रकम कहां से मिलेगी। अतः ये ग्रामीण बैंक हैं, ये राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और अन्य विभिन्न वित्तीय संस्थान हैं जिनका वह सृजन कर रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक बात करना चाहूंगा, प्रत्येक जिले में एक विशेष अधिकारी होता है उसका काम हाई स्कूल तथा महा विद्यालय का निरीक्षण करना होना चाहिए। तथा उन्हें वहां जाकर यह बताना चाहिए कि अवशिक्षित युवकों के लिये ये नये अवसर उपलब्ध किये जा रहे हैं। बजट नीतियों तथा राज्य सरकारों की औद्योगिक नीतियों की सहायता से उन्हें नये उद्योग शुरू करके आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने माचिस उद्योग के सम्बन्ध में एक नमूना भी दिया है। उन्होंने हथकरघा बुनाई के सम्बन्ध में भी एक नमूना दिया है, उन्होंने विद्युत चालित करघों के बारे में भी एक नमूना दिया है। उसने बहुत अन्य उद्योगों के बारे में भी नमूने दिये हैं। इस दिशा में हमने अपने देश के विकास करना है।

यदि आप तमिलनाडु जायें तो आप देखेंगे कि कितने व्यक्तियों ने नये उद्योग शुरू किये हैं। यदि आप जलंधर, लुधियाना जायें तो आप देखेंगे कि वहां वे कैसे काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य को शुरू किये जाने वाले नये उद्योगों की योजना बनानी चाहिए। उन्हें संगठित कौन करेगा ? यदि सम्भव हो तो पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जातियों के शिक्षित नवयुवकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्हें स्कूल तथा महाविद्यालयों से लिया जाये और उन्हें इन सभी उद्योगों को शुरू करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये तथा उनकी इस काम में मदद की जाये। लेकिन उनकी सहायता कौन करेगा। किसी व्यक्ति को तो उनकी सहायता करनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जगह कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या हम अपनी सहायता हम खुद करेंगे या नहीं करेंगे। हम अपने देश में भारी मात्रा में स्वतः रोजगार चाहते हैं। क्यों ? हम चाहते हैं कि ज्यादातर उद्योग करोड़पतियों द्वारा शुरू नहीं किये जाये बल्कि लखपतियों द्वारा शुरू किये जायें। हम चाहते हैं उन्हें ये सभी उद्योग शुरू करने चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र, वित्त मंत्री महोदय को कुछ ऐसे उपाय ढूंढ़ने चाहिए जिसके द्वारा वह कुछ व्यक्तियों जो वाक चातुर्य में दक्ष है, वहां सम्भवतया भेज सके और जो काले धन के नवाबों के पास पहुंच सके तथा उन्हें यह समझा सकें कि उन्हें अपना रुपया शहरी मध्यम वर्ग के लोगों के लिये आवासों के निर्माण के लिये खर्च करना चाहिए। हमारे कस्बे नष्ट हो रहे हैं। बम्बई नष्ट हो रहा है। एक दिन पहले "हिन्दू" समाचार पत्र में एक लेख छपा था कि "बम्बई कैसे नष्ट हो रहा है।" कलकत्ता भी नष्ट होने वाला है। अन्य शहर भी नष्ट होने वाले हैं। अब इन शहरों को पुनर्जीवित किया जाना है। प्रत्येक शहर के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है। अधिक से अधिक आवासों के निर्माण के लिये हम कहां से धन प्राप्त कर सकते हैं ? क्या कालाधन रखने वाले इन लोगों को खुदरा व्यापार या थोक व्यापार में रुपया लगाने की बजाय इन आवासों के निर्माण में धन लगाने के लिये प्रोत्साहन किया जायेगा ?

जिन तरीकों से गरीब जनता को मुद्रास्फीति के बुरे प्रभाव से बचाया जा सकता है उनमें एक तरीका सिविल सप्लाई का है। भारत भर के राज्य, सहकारी, केन्द्रीय स्तरों पर इन दुकानों की सरकार द्वारा व्यवस्था करनी होगी और इन दुकानों में गरीब जनता के लिये यदि सम्भव हो सके तो आवश्यक वस्तुएं लागत से भी कम मूल्य पर बेची जाये। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण यह है कि सूती वस्त्र के उत्पादन पर एक विशेष प्रकार की लेवी लगाकर और इसका प्रयोग मानक कपड़े को राजसहायता देने के लिये किया जाये। यह एक बहुत ही अच्छी नयी नीति है जिसे अब शुरू किया जा रहा है तथा मैं चाहता हूं कि इसका विस्तार किया जाना चाहिये ताकि अधिक से अधिक आवश्यक वस्तुओं को इसके अन्तर्गत लाया जा सके और गरीब जनता को मुद्रस्फीति से बचाया जा सकता है और जबकि उस समय धनवान, साधन सम्पन्न गरीब जनता को किसी भी फालतू वस्तु बाजार मूल्य से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। वास्तविकता यह है कि इस दिशा में भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, इसमें काफी अकार्य कुशलता हो सकती है। सामग्री की भी भारी मात्रा में हानि हो सकती है। लेकिन इन चीजों के बावजूद हमें इन खतरों का सामना करना होगा, हमें उन खतरों का बड़ी बहादुरी से सामना करना होगा। इन बातों के बावजूद ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे हम अपनी गरीब जनता की हर समय मुद्रास्फीति के विनाश से सुरक्षा कर सके, धनवान व्यक्ति और जो व्यक्ति पैसा खर्च कर सकते हैं उनसे गरीब जनता के लाभार्थ इस ढंग से पैसा खर्च कराया जाये। हमें इसके बारे में जनता को बताना चाहिए। हमें इसके बारे में अपने सामाजिक उद्देश्यों को धनवान जनता को बताना चाहिए। जब हमारे मन्त्री विदेशों में दौरों पर जाते हैं, तो वे उनकी सराहना करते हैं और कहते हैं कि उत्तर और दक्षिण के मध्य विचार विमर्श होना चाहिए। धनवान देशों को गरीब देशों को वित्तीय सहायता देना चाहिए तथा आदि आदि क्या हमारे देश के धनवान व्यक्ति देश की गरीब जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? यह उन रास्तों में से एक रास्ता है जिनके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। यह सरकार ऐसा कर सकती है। बजट इसे करने का एक तंत्र है। इस दिशा के सम्बन्ध में सरकार को मैं शुभ कामनाएं देता हूँ।

अन्त में मैं श्री वेंकटरामन को बधाई देता हूँ। मैं अपनी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने उन्हें वित्त मंत्री चुनने में अपनी बुद्धिमता का परिचय दिया है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भगत द्वारा उठाये गये बहुत से प्रश्नों का उत्तर हमारे आदरणीय नेता श्री रंगा ने दे दिये हैं। बजट के सम्बन्ध में उनकी पहली प्रतिक्रिया यह रही हैं कि यह एक अति सुरक्षित बजट है ; तथा उसने यह भी विचार किया है कि इस बजट में मध्य आय वर्ग की सहायता की गयी है। लेकिन शायद उन्होंने यह महसूस किया कि वह विपक्ष में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अर्थ शास्त्रियों ने इस बजट का विरोध किया था। अच्छा अर्थ-शास्त्री इससे निश्चय ही भयभीत है। क्योंकि उनका विचार था कि श्री वेंकटरामन की लेवी बढ़ाने के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं थी यदि वह कर बढ़ाते तो यह बजट एक बहुत ही घाटे का बजट होता। लेकिन उन की सभी भविष्यवाणियां झूठी रही हैं तथा वे भयभीत है। उनकी प्रतिक्रियाओं का श्री भगत द्वारा विरोध किया जा रहा है।

दूसरी बात जिसके बारे में, मैं बताना चाहता हूँ वह यह है कि यह घाटे का बजट इस देश की परिस्थितियों को देखते हुए अवश्यक था । तेल बिल जो 800 करोड़ रुपये का हुआ करता था वह अब बढ़कर 5000 करोड़े रुपये हो गया है। इस देश में दो वर्षों में लगातार सूखा पड़ा है और हमारा निर्यात इस कारण से घटा है कि विकसित देश हमारे निर्यात में बाधाएं डाल रहे हैं। इन परिस्थितियों में हमारी कोई इच्छा नहीं है और साथ ही साथ हम यह चाहते हैं कि विकास भी किया जाये । जो मित्रगण विपक्ष में बैठे हैं वे कम विकास के विषय में आलोचना करते रहे हैं चाहे वह ग्रामीण रोजगार है अथवा काम के बदले अनाज कार्यक्रम अथवा अन्य कोई कार्यक्रम रहा है। रुपया कहां है ? रुपया बजट से आना है। हमारे वित्त मंत्री महोदय बड़े ही विचारशील है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। जो कुछ उन्होंने सम्भवतय: किया है उससे अन्तर कम हुआ है। यदि धारक बांडों को चालू रहने दिया जाय, तो यह अन्तर संभवत: और भी कम किया जा सकता था। परन्तु उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण यह संभव नहीं हुआ। इस अन्तर को कम करने के लिए जो 1,000 करोड़ रुपए रखे गए थे, वह भी लगभग 5,00 करोड़ रुपये ही पड़ते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बजट से कम आय वाले और निर्धारित आय वाले वर्ग को तथा साथ ही निगमित क्षेत्र को भी राहत मिलती है । इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। समाचार पत्र जो अक्सर बजट की आलोचना करते हैं उन्होंने भी इस बजट की प्रशंसा की है और बधाई दी है । उनके अनुसार इस बार गृहणियां बख्श दी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि मध्यम आय वर्ग को भो इससे लाभ पहुंचा है। यह मध्यम आय वगं का बजट है तथा आजादी के बाद पहली बार सबसे अच्छा बजट आया है। इसलिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चहूँगा कि उन्होंने अपने परिश्रम व लगन से ऐसा बजट तैयार किया है जिसका समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया हैं।

जहां तक कर से छूट देने का संबंध है, आय-कर में छूट की सीमा बढ़ा कर 15,000 रुपये तक कर दी गई है। इस प्रकार 15 लाख व्यक्ति आय कर देने से बचेंगे। यह एक बड़ी चीज है तथा मध्यम आय वर्ग और निर्धारित वेतन पाने वाले व्यक्ति इतने वर्षों से परेशान थे। पहली बार वित्त मंत्री ने उनकी समस्या पर ध्यान दिया है और मैं इस पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं। 5,000 रुपये की निर्धारित मानक कटौती से भी उन्हें सहायता मिलेगी तथा वे लाभांश व उन्हें प्राप्त अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। मेरे विचार में जिन व्यक्तियों की आय 2,000 रुपये प्रति माह वे आय-कर से मुक्त हो सकेंगे। इसी प्रकार निगमित क्षेत्र पर 5 प्रतिशत अधिभार भी कम कर दिया गया है। इससे हमारे उद्योगों का भी विकास होगा। निगमित क्षेत्र के आय कर में 2.75 प्रतिशत कमी कर देने से उत्पादन में भी सहायता मिलेगी। उत्पाद-मुल्क की वसूली नहीं की गयी है। हम सभी यही सोच रहे थे कि उत्पाद-शुल्क बढ़ाया जाएगा। परन्तु यह नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने इस ओर ध्यान दिया है कि बिना कोई शुल्क लगाए उन्होंने बजट पेश किया है।

मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने छोटे पैमाने के उद्योगों के संबंध में बहुत साहसिक कदम उठाया है। उन सभी छोटे पैमाने की कम्पनियों को जो कि सहायक वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं अथवा किसी बड़ी कम्पनी के लिए वस्तुएं तैयार कर रही हैं, उन्हें कर में 8 प्रतिशत की छूट दी गई है। किसी ऐसी बड़ी कम्पनी पर भी कर नहीं

लगेगा जो पैमाने के उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई कर रही हैं और छोटे उद्योग उनके लिए माल तैयार करते हैं। यह एक बहुत अच्छा कदम है और मुझे विश्वास है कि इससे छोटे पैमाने के एककों को उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी और अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ हो सकेगी ।

धन कर के लिए छूट की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ा कर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है जो कि इस देश के लोगों के लिए एक अन्य सराहनीय कदम है।

औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और मुद्रा-स्फीति रोकने के लिए भी उनके द्वारा कुछ कदम उठाये गए हैं। उनकी अध्यक्षता में बनाई गई बुनियादी सुविधाओं संबंधी समिति ने भी प्रशंसनीय कार्य किया है। कोयला, ऊर्जा, सीमेंट आदि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए यह समिति बनाई गई थी और उसने अच्छा कार्य किया है। पिछले तीन या चार महीनों से इन चीजों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। कोयला उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और रेलवे द्वारा की गई ढुलाई में भी वृद्धि हुई है। रेलवे बोर्ड में भी परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि कोयला बहुत ही आवश्यक सामग्री है, और इसकी ढुलाई कुशलता पूर्वक करनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप बिजली का उत्पादन 6 प्रतिशत बढ़ा है। अभी पिछले दिनों ही रेल उप मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि वे सभी ताप बिजली संयंत्र जो कोयले का प्रयोग कर रहे थे और जिनके पास कोयले का केवल एक या दो दिन का स्टाक था--या जो कोयले की कमी के कारण बन्द कर दिए गए थे, उनके पास अब औसतन 25 दिन के कोयले का स्टॉक है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। मुझे विश्वास है कि वृद्धि से स्थिति में सुधार होगा तथा हमारे पास अधिक से अधिक बिजली होगी। वर्षा भी अच्छी हुई है तथा कृषि के क्षेत्र में बिजली की खपत पहले जितनी नहीं होगी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।

कोयले के उत्पादन में भी 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समाचार पत्रों में यह सूचना छपी थी कि कोयले की खानें कोयले से भरी पड़ी हैं, उनके लिए ढुलाई की व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसी ही स्थिति है, तो इस देश की अर्थव्यवस्था की गति तीव्र होनी चाहिए।

यह सब तो बिल्कुल ठीक चल रहा है परन्तु इसके अलावा हमें सरकार के व्यय पर भी विचार करना चाहिए। यदि वह उसमें कमी कर पाते हैं तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी और घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी हो पायेगी। सरकारी व्यय बहुत अधिक है और उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि वहां कोई सुधार किया गया तो, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी।

दूसरे, आपको खाद्यान्नों का अतिरिक्त भण्डार बनाना चाहिए । एक समय में हमारे पास 200 लाख टन का अतिरिक्त भंडार रहता था, परन्तु अब वह घट कर केवल 100 लाख टन ही रह गया है। हमारे देश के लिए जहां इतनी अधिक जनसंख्या है, यह आवश्यक है कि खाद्यान्नों का बहुत अधिक अतिरिक्त भंडार रखा जाए। साथ उचित दर की दुकानों की संख्या बढ़ानी चाहिए और वितरण प्रणाली में सुधार करना चाहिए । इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी वितरण प्रणाली बहुत कारगर है, परन्तु इसका विस्तार किया जाना चाहिए। इसका विस्तार गांवों में भी किया जाना चाहिए जहां के लोगों को भी आवश्यक

वस्तुएं, चाहिए । साथ ही, राज्य सरकारों को भी इस बात की चेतावनी दी जानी चाहिए कि उचित दर की कुछ दुकानें सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं। जनता की यह शिकायत है कि उचित दर की दुकानों पर सामान तो जाता है, परन्तु उसकी चोरी हो जाती है, और चोर बाजारिये इससे लाभ उठाते हैं। उन गरीब व्यक्तियों को, जिसके लिए यह योजना बनाई गई है इसका लाभ होना चाहिए। इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को इसकी चेतावनी दी जानी चाहिए ।

धारक बाजों के विषय में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। विपक्ष के मेरे माननीय सदस्य ने कहा था कि यह योजना अनैतिकतापूर्ण है तथा इस योजना को शुरू करके हमने अनैतिक कार्य किया है। इस देश में काले धन की समस्या काफी बड़ी है। यह समस्या आज ही नहीं है पहले भी थी। परवर्ती सरकारें इस समस्या को दूर करने की कोशिश करती रही है। जब जनता सरकार ने अपने शासन में काले धन में वृद्धि को रोकने के लिए सभी आवश्यक सामान से नियंत्रण हटा दिया। परन्तु इसका परिणाम क्या हुआ ? इसका परिणाम यह हुआ कि सभी अमीर व्यक्तियों ने निर्धनों के बूते पर पैसा कमाया। परन्तु उनके शासन काल में भी काला धन बढ़ता ही रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह राष्ट्रीय समस्या है। हम सभी को यह सोचना चाहिए कि इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है।

विगत में सरकार ने तीन चार योजनाएं शुरू की थी। कुछ स्थानों में तो वह सफल रहीं परन्तु कुछ स्थानों में असफल। सरकार की यही इच्छा है कि किसी भी तरीके से काले धन का पता लगाया जाए और उसे बढ़ने से रोका जाए। हमारा यह अनुभव रहा है कि व्यापारी वर्ग बहुत चतुर है। हमने उन पर छापे डाले और इस प्रकार उनके मनमें भय पैदा किया है परन्तु वह सफल नहीं रहा है। इसे रोकने के लिए अब सरकार ने यह योजना अपनाई है। इस समानान्तर अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है।

संभवतः विभिन्न योजनाएं भी हो सकती हैं। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि सरकार को उन्हें मकानों का निर्माण करने देना चाहिए और उनसे यह नहीं पूछना चाहिए कि यह धन कहां से आया। दूसरा सुझाव यह था कि उन्हें फैक्ट्रियां खोलने दी जानी चाहिए और उसका स्रोत नहीं पूछना चाहिए। हमारा अनुभव यही रहा है कि उन्हें कुछ लालच देना चाहिए। इसीलिए धारक बांड़ों की योजना प्रारंभ की गई है। कोई भी आय-कर अधिकारी यह प्रश्न नहीं पूछ सकता कि इसका खरीददार कौन है। चूंकि यह सुरक्षा दी गई है, इसलिए इसे सफल होना चाहिए। हमें यह आशा करनी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय, जहां यह लम्बित पड़ा है, इसे शीघ्र ही स्वीकृति दे देगा। वित्त मंत्री द्वारा उठाया गया यह एक साहसिक कदम है जिसे सफल होना चाहिए। जब मैं बम्बई गया तो मैंने वहां बहुत से व्यापारियों से बातचीत की। उन सबने यही कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री 1,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा कर लेंगे जिससे कि वह घाटे को कम कर सकते हैं और इस प्रकार अर्थव्यवस्था सुदृढ़ कर सकते हैं।

चूंकि मैं पंजाब प्रदेश का हूं, और यदि मैं अपने राज्य के बारे में कुछ नहीं कहूंगा तो वित्त मंत्री यह समझेंगे कि वहां सब ठीक चल रहा है तथा कोई समस्या नहीं है। बहुत से लोग यही समझते हैं कि पंजाबी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, तथा

कोई समस्या नहीं है । मैं मानता हूं कि अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब के निवासी थोड़े अधिक समृद्ध हैं । परंतु मैं वित्त मंत्री से यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं कि केन्द्र ने पंजाब के लिए क्या किया है । क्या वे एक विकसित राज्य को पिछड़ा राज्य बनाना चाह रहे हैं । आप कोई भी आंकड़े देख सकते हैं केन्द्र ने पंजाब की बिलकुल मदद नहीं की हैं ।

हमारी पहली समस्या है गेहूं की कीमतें । आपने गेहूं की कीमत घोषित नहीं की है । जब कृषि के सभी उपस्करों और उपकरणों के मूल्य बढ़ गए हैं तो आपको गेहूं का उचित मूल्य देना चाहिए । वित्त मंत्री, जो बहुत ही साहसिक व्यक्ति हैं, से मेरा निवेदन है कि वह कृषि के सम्बन्ध में एक व्यापक नीति बनाएं जिसका कृषि के आदानों से संबंध हो । यदि ऐसी व्यापक नीति न बनाई गई तो कृषक और अधिक मूल्य मांगते जाएंगे, जिससे कि अंततः शहर के उपभोक्ताओं को नुक्सान होगा । इसलिए एक न एक दिन तो इस समस्या का समाधान खोजना ही होगा, आपको ऐसी नीति न बनानी पड़ेगी जिसका संबंध कृषि के अन्य आदानों से भी हो ।

दूसरे, भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून से भी पंजाब के कृषकों को काफी हानि हुई है । अमृतसर, जालंधर और लुधियाना के आस पास रहने वाले लोग इस कारण हमसे बहुत नाराज हैं । और यह ठीक भी है क्योंकि यही व्यक्ति हमारे लिए सब्जियां उगाते हैं । मगर अब उनकी ज़मीन ले ली गई है । अगर वे अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं तो वे ज़मीन से पैसा नहीं बना सकते और अगर वे किसी और ज़रूरत के लिए भी उसे बेचना चाहें तो नगरीय भूमि अधिकतम सीमा नियम के कारण उसे बेच भी नहीं सकते ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : उन्हें अपनी बेटियों की शादी के लिए रुपये की ज़रूरत क्यों पड़ती है ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या आप उनकी सहायता करने के लिए तैयार है ? उन्हें अपनी सहायता स्वयं करना पड़ती है ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : उन्हें ज़मीन से पैसा बनाने की क्या ज़रूरत है ?

एक माननीय सदस्य : पैसे के बिना वे शादी कैसे करेंगे ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : रुपये के बिना वे अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगे ? शायद वहां उन्हें इस तरह की कोई समस्या नहीं हैं । चूंकि आप नगरीय भूमि अधिकतम सीमा नियम पर पुनर्विचार कर रहे हैं और इसमें संशोधन किया जाना है, इसलिए मैं आप से विशेष आग्रह करूंगा कि आप शहरों के आसपास की ज़मीन छोड़ दे । ये बहुत बड़ी बात होगी जिसकी हम आपसे आशा करते हैं ।

एक माननीय सदस्य : यह नगरीय भूमि अधिकतम सीमा है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जी हां, यह नगरीय भूमि अधिकतम सीमा है । औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि हमारे यहां औद्योगिक क्षेत्र से केवल 13 प्रतिशत आय होती है जबकि महाराष्ट्र में 26 प्रतिशत होती है । इसलिए हमें कुछ बड़े उद्योग दीजिए । मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है कि महाराष्ट्र को 26 प्रतिशत आय होती है । शिक्षा मंत्री मुझे देख रहे हैं या घूर रहे हैं । मेरा तो यही अनुरोध है कि हमें भी पंजाब में उद्योग संगठित करने का अवसर

दिया जाए। केन्द्र को वहां पैसा लगाना चाहिए क्योंकि हमारा सीमावर्ती प्रदेश है और गैर-सरकारी क्षेत्र इसलिए पूंजी नहीं लगाता क्योंकि यह सीमावर्ती प्रदेश है। यहां पहले तीन युद्ध भी हो चुके हैं। इसलिए गैर सरकारी उद्योगपति तो हिचकिचाते हैं अनुरोध करता हूँ कि कम से सरकार को वहां कुछ उद्योग शुरू करने चाहिए।

हम 60 लाख टन गन्ने का उत्पादन करते हैं और हमें चीनी के कारखने नहीं दिए गए हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हैं। जब हम इतना गन्ना उगा रहे हैं तो आप पंजाब के खेतीहरों को गुड़ बनाने की इजाज़त क्यों दे रहे जबकि हमें चीनी की इतनी सख्त ज़रूरत है। इसलिए, हम आपसे बलपूर्वक आग्रह करते हैं कि पंजाब को चीनी के कारखाने दिए जाएं ताकि पंजाब गन्ने का सही उपयोग कर सके।

पिछले वर्ष, 1980 में, 36,000 स्टीम के कोयले की वैगनों की स्थान पर पंजाब को केवल 5,500 वैगन ही मिले। पंजाब के साथ यह कैसा बरताव है? क्या यह इसलिए है कि अन्य क्षेत्रों में हम औरों से कुछ बेहतर स्थिति में हैं? क्या आपके दिमाग में यह बात बैठी हुई है? पर इस कारण पंजाब का उद्योग क्यों वंचित रहे? आपने स्वयं 36.000 बैगन प्रति वर्ष का नियतन करके केवल 5,5000 वैगन हमें दिए। हम इस तरह के रवैये का कड़ा विरोध करते हैं और चाहते हैं कि स्टीम के कोयले की सप्लाई बढ़ाई जाए।

पंजाब सरकार ने आपको प्रगति मैदान की कन्टेनर प्रणाली के बारे में भी लिखा है। पंजाब के निर्यातकर्त्ता बम्बई से अपना सामान बदल कर उन्हें आगे अन्य देशों में नहीं भेज सकते। उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहां यह प्रचलित कन्टेनर प्रणाली लागू की जा सके और आपके लिए यह करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि प्रगति मैदान में पंजाब के निर्यातकों को कन्टेनर प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति दे दी जाए। पंजाब के निर्यातकर्त्ताओं को माल भाड़ा दर पर छूट प्राप्त थी। रेलवे ने वह छूट भी देनी बन्द कर दी है। मुझे नहीं मालूम कि इसके लिए उनके पास क्या तर्क है। पहले यह छूट थी, अब हटा ली गई है। रेलवे ने यह छूट समाप्त कर दी है। हम भारत के सीमावर्ती प्रदेश में रहते हैं और इसलिए हमारा ख्याल रखा जाना चाहिए। हमें जो कुछ छूट प्राप्त थी वह भी बन्द कर दी गई है। उसे फिर से दिया जाना चाहिए।

मैं थियन बांध के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैंने पिछले बजट के समय भी इसपर बोला था और आपने मामले पर विचार करने की कृपा की। रावी नदी के पानी के इस्तेमाल के बारे में विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता करने पर वर्ष 1960 में भारत ने पाकिस्तान को 100 करोड़ रुपये दिए थे। रावी नदी का पानी पाकिस्तान की तरफ बह रहा है और 11 वर्षों से इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्यों? पिछली बार जब हम आपसे मिले थे और आपसे अनुरोध किया था तो आपने सहायता करने का वायदा किया था। यदि केन्द्र के पास निधि नहीं है और केन्द्र यह बांध नहीं बना सकता तो हम किसी तरह विश्व बैंक अथवा विदेश में रहने वाले पंजाबियों से मांग कर धन का प्रबंध कर लेंगे। आप कृपया हमें बांध बनाने की अनुमति दे दीजिए। हमारे लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। हम यह बांध बनाने के लिए बहुत इच्छुक हैं। पंजाब मुख्यत कृषि प्रधान राज्य है और हम ऊर्जा के लिए तरस रहे हैं। हमें कृषि के लिए केवल 8 घंटे और उद्योग के लिए 6 घंटे के लिए ऊर्जा मिल रही है। यदि परियोजना हमारी

सहायता कर सकती है। इसलिए केन्द्र को पेशकदमी करके निर्णय लेना चाहिए। हम जब भी आपके पास आते हैं तो आप कह देते हैं कि यहां तो अंतर्राज्यीय परियोजना है। इसे केन्द्र ही बनाए। प्रधान मंत्री का निर्णय अंतिम हो और हम उसका पालन करेंगे। बांध जरूर बनना चाहिए।

अंत में, आपके 590 लाख टन के केन्द्रीय आरक्षित भंडार में से पंजाब ने 42.5 लाख टन खाद्यान्न का योगदान दिया है। तो आपने देखा कि पंजाब केन्द्र के लिए क्या कर रहा। पिछले वर्ष रबी की फसल में 590 लाख टन के खाद्यान्न में से पंजाब आपको 42.5 लाख टन दिया जो कि वास्तव में 70 प्रतिशत से भी अधिक है। पंजाब के साथ यह बरताव क्यों किया जाता है ? पंजाब में कोई केन्द्रीय/सरकार उद्योग क्यों नहीं है ? पंजाब को 6 चीनी के कारखाने क्यों नहीं दिए जा रहे ? पंजाब के लिए एक अणु शक्ति केन्द्र बनाने की जरूरत महसूस क्यों नहीं की जाती ? जबकि हम ऊर्जा के लिए तरस रहे हैं तो आप हमें अणु शक्ति केन्द्र क्यों नहीं देते जिससे अपनी समस्या सुलझा सकें। हम तो भारत के खाद्यान्न का खजाना है। आप हमें अधिक ऊर्जा दीजिए हम आपको अधिक खाद्यान्न देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री एन० सेलवाराजू (तिरुचिरापल्ली)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा सभा में प्रस्तुत किए गए 1981-82 के आम बजट की चर्चा में भाग लेते हुए मुझे बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है। तीन चार दिन पहले राजधानी के एक अंग्रेजी दैनिक में मैंने एक मजेदार व्यंग्य चित्र देखा जिसमें हमारे देश की गृहिणियों की प्रसन्नता व्यक्त की गई थी। इस व्यंग्य चित्र में गृहिणी हमारे माननीय वित्त मंत्री के कपोल का चुम्बन ले रही थी जो दूसरे रूप में हमारे देश की बजट व्यवस्था के नये दौर का सूचक है।

एक ही बार में 12 लाख लोगों को आय-कर के जंजाल से मुक्ति मिल गई। 15001 से 30000 के बीच की आय पर आय-कर की दर में पर्याप्त कटौती की गई है। कल मेरे माननीय वरिष्ठ सहकर्मी श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने हमारे माननीय वित्त मंत्री को 12 लाख परिवारों को दिए गए उपहार के लिए उन्हें अपना निष्कपट धन्यवाद दिया था। हमारे वित्त मंत्री को धारक बंध-पत्र योजना से 800 करोड़ रुपए वसूल हो जाने की आशा है। यदि उनकी आशा पूरी हो गई तो मुझे विश्वास है कि वे अपने आप आय-कर सीमा अगले वर्ष 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर देंगे। मैं धारक बंध-पत्रों की योजना की पूर्ण सफलता के लिए हार्दिक कामना करता हूं। इस बजट से बचत को बढ़ावा मिलेगा जिससे अधिक औद्योगिक विकास होगा। बजट को देश की समृद्धि और शांति का माध्यम होना चाहिए और हमारे वित्त मंत्री को 1981-82 का बजट लाने के लिए यह श्रेय प्राप्त है। यहां मैं उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि फिलहाल केवल 60% अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। मुद्रास्फीति के विध्वंस और उत्तरोत्तर मूल्य वृद्धि के प्रकोप का यह तकाजा है कि 100% अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग हो। परन्तु बिजली की निरन्तर कमी और देश भर में फैले हुए उत्पादन केन्द्रों तक कोयले की चौबीस घंटे ढुलाई के लिए वैगनों की कमी के कारण यह प्रायः असंभव है। हमारे देश के ताप विद्युत केन्द्र उत्पादन क्षमता की तुलना में केवल 40% बिजली का उत्पादन कर

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रहे हैं। इस हालत में अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के पूरे उपयोग की आशा कैसे की जा सकती है और यह सुनिश्चित कैसे किया जा सकता है कि स्थापित सम्भावित औद्योगिक क्षमता की बिजली की मांग पूरी हो जाएगी ? मैं मूलतः आशावादी हूं परन्तु जब मैं अपने देश के बढ़ते हुए बिजली के संकट को देखता हूं तो मैं सिहर जाता हूं। तूतीकोरिन सुपर ताप बिजली घर और एन्नौर ताप बिजली घर जो कि तमिलनाडु में है उनको की जाने वाली कोयले की सप्लाई अक्सर अनिश्चित रहती है। यदि बिजली की सप्लाई कम हो जाती है तो स्वाभाविक ही है कि औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों दोनों में ही उत्पादन में कमी आयेगी परिणामतः आवश्यक वस्तुओं की व्यापक कमी हो जायेगी। माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस प्रकार की कठिनाई से बचने के लिए योजना बनानी चाहिए। केन्द्रीय योजना आयोग ने स्वीकार किया है कि हमारी चालीस प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। केन्द्रीय योजना आयोग ने यह भी कहा है कि तमिलनाडु में पांच करोड़ लोगों में से तीन करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। जहां सम्पूर्ण देश में बेरोजगारी का प्रतिशत साढ़े आठ है वहीं तमिलनाडु में सोलह प्रतिशत है। औद्योगिक उत्पादन में होने वाली भारी कमी से अधिकाधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच जायेंगे और करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के भेड़िये के सामने डाल दिये जायेंगे। माननीय वित्त मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह देश के प्रभावी वित्तीय प्रबन्ध के माध्यम से जनसाधारण के कल्याण में योगदान करें। उन्होंने जो यह घोषणा की है कि बैंक कर्मचारी ओवरटाइम के रूप में हर वर्ष 300 करोड़ रुपये लेते हैं वह ठीक ही है। उन्हें यह भी पता होगा कि निर्यात संवर्द्धन परिषदों के चेयरमैन, उनके सदस्य और कर्मचारी लगातार विदेशों का दौरा करके मूल्यवान विदेशी मुद्रा को बर्बाद कर रहे हैं। यह खेद जनक बात है कि हमारे देश का निर्यात इन लोगों द्वारा किए गए व्यय के अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। भूतपूर्व वित्त मंत्री टी० टी० कृष्णमाचारी के व्यय कर अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है। व्यय आयोग को मनमाने ढंग से समाप्त कर दिया गया है। मेरा विनम्र सुझाव है कि अनियन्त्रित व्यय मुद्रास्फीति की आग में घी का काम करता है। माननीय वित्त मंत्री महोदय को सरकारी खर्च के नियन्त्रण के लिए कुछ करना चाहिए।

1951 से अब तक आरम्भ की गई 035 बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं में से केवल 540 पूरी की गई हैं। इससे फसल वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। यह क्षेत्रफल जो 1332 लाख हेक्टेयर था बढ़कर 1978-79 में 1740 लाख हैक्टेयर हो गया है। लेकिन हम केवल तीस प्रतिशत फसल-क्षेत्र की सिंचाई कर रहे हैं। यदि हम बाकी 395 बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा कर लें तो हम 520 लाख हैक्टेयर की और सिंचाई कर सकेंगे। इससे न केवल खाद्यान्न उत्पादन के मामले में हम आत्म निर्भर हो जायेंगे बल्कि हमारे पास निर्यात के लिए अतिरिक्त अन्न होगा और हम विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे। हमें सभी बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जोरदार उपाय करने चाहिए।

यद्यपि हम कई दशकों से गंगा, कावेरी को जोड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण हमें मजबूर होकर इस योजना को अपनी आगे की योजनाओं में रखना पड़ रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो जल उपलब्ध है और जो बेकार होकर समुद्र में चला जाता है उसका कारगर ढंग से उपयोग किया जाये। हमें महानदी को गोदावरी के साथ

और गोदावरी को कृष्णा के साथ और कृष्णा को कावेरी के साथ जोड़ना चाहिए। दक्षिणी राज्यों की इन चारों बड़ी नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जाना चाहिए ताकि भारत के दक्षिणी राज्य संपूर्ण संसार का अन्न भंडार हो सकें। मेरा निश्चित विश्वास है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय जिनमें बहुत अधिक उत्साह है अपनी सम्पूर्ण शक्ति इस प्रशंसनीय लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देंगे।

मुझे उम्मीद थी कि 1981-82 के बजट में तमिलनाडु के लिए आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की योजनाएं शामिल की जायेंगी। हालांकि हमारे वित्त मंत्री महोदय की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं तथापि मैं मांग करता हूं कि 1981-82 के बजट में सेतुसमुद्रम परियोजना को शामिल किया जाए। इस योजना के कार्यान्वित होने से नमक को तूतीकोरिन से पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों को ले जाया जा सकेगा और बिहार के कोयला क्षेत्रों से दक्षिण को कोयला ले जाया जा सकेगा और उस पर पर्याप्त रूप से कम जहाज भाड़ा खर्च होगा। अन्तर्राष्ट्रीय नौ वहन में भी डीजल और समय की बचत होगी। मूलतः इस योजना की लागत 25 करोड़ रु० थी और अब यह अनुमान लगाया गया है कि यह लागत 100 करोड़ रुपये हो गई है। यदि हम इसमें और अधिक विलम्ब करेंगे तो परियोजना की लागत और अधिक हो जायेगी। हमारे पास ड्रैजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया है। अकेले ड्रैजिंग पर ही 7 करोड़ रु० व्यय होगा। सेतुसमुद्रम परियोजना और कुछ नहीं बल्कि तलकर्षण परियोजना है। दक्षिणी राज्यों के आर्थिक कल्याण के लिए इसे तत्काल आरम्भ किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु के नाम से ही कावेरी नदी की मधुर स्मृति हो आती है। यह बात नहीं कि कावेरी से केवल तमिलनाडु के लोगों को लाभ हो रहा हो। केरल राज्य भी कावेरी के तटों पर उत्पन्न होने वाले अन्न की सप्लाई पर आश्रित है। तमिलनाडु के लोग उस दिन के प्रति आशंकित हैं जबकि कर्नाटक और केरल राज्य जैसे पड़ोसी राज्यों के दुराग्रह के कारण कावेरी का जल सूख जायेगा। यदि कावेरी के जल के सूख जाने की वजह से तमिलनाडु के 5 करोड़ लोगों को निर्जल क्षेत्र में रहना पड़ेगा तो निश्चय ही पड़ोसी राज्यों को भी इससे नुकसान होगा। केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य पर इस बात के लिए जोर डालना चाहिए कि वह 1924 के करार के आधार पर बातचीत करे और इस जल-विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाए। यदि केन्द्रीय सरकार इस कार्य को कराने में असफल रहती है तो उसके अत्यंत भयंकर परिणाम होंगे।

इसी प्रकार मद्रास शहर को पीने के पानी की सप्लाई मद्रास के लोगों के लिए गंभीर चिन्ता का विषय बनती जा रही है। डाक्टर कलाईगनार करुणानिधि के मुख्यमंत्रित्वकाल में वीराणम पेय-जल योजना आरम्भ की गई थी और इसे जोरदार ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा था परन्तु किन्हीं अज्ञात कारणों की वजह से बाद में इसका कार्य रोक दिया गया। 1976 में जबकि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन था हमारी माननीया प्रधान मंत्री महोदय ने मद्रास के लोगों की पीने के पानी की समस्या को समझते हुए मद्रास शहर को कृष्णा नदी से पानी की सप्लाई करने की घोषणा की थी। इसके लिए आरम्भिक निर्माण कार्य शुरू कर दिये गये थे। परन्तु यह योजना अभी भी विचाराधीन है। अब तमिलनाडु के हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री एम०जी० आर० ने मद्रास शहर को कटलाई नदी से जल सप्लाई करने की योजना की घोषणा की है जिस पर 500 करोड़ रु० व्यय होंगे। वीराणम योजना पर कुल 25 करोड़ रु० व्यय होना

था और यह व्यय अधिक से अधिक 50 करोड़ रु० हो सकता था। परन्तु कटलाई योजना जब तक पूरी होगी तब तक इस पर अन्ततोगत्वा 1000 करोड़ रु० की लागत आयेगी और इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई सुविधा के मामले में संकट उत्पन्न हो जायेगा। मैं मांग करता हूं कि जिस समय तमिलनाडु राज्य इस योजना को केन्द्र सरकार के पास भेजे जो केन्द्रीय सरकार इस योजना पर अपनी स्वीकृति न दे। हम सरकारी धन को निकम्मी राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली खाम ख्याली की योजनाओं पर बर्बाद नहीं कर सकते॥

आज तमिलनाडु में बिजली की सप्लाई में 60 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। यह तमिलनाडु की राज्य सरकार की अक्षमता के कारण हो रहा है। कर्नाटक सरकार को यह बता दिया जाना चाहिए कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि होगनाकल ताप बिजली योजना पर तत्काल सहमति प्रदान की जाये। इस सम्बंध में किसी प्रकार का विलम्ब तमिलनाडु के लिए अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होगा। इसी प्रकार तमिलनाडु का समुद्र तट महासागरीय ताप ऊर्जा रूपान्तरण योजना को कार्यान्वित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान सिद्ध हुआ है। यह योजना बार-बार होने वाले बिजली संकट का स्थायी हल हो सकेगी। यह योजना राज्य सरकार को नहीं सौंपी जानी चाहिए। यदि तमिलनाडु राज्य को जन-विनाश से बचाना है तो केन्द्र सरकार को यह योजना तत्काल आरम्भ करनी चाहिए।

कुछ मिनट पहले हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को याद दिलाया था कि जो व्यक्ति भूमि को जोतता है वही संसार का स्वामी है और अन्य सभी उसके याचक हैं। 16 फरवरी, 1981 को राजधानी ने हमारे देश के 20 लाख से अधिक किसानों की श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अटूट निष्ठा का दर्शन किया। बावजूद इस तथ्य के कि हमारी 80 प्रतिशत जनता खेती में लगी हुई है, खेतिहरों की दशा दयनीय है और इन लोगों का जीवन स्तर देश में निम्नतम है। वे सारे राष्ट्र को खिलाते हैं और राष्ट्र फिर भी उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है। उन्हें अपने उत्पादों का लाभकर मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्हें कीटनाशक दवायें यदि सम्भव हो तो निःशुल्क दी जायें और यदि यह व्यवहार्य न हो तो कीटनाशक दवाओं पर दी जाने वाली राजसहायता की राशि बढ़ा दी जानी चाहिए। इसी प्रकार किसानों के लाभ के लिए उर्वरक पर दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की जानी चाहिए। चीनी 8 रुपये किलो बिक रही है फिर भी गन्ना उगाने वाले किसानों को अपने गन्ने का मामूली मूल्य मिल रहा है। उन्हें उनके गन्ने का उचित मूल्य दिया जाना चाहिए और इसी प्रकार धान का मूल्य गेहूं के मूल्य के बराबर होना चाहिए। कृषि मूल्य आयोग को चाहिए कि वह इस पर विचार करे और आवश्यक कार्यवाही करे।

1970 में जब हमारी आदरणीय प्रधान मंत्री और डा० कलाईगनार करुणानिधि ने सलेम इस्पात संयंत्र की आधारशिला रखी थी उस समय उसका पूंजी निवेश लगभग 300 करोड़ रु० था। आज सलेम संयंत्र एक रिरोलिंग मिल बन गया है। यदि इसे चलाना है तो इसे इसकी मूल योजना के अनुसार बनाया जाना चाहिए।

तिरुचिरापल्ली के पास बी० एच० ई० एल० फैक्ट्री है उसके पास में सहायक उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह शिरुगणम के पास उपलब्ध बंजर जमीन में 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके वहां एक औद्योगिक आस्थान स्थापित करे।

तिरुचिरापल्ली जिले के पैरम्बलूर, थुरयूर, लालगुड़ी तालुकों को औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिए और इन तालुकों को उद्योगों की स्थापना के लिए सभी सम्बद्ध प्रोत्साहन और रियायतें दी जानी चाहिए। लालगुड़ी तिरुचिरापल्ली से 12 मील है। रास्ते में एक सीमेंट फैक्टरी और चीनी का कारखाना है। तिरुचिरापल्ली और लालगुड़ी के बीच सीधा टेलीफोन सम्बन्ध होना चाहिए। इसी सम्बंध में मैं यह भी मांग करता हूं कि टेलीफोन काल के शुल्क में की गई वृद्धि को कुछ कम किया जाना चाहिए।

मैं अपने माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा मध्यम वर्गीय जनता जो कि राष्ट्र की मुख्य आधार है के कल्याण के लिए किए गए सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वीरभद्र सिंह (मंडी) : सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिसकी सारे देश में जनता के सभी वर्गों द्वारा व्यापक प्रशंसा की गई है।

शायद यह पहली बार है कि ऐसा केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है जिसमें और अधिक प्रत्यक्ष कर अथवा उत्पाद-शुल्क में वृद्धि करके अतिरिक्त राजस्व जुटाने का प्रयास नहीं किया गया है। यह बजट यथार्थपरक और आशाजनक बजट है और मध्यम वर्गीय जनता को राहत देने और जनता के निर्धनतर वर्गों की स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से तैयार किया गया है।

वित्त मन्त्री महोदय और भी सराहना के पात्र है कि उन्होंने आर्थिक स्थिति का बहुत सही मूल्यांकन किया और आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में यथार्थपरक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में ठीक ही कहा है कि जब वर्तमान सरकार ने 1980 में सत्ता संभाली थी तो उसे विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली थी जो कि छिन्न-भिन्न हो चुकी थी और जो कि पिछली जनता और लोकदल सरकारों के आर्थिक कुप्रबन्ध के दुष्प्रभाव से ग्रस्त थी और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे कोयला, ऊर्जा और रेलें इन सबको संकटपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। इन सब के परिणामस्वरूप 1979-80 में निवल राष्ट्रीय उत्पादन में 4.5 प्रतिशत की कमी आई और मूल्यों में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अतः यह स्वाभाविक ही था कि नई सरकार के सामने सबसे पहला कार्य यह होगा कि वह अर्थव्यवस्था को सुधारने और उसे प्रगति और विकास मार्ग पर लाने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय करे। इन सभी के तथा इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि 1980-81 में खाद्यान्न का उत्पादन 1370 लाख मीटरी टन होने की संभावना है जोकि एक रिकार्ड है इससे निश्चित ही हमारी अर्थव्यवस्था उस समय की अपेक्षा जब इस सरकार ने शासन सम्भाला अधिक सुदृढ़ स्थिति में होगी। इन सबके परिणामस्वरूप सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 6.5 प्रतिशत बढ़ जाने की संभावना है। यह उस स्थिति से जिसमें से हम निकल कर आये हैं उसे ध्यान में रखते हुये यह उपलब्धि कम नहीं है।

यह सन्तोष की बात है कि सरकार मुद्रास्फीति को रोक सकी है किन्तु उसे पूर्णतया रोक नहीं सकी है। मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में न केवल इस सम्मानीय सदन के सदस्यों को अपितु सम्पूर्ण देश के लोगों को चिंता हो रही है। यह ऐसा मामला है कि जिसका सरकार को सामना करना होगा क्योंकि इससे सबसे गरीब वर्ग के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मैं सरकार से तथा माननीय वित्त मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वे मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये कठोर उपाय करें। मैं आपसे तथा माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि यदि इस दिशा में शीघ्र कुछ नहीं किया गया तो हम शासक दल के रूप में जनता में हमारी छवि बिगड़ जाने की संभावना है क्योंकि जनता निश्चय ही इस सम्बन्ध में हमसे कठोर उपायों की अपेक्षा करती है।

इस सम्बन्ध में मैं पर्वतीय क्षेत्रों की, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूं, की समस्याओं के संबंध में बताना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्रों की समस्यायें चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, अथवा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले हों अथवा अन्य पहाड़ी क्षेत्र हों, सबकी समस्यायें मूलतः एक सी हैं। इसलिये जो कुछ भी मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं वह कुल मिलाकर अन्य पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लागू होता है। हम सरकार द्वारा इस प्रदेश के लिये किये गये विकास कार्यों की प्रशंसा करते हैं किन्तु साथ ही हिमाचल प्रदेश तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में यह भावना भी निरन्तर बढ रही है कि हमारी कठिनाइयों का न तो योजना आयोग और ना ही सरकार ने उचित रूप से समझा है।

हमारे योजना निर्माताओं की यह प्रवृत्ति रही है कि वे एक योजना बल लेते हैं और बिना इस बात की जांच किये कि यह सभी क्षेत्रों के लिये लाभदायक है अथवा नहीं, सभी क्षेत्रों पर लागू कर देते हैं। यह सर्वविदित है कि भौगोलिक अथवा अन्य कारणों से पर्वतीय क्षेत्रों की समस्यायें मैदानी क्षेत्रों की समस्याओं से बिल्कुल भिन्न हैं। ऐसा भी है कि पर्वतीय क्षेत्र के एक भाग की समस्यायें दूसरे भागों की समस्याओं से भिन्न होती है। एक योजना जो मैदानी क्षेत्र के लिये बहुत लाभदायक हो सकती है किन्तु सम्भव है कि वह पर्वतीय क्षेत्रों के लिये उतनी लाभदायक न हो उसी पर पर्वतीय क्षेत्र के लिये लाभदायक योजना मैदानी क्षेत्र के लिये सम्भव है लाभदायक न हो। इसीलिये हमने कई वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि योजना आयोग में एक पृथक कक्ष स्थापित किया जाये जिसके कर्मचारी वे व्यक्ति है, पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत है, जिससे वे उनकी विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुये पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन कर सके तथा उनके लिये योजनायें बनायें।

महोदय, मैं इस मांग को दोहराता हूँ। मेरा विचार है कि सरकार इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करेगी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि सरकार ने इस वर्ष के बजट प्रस्ताव में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के विशेष कार्यक्रम के लिये 92 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इससे लोगों की समस्याओं को दूर करने में बड़ी सहायता मिलेगी। हिमालय प्रदेश तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की मुख्य समस्यायें संचार साधनों-सड़कों, आदि तथा रेल-विमान सेवाओं की तथा पीने के पानी की कमी है तथा वृक्षों को गिराये जाने से उत्पन्न समस्यायें हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की यह मूल भूत समस्यायें हैं। जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति अन्य पर्वतीय क्षेत्रों से अच्छी है। किंतु हिमाचल प्रदेश में अभी भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां सड़कें नहीं हैं और जहां लोगों को सड़क तक पहुंचने के लिये मीलों चलना पड़ता है तथा अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां खच्छर भी नहीं जा पाते और लोगों को अपना सामान या तो अपनी पीठ पर या भेड़ बकरी की पीठ पर लाद कर ले जाना पड़ता है। क्या ऐसी स्थिति में विकास कार्य हो सकता है। यह बात सर्व स्थिति है

कि किसी गरीब पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिये सड़कें पूर्वापेक्षा हैं। किंतु मुझे यह जान कर अत्यन्त दुःख है कि हिमाचल प्रदेश में छठी योजना के दौरान सड़कों के निर्माण के लिये जो धनराशि आबन्टित की गई है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिये पहाड़ों को काटना आदि पड़ता है जिससे सड़कों की निर्माण लागत बहुत आती है, वह राशि अपर्याप्त है। ऐसी स्थिति रही तो यह मूल-भूत सुविधा अगली पांच पंचवर्षीय योजनाओं में भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी।

इसलिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह सड़क निर्माण के लिये और अधिक राशि का नियतन करें। इसी प्रकार यह भी बहुत आवश्यक है कि हिमाचल प्रदेश तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क तथा विमान सेवायें भी उपलब्ध कराई जानी चाहिये। मुझे यह कहते दुःख होता हैं कि संभवतः शिमला देश के राज्यों को एक ऐसी राजधानी है जहां कि विमान पत्तन नहीं है तथा हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् एक इंच भी रेल लाइन नहीं विछाई गई है। मैं नहीं जानता कि इस सीमावर्ती राज्य की सरकार द्वारा इतनी अधिक क्यों उपेक्षा की गई है। राज्य के औद्योगिक विकास के लिये सड़कों के निर्माण तथा रेलों की व्यवस्था किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। तथा विमान सम्पर्क न केवल राज्यों के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिये आवश्यक है वरन् पर्यटन के विकास के लिये भी वह बहुत आवश्यक है जिसके लिये इस क्षेत्र में बहुत संभावना है।

मैं इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत के उत्पादन की बहुत संभावनायें हैं। अभी पंजाब के श्री भाटिया कह रहे थे कि पंजाब में बिजली का संकट है तथा किसानों को बिजली प्राप्त नहीं हो रही है। हमारे राज्य पंजाब का पड़ोसी राज्य है। आप हमारे यहां जल विद्युत संसाधनों का विकास कीजिये और हम न केवल पंजाब को अपितु सम्पूर्ण उत्तर भारत को भी बिजली उपलब्ध करायेंगे। हिमाचल प्रदेश में 10,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के साधन हैं। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है और उसके पास इतने संसाधन नहीं कि उतनी बिजली का उत्पादन किया जा सके। यह उपयुक्त समय है कि केन्द्र सरकार जल विद्युत उत्पादन में राज्य सरकार की सहायता करे जिससे उत्तर भारत की बिजली की आवश्यकता पूरी होगी। मेरा विचार है कि वित्त मंत्री इस मामले की ओर ध्यान देंगे।

मैं आय कर की सीमा को 8,000 रुपये से बढ़ा कर 15,000 कर देने का स्वागत करता हूं जिससे कुल 40 लाख निर्धारितियों में से 15 लाख निर्धारितियों को छूट मिल गई। वित्त मंत्री ने भी 15,000 रु० से 30 हजार रु० तक की आय के निर्धारितियों को भी कुछ कर की छूट दी है। इससे 10 लाख और निर्धारितियों का लाभ होगा। तथ्य यह हैं कि बजट प्रस्ताव से प्रत्येक निर्धारिती को लाभ हुआ है क्योंकि कर छूट की सीमा को 8,000 रु० से बढ़ा कर 15,000 रु० कर दिया गया है। मेरा विचार है कि यह एक अच्छा उपाय है और वित्त मंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसके परिणामस्वरूप आय कर विभाग बड़े बड़े निर्धारितियों पर ध्यान दे सकेगा। और इस प्रकार उन कमियों को दूर कर सकेगा जिनसे इस देश में काला धन पैदा होता है।

महोदय, इसके लिए मैं पण्डित जवाहर लाल नेहरू तथा उन्होंने जो आधार शिला रखी उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। आज सरकारी क्षेत्र उपक्रम देश की अर्थव्यवस्था में एक

महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और आगामी वर्ष में वह और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। किन्तु यह जानकर बड़ी निराशा होती है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। कुछ यूनिटों का कार्य ठीक चल रहा है किन्तु कुछ यूनिटें ऐसी हैं जिनका कार्य ठीक नहीं चल रहा। 1 अक्तूबर, 1980 को देश में 189 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की यूनिटें थीं जिन पर 17,000 करोड़ रुपये पूंजी निवेश किया गया था। इन यूनिटों से लाभ होने के बजाय 1978-79 के दौरान इन सभी यूनिटों से कुल मिला कर 32 करोड़ रु० की हानि हुई है। यह बहुत निराशाजनक बात है। सभी सरकारी क्षेत्र का समर्थन करते हैं किन्तु साथ ही हम अपेक्षा करते हैं कि सरकारी शेत्र के उपक्रम आत्म निर्भर हों। उन्हें देश के आर्थिक विकास में भरपूर सहायता प्रदान करनी चाहिए। मेरा विचार है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सभी दृष्टियों से आगे रहना चाहिए क्योंकि वाणिज्यिक उपक्रम सरकारी विभाग नहीं होते हैं। उनकी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि वे उन पर किये गये पूंजी निवेश पर संतोष जनक लाभ दे सकें। इन सरकारी क्षेत्र की यूनिटों में काम करने के लिए लोगों की उचित नियुक्ति नीति के तथा एक उचित प्रबंध नीति होनी चाहिए। मेरा विचार है कि अब समय आ गया है कि सरकारी क्षेत्र की यूनिटों में काम करने के लिए अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की तरह एक अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने पर विचार किया जाये। मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकारी क्षेत्र उपक्रम बोर्ड के दर्जे को उन्नत करके उसे संघ लोक सेवा आयोग जैसा दर्जा दिया जाना चाहिये जिससे कि वह उचित प्रकार से अपनी भूमिका अदा कर सके। सरकार को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को देश में अलग-अलग स्थानों पर स्थापित तथा पिछड़े क्षेत्रों में तथा देश के सभी भाग में स्थापित किया जाये। उन्हें एक विशेष क्षेत्र में केन्द्रित नहीं किया जाना चाहिये। इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में एक भी प्रमुख सरकारी क्षेत्र की यूनिट स्थापित नहीं की गई है यद्यपि उसके लिये वहां ऐसे बहुत से उद्योग स्थापित करने के लिये उचित जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियां तथा बुनियादी ढ़ांचा विद्यमान है। यदि सभी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के यूनिट स्थापित नहीं किये जाते तो जैसा कि वांछनीय है हमें देश के सभी भागों में सरकारी क्षेत्र यूनिट स्थापित करने की योजना पूरी नहीं कर सकते। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि हमने स्वतन्त्रता -प्राप्ति के बाद सभी क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रगति की है किन्तु हमारी सभी प्रगति जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण निष्प्रभावी हो जाती है। इस एक चीज से हमारे देश का बहुत अहित हो रहा है। हम कृषि में, उद्योग में तथा अन्य दूसरे क्षेत्रों में चाहे जितनी प्रगति कर लें, हम सदैव पिछड़े हुए ही दिखाई देते हैं। अनेक लोगों के लिए रोटी, कपड़े तथा आवास की जरूरत बनी रहती है। इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमारा देश, हमारी सरकार द्वारा देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम के मामले में दशाब्दि में बहुत से अच्छे कार्य किये गये, यद्यपि कुछ गलतियां भी हुयी थीं। परन्तु उसके बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि आपातकाल के दौरान जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। परन्तु वर्ष 1977 के पश्चात जनता तथा लोक दल सरकारें शब्दकोष में परिवार नियोजन एक गन्दा शब्द माना गया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम को छोड़ दिया। यद्यपि हम बहुत बड़े बहुमत से वापस आये हैं फिर भी हम 1977 के अपने अनुभव के कारण इस ओर गतिशील नहीं हैं। यद्यपि हम सभी परिवार नियोजन की बात करते हैं

फिर भी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों में उन कार्यक्रमों को जोश के साथ क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक उत्साह नहीं है हमारी विकास योजनाओं, गरीबी मिटाने के हमारे सभी प्रयासों, सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाले हमारे कार्यक्रमों की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि हम जनसंख्या पर नियंत्रण रखने में कहां तक सफल हैं । यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे समस्त देश के पूरे ध्यान और समर्थन की आवश्यकता है ।

अन्त में मैं जीवन बीमा निगम के पुनर्गठन के लिये वित्त मंत्री को बधाई देता हूं । यह बहुत ही अच्छा निर्णय है, एक ऐसा निर्णय है जो बहुत काफी समय पहले लिया जाना चहिए था। मुझे आशा है कि ये पांच परस्पर प्रतिस्पर्धान्तकि निकास बनाकर हम इन यूनिटों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना भर सकेंगे और इस प्रकार जीवन बीमा निगम के कार्यकरण में भी सुधार कर सकेंगे । और जीवन बीमा निगम गांवों तक अपने कार्यों का प्रसार कर सकेगा । इससे पालिसीधारियों को अच्छी सेवा भी प्राप्त हो सकेगी । इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । इस तथ्य के बावजूद भी कि हमारे देश में जीवन-काल में बहुत वृद्धि हो गयी है । अब पिछले कुछ वर्षों की तुलना में जीवन-अवधि अधिक है। प्रीमियम की दरें नहीं घटाई गई हैं । प्रीमियम की दरें कम की जानी चाहिये । ताकि अधिकाधिक लोग जीवन बीमा करा सकें ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ और वह यह कि आज देश परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के कारण बढ़ने वाली लागत से राजकोष पर बहुत भार पड़ता है । देश में कोई भी परियोजना समय पर पूरी नहीं होती है । दूसरे पूरा होने में सामान्यतया वर्षों लग जाते हैं । इससे परियोजना की लागत बढ़ जाती है और उत्पादन की हानि होती है । यह सब विभिन्न परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के कारण होता है । एक अनुमान के अनुसार एक बड़ी विद्युत परियोजना के चालू होने में शक्ति के विलम्ब से देश को 20 करोड़ रुपये की हानि होती है। एक करोड़ रुपये की राशि बिजली शुल्क के रूप में और शेष औद्योगिक उत्पादन को हानि के रूप में ।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन सभी बातों पर गम्भीर रूप से विचार करे। इन शब्दों के साथ मैं संतुलित बजट लाने के लिए एक बार फिर से वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं । वित्त मंत्री महोदय ने यह दिखा दिया है कि श्रीमती इन्दिरागांधी के नेतृत्व में हमारा दल देश के लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध है । मुझे विश्वास है कि माननीय वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है ।

श्री रामनाथ दुबे (बांदा) : मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं अपने योग्य वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने इतना सुन्दर बजट प्रस्तुत किया है । इसके लिए वह प्रशंसा के पात्र है ।

जो छूटें दी गई है उन से बहुत बड़ी राहत लोगों को मिली है । मैं एक सुझाव उनको और देना चाहता हूं । अगर यह लाभ दे दिया जाएगा तो लोगों को और भी ज्यादा फायदा होगा । जो रुपया डिपोजिट करवाया जाता है उससे तीन हजार रुपये तक जो इंटरेस्ट साल में मिलता है वह फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है । मैं चाहता हूँ कि इस सीमा को तीन हजार से बढ़ा कर पाँच हजार कर दिया जाना चाहिये । साथ ही जो पुराने डिपाजिट हैं

उनके इंटरेस्ट रेट्स को भी रिवाइज़ किया जाना चाहिये। इससे जमाकर्त्ताओं को इंसैंटिव मिलेगा और आपको काफी रुपया मिल सकेगा। उनके साथ-साथ इससे सरकार को भी सहायता मिल सकती है।

इस बजट में पिछड़े हुए क्षेत्रों से जो असन्तुलन पदा हो गया है उसको दूर करने का ख्याल नहीं रखा गया है। उत्तर प्रदेश देश का सब से बड़ा प्रदेश है। वह पिछड़ा हुआ भी है। उसको जन संख्या के आधार पर बजट में हिस्सा मिलना चाहिये था। उस अनुपात से उसको हिस्सा नहीं मिला है।

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में बांदा जन पद का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। वह कृषि प्रधान क्षेत्र है। खेती पर वहाँ की जनसंख्या मुख्यतया आधारित है। उस पिछड़े हुए क्षेत्र में दो चीजों का सब से ज्यादा अभाव है। उनकी ओर बजट में ध्यान नहीं दिया गया है। पीने के पानी तथा सिंचाई के लिए पानी का वहां सब से ज्यादा अभाव है। पेट के लिए पानी और खेत के लिए पानी वहां आश्वस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से इलाके वहां ऐसे हैं हां पीने का एक गिलास पानी भी उपलब्ध नहीं होता है और तीन तीन और चार चार मील तक लोग जा कर पानी लाते हैं और अपना पेट पालते हैं, अपना गुज़र बसर करते हैं। इसी तरह गुज़र करते हैं। हमारे क्षेत्र में एक पुराना लोकगीत गाया जाता है जिसकी चार लाइनें मैं सुनाना चाहूंगा। आज भी वहां वही स्थिति व्याप्त है। बुंदेलखंड क्षेत्र में रुकमाददरी नाम का एक गांव है और उससे तीन मील दूरी पर भौरा नदी बहती है। वहां यह गीत गाया जाता है :

पैसे सूप टके गगरी
आग लगे रुकमाददरी,
भौरा तोर पानी गज़ब कर जाय,
गगरी न फूटे चाहे पति मर जाय।

ऐसे ऐसे गांव हैं जहां तीन, तीन मील से एक घड़ा पानी ला कर लोग गुजर करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में लोगों को एक गिलास पानी न मिल सके ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है, और इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

हमारे इस क्षेत्र में चूंकि गरीबी और पिछड़ापन है जिसके कारण शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो सका। उद्योग के क्षेत्र में बड़े उद्योग नाम की कोई चीज़ आज तक नहीं है। किसी ने सोचा भी नहीं कि वहाँ बड़े उद्योग लगाये जायें। और जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे जिनको गांव के लोग करते थे वह भी प्रायः समाप्त होते जा रहे हैं जिसके कारण गरीबी का दायरा और बढ़ता चला जा रहा है। कुटीर उद्योग के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में विशेष व्यवस्था करने की जरूरत है।

कानून व्यवस्था जो गड़बड़ है उसका कारण यह है कि गरीबी है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती, जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, और सूखाग्रस्त क्षेत्र होने की वजह से हमारे क्षेत्र में गत तीन सालों से सूखे से, बाढ़ से लोगों को खाने का अन्न नहीं मिलता। इसलिये कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है। भुभुक्षितापः किम न करोति आपन्। इसकी ओर भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिये।

आज के समाज में भ्रष्टाचार है, और इसका सम्बन्ध महंगाई से है। आज जो महंगाई बढ़ी है आदमी को अपना जीवन बसर करने के लिये भी भ्रष्टाचार का माध्यम अपनाना पड़ता है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने की वजह से किसानों का अनाज सस्ता जाता है और उनके काम आने वाली आवश्यक वस्तुएं महंगी मिलेगी तो उसका कुप्रभाव अवश्य पड़ेगा। अतः इस महंगाई को कंट्रोल करने की जरूरत है जिससे कानून व्यवस्था ठीक हो सके और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगायी जा सके।

बड़े दुख की बात है कि बुंदेलखंड के उत्थान के लिये अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, और इस क्षेत्र के उत्थान के लिये कोई ऐसी संस्था अभी तक नहीं बनायी है जिससे बुंदेलखंड का सर्वतोन्मुखी विकास किया जा सके। मैं मांग करूंगा कि बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया जाय जिससे उसका विकास हो सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस क्षेत्र के लिये पर्याप्त जल की व्यवस्था कर दी जायेगी तो यह क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश को अनाज दे सकता है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा इस पिछड़े हुए क्षेत्र में जहां कृषि का साधन है, लेकिन पानी का साधन नहीं है, वहां पानी उपलब्ध कराया जाये। केन्द्र तो सभी प्रदेशों के ऊपर है और देश का मुखिया है। और मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां कि तुलसीदास जैसे महाकवि ने जन्म लिया था। में उनकी एक चौपाई सुनाऊंगा :—

मुखिया मुख सौं चाहिये, खान-पान में एक।
पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक॥

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया।

डा० ए० कलानिधि : देश के लिये अपना दूसरा बजट पेश करने पर मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

आरम्भ में मैं एक दो पहलुओं पर माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। निम्न मध्य वर्ग के आयकरदाताओं के लिये छूट की सीमा बढ़ाने से उन्हें कुछ राहत मिलेगी। संभवतया वित्त मंत्री इस विचार से प्रेरित हुए हैं कि छुपी आय के जिन स्रोतों का पता लगाना संभव है उन्हें आयकर कर्मचारियों द्वारा पता लगाये जाने के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये। यदि आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी जाती तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। मुझे आशा है कि इस बजट से होने वाली मुद्रास्फीति के कारण माननीय वित्त मंत्री से अगले वर्ष गत सीमा 20,000 करनी पड़ेगी।

दूसरे मैं जीवन बीमा निगम के बारे में की गई कार्यवाही की प्रशंसा करता हूं। जीवन बीमा निगम एक बहुत बड़ा संगठन है जिस से कोई भी आशा पूरी नहीं होती है। इस संगठन से जो सेवा उपलब्ध होती है उससे कहीं अधिक उस पर लागत आती है। जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन किया जाना चाहिये ताकि क्षेत्रीय बचत की राशि में वृद्धि की जा सके और इस राशि को क्षेत्रीय विकास कार्यों में लगाया जा सके।

बजट से प्रत्यक्ष कर दाताओं को कुछ रियायतें मिली हैं। अप्रत्यक्ष करों से बजट में 271 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाने की व्यवस्था की गई है। इसमें कोई संदेह नहीं

है कि अतिरिक्त कर बहुत कम हैं और इस से उन लोगों को कुछ संतोष मिला है जिन्हें बजट में भारी कर लगने की संभावन थी। यह बजट अपने आदर्शों और उद्देश्यों में गत वर्ष के बजट की ही पुनरावृत्ति है। पिछले बजट से जो अच्छी और बुरी चीजें हुयी, उन्हें वर्ष 1981-82 के बजट से और प्रोत्साहन मिलेगा।

वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को एक गलत मोड़ दिया है। उन्हें यह भ्रान्ति है कि पूंजीपति उत्पादकों से अच्छा सम्बन्ध रख कर ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उनकी यह भी गलत धारणा है कि 6.5 प्रतिशत की विकास दर उर्वरकों का आयात करके और कृषि उत्पादन में वृद्धि करके ही प्राप्त की जा सकती है। इसके लिये वह सामान्य मौसम पर निर्भर करते हैं। वह बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि गत वर्ष मौसम सम्बन्धी परिस्थितियां बहुत अच्छी रहीं। भारत जैसे देश के बजट में मौसम की खराब परिस्थितियों के कारण कृषि तथा उद्योग के उत्पादन में कमी आने के लिये कोई व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये। वह तिलहनों तथा कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये व्यवस्था करके आसानी से ऐसा कर सकते थे। इसके अभाव में मौसमी प्रतिकूल परिस्थितियों का भय बना रहेगा। इस एक ही चीज पर बजट का दारोमदार रखने से बजट के बहुत ही खराब परिणाम निकल सकते हैं।

अखबारी कागज पर 15 प्रतिशत मूल्य अनुसार शुल्क लगाने से आम जनता में साक्षरता लाने में, जनता को समाचारों से अवगत होने में रुकावट आयेगी। इससे अधिक लोगों को साक्षर तथा जागरूक बनाने में बाधा आयेगी। मुझे आश है कि वित्त मंत्री अखबारी कागज से नया सीमा शुल्क वापस ले लेंगे। इससे 21 करोड़ राजस्व प्राप्ति की आशा की गई है, यह राशि बहुत कम है जिसे जनता में समाचारों के प्रसार और लोकतंत्र के हित में छोड़ा जा सकता है।

बड़े खेद की बात है कि बजट में बचत को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। आयकर छूट की सीमा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि बचतों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता और अधिक बचत की संभावनायें नहीं होती। मंत्री महोदय को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि बैंक की ब्याज दर बाजार दरों के अनुकूल हों। आवधिक जमा के लिये बैंक दर में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वृद्धि से आवश्यक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अत: आवधिक जमा के लिये ऊंची ब्याज दर निर्धारित की जानी चाहिये। राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास व्यापक शक्तियां हैं। परन्तु उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग जनहित में करना नहीं सीखा है ताकि लोग बचत कर सकें और आवधिक जमा में पूंजीनिवेश कर सकें।

अब मैं घाटे की अर्थ-व्यवस्था के खतरे पर आता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने 1539 करोड़ की राशि का अन्तर छोड़ा है। गत वर्ष कुल घाटा 1975 करोड़ रुपये का था जबकि वर्ष 1980-81 का बजट अनुमान वास्तव में 1455 करोड़ रुपये का था। उस समय 520 करोड़ रुपये की वृद्धि के बारे में नहीं सोचा गया था। वर्ष 1981-82 के लिये कुल घाटे का अनुमान 1539 करोड़ का है परन्तु देश की आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए घाटे की यह राशि निश्चित रूप से 2000-2500 करोड़ तक पहुंच जायेगी। माननीय वित्त मंत्री इस घाटे की अर्थव्यवस्था के महत्व को कम करने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्पादन में वृद्धि होगी और घाटे से कोई मुद्रास्फीति नहीं होगी। वर्ष 1980-81 में 17 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई और

इतने बड़े घाटे की अर्थव्यवस्था से साधारण रूप से 25 प्रतिशत मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है ।

बीसवीं शताब्दी के आठवें दशक में भी ऐसा ही किया गया था । माननीय वित्त मंत्री को यह पूर्वानुमान लगाना चाहिये था कि रक्षा व्यय से लेकर एशियाई खेलों समेत सभी प्रकार के व्यय की घाटे की बजट व्यवस्था से मुद्रास्फीति बढ़ेगी ।

अब मैं राज्यों को करों की कम राशि दिये जाने के संबंध में बताऊंगा । 1980-81 में 3792 करोड़ रु० की तुलना में 1981-82 में राज्यों को 4206 करोड़ रु० की राशि करों के अंश के रूप में दिये जाने का अनुमान था । केन्द्र सरकार का निवल कर राजस्व चालू वर्ष के 9341 करोड़ रुपये के मुकाबले 10,266 करोड़ रुपये होगा । इससे राज्यों को हानि होती है । उत्पाद शुल्क का अधिकांश भाग राज्यों को ही लौटा दिया जाना चाहिये ताकि वे ग्राम विकास, जल आपूर्ति, गांवों में सड़के बनाने तथा अन्य विकास संबंधी कार्य करने के लिए साधन जुटा सकें । इस प्रकार वर्तमान बजट में पिछले वर्ष के बजट की सभी बातों को ज्यों का त्यों रख दिया गया है ।

अब मैं रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रति दर्शायी गई उदासीनता के संबंध में कुछ विचार व्यक्त करूंगा । इस बजट में रोजगार के अवसर जुटाने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है । केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष के लिए राज्यों के लिए 8,860 करोड़ रु० योजनागत परिव्यय के रूप में रहते हैं । इससे बड़े उद्योगों को ही बढ़ावा मिलता है । बेरोजगारी की जटिल समस्या, विशेषतौर पर शहरों में रहने वाले शिक्षित एवं तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों में विद्यमान बेरोजगारी को देखते हुए रोजगार के अवसर जुटाने की इसकी क्षमता बहुत ही कम है । यदि इस बजट में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए रोजगार जुटाने के बारे में कोई उपबन्ध रखा गया होता तो इसका और अधिक स्वागत होता । मूल्यों में हो रही भारी वृद्धि तथा बेरोजगारी की भारी समस्या को देखते हुए, मुझे भय है कि वर्ष 1981-82 में आर्थिक समस्याएं बढ़ेगी । मुझे सन्देह है कि इस बजट से माननीय वित्त मंत्री शायद स्वयं भी संतुष्ट न हों ।

भारी घाटे का बजट देकर मुद्रास्फीति को बढ़ाकर, माननीय मंत्री जी ने धारक बांड़ों का सहारा लिया है । उन्हें आशा है कि धारक बांड़ों द्वारा काला धन बाहर आयेगा और इससे मुद्रास्फीति रुकेगी । परन्तु व्यवहार में जिन व्यक्तियों के पास अधिक काला धन है, वे खुले दिल से कभी भी धारक बांड नहीं खरीदेंगे क्योंकि उन्हें इस बात का भय रहेगा कि इससे उनका पता चल जाएगा, यदि सत्तारूढ़ दल को नहीं तो कम से कम अगली पार्टी जो सत्ता संभालेगी उसे तो इसका पता चल ही जाएगा । तब,उस समय स्थिति कुछ दूसरी ही होगी । इसलिए, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन लोगों को पूरा संरक्षण प्रदान करें जो विनेष धारक बांड खरीद रहे हैं । जिस प्रकार से डाक घरों में प्रत्येक व्यक्ति टिकटें और दूसरी डाक सामग्री खरीद सकता है—और खरीदार का कभी भी कोई पता नहीं चल सकता कि कब किसने क्या खरीदा था । इसी प्रकार से धारक बांड खरीदने वाले का किसी भी पता नहीं चलना चाहिए । यदि यह सुनिश्चित हो जाए तो विशेष धारक बांडों की बिक्री से और अधिक आय कर सकते हैं । अतः मैं सिद्धांत रूप में इस योजना का स्वागत करता हूँ ।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे काले धन को बाहर निकलवाने के लिए दूसरे उपाय ढूंढें। ये काला धन शहरी सम्पदा पर दबाव डाल रहा है। कभी जहां पर एक शान्त निवास स्थान था वहां आज बहु-मंजिला फ्लैट बने हैं, जो दर्शनीय स्थल है और काले धन का प्रतिबिम्ब है। इसी प्रकार काला धन बढ़ता जाता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे काले धन की समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय निकाले, न केवल जब ये खुल्लम-खुल्ला हो जाए, बल्कि इसमें संग्रह के विभिन्न चरणों में ही इसे रोका जाए।

वित्त मंत्री जी वेतनभोगी और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए आयकर सीमा बढ़ा कर प्रशंसा के पात्र बन गये हैं। यह केवल एक छोटी सी छूट ही है। शायद वित्त मंत्री जी के इस कार्य से कुछ विशेष वर्ग प्रसन्न हो जाएं। परन्तु देश तो वित्त मंत्री जी से यह आशा करता है कि मुद्रास्फीति, बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने, वेतन अन्तर को कम करने तथा आय ढ़ांचे में समानता लाने के लिए उपाय निकाले।

प्रारम्भ में, भारत में इलैक्ट्रिक टाइपराइटरों का उत्पादन करने का कार्य हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स, मद्रास को सौंपने की योजना थी, परन्तु कुछ निहित स्वार्थ इस कार्य को "रेमिगटन फर्म" को सौंपने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे यह आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री जी व वित्त मंत्री जी इस सौदे में हस्तक्षेप करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 'हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स, मद्रास' को ही सौंपा जाये जो इस कार्य को करने में पूर्णतया सक्षम है।

मैं मद्रास रिफायनरीज़ लिमिटेड के विस्तार हेतु आबंटित निधियों के लिए अपनी ओर से तथा तमिलनाडु की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। परन्तु इस परियोजना का पूरा लाभ उठाने के लिए इस समय मद्रास रिफायनरीज के समीप एक पैट्रो-केमिकल कम्पलैक्स बनाये जाने की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि मद्रास में पैट्रो केमिकल कम्पलैक्स स्थापित किए जाने के लिए सही ढ़ंग से शुरुआत की जाये।

चालू वर्ष में एक नए परमाणु बिजली घर की स्थापना के लिए 9.53 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। तमिलनाडु में बिजली की स्थिति बहुत ही अनिश्चित है। सभी जल योजनाओं का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है और तमिलनाडु बिजली के मामले में पड़ोसी राज्यों पर ही निर्भर है। नदियों का पानी भी तमिलनाडु को नहीं दिया जाता। ताप बिजली घरों को कोयला उपलब्ध कराये जाने में अड़चनें हैं। तमिलनाडु का औद्योगिक विकास करने और सतत प्रगति के लिए केवल एक ही मार्ग है और वह है परमाणु शक्ति पर निर्भर करना। इस संदर्भ में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु पर खर्च की जाने वाली राशि जो 1969 के दौरान 8% थी को घटा कर 1979 में 4% कर दिया गया है, मैं आशा करता हूं और मेरा विश्वास है कि प्रस्तावित नया परमाणु बिजली घर टूटीकोरिन के समीप स्थापित किया जाएगा। यह स्थान ऐसी परियोजना के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

अब मैं मद्रास की यातायात प्रणाली के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। रेल मंत्रालय का कहना है कि इस परियोजना के लिए धन योजना आयोग द्वारा रेलवे के सामान्य योजनागत बजट के अतिरिक्त दिया जाता है। योजना मंत्रालय का कहना है कि रेल मंत्रालय ने अपने

प्रस्ताव में केवल कलकत्ता और दिल्ली के लिए 255 करोड़ रु० का प्रावधान रखने का सुझाव दिया है। यदि रेल मंत्रालय परियोजना पर होने वाली लागत में से लगभग 53 करोड़ रुपये, किसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना उपयुक्त समायोजना द्वारा कुल व्यय में से पूरा करने की इच्छुक है तो योजना आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब इस परियोजना की आवश्यकता को नौवहन और परिवहन मंत्रालय के साथ-साथ रेल मंत्रालय, योजना आयोग, निर्माण और आवास मंत्रालय ने भी महसूस किया है तो इस परियोजना को चालू वर्ष के कार्य में शामिल करने में क्या रुकावट है जबकि यह परियोजना मद्रास शहर के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे पेट्रोलियम उत्पादों की कम खपत होगी जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी। मैं अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को चालू वर्ष में ही शुरू करने के लिए कुछ समायोजन अवश्य ही किया जाना चाहिए। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध है, जो स्वयं भी दक्षिणी मद्रास के रहने वाले हैं, कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि लें और यह सुनिश्चित करें कि यह परियोजना तुरन्त शुरू की जाए।

तीव्र यातायात व्यवस्था की आवश्यकता को सभी ने स्वीकार किया है। निर्णय के अभाव में ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, अब भी देर नहीं हुई है, यदि इसे छठी योजना में शामिल कर लिया जाए। इसके लिए एक करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जानी चाहिए तथा इस परियोजना से संबधित प्रारम्भिक कार्य अभी से शुरू कर दिये जाने चाहिए। अर्ध-योजना समीक्षा के दौरान और राशि आबंटित की जा सकती है तथा यह परियोजना 1989 अथवा 1990 तक पूरी कर ली जानी चाहिए। इस प्रकार धन न केवल छठी योजना अवधि के दौरान ही दिया जाना चाहिए बल्कि सातवीं योजना अवधि में भी उसका विस्तार कर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में, रेल मंत्रालय डीज़ल और कोयला बचाने के लिए 1200 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक से सम्पर्क स्थापित कर रहा है। क्या यह राज्य सरकार पर लागू नहीं होता है जो डीज़ल का इस्तेमाल करता है और विदेशी मुद्रा की बचत करने में देश की परोक्ष रूप से सहायता करता है ?

मैं तमिलनाडु के कई जिलों में पड़े भारी सूखे के संबंध में माननीय प्रधान मंत्री व माननीय वित्त मंत्री को अवगत कराना चाहता हूँ। माननीय नागरिक आपूर्ति मंत्री, श्री वी० सी० शुक्ला ने केवल सूखे से प्रभावित क्षेत्र का दशनी भाग ही देखा है। सूखे से तमिलाडु के प्रभावित क्षेत्र हैं—उत्तरी आरकोट, दक्षिणी आरकोट त्रिची, तंजूर, रामनाथपुरम। इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री व वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सूखा राहत कार्यों के लिए और अधिक राशि आंबटित करें। मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें, जैसा कि उन्होंने एक बार पहले किया था जब डा० केलेगनर करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे। प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को राज्य मंत्री मण्डल को वहां की सरकारी मशीनरी को सक्रिय बनाने के संबंध में हिदायत देनी चाहिए जो कि इस समय बहुत ही अकर्मण्य हो गई है। और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे इस बात का पता लगाये कि क्या बजट में देश की जनता कि आकांक्षाओं को परिलक्षित किया गया है। माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि "उन्होंने ऐसा बजट पेश करने का प्रयास किया है जिसमें ऐसे कार्यों का

अधिकतम समर्थन किया गया है जिससे हम स्थिरता एवं सामाजिक न्याय के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं।"

मुझे डर है कि जब तक वित्त मंत्री समस्याओं एवं नीतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन नहीं करते तब तक प्रगति और सामाजिक न्याय का उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दुर्भाग्यवश इस बजट से इस बात का पता नहीं चलता कि वे किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में सोच रहे हैं। मैं यह कामना करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री समय की पुकार को समझेंगे और बजट में तदनुरूप परिवर्तन करेंगे ताकि यह बजट आम जनता के लिए लाभप्रद हो तथा उन्हें आवश्यक वस्तुएं भारी मात्रा में उपलब्ध हो सकें।

निम्न-मध्यम वर्ग की दुर्दशा पर ध्यान देकर माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। गरीबों और जन साधारण की समस्याओं से निपटने की दिशा में भी शुभारम्भ हुआ है। उदाहरणार्थ, अपंग और असहाय व्यक्तियों को इस बजट से लाभ पहुंचा है। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि यह कार्य जोकि एक छोटे पैमाने पर शुरू किया गया है, बहुत ही कम समय में बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा और देश की जनता के लिए दूर-दूर तक इसका विस्तार होगा।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अत्यधिक अभिनव बजट पर बधाई देता हूं। इस बजट से जहां समाज के विभिन्न वर्गों को राहत महसूस हुई है वहां अगले वर्ष के दौरान सुदृढ़ आर्थिक विकास का वातावरण भी तैयार हो गया है। यह बजट अर्थव्यवस्था को उन कठिनाइयों से बाहर निकाल कर लाने का एक साहसी और कल्पनापूर्ण प्रयास है जिनमें यह इस वर्ष के प्रारम्भ में जकड़ी हुई थी। अर्थव्यवस्थ जो अपने रास्ते से भटक गई थी अब पुनः रास्ते पर ला दी गई है, उन्होंने इसकी गति तथा संवेग में कुछ वृद्धि भी की है। उन्होंने बजट में किए गए उपायों द्वारा इसकी प्रगति को और सुरक्षा भी प्रदान की है विशेषकर विदेशों में मुद्रास्फीति के कारण स्वदेश में मुद्रास्फीती के खतरे से संरक्षण प्रदान किया है।

वह कौनसे कार्य थे जो उन्होंने अपने समक्ष रखें? उद्देश्य क्या हैं? ये उद्देश्य छठी पंचवर्षीय योजना में घोषित किए गए हैं; ये उद्देश्य, ये लक्ष्य और प्राथमिकताएं ही इस बजट का आधार हैं। योजना में आर्थिक विकास की गति में प्रतिवर्ष 5.2% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में 97,500 करोड़ रु० का महत्वाकांक्षी निवेश कार्यक्रम भी रखा गया है। पिछली योजनाओं की तरह हमारे आर्थिक विकास का केन्द्र कृषि ही है तथा समुदाय के कमजोर वर्गों पर विशेष जोर दिया गया है। कोयला, खाद्यान्न, तेल, रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भविष्य में अर्थिक प्रगति में रोड़ा नहीं बनने देना है तो ऊर्जा परिवहन प्रणाली में काफी निवेश किए जाने की आवश्यकता है। बजट में न केवल आर्थिकलक्ष्य ही निर्धारित किए गए हैं बल्कि उनकी उपलब्धियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी बनाई गई है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही वित्त मंत्री ने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की दर में वृद्धि का प्रस्ताव किया है। केन्द्र के योजना परिव्यय को 7340 करोड़ रु० बढ़ाकर 1981-82 में 8,619 करोड़ रु० कर दिया गया है यानी 17.4% की वृद्धि की गई है। निसन्देह, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है क्योंकि

हमारे 70% लोग गांवो में रहते हैं तथा कृषि में उन्नति ही हमारे आर्थिक और औद्योगिक विकास का आधार है। केन्द्र और राज्य योजनाओं को मिलाकर कुल निवेश अगले वर्ष 925 करोड़ रु० के स्थान पर 1047 करोड़ रु० होगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए यह आवश्यक है। भूमिहीन श्रमिकों, छोटे तथा सीमांत कृषकों, ग्रामीण शिल्पकारों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों जैसे कमजोर वर्गों के लाभ के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने पर जोर दिया जाएगा। वार्षिक योजना में कोयले और लिगनाइट पर अधिक जोर दिया गया है। क्षमता तथा उत्पादन बढ़ाने हेतु इस क्षेत्र में 580 करोड रु० का निवेश होगा। विद्युत हर क्षेत्र के विभाग के लिए आवश्यक है। और इसलिए इस क्षेत्र में कुल परिव्यय 2745 करोड़ रु० से बढ़ाकर 3326 करोड़ रु० कर दिया गया है। इससे 1981-82 के दौरान 3,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होने का अनुमान है। इसी प्रकार. तेल व प्राकृतिक गैस का पता लगाने और उसका विकास करने के लिए भी काफी व्यवस्था की गई है। इस मुद्दे पर इस बहस में जोर नहीं दिया गया है। इन महत्वपूर्ण मदों की स्थानीय सप्लाई पर्याप्त मात्रा में न होने से हमारे व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसका अर्थ यह है कि तेल की एक दी हुई मात्रा के बदले हमें प्रतिवर्ष अधिक से अधिक माल बाहर भेजना पड़ता है।

मुझे याद है जब दस वर्ष पूर्व मैं इस सदन में आया था तो हमने तेल के आयात के लिए 134 करोड़ रु० अदा किए थे। अब हम 5600 करोड़ रु० अदा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम तेल के आयात के लिए 80 प्रतिशत निर्यात करना पड़ता है। इससे हमारे आर्थिक विकास रुक जाता है। आर्थिक क्षेत्र में होने वाली इस बुराई के प्रति मेरे यह विचार हैं। हमारे देश में मुद्रास्फीति का यह एक मुख्य कारण है। यह मुद्दा दूसरी ओर बैठे सदस्यों द्वारा अनुभव नहीं किया जाता। मुद्रास्फीति के लिए वे हमें दोष देते हैं। किन्तु मुद्रास्फीति का मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कठिन परिस्थितियां हैं। इस समस्या की गम्भीरता का अनुभव करते हुए. सरकार ने बहु-राष्ट्रीय फर्मों की सहायता और सहयोग लेना स्वीकार किया है ताकि जहां तक सम्भव हो सके हम अपने स्रोतों का विकास कर सकें और इस विकलांग धारक को इसके शुरू में ही रोका जा सके। यह आशा की जाती है कि असम में 4 तेल शोधक कारखानों के शुरू हो जाने के परिणामस्वरूप और बम्बई हाई से तेल उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप इस वर्ष के अन्त तक तेल के आयात को कुछ हद तक कम कर सकने में सफल होंगे और इस प्रकार हम काफी हद तक विदेशी मुद्रा संतुलन में सुधार कर सकेंगे।

मैं अपनी तेल की स्थिति का उल्लेख नहीं करना चाहता। इस समय हम अपनी तेल की जरूरतों का दो-तिहाई भाग प्रतिवर्ष आयात करते हैं। तेल की मांग 20 लाख टन प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। जब तक हम अपने स्वदेशी स्रोतों को तीव्रता से नहीं बढ़ायेंगे तब तक हम इस गम्भीर स्थिति से बाहर नहीं निकल सकेंगे।

इसी तरह इस्पात उत्पादन, खनिज विकास, रेलवे सुधार. पत्तन सुविधाओं, रसायनों एवं उर्वरकों के लिए भी काफी व्यवस्था की गई है। यद्यपि आधारभूत ढ़ांचे और भारी उद्योग के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों को नजरअंदाज नहीं किया गया है। 162 करोड़ रु० इस क्षेत्र के लिए रखे गए हैं और इतनी ही धनराशि राज्य सरकारों द्वारा दी जायेगी। यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है यह इस बात से महसूस किया जा सकता है कि

सभी निर्माण उद्योगों के कुल उत्पादन का 51 प्रतिशत ग्रामीण तथा लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र में रोजगार 1975 में 39 लाख से बढ़कर 1978 में 60 लाख हो गया है। इसलिए यह वह क्षेत्र है जिसमें हम रोजगार बढ़ा सकते हैं और यह वह उपकरण है जिसे हम अपने देश के संतुलित विकास में काफी हद तक प्रयोग कर सकते हैं। मैं प्रसन्न हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने हमारे उद्योगों के इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है।

इन तमाम भारी प्रयासों का क्या फायदा अगर हम जनसंख्या की अति महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान नहीं देते हैं जैसा कि मंत्री जी ने उल्लेख किया है। 1975 तक हमारी जन्म-दर 35.2 प्रति हजार थी। यह कार्यक्रम एक आंदोलन बन गया; इस कार्यक्रम को हमारी पार्टी के युवा नेता के नेतृत्व में काफी गति मिली और जन्म दर घट कर 33 प्रति हजार रह गई। किन्तु जनता सरकार ने आकर इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। इस कार्यक्रम को समाप्त करने के साथ ही इसने हमारे देश के भविष्य को भी समाप्त कर दिया। यहां तक कि अगर किसी अन्य क्षेत्र में इसका रिकार्ड अच्छा था—जो कि नहीं था—केवल इसी एक मुद्दे पर हमारे देश के लोगों द्वारा पार्टी को सरकार से हटा दिया जाना चाहिए। हमें फिर से यह देखना होगा कि इस कार्यक्रम को वही गति मिले जो 1976-77 में थी। हमने अपनी जनसंख्या नीति 1976 में घोषित की थी जब डा० कर्णसिंह स्वास्थ्य मंत्री थे। इस नीति में प्रोत्साहन देने और न देने की योजना थी। मैं आशा करता हूँ कि उस नीति का फिर से अनुपालन किया जाये।

इन सभी बड़े कार्यक्रमों में निवेश के लिए वित्त कहां से आयेगा ? वित्त मंत्री ने बड़ी सावधानी से बचत और निवेश को प्रोत्साहन दिया है। मैं उन सभी मुद्दों को नहीं दोहराऊंगा जिनको बहुत से सदस्यों ने दोहराया है। आज की मुद्रास्फीती की स्थिति में वित्त मंत्री ने बचतों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिए हैं। उन्होंने बैंकों में एक से 5 वर्षों के लिए जमा रु० पर ब्याज की दर बढ़ा दी है। बहुत सी स्कीमें हैं। मैं एक मुद्दा स्पष्ट करना चाहूँगा। ब्याज की दरें विभिन्न स्तरों पर बढ़ायी जायें क्योंकि मुद्रास्फीति के साथ स्थिति ऐसी हो जाती है कि अगर आप इस वर्ष 100 रु० उधार देते हैं और अगले वर्ष 110 रु० वापिस लेते हैं तो उस समय उसकी वास्तविक क्रय शक्ति 100 रु० से भी कम रह जाती है। इसलिए यह देखा जाय कि ब्याज दर बचत को बढ़ाये और बढ़ायी भी जानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि दर में जो वृद्धि की गई है उससे भी कहीं अधिक की जाए।

उन्होंने इलैक्ट्रोनिक उद्योग में निवेश का क्षेत्र बढ़ा दिया है जिसमें रोजगार की सम्भावनायें अधिक हैं। अपने देश के इन कठिन समय में यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक निर्यातोन्मुख उद्योग है। यह भविष्य का उद्योग है। इससे अन्य सभी उद्योगों में अमूल परिवर्तन हो जायेगा क्योंकि इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण न केवल इन्जीनियरिंग उद्योग में प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होते हैं अपितु अन्य निर्माता उद्योगों में भी प्रयोग किये जाते हैं। वास्तव में आप यह पायेंगे कि अमरीका, इन्गलैंड और जापान में सारी इन्जीनियरी इलैक्ट्रोनिक्स पर आधारित है। वित्त मंत्री ने इस देश की औद्योगिक जरूरतों का उचित ध्यान रखा है और इसीलिए उन्होंने इस उद्योग पर अधिक ज़ोर दिया है।

जहां तक राहतों का सम्बन्ध है यह बजट कर बढ़ाने की आप नीति से हटने के कारण असाधारण है। एक वित्त मंत्री की परिभाषा यह है कि वह व्यक्ति जो आपकी जेबों में हाथ डालता है। हमारे वित्त मंत्री वह व्यक्ति है जिन्होंने ऐसा नहीं किया है।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : उन्होंने आपकी जेब में कुछ डाला है ।

श्री वाई० एस० महाजन : इस बजट को कुछ देने वाला बजट कहा जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री वेंकटरामन को जानता हूं । वह किसी की जेब में हाथ नहीं डाल सकते ।

श्री वाई० एस० महाजन : उन्होंने छूट की सीमा 15,000 रु० तक बढ़ा दी है । इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, 14 लाख कर-दाताओं को वास्तविक लाभ होगा तथा अन्य 8½ लाख लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी । मध्य वर्ग के लिए यह समृद्धता है । इससे योजना के लिए स्रोत बढ़ाने पर काफी प्रभाव पड़ेगा । राहत देते समय और बचत तथा निवेश में सुधार के उपाय अपनाते समय कुछेक आधारभूत तथा अत्यावश्यक महत्वपूर्ण मामलों की ओर ध्यान देने से भी वह चुके नहीं हैं ।

जनसंख्या का हवाला मैं पहले दे चुका हूँ । कुछ अन्य मामले भी हैं जिनका अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ता है । ऊर्जा के नवीकरण योग्य उन स्रोतों के विकास के लिए भी राहत दी गई है जिनका कि हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोग शुरू कर दिया गया है । इसमें सौर ऊर्जा, जैव-गैस और वायु ऊर्जा शामिल हैं । इस उद्देश्य के लिए दिए जाने वाले राजकोष प्रोत्साहनों का ब्यौरा इस बजट में नहीं दिया गया है किन्तु मैं यह आशा करता हूं कि जब भी ये बनाये जायेंगे तो काफी मात्रा में दिए जायेंगे ।

उन्होंने निर्यात प्रयोजन के लिए स्थापित उद्योगों को, विशेषकर मुक्त व्यापार क्षेत्रों में, पूर्णतः कर से छूट देने का भी निर्णय किया है । लेकिन अन्य देशों में मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थापित ऐसे उद्योगों को इससे भी अधिक रियायतें दी जाती हैं । मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे ।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने आय कर की संगणना में विकास भत्ते की सीमा को बढा दिया है ···

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए ।

श्री वाई० एस० महाजन : महोदय ! मैं पांच मिनट की मोहलत और चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री वाई० एस० महाजन : दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि इस बजट में गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया गया है । मैं यह कहूँगा कि वे बजट अभिभाषण को देखना भूल गए हैं या उन्होंने उन प्रस्ताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया है जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किए हैं ?

उदाहरणतया समाज के कमजोर वर्गों जैसे भूमिहीन श्रमिकों, छोटे तथा सीमान्त किसानों, ग्रामीण कामगरों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लाभ के लिए बजट में विशेष कार्यक्रम चलाने पर अत्यधिक बल दिया गया है । मैं हरेक योजना पर विस्तार से नहीं

बोलूंगा बल्कि उनमें से जो अत्यधिक महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय ग्रामीम रोजगार योजना है उसपर अपने विचार रखूंगा ।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

यह कार्यक्रम महाराष्ट्र में सबसे पहले चलाई गए रोजगार गारन्टी योजना के आधार पर बनाया गया है। मुझे परामर्शदायी समिति का सदस्य होने के नाते योजना आयोग को इसकी सिफारिश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । योजना आयोग ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की थी और उसने उसी आधार पर एक योजना बनाई थी ।

हम इस वर्ष इस योजना पर 180 करोड़ रुपए व्यय करना चाहते हैं तथा राज्य भी इस पर इतनी ही राशि व्यय करेंगे । इस योजना के अधीन गांवों में रहने वाले तथा कार्य करने योग्य सभी व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा । मैं तो यह कहूंगा कि यह एक क्रांतिकारी योजना है तथा गरीबी पर एक घातक प्रहार है । लोग काम चाहते हैं । वे आत्मसम्मान के साथ अपनी जीविका कमाना चाहते हैं । वे खैरात नहीं चाहते । वे तो काम चाहते हैं ताकि अपनी जीविका कमा सकें । इस योजना के अधीन यही कुछ किया गया है । क्या वित्त मंत्री महोदय इससे भी अधिक कोई अन्य क्रांतिकारी कदम उठा सकते हैं ? लेकिन दूसरे पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों ने हमारे द्वारा रखे गए रचनात्मक प्रस्ताओं पर ध्यान ही नहीं दिया ।

दूसरे, समान महत्व का एक अन्य कार्यक्रम—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम—भी है जिसमें उन पुराने कार्यक्रमों को लिया गया है जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए चलाए गए थे । रेगिस्तानी तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों संबंधी कार्यक्रमों और अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों की विशेष कार्यक्रम संबंधी उपयोजनाओं के लिए क्रमशः 110 करोड़ रुपए तथा 85 करोड़ रुपए देकर उनके लिए अधिक आवंटन किया गया है ।

महोदय, जहां तक कर-प्रस्ताओं का संबंध है इसमें केवल यही महत्वपूर्ण बात है कि वित्त मंत्री ने अनुषंगी आयात शुल्क द्वारा 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि लेनी चाही है। ऐसा करना इसलिए उचित है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से हमारी स्थिति काफी नाजुक है । हमें विदेशी मुद्रा के संतुलन की कमी को कम करना होगा । वर्तमान स्थितियों में विकसित देश संरक्षणकारी प्रतिबंध लगा रहे हैं । हम इन प्रतिबंधों को कम करने के लिए कह रहे हैं लेकिन वे हमारी बात को नहीं सुनते लेकिन अपनी ओर से एक प्रतिबंध लगाने के सिवाय हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं रहा है । अनुषंगी सीमा-शुल्क को इसलिए बढ़ा दिया गया है ताकि राज्य को उनसे कुछ राजस्व प्राप्त हो सके और साथ ही हमें विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिल सके । वर्तमान स्थितियों में तो यह उचित ही है ।

इसके अलावा मुद्रास्फीति की समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या है । हमने यह कभी नहीं कहा और न ही वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि हम मुद्रास्फीति को समाप्त कर देंगे । पिछले वर्ष जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था तो दूसरे पक्ष के अनेक सदस्यों तथा शायद इस पक्ष के भी कुछ सदस्यों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि इस वर्ष कम से कम 20% मुद्रा-स्फीति होगी । लेकिन वस्तुतः क्या हुआ ? आज भी मुद्रास्फीति की दर 13½ प्रतिशत है और शायद इस वर्ष के अंत तक यह 15 प्रतिशत से ऊपर न पहुँचे । श्री वेंकटरामन के अनुमान सही

साबित हुए हैं। उन्होंने जैसा समझा था अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक वैसी ही रही। वर्ष 1980-81 के आरम्भ की तुलना में अब हम काफी बढ़िया स्थिति में हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और हम संकट के दौर से बाहर निकल रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है और अवस्थापना संबंधी सुविधाओं में बढ़िया कार्य-निष्पादन हो रहा है। इन तथ्यों के कारण मुझे विश्वास है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सप्लाई की स्थिति में सुधार होगा। इसी प्रकार से हमने मांग व्यवस्था की उपेक्षा नहीं की है। माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही सरकारी व्यय में काभी कमी कर दी है। वे मुद्रा तथा वित्त पर कठोर नियंत्रण चाहते हैं। बजट में 1539 करोड़ रुपए का घाटा है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि घाटे को पूरा करने के लिए इतनी ही राशि के नोट छापे जाएंगे। घाटे की अर्थव्यवस्था का अर्थ है मुद्रा का फैलाव लेकिन उसे रोका जा सकता है या यदि घाटे की अर्थव्यवस्था हो भी तो कृषि तथा उद्योग के कुल उत्पादन में वृद्धि करके उसे आत्मसात् किया जा सकता है तथा हमें आशा है कि ऐसा ही होगा। चूंकि हमें ऐसा होने का विश्वास है इसलिए दूसरे पक्ष के सदस्यों की भाँति मुझे इस बात की कोई आशंका नहीं है कि वर्तमान की भांति भविष्य में भी मूल्य बढ़ते रहेंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन जो सौम्य तथा आकर्षक, स्पष्टवादी तथा उदार व्यक्ति हैं, को मुबारकबाद देता हूं। वित्त मंत्री होने के बावजूद भी वे आपसे कुछ नहीं लेते। एक प्रसिद्ध तथा कटु आलोचक श्री पालखीवाला ने भी उन्हें एक बहुत ही बढ़िया तथा किसी भी शक से दूर एक ईमानदार व्यक्ति बताया है।

महोदय, मैं उन्हें सदन के समक्ष एक ऐसा बजट लाने के लिए बधाई देता हूं जिससे उद्योगों को बढ़ावा देने, देश को अधिक उद्यमी बनाने, विनियोग को बढ़ाने और काले धन को बाहर निकालने का वातावरण बनेगा तथा हम सभी को इस बात के लिए बढ़ावा मिलेगा कि हम न्यायोचित रूप से देश की विकास संबंधी समस्याओं को निपटाने में अपना सहयोग दे सकें।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सदन के सामने बजट प्रस्तुत किया है, उसका स्वागत करने और धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट का न केवल इस देश के गरीब लोगों, किसानों, आदिवासियों, हरिजनों ने ही स्वागत किया है बल्कि तमाम लोगों ने किया है और खास कर के महिलाओं ने इस बजट को बहुत सराहना की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं हाउस में अपने विरोधी दल के माननीय सदस्यों के इस बजट के बारे में हुए भाषणों को सुनता रहा हूं। उन्होंने कहीं कहीं आंकड़ों की भी बात की है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस बजट के पहले इन लोगोंने इस देश की जनता को इस प्रकार से झूठा प्रचार किया था कि माननीय वित्त मंत्री जी बहुत टैक्स लगेंगे। इन लोगों के कहने से बजट के पहले जो महंगाई बढ़ गई थी, बजट से पहले बाजारों में जो चीज़ों के दाम बढ़ गये थे उसके बाद इनके सारे सपने धरे रह गये। आज देश के सभी गरीब लोग इस बजट का स्वागत कर रहे हैं।

हमारे विरोधी दल के सदस्य कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इसका बुनियादी कारण क्या है ? इसका बुनियादी कारण है कि तीन सालों के अन्दर इस

देश की अर्थ व्यवस्था इतनी खराब की गयी कि उसको ठीक करने में समय लगेगा। मैं इन से पूछना चाहता हूं कि क्या दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है कि जो स्टोर किया हुआ सोना होता है उसको ओपन मार्केट में नीलाम कर दिया जाए ? इस देश की बहनों और भाइयों ने लड़ाई के समय राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो सोना दिया था, धन दिया था, वह इन्होंने नीलाम कर दिया। इस देश की जनता इसके लिए इन्हें कभी माफी नहीं कर सकती। यह उदाहरण हिन्दुस्तान में ही मिल सकता है, दुनिया के किसी भी देश में शायद ही इतना अधिक सोना नीलाम किया गया हो। इस प्रकार की बातें इनके समय में हुई।

माननीय सभापति महोदय, 1977 में हमने जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था और लोगों को विश्वास में लेकर, भारत की जनता को विश्वास में लेकर के चलाया था; लेकिन इन लोगों ने उसके बारे में इतना गलत प्रचार किया कि वह कार्यक्रम चालू नहीं रह सका। इन्होंने लड़कों को, बहनों को लाकर के खड़ा किया और कहा कि आप लोग कांग्रेस को वोट नहीं दे सकते। उन लोगों को इन्होंने गुमराह किया। यहां तक किया कि परिवार नियोजन डिपार्टमेंट का नाम तक बदल दिया। इसी कारण आज भारत की जनता पिसी हुई है। इन लोगों ने उस कार्यक्रम के बारे में कैसे कैसे नारे लगाये। क्या उस कार्यक्रम को खत्म कर के हम इस देश देश को ऊपर उठा सकते हैं, क्या यहां की गरीब जनता को ऊपर उठा सकते हैं ?

मैं तो इस हाउस का नया मेम्बर हूं, मेरे जैसे लोगों को डर लग सकता है। लेकिन जो पुराने लोग हैं वे तो सोचते होंगे कि अगर हमें राष्ट्र का विकास करना है तो हमें इस पार्लियामेंट द्वारा बनाये हुए कार्यक्रम को चालू रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, गुजरात और असम के बाद रिजर्वेशन के बारे में शंका उठायी जाने लगी है। जहां महात्मा गांधी पैदा हुए, जिन्होंने गरीब हरिजनों के लिए सबसे पहले आवाज उठाई, जो हरिजनों के यहां जाकर ठहरे, जो हरिजनों के यहाँ जा कर खाना खाये, उसी महात्मा गांधी के प्रदेश में आज हमें राष्ट्र को नीचा दिखाने का आन्दोलन किया जा रहा है। जो शक्तियां 1977-80 के बीच में पैदा हुई थीं वही शक्तियां आज इन सब के पीछे हैं। ऐसी शक्तियों को ताकत से दबा देना चाहिए। अगर इनको दबाने के लिए कानून भी बनाने पड़ें तो वे भी बनाने चाहिए।

जैसा मैंने पहले कहा कि सोने की नीलामी के बारे में रिजर्व बैंक ने जो प्राइमरी जांच करायी और उस जांच की रिपोर्ट पेपर में आयी है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट इस हाउस के सामने पेश की जाए जिससे कि उस पर यहां डिस्कशन हो सके। उस सोने की नीलामी से सम्बन्धित रिपोर्ट यहां अवश्य रखी जानी चाहिए जिससे कि हाउस को पता चल सके कि उस रिपोर्ट में क्या है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और खास कर के पिछड़े हुए प्रदेश के पिछड़े हुए जिले से आता हूँ जो कि अदिवासियों का जिला है। अदिवासी वहां पहाड़ों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अदिवासियों से विकास के लिए 85 करोड़ रुपये की सब ट्राइबल योजना के लिए इस बजट में प्रावधान किया है। अगर आप उनको

गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए और अधिक धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, इसकी स्थिति अन्य प्रदेशों से भिन्न है । जैसे दूसरे प्रदेश हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और जितने भी प्रदेश हैं, उनका अपना कल्चर हैं, अपनी भाषा है, लेकिन मध्यप्रदेश एक ऐसा प्रदेश बना है जैसे कोई टेलर कपड़े सीता है, पैंट शर्ट सीता है और कतरनें बच जाती हैं, उन कतरनों को मिलाकर जैसे कोई कपड़ा बनता है, वही स्थिति मध्य प्रदेश की है । उसकी न कोई एक भाषा है, न एक कल्चर है । माननीय सभापति महोदय, यह अलग-अलग हिस्सों में बंटा हुआ है, अलग-अलग कल्चर हैं जो कभी एक नहीं हो सकते । ऐसी स्थिति में यह प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है ।

सभापति महोदय, यह प्रदेश खनिज संपदा से भरा हुआ है । लोहा, कोयला आदि तमाम चीजें मध्यप्रदेश में मिलती हैं । मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रदेश का भला चाहते हैं । तो इसके विकास के लिए ज्यादा धन रखने की आवश्यकता है । उद्योग, रेलवे-लाइन आदि का विकास करने की आवश्यकता है । रोड्स की यह हालत है उस पर ठीक तरह से गाड़ी नहीं चला सकते, सारे देश का लोड यहां की सड़कों पर पड़ता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन सड़कों की हालत खराब है वहां उन्हें स्टेट और नेशनल हाई-वे घोषित किया जाना चाहिए । और उनका विकास किया जाना चाहिए इसी प्रकार नई रेलवे-लाइनें डाली जानी चाहिएं । मैंने पहले भी कहा था कि अगर रेलवे के विकास के बारे में कोई प्लान बना सकते हैं तो 25 लाख का प्लान इसके लिए बनाया जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि किन-किन प्रदेशों में और किन-किन क्षेत्रों में कमज़ोर वर्गों को उन्नत इलाकों के साथ जोड़ा जा सकता है । सभापति महोदय, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्होंने आज तक रेल का डिब्बा या रेल की पटरी नहीं देखी है । आज उन लोगों का विकास करने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय, हमारे देश में आर्थिक उन्नति और वायु-प्रदूषण को रोकने के लिए जंगलों का विशेष स्थान है । जंगलों के विकास के लिए हमें तेज़ी के साथ काम करना पड़ेगा । बहुत सी पार्टियों ने पहाड़ी इलाकों में जंगल नष्ट करवा दिए हैं । जंगल नष्ट होने से वहां के गरीब अदिवासियों के रोजगार खत्म हो गए हैं । मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार इत्यादि प्रदेशों में पहाड़ी इलाकों पर जंगलों का सफाया कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि दिल्ली के आसपास, कोटा के आसपास तमाम आदिवासी पड़े हुए हैं । उनकी मेन इकानामी जंगल थे, जंगल समाप्त होने से उनका रोजगार समाप्त हो गया है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इन गरीब अदिवासी लोगों के लिए वहां की सरकार को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए । अगर आप उनको रोजगार नहीं दे पाये तो एक दिन हमारा आदिवासी कल्चर जो कि बहुत पुराना है वह समाप्त हो जाएगा ।

सभापति महोदय : आप कल्चर के बारे में कहते हैं, मैं तो यह कहता हूं कि अगर वन-संपदा नष्ट कर दी गई तो एग्रीकल्चर भी समाप्त हो जाएगा, कल्चर को तो छोड़िए ।

श्री रामप्यारे पनिका : सभापति महोदय, इनका कहने का मतलब है कि जब तक अदिवासियों को वन सुविधाएं थीं, जंगल सुरक्षित थे, क्योंकि अदिवासियों को जंगलों से लगाव था। अब वे जंगल नष्ट किए जा रहे हैं।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : मैदानों में आ गए हैं, अच्छी बात है। घास पत्ती खाकर जिन्दगी बिताना भी कोई जिन्दगी बिताना है ?

सभापति महोदय : एग्रिकलचर पर वनों से जो चोट पहुंच रही है, उसके बारे में मैं कह रहा था।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्लाइमेट को ठीक रखने के लिए वनों की आवश्यकता निर्विवाद है, इसको मैं मानता हूं।

दुनिया में भारत सब से बड़ा प्रजातंत्रीय देश है। यहां पर पार्लिमेंट और विधान सभाओं के चुनाव समय पर हो जाते हैं। दुनिया हमारी इसके लिए और जो निष्पक्षता बरती जाती है उसके लिए तारीफ करती है। लेकिन पंचायतों की हालत को आप देखें। कई बरसों से वे सुपरसीडिड पड़ी रहती हैं। उनके चुनाव ही नहीं होते हैं।

सभापति महोदय : म्यूनिसिपैलिटीज़ को क्यों छोड़ रहे हैं ?

श्री दिलीप सिंह भूरिया : वहां भी पंद्रह पंद्रह और बीस बीस साल तक चुनाव नहीं हुए हैं। यही हालत कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ की है। सहकारी समितियां भी बहुत सी हैं जो सुपरसीडिड हैं और वर्क नहीं कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि इस सदन के द्वारा एक इलैक्शन कमिशन बनाया जाना चाहिये जो इन सबके समय पर चुनाव कराया करे। सुपरसैशन की पावर नहीं होनी चाहिये। प्रजातंत्र को मजबूत करना है तो जो प्राइमरी इकाइयां हैं उनके समय पर चुनाव कराए जाने चाहिये। अगर वहां समय पर चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो खतरा है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब चुनाव ही न हों।

फेयर प्राइस शाप्स को भी देखें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। बहुत सी दुकानें आपने खोल रखी हैं और लोगों को दे रखी हैं। बहुत सी शिकायतें भी आती रहती हैं कि चीजों का ब्लैक होता है, हाथ और पांव का अंगूठा लगा दिया जाता है और माल को ब्लैक में बेच दिया जाता है। काला बाजारी को समाप्त करने के लिए आपको सहकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाना होगा। विल्लेज लेवेल तक इन सोसाइटीज़ को आगे लाना होगा। इनके द्वारा सभी वस्तुएं, मोटा कपड़ा, शक्कर आदि जो हैं उनका बंटवारा आपको करवाना होगा। तभी यह ब्लैकमार्किटिंग जो होता है यह रुक सकेगा। हम जो इस हाउस के मेम्बर हैं हम को भी चाहिये कि हम सोसाइटीज़ बना करके खुद इन वस्तुओं का वितरण करें। विल्लेज लेवेल तक की जो सोसाइटीज़ हैं उन में आम लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिये। तभी इन वस्तुओं का ठीक प्रकार से वितरण हो सकेगा।

आपने रूरल बैंक खोलने की बात कही है। वे भी कोओप्रेटिव के आधार पर खुलने चाहिये। उन में जन प्रतिनिधियों का पार्टिसिपेशन होना चाहिये। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उन में रहने चाहिये। अगर उनको वहां रखा जाएगा तो वे सही ढंग से और पूरी ईमानदारी के साथ काम को आगे बढ़ाने में मदद दे सकते हैं।

यह जो बजट पेश किया गया है यह बहुत अच्छा है और देश के सभी वर्गों ने इसका स्वागत किया है। देश में जो कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले लोग हैं उन के साथ शासन को सख्ती से निपटना चाहिये और उन के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिये। काला धन जो देश में है वह गरीब लोगों को परेशान कर रहा है। शासन के लिए भी वह एक सिर दर्द है। वह हमारी अर्थ व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। जिन के पास यह काला धन है उनके साथ आपको सख्ती से डील करना चाहिये, सख्त कानून उसके लिए बनाना चाहिये और उनसे इस पैसे को निकाल कर गरीबों के भलाई के कामों में लगाना चाहिये।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं वित्त मन्त्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा बजट उन्होंने पेश किया। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आम जनता श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ है और उनके नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ेगा।

चौधरी मुलतान सिंह (जलेसर) : जो बजट पेश हुआ है इसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। विरोध का कारण यह है कि इस बजट में अमीर लोगों को राहत दी गयी है, गरीबों को इस में पीसा गया है। उसका कारण यह है कि 25 हजार रु० तक इनका टैक्स में छूट दे दी गयी है। पंद्रह हजार पर तो वैसे ही छूट दे दी गयी है और पांच हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन के हैं। और दूसरी जो बचतें की जाती हैं उनको भी जोड़ दिया जाए तो यह राशि पच्चीस हजार हो जाती है जो एग्जैम्पटिड है। देश की औसत आय ढाई तीन सौ रुपये प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति है। उन लोगों को कोई राहत नहीं दी गयी है। लेकिन गांवों के किसानों पर 4 अरब पहले भी खाद पर बढ़ा दिया था और 2400 करोड़ तेल पर बढ़ा दिया था। उसके बाद भी तेल पर और बढ़ा चुके हैं। आशा थी कि खेती को उद्योग माना जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या कारण है कि कारखानों में जो भी चीज बनती है उसमें सब खर्च जोड़ कर उसकी कीमत निर्धारित की जाती है ? लेकिन किसान की पैदावार की लागत नहीं जोड़ी जाती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह देश कुछ ही दिन का है क्योंकि किसान की हालत भूखों मरने की हो रही है। यह सरकार बुझने वालों की पूजा करती है और पूजने वालों को फांसी। जो आदमी स्ट्राइक करें, चाहे डाक्टर हों, इंजीनियर हों, बैंक के हों, एल० आई० सी० के हों, टीचर हों, रेलवे के हों, उन सबको तनख्वाह महंगाई भत्ता सहूलियतें बढ़ा दी जाती है, लेकिन किसान अभाग्य इस देश में ऐसा है जो कभी स्ट्राइक पर नहीं जाता, अपना काम बंद नहीं करता। अगर बंद करता है तो भूखों मरता है। इसलिए वह मवेशी की तरह जीवन व्यतीत करता है। उसको न खाने को रोटी है, न पहनने को कपडा, न नहाने के लिए गुसलखाना और न बैठने को कमरा। जितनी सहूलियतें दी गयी वह शहरों में दी गयी। गांवों में न बिजली है, न पानी है, न स्कूल और न अस्पताल। न सड़कें, बहुत शोर मचा रखा है कि इतने गांवों को पानी देंगे। पानी की टंकियां बनानी है 12 और 10 फुट गहरा पानी जो सड़क के पास है, लेकिन जहां खारी पानी है, जिसे पी नहीं सकते और 250, 300 फुट गहरा है वहां कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। किसानों को बिजली 27 और 30 पैसे प्रति यूनिट पर दी जाती है जबकि मिर्जापुर में हिंडालकों को 11 पैसे प्रति यूनिट दी जाती है। 13 रु० प्रति हार्स पावर प्रति माह किसान से बिजली का पैसा लेते हैं, लेकिन बिजली देने की कोई गारन्टी नहीं। चाहे साल भर में एक घंटा भी बिजली न मिले, लेकिन बिजली का बिल ले ही लेगें। क्या कारण है कि सौदा आप देंगे नहीं और पैसा ले लेंगे ? यह कोई न्याय है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हर साल बजट पर औपचारिक बहस हो जाती है, पर सुनने वाला कोई नहीं।

एक ही मिसाल है सरकार के दिमाग में यह भी है कि जहां जहां से अपोज़ीशन के लोग चुन कर आये हैं वहां कोई काम न हो हमारे बुलन्दशहर से लेकर कालपी तक सिरसा नदी पड़ती है जिसका हमारी पिछली सरकार के टाइम में सर्वे हो चुका है। लेकिन अब वह सर्वे बन्द कर दिया गया। इसमें लाखों बीघा ज़मीन आती है सिंचाई के लिये। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि अपोज़ीशन के एम० पी० चुन कर आ गये इसलिये वहां का काम बन्द कर दिया गया।

एक दोहरी नीति और बताता हूं। बैंक कर्ज देते हैं और मंत्री महोदय उसके मालिक हैं, मैंने नोटिस में भी कहा उस पर भी दोहरी नीति है। अगर कोई 1 करोड़ का उद्योग लगाता है या 5 लाख का लगाता है तो उससे 15 परसेंट पैसा लगवा लिया जाता है बिल्डिंग में और बाकी रु० सरकार देती है। और बाकी रुपया गवर्नमेंट देती है और जब वह दिवाला पीटता है, तो उसकी वही बिल्डिंग नीलाम होती है, दूसरी प्रापर्टी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी जमानत नहीं है, जमीन जायदाद गिरवी नहीं है। लेकिन किसान को जो रुपया दिया जात है, खासकर ट्रेक्टर और ट्रालियों पर तो उससे 25 परसेंट रुपया बैंक में जमा करवाया जाता है और 60 बीघा ज़मीन गिरवी रखवाई जाता है और ट्रेक्टर बैंक अपने नाम करवाता है और 2 जमानती और लेता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह दोहरी नीति क्यों है ?

दूसरी बात यह है कि सब जगह उद्यम मचा दिया कि बैंक खोल दिये, बैंक खोल दिये। ठीक है बैंक नेशनलाइजेशन कर के आपने इलैक्शन जीत लिया लेकिन इसका क्या फायदा हुआ ? मेरे सटा डिस्ट्रिक्ट में 8 स्टेट बैंक हैं। जब सारे बैंक नेशनलाइज्ड हैं और हमारे यहां 4 तहसील हैं उसमें 8 बैंक खोल दिये। एक एक कस्बे में जहां एक बैंक की जरूरत है, वहां इलाहाबाद बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है और दूसरे भी हैं। एक एक जगह 5,5 और 6,6 बैंक हैं, क्या जरूरत है इतने बैंक की ? जब सब नेशनलाइज्ड हैं तो एक कस्बे में एक ही रखिये। इसी तरह एल० आई० सी० के बीमा एजेन्ट की बात है। क्या जरूरत है इतने एजेन्टों को तनख्वाह देने कि ? लेकिन 2,000 वाला भी स्ट्राइक करता है तो उसकी तनख्वाह बढ़ गई, 4 हजार वालों की भी बढ़ गई, लेकिन किसान की तरफ कतई सरकार का ध्यान नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इतनी बड़ी रैली हुई, इतने किसान आये ?

चौधरी मुलतान सिंह : जहां तक रैली का सवाल है, उसकी सुनिये। सारे देश की गाड़ियां, ट्रेक्टर, रेलें फ्री चलीं, सब को परमिट मिल गये। हां, इतनी राहत हमको जरूर मिल गई कि 4 दिन गांवों में चोरी डकैती नहीं हुई।

6 मार्च को हमने भी रैली निकाली।

एक माननीय सदस्य : कोई नहीं आया इसमें।

चौधरी मुलतान सिंह : जो भी आये, वह भी आपको भारी पड़ गये। हम उनको यहां लोक-सभा दिखाना चाहते थे, लेकिन आ रहे थे, लेकिन हमारे तीनों एम० पी० व 2200 किसान गिरफ्तार कर लिये गये। कहा गया कि दफा 144 लगी है, हम पर भी दफा 144 लग गई। देश के इतिहास में पैदावार की मांगों के लिये रैली में इतने किसान कभी जेल नहीं गये। कहा जेल चलो। 2200 किसान जेल में बंद कर दिये गये कौन सा कानून है यह ? आपके इतने किसान आये, आपने सब को लोक-

सभा दिखा दी, हमारे 10, 5, 20 हजार आये उनको आपने लोक-सभा भी नहीं देखने दी, बल्कि हमें वंचित कर दिया यहां आने से, हमें भी जेल भेज दिया। इस तरह की आपकी रैली है। क्या-क्या आपने रैली में किया ? चारों तरफ से देश से लोगों को लाये ?

जिस तरह से उद्योग में सारी लागत लगाई जाती है उस तरह से अगर किसान की लागत को जोड़ा जाये तो 1 हजार रुपये क्विंटल किसान को अनाज का दाम पड़ता है, लेकिन उसकी तरफ कोई ख्याल नहीं है। 2980 रुपये किसान का एक एकड़ पर खर्च आता है और 700 रुपये सिर्फ मिलता है। कहां तक रहेंगे कब तक रहेंगे ?

एक माननीय सदस्य : तकदीर में यही लिखा है।

चौधरी मुलतान सिंह : तकदीर में लिखा है ? वोट लेने के लिये बड़े अच्छे नारे लगाते हैं। हर आदमी इन्दिरा गांधी का नाम लेता है, हम कब कहते हैं कि इन्दिरा बुरी है, लेकिन हरेक को टिकट लेने के लिये नाम लेकर सफाई जरूर देनी पड़ती है।

सभी जानते हैं कि अन्त्योदय कार्यक्रम जो चलाया वह था तो अन्त का उदय, लेकिन हो गया उदय का अन्त जिसे आप कर रहे हैं। आप 3 हजार रुपये मैंस के लिये देते हैं लेकिन 15 सौ रुपये रिश्वत के ले लेते हैं, कुछ बैंक वाला, कुछ डाक्टर लेता है, उसको सिर्फ 15 सौ रुपये पल्ले पड़ता है। एक बड़ी बात लगा रखी है कि गांव में उद्योग खोलेंगे। क्या खोलेंगे ? गांव का उद्योग आपने ले लिया, कुम्हार बर्तन बनाते थे, उसको आपने खत्म कर दिया, वहां बढ़ई और लोहार काम करते थे, उन्हें भी खत्म कर दिया। सब पैसा और सब सहूलियतें बड़ी इंडस्ट्रीज को दी जा रही है, छोटी इंडस्ट्रीज को नहीं। गांवों में उद्योग तभी चल सकते हैं, जब उन्हें कच्चा माल दिया जाये और जो माल वे तैयार करें, उसकी बिक्री का इन्तजाम किया जाये। वे सामान बना तो सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते हैं।

गांवों में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। चोर डाकुओं को डर या भय कतई नहीं है। गांव लुट रहे हैं। देश की 15 फ़ीसदी आबादी शहरों में रहती है और 85 फ़ीसदी देहात में। लेकिन जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, तीन-चौथाई शहरों में है और सिर्फ़ एक-चौथाई गांवों में। गाँवों में दस दस, बीस बीस आदमी एक-साथ मार दिये जाते हैं, तब भी कोई नहीं पूछता है। लेकिन दिल्ली में कुतिया भी मर जाती है, तो जांच की जाती है। गांवों में न सुरक्षा है, न हानी है, न बिजली है, न सड़क व स्कूल। आखिर उन्होंने क्या कुसूर किया है ? आखिर ये लोग उन्हीं के बल-बूते पर चुन कर आये हैं।

25,000 रुपये तक की आमदनी को इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। उसमें टीचर, डाक्टर, इंजीनियर, क्लर्क और अफ़सर आ जायेंगे और इन्हें वोट मिल जायेंगे। आखिर सरकार वोटों की राजनीति कब तक चलायेगी ? जितनी भी सहूलियत दी गई है, वह सिर्फ़ 15 फ़ीसदी आदमियों को दी गई है।

सभापति महोदय : 12 मिनट हो गये हैं। अब आप समाप्त करें।

चौधरी मुलतान सिंह : देश के 85 फ़ीसदी आदमी भूखों मर रहे हैं। सही बात तो यह है कि 90 आदमियों की कमाई दस आदमी खा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज किसानों की क्या हालत हो गई है।

सभापति महोदय, मैं एक मिसाल देता हूँ कि मथुरा में रिवाज है कि तीजों के त्यौहार पर लोग बूरा खाने के लिए ससुराल आ जाते हैं। गांव का एक किसान लड़का भी मथुरा शहर में पहुंचा। सावन का महीना था। सालियों ने कहा कि जीजा, जमुना में नहाने चलें। जीजा जब डुबकी मार के पानी से ऊपर आने लगता, तो सालियां उसके ऊपर बैठ जातीं। जीजा के पेट में पानी भर गया और वह मर गया और उसके दांत निकल आये। तब सालियों ने कहा कि जीजा हंसता तो बहुत खूब है, लेकिन बोलता नहीं है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान मर चुका है। वह यह न समझे कि उसके पास कुछ है। उसकी हालत तो जीजा वाली हो गई है।

सभापति महोदय : क्या आपके पास कोई संजीवनी बूटी है ?

चौधरी मुलतान सिंह : है, तभी तो वे जिन्दा हैं।

यह सरकार काला कौआ हो गई है कि किसान के खेत में खाती है, मगर बीट करती है सरमायादारों के घर में। उन लोगों को सहूलियत देना और किसानों को पीसना ही उसकी नीति हो गई है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह गांवों की तरफ भी देखें।

आज रेलों की हालत क्या है ? त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य समाप्त करें।

चौधरी मुलतान सिंह : 3500 आदमी भर्ती किये गये हैं। न मांग की गई। वे किसने किये हैं ? मंत्री महोदय ने, चेयरमैन ने या जी एम ने। न कोई इम्तहान लिया, न रिटन टेस्ट लिया गया और न इन्टरव्यू लिया गया। यह कौन सा कानून बना है ?

सभापति महोदय : समाप्त कीजिए।

चौधरी मुलतान सिंह : मंत्री महोदय जवाब दें कि यह कौन सा नियम है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य समाप्त करें—श्री बी० के० गधावी।

श्री भेरावदन के० गधावी (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदय, पहले पूरे देश को और हम सब लोगों को यह चिन्ता थी कि जो अर्थ नीति का माहौल बन गया है उस में वित्त मंत्री किस तरह से सफल होते हैं और बहुत बड़े अन्देशे लगाये जा रहे थे कि बजट बड़ा घाटे वाला आने वाला है, लोगों के ऊपर बड़े टैक्स लगेंगे। मगर मुझे यह कहते हुए बड़ा गौरव होता है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़ी सफलता से और बड़ी गंभीरता से देश की अर्थ-नीति को जो पटरी से उतर गई थी उसको दोबारा ठीक करने का बड़ा अच्छा प्रयत्न किया है और उस में काफी सफल भी रहे हैं। यह बात तो है कि हमारे देश की जो हालत है वह शोचनीय है। यह कोई एक दल की बात नहीं है या किसी सेक्शन की बात नहीं है, मगर ऐसा कहें कि कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ और दूसरे लोग नैतिकता की पटरी से ही दूर हो गये हैं, देश के हित का सोचना, प्रामाणिकता की बात करना, अपने पसीने की कमाई से अपना जीवन चलाना, चाहे वह व्यापारी हों, कारखानेदार हों या और कोई लोग हों, इस से वह बहुत दूर हो गए हैं। कैरेक्टर का जो क्राइसिस है और वह भी पिछले तीन चार वर्षों में जो पैदा हो गया उससे

हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बड़ा गंभीर असर होने लगा था। हर आदमी यह सोचने लगा था कि कालाबाजारी करे, मुनाफाखोरी, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग से ही उसका कामकाज चले, उस से ही उस की प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी और बढ़ती जा रही है। आज इस बजट से और इसके पहले जो कदम उठाए गए उससे मुझे आशा है कि जरूर हमारी व्यवस्था को सुधारने का मौका मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने बेयरर बांड की जो बात यहां हाउस में की थी, स्वर्ण बांड के कम्पेरिजन में उसके बारे में उन्होंने बताया था और उसको वैद्य ठहराया था। मैं मानता हूं कि जो लोग वहां बैठे हैं बेयरर बांड के आने से उनके आदमी खुश हुए। खुश नहीं होना चहिए था। मगर उसका कोई चारा ही नहीं था। इसलिए बेयरर बांड के जरिए से ही उस ब्लैक मनी को कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है। मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई हमारी तीसरी तरह की करेंसी न बन जाय। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि देश में यह तीसरी मुद्रा के रूप में न चलने लगे, क्योंकि जो धनपति लोग यह काम करते हैं वे बहुत चालाक लोग हैं।

जहां तक उत्पादन की बात है, उसमें बढ़ोत्तरी के लिए बजट में काफी गुंजायश रखी गई है और काफी काम किया गया है। मगर एक बात यह भी मैं उन से कहना चाहूंगा कि आज हम उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं, उन लोगों को जो नये नये एन्टरप्रैन्योर्स हैं, नये नये साहसकर्त्ता लोग हैं उनको हम कुछ मदद भी करना चाहते हैं मगर उसमें माफ कीजिएगा आप के जो बैंक्स हैं खासकर के ग्रामीण इलाकों में जो बैंक की शाखाएं काम कर रही हैं वहां जो उत्साह हम आप के पास पाते हैं वह नहीं देखने को मिलता है। उसे कम से कम निम्न स्तर तक जो जाना चाहिए वह नहीं जाता है। यह आपको सोचना है। मैं तो यह सुझाव दूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनकी जो ऋण देने की नीति है उसके लिए एक कमेटी उस डिस्ट्रिक्ट का बनाइए, उसमें हरएक बैंक के जो मैनेजर हैं वह प्रतिनिधि हों और जन-प्रतिनिधि भी उसमें बैठें। दूसरे जो प्लानिंग के हैं, कलक्टर वगैरह हों, वह भी बैठें और जितनी भी मांग आती हैं, जायज मांगें जो आती हैं जो कि पूरा नहीं होती हैं, रेडटेपिज्म की वजह से या दूसरी वजह से, उनको जल्दी से पूरा करके लोगों को सुविधा दी जानी चाहिए। इसी प्रकार से आपका यह कार्यक्रम पूरा हो सकता है।

किसी भी डवलपिंग कन्ट्री के लिए घाटे की अर्थ-व्यवस्था अनिवार्य हो जाती है विशेषकर ऐसी हालत में जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ तेल की कीमतों पर निर्भर करती हो और देश का प्रोडक्शन भी उस पर निर्भर करता हो। इस तेल की बागडोर हमारे हाथ में नहीं, दूसरे देशों के हाथ में है। ऐसी परिस्थिति में जब यकायक तेल के भाव बढ़ जाते हैं तो हमारे जैसे डेवलपिंग कन्ट्री के लिए सिवाय डेफिसिट फाइनेंसिंग के और कोई दूसरा चारा रह नहीं जाता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग से बहुत सारे लोग घबड़ाते हैं लेकिन इसमें घबड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके जरिए जो भाव में बढ़ोत्तरी होती है वह अगर सबसे ज्यादा किसी को सहन करनी पड़ती है तो वह गरीब आदमी है जो कि सुबह से शाम तक रोज़ी रोटी कमाता है और बाजार से खरीद कर खाता है। ऐसी हालत में जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। जैसा कि रंगा साहब ने बताया, टेक्सटाइल में कास्ट प्राइस या सब्सिडाइज्ड प्राइस पर कपड़ा और दूसरी एसेंशियल कमाडिटीज़ के वितरण का काम फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा मजबूती और स्थाई रूप से करना पड़ेगा।

जब हम देहातों में लोगों के पास जाते हैं तो हमारे सामने कई बातें आती हैं। लोग अपनी कई तकलीफें हमारे सामने रखते हैं। जैसे कि पशुओं के लिए, भैंसों के लिए लोन देने की बात है इसमें पशुओं का जो बीमा होता है उसको बहुत कुशल बनाने की जरूरत है। इसके बारे में जो जांच होती है और लोन का जो पैसा दिया जाता है उसमें भी तेजी लाने की जरूरत है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि लोग हमारी तरफ बड़ी अपेक्षा से देख रहे हैं और हम जानते हैं कि लोगों की अपेक्षायें पूरी करने की क्षमता और हिम्मत आप में है लेकिन इसके लिए आपको पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वह नीचे डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेविल तक कैसे पहुंचे इसका प्रबंध आपको करना पड़ेगा। मैं यहां पर कोई शिकायत नहीं करना चाहता क्योंकि पार्लमेंट व्यक्तिगत तौर पर अफसरों की शिकायत करने की जगह नहीं होती है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपके एक दो बैंकों के चेयरमैन ऐसे हैं, जिनको हमने पत्र लिखे, फरियाद की—आपके कुछ रीजनल मैनेजर्स भी ऐसे हैं या कुछ दूसरे मैनेजर्स हैं--जो कि एम पीज़ के पत्रों को एकनालेज भी नहीं करते हैं। इसलिए हमें देखना होगा कि कहीं दीपक तले अंधेरा तो नहीं हैं और वहां भी रौबनी करनी होगी।

आपने इस बजट में बहुत कम घाटे की व्यवस्था रखी है। जहां तक प्रोडक्शन की बात है, जहां तक हमारी इण्डस्ट्रीज़ का सवाल है, जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनको अगर गवर्नमेन्ट मदद नहीं देगी तो वे खुद अपनी मदद कर सकते हैं। वे तो अनेक तरीकों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जहां तक लघु एवम् कुटीर उद्योगों का संबंध है उन्हें जानकारी तथा सहायता मिलने के स्थानों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती जिसके फलस्वरूप अनेक नवयुवक अब निराश हो चुके हैं। वे आगे नहीं आ रहे हैं और लघु क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि जिला स्तर पर स्थापित किए गए औद्योगिक केन्द्रों का पुनर्गठन किया जाए। वहां राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्त्तव्यनिष्ट अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। वे अधिकारी इतने कुशल होने चाहिए कि अपने विषय के साथ न्याय कर सकें और नवयुवकों को लघु तथा कुटीर उद्योगों में प्रवेश करने में बढ़ावा मिल सकें। उसको आपको देखना है। अर्थ-व्यवस्था में यह फिर से ट्रेंड शुरू हो गया है। सोने की स्मगलिंग जो खत्म हो चुकी थी, बाहर ज्यादा दाम होने की वजह से यह फिर शुरू हो गई है। स्मगलिंग अब देश में होती जा रही है, क्योंकि हमारा दाम कुछ कम है। इसलिए मैं आपसे यह भी गुजारीश करूंगा कि आप इस पहलु पर भी ज्यादा तवज्जह दें। क्योंकि घंटी बज चुकी है, लेकिन मैं एक-दो मिनट और लेना चाहता हूं।

यद्यपि वर्तमान स्थिति में कोई भी वित्त मंत्री 100 प्रतिशत फल देने वाला बजट पेश नहीं कर सकता लेकिन आपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में बखूबी सफलता हासिल की है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ।

श्री चक्रधारी सिंह (सरगुजा) : सभापति महोदय, देश की प्रगति और विकास तथा उन्नति के लिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। आशा है, उम्मीद है कि इस बजट से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको इस बजट से फायदा मिलेगा और विकास से पथ की ओर आगे बढ़ सकेंगे।

परन्तु इसके साथ-साथ मैं चाहूंगा कि हमारे देश में जो भी बजट लाया गया है, उसको देखते हुए बजट में जन-सामान्य लोगों को, अधिकार जो गरीब तबके के सामान्य लोग हैं, उनको निश्चित रूप से फायदा मिलना चाहिए। इसलिए कि वे देश के अंग हैं और विकास में उन का एक योगदान रहा है।

हम देखते हैं कि आज भी जो देश में बजट योजना बनती हैं, कि उसका सही ढंग से, सभी क्षेत्रों में, उपयोग नहीं हो पाती हैं। इसलिए कि उसका फायदा बहुत कम क्षेत्रों में ही हो पाता है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा प्रदेश है, परन्तु हम देखते हैं कि इस बजट में जो उसको उचित हिस्सा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाया है और बहुत से जो प्रोजेक्ट हैं, वे इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। इस तरीके से जो जनभावना हैं, जो विकास के कार्य वहां पर होने चाहिए थे, वे सही और सुचारु ढंग से अभी तक नहीं हो पाये हैं तथा अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश अभी तक पिछड़ा हुआ है, जब कि इस प्रदेश में अथाह वन-सम्पत्ति है, बहुत ज्यादा खदानें हैं, जिनका उपयोग कई किस्म के उद्योग-धन्धों में किया जा सकता है। बिजली उत्पादन के लिये वहां कई सक्षम नदियां हैं जिनके पानी का उपयोग कर के बहुत बड़े-बड़े ताप-विद्युतगृह बनाये जा सकते हैं, परन्तु इस तरह का कोई भी प्रावधान इस बजट में नहीं है।

इस प्रदेश में हम लोगों का जिला "सरगुजा" है जो मुख्यतः आदिवासी तथा पहाड़ी इलाका है। मैं आप के द्वारा यह जानकारी देना चाहता हूं कि अभी भी वहां के लोग गरीबी-रेखा से बहुत नीचे हैं, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं तथा उनके लाभ के लिये कोई भी विकास का कार्य वहां नहीं किया गया है, जिस से कि वे भी अपने आप को प्रगतिशील कह सकें। मैं आप को यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे जिले में करीब 27-28 कोयले की खदानें हैं और उस से लगा हुआ शहडोल जिला है, उस में भी 20-25 कोयले की खदानें हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में कोयले का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, परन्तु वहां पर कोई भी इस किस्म की इण्डस्ट्री या पावर-जैनरेशन प्लांट नहीं बनाया गया है जिस से उस क्षेत्र के लोगों का भी विकास हो सके, वे लोग भी अपने कोयले से फायदा उठा सकें। हमारे जिले से लगा हुआ-कोरबा का एलूमीनिया प्लांट है जो अरबों रुपये की लागत से बनाया जा रहा है लेकिन वहाँ भी इस समय चौथाई काम हो रहा है, तीन-चौथाई काम बिजली न मिलने के कारण रुका हुआ है। हम लोगों ने सुझाव दिया था कि हमारे यहां जो विपुल-मात्रा में कोयला उपलब्ध है उस को दृष्टि में रखते हुए विशालपुर में एक थर्मल-पावर स्टेशन कायम किया जाय। आज उस जगह का कोयला दूसरे स्थानों पर जा रहा है जहां विद्युत तापगृहों में उसका उपयोग हो रहा है। हम चाहते थे कि हमारे यहां ही यह विद्युत तापगृह स्थापित किया जाय, जिसकी बिजली से उस एलूमीनिया- प्लाँट को चलाया जा सके तथा प्रदेश के अन्य भागों को भी बिजली मिल सके। लेकिन अभी तक हमारे सुझाव पर विचार नहीं किया गया है।

इसी तरह से हमारे क्षेत्र में बाक्साइट बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं और एक सर्वे के अनुसार देश के बाक्साइट भण्डारों का 6वां हिस्सा हमारे यहां हैं। उस बाक्साइट के उपयोग से देश को बहुत आर्थिक मदद मिल सकती है, परन्तु अभी तक कोई भी ऐसी इण्डस्ट्री कायम नहीं की जा सकी है कि उस क्षेत्र के लोगों का विकास हो सके, उस क्षेत्र के लोग भी उस बाक्साइट का फायदा उठा सकें।

आज सरकार की यह नीति है कि पिछड़े हुए इलाके हैं वहां लघु-उद्योग कायम किए जायं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 33 साल बीत जाने के बाद भी इस दृष्टि से उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सका है। हमारे यहां उपलब्ध वस्तुओं के माध्यम से अनेक प्रकार के उद्योग-धन्धे स्थापित किये जा सकते थे, परन्तु आज तक इस मामले उस क्षेत्र की अवहेलना हुई है और अभी तक कोई भी ऐसी इण्डस्ट्री वहां कायम नहीं हो पाई है।

सभापति महोदय, अब मैं वहां की जो क्षेत्रीय समस्यायें हैं, उन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। पहाड़ी प्रदेश होने के नाते वहां का जो जंगल है और वहां पर जो इमारती लकड़ी होती है, उस को काट कर, उस का डीफारेस्टेशन कर के, उस की जगह पर एल्पाइन और दूसरी किस्म के पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिस से उस क्षेत्र के लोगों का नुकसान होता जा रहा है। वहां पर लोग सरई के बीज खाते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लकड़ी के माध्यम से वे अपनी जीविकोपार्जन करते हैं लेकिन अब उस लकड़ी को जंगलों से निकाला जा रहा है।

इस के अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां की धरती के अन्दर जो खदानें हैं, उन की सम्पत्ति भी दूसरी जगह ले जाई जा रही है और उस क्षेत्र के लोगों को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है और ऐसा पता नहीं लग रहा है कि वहां के लोगों में जागृति आ गई है या उनकी उन्नति हो गई है। अतः मेरा सुझाव है कि इन क्षेत्रों में, जोकि पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और खास तौर से मध्य प्रदेश में, जो इतना बड़ा प्रदेश है, रेलों की लाइनें दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा बहुत कम हैं इस बजट में भी सिर्फ एक ब्रोड गेज लाइन धनतरि से बलोदा तक दी गई है। बड़ी लाइन का उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह इतना बड़ा प्रदेश है और यहां पर और अधिक रेलों की लाइनें बिछाई जाएं ताकि यहां के लोगों को नव-जागरण का संदेश मिल सके। इसी तरीके से जो इन्डस्ट्रीज हैं, वे कायम नहीं की गई हैं।

सभापति महोदय : अब आप खत्म कीजिए। दो मिनट हो गये हैं, जिन के लिए आप ने कहा था।

श्री चक्रधारी सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं। वहां पर रेलवे के वैगनों की शार्टेज के कारण कोयले की ढुलाई न होने के कारण, उस क्षेत्र में कोयले के ढेर लग गये हैं और उन में आग लगी हुई है। इस से देश की बहुत बड़ी आर्थिक क्षति पहुंच रही है। मैंने पहले भी कई बार सुझाव दिया था कि वहां के लिए वैगन दिये जाएं ताकि वहां का कोयला दूसरी जगह पहुंचाया जा सके और वहां के लोगों को आर्थिक मदद हो सके लेकिन वैगन न सप्लाई होने के कारण वहां पर कोयले में आग लगी हुई है। इसका विशेष ख्याल रखा जाए ताकि वह प्रदेश, जोकि पिछड़ा हुआ है, प्रगति और आर्थिक विकास कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री महोदय को उन के बजट के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय चेयरमैन साहब, हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर जी ने जो बजट इस माननीय सदन में पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

मैं समझता हूं कि आज के हालात के मुताबिक, जिस तरह की स्थिति हमको मिली थी पिछली सरकार से और जिस को हम पिछले एक साल से दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, इससे अच्छा बजट पेश नहीं किया जा सकता था। हमारे बहुत से विपक्ष के साथियों ने इस बजट को ग़रीबों का विरोधी बजट कहा है और कहा है कि ग़रीबों के लिए यह कुछ नहीं कर सकेगा। मैं अपने उन साथियों को, जो इस बजट के विरोध में बातें करते हैं मुखालिफ़ पार्टियों की ओर से, यह बता देना चाहता हूं कि इस से अच्छा बजट नहीं बन सकता था। आपने विरोध तो किया है, प्रोटेस्ट तो किया है लेकिन बुनियादी तौर पर कोई भी सजेश्चन नहीं दिया है कि इस तरह का बजट होना चाहिए। विरोध करना ही आप का लक्ष्य रहता है। मैं इस माननीय सदन के उन सदस्यों से आशा करता था, जो अपोजीशन में हैं, कि इस हाऊस में तो वे कम से कम ठीक बात कहेंगे लेकिन आप का यह रोजाना का काम है कि चाहे वह जनरल बजट हो और चाहे रेलवे का बजट हो, आप सब से पहले यह बात कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी सरकार को यह इल्जाम लगाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप लोग सारे देश की आर्थिक स्थिति को पीछे ले गये और आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मैं आप को यह बता देना चाहता हूं कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सरकार संभाली, उस के पहले आप की सरकार जो चली थी, तो वह क्या काम करती थी। यह सबको मालूम है कि इस सदन में ऐसे प्रधान मंत्री बने, जिन्होंने इस माननीय सदन का कोई कांफीडेंस नहीं लिया और प्रधान मंत्री बने रहे और कहते रहे कि हम किसानों को ऊपर उठा रहे हैं लेकिन किसानों को मालूम है कि जब हमारी रैली हुई, तो वह कितनी शानदार रैली हुई और ये लोग सारे हिन्दुस्तान में यही वावेला करते रहे और लोगों को यह बताने की कोशिश करते रहे कि हमारी सरकार के जो कार्यकर्त्ता हैं, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्त्ता हैं, वे सब इस में लगे हुए हैं और सरकार ने अपना खजाना खोल दिया। यहां रैली का काम किया जाता हो, यह बात नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी, लोक दल की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय रैली हुई थी। उस समय लाखों की नहीं करोड़ों रुपयों की थैली भेंट की गयी थी। उसका हिसाब लोक दल की कार्यकारिणी में नहीं आया। आज देश का किसान श्रीमती इन्दिरा गांधी की रहनुमाई में विश्वास करता है। वह इसलिए करता है कि वह जानता है कि हमारी पार्टी, हमारे मंत्री, हमारे पार्लियामेंट के मेम्बर काबिल हैं, वे जानते हैं कि किस तरह से इस सरकार को चलाना है, वे समझते हैं इस देश को कैसे आगे ले जायेंगे।

अभी एक मेम्बर ने कहा कि एक आदमी अपनी ससुराल में मेहमानी से लिए गया। वहां पर उसने अपनी साली से कहा कि उसे बूरा, शक्कर से खाना खिलाओ। लेकिन वहां बूरा नहीं थी। उसको पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा गया तो वह डुबकी लगा बैठा और मर गया। उसके दांत बाहर निकल आये। इस तरह की बातें आपको अपोजिशन की तरफ से की जाती हैं। इस तरह के लोग आपके अपोजिशन में बैठे हुए हैं। अगर हमें हिन्दुस्तान को, इस मुल्क को आगे ले जाना है तो हम को एक बात करनी होगी। देश की जो मुखालिफ पार्टियां हैं उनको कम से कम हमारी उन नीतियों और प्रोग्रामों में तो साथ देना चाहिए जिनसे मुल्क आगे जा सकता है। हमारी सरकार जो भी बिल इस सदन में लाती है वे कोई भी उसको पास कराने के लिए खड़े नहीं होते, वे सभी का विरोध करते हैं। जो बिल हमारे अच्छे हों उनका तो उनको विरोध नहीं करना चाहिए।

माननीय चेयरमेन साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप बड़े भाग्यवान आदमी हैं। आप उस क्षेत्र से आते हैं जो कि हरिजनों का इलाका है, ट्राइबल इलाका है। उनको आज कल कहा जा रहा है कि उनकी उन्नति नहीं हो सकती है। अगर हमारी पार्टी उनकी उन्नति नहीं कर सकती तो दल-बदलुओं की ये पार्टियां भी उनकी उन्नति नहीं कर सकती हैं। हमारी पार्टी कांग्रेस आई ही देश के हरिजनों और वीकर सेक्शंस को ऊपर उठा सकती है और वह भी श्रीमती इन्दिरा गांधी की रहनुमाई में ही आगे बढ़ सकते हैं। और कोई पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां के बारे में माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर हिमाचल प्रदेश को ऊपर उठाना है तो वहां पर जहां छोटे छोटे उद्योग हो सकते हैं वे लगाये जाएं ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों की आर्थिक दशा सुधर सके। इस के साथ साथ बेरोजगारी का सवाल भी है। इस सवाल को भी कोई दूसरी सरकार हल नहीं कर सकती है। इस देश से बेरोजगारी तभी खतम हो सकती है जब विरोध पक्ष में बैठे हमारे भाई हमारी हां में हां मिलाये और स्कूल, कालेजों के बच्चों को एक्सप्लाएट न करें। किसानों को भी कहा जाए कि वे भी खेतों में तरक्की करें। एजीटेशन करके हम लोग नहीं बढ़ सकेंगे।

एक बात मैं फारेस्ट के बारे में कहना चाहता हूं। अगर हमें इस देश को महफूज रखना है, देश की आर्थिक हालत को बेहतर बनाना है तो हमें पहाड़ों के जंगलों को बचाना होगा। वे जंगल चाहे नागालैंड में हों, चाहे मिजोरम में हों, चाहे कश्मीर में हों, चाहे हिमाचल प्रदेश में हों। आपको यह सोचना होगा कि जनता पार्टी के शासन में दरख्तों में आठ-आठ, दस-दस कट लगाये गये और बरोजा निकालने के लिए लगाये गये। उसके जमाने में ठेकेदारों ने दरख्तों के साथ बहुत अन्याय किया। आज वे पेड़ आखिरी सांस ले रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश के अन्दर चले जाइये। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो यह चिपको आन्दोलन जोर पकड़ेगा। अगर हमारी सरकार यह सोच कर चले कि वनों का शोषण किया जा रहा है और इसको एकदम बन्द कर सके तो इस देश की बहुत बड़ी दौलत को बचाया जा सकता है। हिमाचलप्रदेश में जब शांताकुमार की सरकार आयी तो उसने जंगलातों के इतने ठेके दिये कि आज शिमला की दशा शोचनीय है। शिमला के अन्दर आज सारे मकान नजर आते हैं। शिमला के अन्दर जो पहले सुन्दरता थी वह नष्ट कर दी गयी है। शिमला एक ऐसा सुन्दर केन्द्र था जहां पर सारी दुनिया जाती थी। वहां पर कितने ही जंगल खड़े थे लेकिन अब बहुत कम जंगल नजर आते हैं। यह सिर्फ इसलिए किया गया कि जनता पार्टी के मंत्रियों के वहां पर मकान बन सकें, इसलिए कानून में संशोधन किया गया, इससे और लोगों को भी वहां पर मकान बनाने का मौका मिल गया। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब श्री राम लाल जी की सरकार बनी तब राम लाल जी ने बड़े ठोस कदम उठाए, जिससे हिमाचल प्रदेश के लोगों की तरक्की हो। जो आदमी जनता पार्टी से टूट कर आए थे उनका जनता पार्टी, जनसंघ या आर० एस० एस० वालों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, विपक्ष द्वारा एन० जी० ओ० कर्मचारियों का आन्दोलन चलवाया गया। हम चाहते हैं कि इस तरह के आन्दोलन नहीं होने चाहिए, कर्मचारियों को इनमें

भाग नहीं लेना चाहिए। हमारा प्रदेश चाइना के बार्डर के साथ लगा हुआ है। हमें देश की हिफाजत करनी है। विपक्ष के लोगों द्वारा यह आन्दोलन करवाया गया। मेरा घेराव करा कर पथराव करवाया गया, जिससे मैं एक महीने तक हास्पिटल में पड़ा रहा। घेराव करने वालों ने मेरी घड़ी और पैसे भी खोस लिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि ये लोग जो देश की उन्नति में रुकावट डालते हैं, उनके प्रति सरकार को खबरदार होना चाहिए। इसी तरह से एल० आई० सी० कर्मचारियों को एक्सप्लाइट करने की कोशिश की गयी। इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। सभापति महोदय, आप देखें कि एक एल० आई० सी० कर्मचारी और एक गरीब गांव के निवासी के बीच कितनी आर्थिक असमानता है। आपको स्थिति का अन्दाजा स्वयं ही लग जाएगा कि आज हमारा विपक्ष किन लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है।

सभापति महोदय, आज जिस तरह से हमारी सरकार देश से गरीबी समाप्त करने के लिए कदम बढ़ा रही है उसका मैं स्वागत करता हूं और यहां पर माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो पित्तांस बिल प्रस्तुत किया गया है उसकी पुरजोर ताईद करता हूं और यह सही है कि इससे अच्छा बिल हो नहीं सकता। धन्यवाद।

श्री सुन्दर सिंह : आदरणीय चेयरमैन साहब, आज जिस बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं वह बजट गरीबों का बजट हैं। यह बजट गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। चेयरमैन साहब, हिन्दुस्तान कोई टुकड़ा नहीं है, बल्कि 65 करोड़ आबादी का नाम है और इसमें 90 प्रतिशत लोग गरीब हैं। सिर्फ हरिजन ही गरीब नहीं हैं, बाकी लोग भी गरीब हैं। हमारा बजट ऐसा होना चाहिए कि वे जो 90 फीसदी गरीब लोग हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स भी शामिल हैं, उन सबको बेहतरी मिल सके। बजट का यह आदर्शन होना चाहिए।

देश में एजीटेशन चल रहे हैं। किसानों का एजीटेशन चल रहा है। मैं समझता हूं कि एजीटेशन पिछली सरकार की देन है। पिछली सरकार ने रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए एजीटेशन शुरू करवाया था। उसका नतीजा यह है कि सारे देश में ये शुरू हो गये हैं। जब देश का बंटवारा हुआ था तो हमारी आबादी, सारे देश की आबादी 34 करोड़ थी जिसमें से 9 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ हरिजन थे। अगर डा० अम्बेदकर की बात को तब मान लिया गया होता तो इसका मतलब यह होता कि पन्द्रह करोड़ यानी आधे पर लाइन लग सकती थी। अब हालत यह है कि लैंड रिफार्म भी नहीं हुए हैं जैसे होने चाहिए थे। नतीजा यह है कि गरीब हरिजनों को जमीन भी नहीं मिल सकी है। जो थोड़ी बहुत जमीन मिली भी है वह पं० जवाहर लाल नेहरू की वजह से ही मिली है और हम लोगों ने कोशिश करके ली है। राज्यों में कोई देने वाला नहीं था। पांच एकड़ कहा जाता है कि उनके पास रहनी चाहिए। देहात में जिसके पास जमीन नहीं है उसकी कुछ इज्जत नहीं। गरीब आदमी को वहां पर, हरिजन को वहां पर वोट भी डालने नहीं दिया जाता है। देवी लाल जी ने वोट नहीं डालने दिया, चौ० चरण सिंह ने डालने नहीं दिया। 35 साल से कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं। ढाई साल हकूमत इनके हाथ में आ गई। अब आगे तो आने वाली नहीं है। वहां पर गरीब आदमी में इतनी ताकत नहीं है कि वह...इंडिपेंडेंटली वोट डाल सकें।

ढाई साल भी गलती से इनके हाथ में हकूमत आ गई। अब इनकी हकूमत होने वाली नहीं है। जनता जान गई है कि कांग्रेस आई के सिवा कोई उसका भला नहीं कर सकता है। पहले वे समझते थे कि सी० पी० आई० और सी० पी० एम० वाले बड़े तकड़े आदमी हैं। उनको हरा करके मैं आया हूं। लेकिन अब उनमें भी जान नहीं है। जब उनको ताकत मिल गई थी तब लोगों को पता लग गया कि ये लोग प्रोग्रेसिव नहीं है। सब ने मिल कर बेड़ा डुबो दिया था। सी० पी० आई० और सी० पी० एम० वाले भी कहते थे कि हम सब को ज़मीन देंगे। बहुत जोरदार बातें करते थे, सुन्दर बातें करते थे। लोगों को आशा थी कि वे इनके राज में ज़मीन पाएंगे लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। उनको पता लग गया कि इनमें भी बड़े बड़े जमींदार हैं और ज़मीन कोई छोड़ता नहीं है। गरीब तो ज़मीन पर काम करता है उसको कुछ नहीं मिलता है।

आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस आई में भी क्या हो रहा है। फुल फ्लैज्ड हमारे दो तीन मिनिस्टर हुआ करते थे और कोई काम होता तो हम उनके पास चले जाते थे। अब एक भी नहीं है। हमारे दो तीन आदमी होने चाहियें। गरीब हरिजनों से मिल कर यह सरकार बनी है गरीब लोगों के बल पर चाहे वे राजपूत हों, ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों उनके वोटों से यह सरकार बनी है। जब सरकार बन जाती है तो बड़े बड़े जमींदार हकूमत करने के लिए आगे आ जाते हैं। यह क्या तमाशा है। इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कैसे आएगी ? जो कुछ आप कर रहे हैं उसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं। मुझे कोई शक नहीं है और कोई और सत्ता में कांग्रेस आई के सिवाय आ भी नहीं सकता है। सी० पी० आई० और सी० पी० एम० तक के साथ जनता नहीं है। जमींदार जो उसको वोट डालने नहीं देता है उसके साथ गरीब आदमी नहीं जाएगा। लेकिन अपने घर को हमें ठीक करना चाहिए। घर ठीक है तो बाहर भी ठीक रहेगा। घर में कुछ नहीं तो बाहर भी कुछ नहीं।

गुजरात में क्या हो रहा है। मार मार कर इन लोगों को हलाल किया जा रहा है। हरियाणा में भी रिजर्वेशन के खिलाफ एजीटेशन की तैयारियां हो रही हैं। अगर ये एजीटेशन कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते हैं। अगर पार्टिशन के वक्त हम अलग हो जाते तो ये कहां जाते। डा० अम्बेदकर ने कहा था :

> "मैं एक हिन्दू के घर पैदा हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं हिन्दू के रूप में मरूंगा नहीं।"

तब हमने उनको कहा था कि जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, कांग्रेस के साथ, महात्मा गांधी के साथ हैं। नतीजा यह हुआ कि आपको हिन्दुस्तान मिला और हम आपके साथ आए। अब क्या दो दो मरलें हम मांगते फिरेंगे ? आपको सोचना होगा इसके बारे में। मैं तो इसमें विश्वास करता हूं। मैं दूसरों को धोखा देने के स्थान पर दूसरों से खुद धोखा खाना पसंद करूंगा। जो धोखा देता है वह खुद धोखा खाएगा। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। आज गरीबों का ऐक्सप्लायटेशन दूर नहीं किया जाता है। इसलिए यह निहायत जरूरी है कि यहां तीन फुल फ्लैज्ड हरिजन मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि हम सेफ नहीं हैं।

बजट की हम भी तारीफ करते हैं, बड़ा शानदार है। लेकिन इससे हमें क्या फायदा ? गरीब का तो काम होना चाहिए। थोड़ी बहुत जमीन हमें पंडित नेहरू के समय मिली थी, वरना कोई देता नहीं था। आज फिर वही हालत है। जो बड़े जमींदार हैं वह कभी वोट नहीं डालते, लेकिन वही सरकार में बैठे हैं। कहीं देखा है आपने बड़े जमींदार को वोट डालते ? कभी नहीं। जब लेंडरिफार्म करना नहीं था तो क्यों नाम लिया। आज हमें काश्त करने के लिए ज़मीन नहीं मिलती है। क्योंकि जमीन के मुताल्लिक जो कानून बना है उसका इमप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा कर सके। इसलिए गरीब आदमी आपकी तारीफ ही करेगा। हमें अपोज़ीशन का कोई डर नहीं है क्योंकि मैं हमेशा जीतता रहा हूं शान से। 1945 से मैं कभी नहीं हारा। हमको जनसंघ का नाम ही नहीं लेना है, इसके नज़दीक ही नहीं जाना है। सारे गरीब हरिजन श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ हैं। जनसंघ को हमने देख लिया, सी० पी० आई० और सी० पी० एम० को भी देख लिया। ऐसा पोज़ीशन हो जैसा कि इस समय है तो सुखाडिया साहब मज़े लेते रहो। कहीं फिर भी आपको हमारे लिए कुछ डट कर करना चाहिए। आज घर को तगड़ा करें, गरीब आदमी को आगे लायें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी हरिजनों के पास न ज़मीन, न मकान, न दुकान, न सामान, भारत माता ज़िन्दाबाद दिया। ऐसे नाम आपको चलेगा सब मालूम है किस तरह से हमें चलना है। और सजेश्चन क्या दूं। आपकी रेलवे ज़्यादा मज़बूत होनी चाहिए ताकि पेट्रोल भी बच जाय। आपको डिफेंस को मज़बूत करना चहिए। क्योंकि बाकी पार्टी वाले ज़बानी जमा खर्च करते हैं, कोई गरीबों का हानी नहीं है।

रिजर्वेशन के खिलाफ बड़ा ऊधम मचाया हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि रिजर्वेशन खत्म कर दें क्या ? जब आपने सूबे बनाये हुए हैं तो किसलिये बनाये हुए हैं। इसलिए कि इंडिपेंडेंटली लोगों की तरक्की करें। हमें भी दे दो, 4, 5 सूबे अलग हम लिखकर देते हैं कि हमेशा इन्दिरा जी के साथ रहेंगे। हमें भी मौका दो तो हम भी कुछ कर के दिखा सकें।

उनकी बात यह है कि यह गन्ना किसका है ? यह गन्ना हमारे साथियों का है। गन्ना तोड़ दो, तो जाट मारता है। इनको चाहिए कि जो भी आपके पास है, मसलन गैस है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप क्यों नहीं देते ? यह जो कुछ इनके हाथ में है वह देना चाहिए। जहां जहां भी जो कुछ बन सके, डटकर इनके हाथ में देना चाहिये क्योंकि ये लोग शुरू से इन्दिरा जी के साथ रहे हैं। मैं भी हूँ कि इन्दिरा जी को छोड़ दो तो नहीं छोड़ सकते। यह साथ रहेंगे उन्हीं के साथ। जवाहरलाल जी, महात्मा गांधी के साथ रहे हैं। इन्होंने डा० अम्बेदकर की नहीं मानी तो किसी की नहीं मान सकते।

इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि जो बजट है, यह बड़ा शानदार है और मैं बधाई देता हूं।

श्री बाबू लाल सोलंकी (मुरैना) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने 1981-82 का जो बजट सदन में पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

हमारी इन्दिरा जी की सरकार को बने हुए 15 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन मैं इस सदन में बार बार और प्रतिदिन यह सुनता रहा हूं विरोधियों की ओर से कि हरिजनों पर आये दिन अत्याचार होते जा रहे हैं। मैं माननीय विरोधियों से और खासकर हमारे जो

हरिजनों के लीडर बा० जगजीवन राम जी बनते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जनता पार्टी की सरकार थी, आप उसमें उप-प्रधान मंत्री थे, बेलछी में जब 14 हरिजनों को जिन्दा जलाया गया, तो क्या आप देखने गये ?

इसमें दो राय नहीं है, विरोधी रोजाना इस बात को चिल्लाते रहें, चाहे वह कुछ भी करते रहें, लेकिन आज इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने हरिजनों और आदिवासियों के लिए जो कुछ किया है, मैं समझता हूं कि वह कोई भी दूसरी पार्टी और देश का दूसरा नेता नहीं कर सकता है।

जब बेलछी में 14 हरिजनों को जिन्दा जलाया गया, तो इंदिरा जी वहां गई और उन्होंने वहां हरिजनों के आंसुओं को पोंछा। हमारे विरोधी यह कहते हैं कि इन्दिरा जी हाथी पर बैठकर गई। तुम्हारे पास हेलीकोप्टर थे, हवाई जहाज थे, आप क्यों नहीं गये ?

मैं बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य से जो जनता पार्टी की सरकार बनी और सदन में आकर जनता पार्टी के लोगों ने यहां कसम खाई कि हम इंदिरा जी को नहीं रहने देंगे, इंदिरा जी को निकाल देंगे इसके अलावा उन्होंने देश के हित के लिए और गरीबों व हरिजन आदिवासियों के लिये कोई कार्य नहीं किया। हमारे देश की नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी, दोबारा जीत कर यहाँ आईं। विरोधी दलों को शर्म करनी चाहिए कि उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को पार्लियामेंट से निष्कासित किया। विरोधी सदस्य सदन में रोज़ाना ऐसी बातें कह कर जनता को गुमराह नहीं कर सकते। माननीय चौधरी चरण सिंह कहते हैं कि मैं किसानों का नेता हूं। पंद्रह दिन पहले देश के किसानों ने दिल्ली में आकर यह बता दिया है कि हम इन्दिराजी के साथ हैं। इसके बावजूद विरोधी लोग यह आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के मंत्रियों, चीफ़ मिनिस्टरों और संसद्-सदस्यों ने गाड़ियां भर भर कर श्रीमती इन्दिरा गांधी के समर्थन में लोगों को दिल्ली पहुंचाया।

मैं मुरैना भिंड से चुन कर आया हूं, जहां हमेशा डाकू समस्या रही है। मैंने एक पब्लिक मीटिंग में किसान भाइयों से कहा कि हमारे पास उन्हें देने के लिए किराया नहीं है, हमारे पास उनके लिए खाना नहीं है, उन्हें दिल्ली में ठहरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद मेरे क्षेत्र से किसानों की 64 बसें भर कर आई, जबकि मैंने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि हम किराये के लिए पैसा, नहीं देंगे, हमारे पास खाने का कोई इन्तजाम नहीं है, दिल्ली में इतनी भीड़ होगी कि उन लोगों को हानी तक नहीं मिलेगा। मुझे बस में जगह नहीं मिली, इसलिए मैं ट्रेन में आया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश में बीस-सूत्री कार्यक्रम लागू किया है। मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं हरिजन हूं और मैं गांव का रहने वाला हूं। मैं राजस्व कमेटी का सदस्य भी रहा हूं। चूंकि मैंने ज्यादा नज़दीक से देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हरिजन आदिवासियों को बीस-सूत्री कार्यक्रम से जितना लाभ हो सकता है, उतना कोई दूसरा सरकार या नेता नहीं दे सकते हैं।

मैं रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में जो गाड़ियां चल रही हैं—चाहे वह झेलम एक्सप्रैस हो, पंजाब मेल हो या छतीसगढ़ एक्सप्रैस हो—,सारे हिन्दुस्तान में

उनमें से एक भी गाड़ी टाइम पर नहीं चल रही है। गाड़ियों के लेट चलने का क्या कारण है ? उदाहरण के लिए मैं सुबह 5 बजे मुरैना से गाड़ी में चला और दिल्ली में 3 बजे पहुंचा, जबकि दिल्ली से मुरैना और मुरैना से दिल्ली ट्रेन चार घंटों में आ जाती है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया जाये कि गाड़ियां टाइम पर चलें।

मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे मुख्य मंत्री, माननीय श्री अर्जुन सिंह, ने घोषणा की थी कि मुरैना भिंड में किसानों को पूरा पानी दिया जायेगा। मैं चार दिन पूर्व मुरैना से आया था। वहां लाखों एकड़ ज़मीन बिना पानी के नष्ट हो रही है। हमारे विरोधी इस बात को तूल दे कर आन्दोलन कर रहे हैं।

मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम मुरैना भिंड के अन्दर जो फसल पकने जा रही है उसको कम से कम एक पानी दिया जाय जिस से किसनों को राहत मिल सके।

एक मांग मैं गृह मंत्री जी से करना चाहता हूं। हमारा दुर्भाग्य है जो जनता पार्टी की सरकार बनी, उस जनता सरकार में जो पुलिस यूनियन बनी है वह सारे देश में खतरनाक सिद्ध हुई है। कई डी वाई एस पी, एस पी और आई जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यह जो पुलिस की यूनियन बनी है इस से बहुत नुकसान प्रशासन को हो रहा है। अगर कांस्टेबल हमारा सम्मान नहीं करेगा तो प्रशासन कैसे चलेगा। इस के लिए मैं गृह मंत्री जी से एक ही निवेदन करूंगा कि सारे देश में जो पुलिस यूनियन है इस को समाप्त किया जाय जिस से प्रशासन सुचारु रूप से चल सके।

मुरैना भिंड में सब से ज्यादा डाकू समस्या रही है, लेकिन हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी, बधाई की पात्र हैं कि एमर्जेंसी के समय में जब सेठी जी मुख्य मंत्री थे, उस समय उन्होंने मेरे क्षेत्र में 500 डाकुओं को सरेंडर कराया था। लेकिन आज फिर से पुलिस की अकर्मण्यता से वहां डाकू पैदा हो रहे हैं। आप से मेरा यह निवेदन है कि गृह मंत्री जी को आप यह कहें कि पुलिस पर नजर रखें और पुलिस हमारे देश में सही ढ़ंग से काम करे, तभी देश का प्रशासन सही रूप से चल पाएगा।

मैं, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उस का हार्दिक समर्थन करता हूं।

6.02 म० प०—तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 11 मार्च, 1981/20 फाल्गुन, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सबीना प्रिंटिंग प्रेस, फरीदाबाद